

करेंट अफेयर्स

August 2023



एनटीपीसी ने लेह में शुरू किया
हाइड्रोजन बस का परीक्षण



चंद्रयान-3



खारची पूजा



मणिपुर समस्या



FMCG



15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन



Now in Karol Bagh and Mukherjee Nagar

UPSC-GS (Prelims + Mains) Foundation Programme 2024-25



English Medium

Karol Bagh Centre

Add: 57/14, Old Rajendra Nagar,
New Delhi - 110060

Ph. No.: +91 9205 777 818



Hindi Medium

Mukherjee Nagar Centre

Add: 704, Ground Floor, Main Road
Front Of Batra Cinema, Mukherjee
Nagar, Delhi - 110009

Ph. No.: +91 9205 777 817



विषय सूची

इतिहास, कला एवं संस्कृति		1-8	4. दवा कंपनियों के लिए संशोधित विनिर्माण नियम	37
1. तमिल पांडुलिपि इटली में मिली	1	5. भारत में तम्बाकू नियंत्रण	39	
2. रुद्रगिरि गुफाओं की शैलकला	1	6. भारत का राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	41	
3. 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 81वीं वर्षगांठ	3	7. मणिपुर समस्या	43	
4. येलगिरी झोपड़ी आश्रय	4	अंतर्राष्ट्रीय संबंध		
5. खारची पूजा	5	45-53		
6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्वदेशी शिल्प	6	1. 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन	45	
राजव्यवस्था एवं शासन		9-32	2. अमेरिका-ईरान संबंध	46
1. डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक, 2023	9	3. द्विपक्षीय अभ्यास 'जायद तलवार'	47	
2. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी	10	4. मालाबार अभ्यास	48	
3. चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित नया विधेयक	13	5. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय	50	
4. असम में परिसीमन	14	6. भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधि	51	
5. अविश्वास प्रस्ताव	15	भूगोल		
6. अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023	16	54-60		
7. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0	18	1. तूफान हिलेरी	54	
8. पीएम पीवीटीजी विकास मिशन	20	2. डेन्यूब चैनल	56	
9. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023	21	3. प्रोजेक्ट देविका	58	
10. आयुष्मान भारत के पाँच साल	23	4. वर्षा का स्वरूप	59	
11. चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु	24	पर्यावरण		
12. स्वामित्व योजना की उपलब्धियां	26	61-76		
13. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	27	1. हिमनद का पिघलना	61	
14. वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक	29	2. एनटीपीसी ने लेह में शुरू किया हाइड्रोजन बस का परीक्षण	62	
15. गिग वर्कर्स	30	3. हरित गतिशीलता योजना	64	
सामाजिक मुद्दे		33-44	4. विश्व जैव ईंधन दिवस	65
1. पीएमकेवी योजना: कुशल श्रमिकों को नियुक्त करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर	33	5. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर	67	
2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	34	6. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की वजह	68	
3. छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों हेतु सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं	35	7. भारत में 5 प्रतिशत पक्षी स्थानिक हैं: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण	70	
		8. वाहन स्क्रेपिंग नीति	72	
		9. भारत की स्वच्छ कुकिंग कार्यनीति	73	
		10. कार्बन अवशोषण और भंडारण	75	

आपदा प्रबंधन	77-86	3. भारत का पहला D3-प्रिंटेड डाकघर	107
1. फ्लडवॉच ऐप	77	4. रूस ने किया नौका प्रक्षेपित	108
2. भारत में आकाशीय बिजली की घटनायें	78	5. भारतीय नक्षत्र में नौवहन (नाविक)	109
3. बाँध की सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन	79	6. न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड	111
4. अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना	81	7. भारत का अंतरिक्ष उद्योग	112
5. हिमाचल प्रदेश में आकस्मिक बाढ़	82	8. हवाना सिंड्रोम	114
6. स्पंज सिटी	85		
अर्थव्यवस्था	87-103	आंतरिक सुरक्षा	117-124
1. 'T+1' निपटान चक्र	87	1. भारत में वामपंथी उग्रवाद	117
2. अप्रत्याशित कर	88	2. आईएनएस विंध्यगिरि	120
3. तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं	89	3. सीमा अवसंरचना विकास	121
4. ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी	92	व्यक्तित्व/पुरस्कार/खेल	125-131
5. शून्य राजस्व घाटा	93	व्यक्तित्व	125
6. फेडरल ओपन मार्केट समिति	95	1. बिंदेश्वर पाठक	125
7. रेपो रेट	96	2. सी.आर. राव	125
8. विवाद से विश्वास योजना	98	3. डॉ. वी.एस. अरुणाचलम	126
9. रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पीएलआई योजनाओं के लाभ	99	पुरस्कार	127
10. चावल निर्यात पर भारत के प्रतिबंध का प्रभाव	100	1. 69वाँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	127
11. गेहूँ की मूल्य में वृद्धि के कारण	102		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	104-116	खेल	130
1. चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की	104	1. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023	130
2. अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण	105	फैक्ट प्वाइंट	132

इतिहास, कला एवं संस्कृति

1. तमिल पांडुलिपि इटली में मिली

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में इटली में एक अर्मेनियाई मठ में 18वीं शताब्दी की 'ज्ञानमुयारची' ('Gnanamuyarchi') नामक ताड़ पत्र की पांडुलिपियों की खोज की गई है।

विवरण

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में विशेष तमिल अध्ययन केंद्र के डॉक्टर विद्वान तमिल भारतन (Tamil Bharathan) को पांडुलिपियों के अध्ययन की अनुमति दी गई थी।
- तमिल भारतन वेनिस में हेलेनिक इंस्टीट्यूट ऑफ बीजान्टिन एंड पोस्ट-बीजान्टिन स्टडीज के मुख्यालय में ग्रीक पुरालेख पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए वहां गए थे।
- मुख्य विवरण
- यह अनुवाद संभवतः मिशेल बर्टोल्डी द्वारा किया गया है, जिन्हें तमिल में ज्ञानप्रकाशसामी के नाम से जाना जाता है।
- लाइब्रेरी, जिसने गलती से पांडुलिपि को 'इंडियन पेपिरस लैमुलिक लैंग्वेज-XIII सेंचुरी' के रूप में वर्गीकृत कर दिया था

को जानकारी नहीं थी कि यह तमिल में लिखा गया था।

- यह 18^{वीं} सदी की शुरुआत का एक गद्यपाठ है और इसका 19^{वीं} सदी में पुडुचेरी में मिशन प्रेस द्वारा कई बार मुद्रित होने का इतिहास रहा है।

महत्व

- यह खोज तमिल साहित्यिक और धार्मिक इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तमिल में इग्नाटियस के 'आध्यात्मिक अभ्यास' के पहले अनुवाद की एक प्रति हो सकती है।
- मठ के प्रभारी लोगों की राय है कि चेन्नई में अर्मेनियाई लोग पांडुलिपियों को इटली में लाये होंगे।
- इस प्रकार, यह हमें रोमन कैथोलिकों द्वारा पूर्व-आधुनिक तमिलनाडु में ईसाई धर्म के स्थानीयकरण के बारे में एक रोचक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

2. रुद्रगिरि गुफाओं की शैलकला

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में पुरातत्वविदों ने रुद्रगिरि पहाड़ी की शैल गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल के शैलकर्तित चित्रकला और भित्तिचित्रों का पता लगाया है, जबकि कुछ का उद्भव काकतीय राजवंश (12वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी) के युग के दौरान हुआ था।

विवरण


- रुद्रगिरि की तलहटी में तीन गुफाओं में काकतीय राजवंश के तीन अलग-अलग भित्तिचित्र हैं।
- पहाड़ी चट्टान के दक्षिणी छोर पर, काकतीय राजवंश के भित्ति चित्रों वाली दो प्राकृतिक गुफाओं की पहचान की गई है, जो उस काल की असाधारण कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करती हैं।

रुद्रगिरि पहाड़ी

- रुद्रगिरि पहाड़ी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ओरवाकल्लू गांव में स्थित है। यह स्थल उल्लेखनीय पुरातात्विक विरासत के साथ-साथ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक अतीत के लिए जाना जाता है।
- भौगोलिक दृष्टि से रुद्रगिरि पूर्वी घाट में स्थित है और इसकी विशेषता है-पश्चिम की ओर मुख किए हुए पर्वत की तलहटी में प्राकृतिक रूप से निर्मित पाँच शैलाश्रयों की उपस्थिति।

पहाड़ी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

- यह स्थल प्रागैतिहासिक युग, विशेष रूप से मेसोलिथिक युग (लगभग 5000 ईसा पूर्व) के शैल चित्रों के साथ-साथ चमकदार शैल चित्रों और भित्तिचित्रों का एक आकर्षक संयोजन प्रस्तुत करता है जो काकतीय कला से मिलते जुलते हैं।
- हालाँकि उनमें से कुछ प्राकृतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ क्षतिग्रस्त होने से बच गए हैं।
- पहाड़ी पर पायी जाने वाली शैल कला
 - चित्रों की विशेषता है सफेद काओलिन सहित विभिन्न प्रकार के रंगद्रव्यों (पिगमेंट्स) से प्राप्त विभिन्न रंगों का उपयोग।
 - भित्तिचित्र महाकाव्य रामायण की घटनाओं को दर्शाते हैं, जैसे:
 - ✓ सबसे दक्षिणी छोर पर पाया गया एक चित्र दो वानर भाइयों (बाली और सुग्रीव) के बीच युद्ध को दर्शाता है।
 - ✓ मध्य गुफा में 'हनुमान' का एक भव्य रेखाचित्र है, साथ ही 'शंख' या शंख के पवित्र प्रतीक और एक 'यज्ञ वेदी' (अग्निवेदी) भी है। इस भित्तिचित्र में, हनुमान अपने हाथों में 'संजीवनी पहाड़' लिए हुए हैं, जो लक्ष्मण के जीवन को बचाने के उनके मिशन को इंगित करता है।
 - ✓ तीसरी गुफा में प्रागैतिहासिक और काकतीय दोनों प्रकार के चित्र मिलते हैं। इस गुफा में मिली काकतीय कला से मिलते-जुलते चित्र में 'हनुमान' को अनोखी 'अंजलि' मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है।



मनोरम दृश्य: वानर भाइयों - बाली और सुग्रीव के बीच प्रचंड युद्ध को दर्शाने वाला चित्र। विशेष व्यवस्था

स्रोत: द हिन्दू

शैल कला का महत्व

- शैल कला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो अलग-अलग अवधियों के चित्र शामिल हैं, जो किसी तरह कला के संक्रमण और परिवर्तन और मूल संस्कृतियों और धर्म के साथ इसके समामेलन का संकेत देते हैं।
- ये चित्र काकतीय शासकों द्वारा संरक्षित धर्म के साथ-साथ उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंगों और चित्र शैलियों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं।

भित्तिचित्रों के बारे में

- भारतीय भित्तिचित्र, गुफाओं और महलों की दीवारों या अन्य ऐतिहासिक अवशेषों पर पाए जाने वाले चित्र हैं।
- भित्तिचित्रों के प्रमुख उदाहरणों में अजंता और एलोरा की गुफाओं, बाघ की गुफाओं और सित्तनवासल गुफा पर चित्रित सुंदर भित्तिचित्र शामिल हैं।
- विनयपिटक के अनुसार, वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने अपने महल की दीवारों पर उस समय के राजाओं, व्यापारियों और सौदागरों को चित्रित करने के लिए चित्रकारों को नियुक्त किया था।

काकतीय राजवंश के बारे में

- काकतीय राजवंश मध्यकाल के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था जिसने आंध्र और तेलुगु क्षेत्र पर शासन किया था।
- पहले काकतीय शासक कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे; हालाँकि, राजवंश प्रोला-II के शासन के तहत संप्रभु बन गया।
- ऐसा माना जाता है कि काकतीय राजवंश ने 12वीं से 14वीं शताब्दी ई. तक पूर्वी दक्कन क्षेत्र के अधिकांश भाग पर शासन किया था। उनके कुछ महत्वपूर्ण शासक गणपति देव (1199-1262 ई.), रुद्रमा देवी (1262-1295 ई.) आदि हैं।

काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट वास्तुशिल्पीय कृतियां

- मंदिर वास्तुकला की काकतीय शैली को मंदिर वास्तुकला और सजावट की बाद की चालुक्य शैली 'त्रिकुतालय' से विकसित माना जाता है।
- काकतीय राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक रुद्रेश्वर मंदिर है, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- अन्य उल्लेखनीय उदाहरणों में हनमकोंडा में हजार स्तंभ मंदिर, गोलकोंडा किला, वारंगल किला और घनपुर में कोटा गुल्लू शामिल हैं।

3. 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 81वीं वर्षगांठ

वर्तमान संदर्भ

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 9 अगस्त, 2023 को ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 81वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी।

आंदोलन की पृष्ठभूमि के लिए जिम्मेदार कारक

- अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता
 - ✓ मार्च 1942 में सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलने भारत आया।
 - ✓ 'भारत में यथाशीघ्र स्वशासन की प्राप्ति' के वादे के बावजूद मिशन ने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय **डोमिनियन स्टेट्स** का प्रस्ताव रखा।
 - ✓ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को यह स्वीकार्य नहीं था; इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस उस प्रावधान का विरोध कर रही थी, जो भारत के विभाजन की अनुमति देता था।
 - ✓ क्रिप्स मिशन की विफलता ने महात्मा गांधी को भारतीयों के अधिकारों हेतु अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के लिए प्रेरित किया।
- लोगों में बढ़ता गुस्सा और निराशा
 - ✓ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऊंची कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण निराशा हुई।
 - ✓ जापानियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों में केवल अंग्रेजों की निकासी की खबर, स्थानीय लोगों को आक्रमणकारियों की क्रूरता के लिए छोड़ते हुए अंग्रेजों का वहां से निकल जाना इससे लोगों में क्रोध, आक्रोश और भय का जन्म कि युद्ध के यहां पहुंचने के बाद भारत में भी ऐसा ही किया जाएगा।
 - ✓ महात्मा गांधी को इस बात की भी चिंता थी कि प्रभावी हस्तक्षेप के अभाव में मनोबल और भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत स्थापित हो सकता है, जिससे लोग जापानी आक्रमण के सामने टिक नहीं पाएंगे। संघर्ष शुरू करने, उत्साह बढ़ाने और जनता को संगठित करने का यह भी एक कारण था।
- ब्रिटेन की कमजोरी का एहसास
 - ✓ युद्ध में मित्र राष्ट्रों की पराजय की खबरें, दक्षिण पूर्व एशिया से पत्रों का आगमन तथा ऐसी जानकारियों और अफवाहों का फैलना कि असम से रेलगाड़ियों में भारी संख्या में घायल और मृत ब्रिटिश सैनिकों को लाया जा रहा है ने यह भावना पैदा की कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं और उनके राज का अंत निकट है।

भारत छोड़ो आंदोलन

- शुरूआत
 - ✓ **जुलाई 1942** में वर्धा में कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
 - ✓ अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्य समिति के निर्णय की पुष्टि के लिए **बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान** (अगस्त क्रांति मैदान) में बैठक की।
 - ✓ 08 अगस्त, 1942 को बैठक के बाद गांधी जी ने अपने भाषण में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए '**करो या मरो**' नारे का आह्वान किया और **भारत छोड़ो आंदोलन** की शुरूआत की।
 - ✓ स्वतंत्रता आंदोलन की '**ग्रेंड ओल्ड लेडी**' अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के **ग्वालिया टैंक मैदान** में भारतीय ध्वज फहराया था।
 - ✓ **यूसुफ मेहरअली** (जिन्होंने पहले '**साइमन वापस जाओ**' का नारा दिया था) ने '**भारत छोड़ो**' का नारा दिया।
- मांगें
 - ✓ फासीवाद के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल प्रभाव से अंत और अंग्रेजों की वापसी के बाद एक अस्थायी सरकार का गठन।
- कार्रवाई
 - ✓ 9 अगस्त, 1942 की प्रातः सरकार सख्त हुई और पूरे कांग्रेस नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें '**ऑपरेशन जीरो-आवर**' के तहत अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया।
- देश भर में बड़े पैमाने पर विद्रोह
 - ✓ 9 अगस्त को बम्बई, पूना और अहमदाबाद में लाखों लोगों की पुलिस से हिंसक झड़पें हुईं।
 - ✓ 10 अगस्त को दिल्ली, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

- ✓ कानपुर, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद में निषेधाज्ञा (prohibitory orders) के उल्लंघन में हड़तालें, प्रदर्शन हुए और लोगों ने जुलूस निकाले।
- ✓ व्यापक किसान विद्रोह हुए, जिनमें सरकारी इमारतों या औपनिवेशिक सत्ता के किसी भी दृश्य प्रतीक पर हमले और रेलवे पटरियों और स्टेशनों, टेलीग्राफ तारों और खंभे आदि जैसी संचार प्रणालियों को नष्ट करना शामिल था।
- ✓ बलिया, तमलुक, सतारा आदि में राष्ट्रीय या समानांतर सरकारें बनीं।
- ✓ सरकार ने क्रूरतापूर्वक जवाबी हमला किया और प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया।

• क्रूर दमन

- ✓ पुलिस और सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, सैन्य विमानों द्वारा भीड़ पर मशीनगन से हमला किया गया, प्रदर्शनकारियों को गांवों से पकड़ा गया तथा पुलिस द्वारा बंधक बना लिया गया और पूरे समुदायों पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया।
- ✓ संदिग्ध व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर कोड़े मारे गए और लोगों के कृत्यों के दंडस्वरूप एक के बाद एक गांव जला दिए गए।
- ✓ दिसंबर 1942 तक पांच महीनों में तकरीबन 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। लगभग 26,000 लोगों को छोटे एवं बड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और 18,000 लोगों को कठोर भारत रक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था।

आंदोलन का महत्व

- भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर-शोर से और स्पष्ट रूप से घोषणा की

कि भारतीय अब ब्रिटिश शासन से नहीं डरते हैं और भारतीयों के समर्थन के बिना भारत पर शासन नहीं किया जा सकता है।

- इसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वतंत्रता आंदोलन के तात्कालिक उद्देश्य के रूप में रखा।
- आम जनता ने अद्वितीय वीरता दिखाई और स्वतंत्रता के लिए क्रूर दमन का सामना किया, जिसने उन्हें स्वतंत्रता के लिए मजबूत और अधिक दृढ़ बना दिया।
- इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में राष्ट्रवाद का उदय, महिलाओं एवं छात्रों की भागीदारी और अंग्रेजों के साथ बातचीत की रणनीतियों में बदलाव शामिल थे।
- आंदोलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि प्रमुख नेता बनकर उभरे।
- इस आंदोलन ने भारतीयों के प्रति सरकार के अहंकार और क्रूरता को उजागर किया।
- इसने संविधान सभा के गठन और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

निष्कर्ष

- भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक क्रांतिकारी आंदोलन था कि इसने भारत में भविष्य की राजनीति के लिए जमीन तैयार की।
- गांधी जी ने ग्वालिया टैंक मैदान में अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था, 'जब सत्ता आएगी, तो वह भारत के लोगों की होगी, और यह उन्हें तय करना होगा कि यह किसे सौंपी जाए।'।
- भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम का स्वामित्व 'हम भारत के लोगों' (जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी) के पास था।

4. येलागिरी झोपड़ी आश्रय

वर्तमान संदर्भ

तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के येलागिरी में, अब केवल एक आखिरी प्राचीन आदिवासी झोपड़ी (HUT) बची हुई है। कंक्रीट के घरों से निकटता के कारण यह आखिरी बची हुई झोपड़ी आदिवासी लोगों के अधिक आधुनिक जीवन शैली की ओर परिवर्तन को दर्शाती है।

विवरण

- लगभग 200 साल पहले उत्तरी तमिलनाडु में, येलागिरी पहाड़ी पर बनी यह झोपड़ी लगभग 200 मलयाली (Malayali) आदिवासियों अर्थात् जनजातियों द्वारा बनाई गई अनेक झोपड़ियों में से एक है।

- इस झोपड़ी को खेती, मवेशी पालन, आश्रय और भंडारण के लिए एक सर्वव्यापी प्रणाली विकसित करने हेतु जाना जाता है।
- जनजाति द्वारा बनाई गई पहले की झोपड़ियाँ अस्थायी किस्म की थीं, जिनका परिवर्तन कालांतर में, लाल दोमट मिट्टी से बनी अधिक स्थायी येलागिरी झोपड़ियों के रूप में हुआ।

येलागिरी झोपड़ियों की विशेषताएं

- येलागिरी झोपड़ी, जनजाति (आदिवासी) वास्तुकला का एक उदाहरण है। सामान्यतः यह लाल दोमट मिट्टी से बनी एक कमरे की झोपड़ी होती है और इसका आकार 16 X 22 फीट का होता है।
- येलागिरी झोपड़ी का प्रवेश द्वार लगभग 4 फुट ऊंचा है एवं इसका निर्माण सागौन की लकड़ी से बने खंभों और बीमों के ढांचे (frame) के ऊपर लाल मिट्टी रखकर किया गया है।
- सामान्य दिखते हुए भी इस झोपड़ी का स्वरूप तब मनोरम हो जाता है, जब इसके शीर्ष पर 12 फुट की छत (Roof) लगा दी जाती है।
- इस झोपड़ी की छत बाँस के सूखे पत्तों से बनाई गई थी एवं रिसाव को रोकने के लिए गाय के गोबर का लेप लगाया गया था।
- इस प्रकार, आठ लोगों के रहने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ, झोपड़ी में घरेलू सामान रखने के लिए एक अटारी (attic) भी होती थी।
- झोपड़ी की मौसम और कृतकरोधी प्रकृति:

- ✓ झोपड़ियाँ अथवा संरचनाएँ, जैसे मुन्न वीदु (मिट्टी का घर) और अंदारा कोटाई (भंडारण गृह), बाँस से बनी सहतीर जैसी संरचना पर बनाई गई थीं ताकि भारी बारिश की स्थिति में संगृहीत वस्तुओं को चूहों (कृतक) के हमले और बाढ़ के पानी से सुरक्षित रखा जा सके।

5. खारची पूजा

वर्तमान सन्दर्भ

हाल ही में 14 देवताओं का त्योहार खारची पूजा, त्रिपुरा के अगरतला के खयेरपुर में प्रतिष्ठित चौदह देवताओं के मंदिर में शुरू हुआ।

संक्षिप्त विवरण

- यह हर साल जुलाई या अगस्त में अमावस्या के आठवें दिन मनाया जाता है।
- इस साल यह शुभ त्योहार 26 जून से शुरू हुआ और 2 जुलाई तक चला।

खारची पूजा/त्योहार क्या है?

- यह त्योहार त्रिपुरी लोगों के कुलदेवता चतुर्दश देवता की पूजा पर केंद्रित है।
- खारची पूजा प्रतिवर्ष शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है, जो आषाढ़ के चंद्र माह के आठवें दिन आती है।

- ✓ ग्रीष्म ऋतु में आसपास अत्यधिक गर्मी होने के बावजूद, झोपड़ी का आंतरिक वातावरण ठंडा रहता था।
- ✓ झोपड़ी में केवल अनाज के भंडारण के लिए संरक्षित एक विशेष स्थान हो सकता है और यह विशेषता संबंधित जनजाति के लिए कृषि के महत्व को इंगित करती है।

मलयाली (Malayali) जनजाति

- मलयाली (Malayali) जनजाति का नाम दो शब्दों 'मलाई' (जिसका अर्थ है पहाड़ी) और 'याली' (जिसका अर्थ है लोग) से मिलकर बना है। इस जनजाति की आबादी राज्य के पहाड़ी इलाकों में फैली हुई मानी जाती है।
- वे जनजाति (आदिवासी) लोग, जिन्हें वनवासी के रूप में जाना जाता था, येलागिरी के ऊपरी निलावूर क्षेत्र में जा बसे और भोजन के लिए इन्होंने इस (येलागिरी) चोटी पर खेती करना शुरू कर दिया।

तमिलनाडु की अन्य जनजातियाँ

- तमिलनाडु में लगभग 36 जनजाति (आदिवासी) उप-समूह मौजूद हैं।
- इनमें से कुछ प्रमुख जनजाति (आदिवासी) समूह मलयाली (Malayali), कुरुम्बा, इरुलर, टोडा, पानियान, कट्टुनायकन, पल्लियान, कनिकरण (कनिकर), काडर आदि हैं।
- टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरुलर, कट्टुनायकन और पानियान जैसी जनजातियों को 'आदिम जनजाति' के रूप में नामित किया गया है।

- चंद्र कैलेंडर के आधार पर, त्योहार की सटीक तिथियां हर साल बदलती रहती हैं।
- यह उत्सव लगातार सात दिनों तक मनाया जाता है।
- यह अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और समुदाय के समृद्ध इतिहास और परंपराओं को प्रदर्शित करता है।
- त्योहार के दौरान, त्रिपुरा के लोग अपने 14 देवताओं के साथ-साथ पृथ्वी की भी पूजा करते हैं।
- हालाँकि यह त्योहार जनजातीय लोगों का है, लेकिन यह त्रिपुरा के जनजातीय और गैर-जनजातीय दोनों लोगों द्वारा मनाया जाता है।
- चौदह देवताओं के त्रिपुरी नाम निम्न हैं- लम्प्रा, अखाता, बिखाता, बुरासा, थुम्नैरोक, बोनिरोक, संग्रोगमा, म्वाताइकोटोर, टिव्मा, सोंगत्रमा, नोक्सुमा, मैलुमा, खुलुमा और हच्चाकमा।

खारची पूजा का इतिहास

- 'खारची' शब्द दो त्रिपुरी शब्दों 'खर' या 'खरता' जिसका अर्थ है 'पाप' और 'ची' या 'सी' जिसका अर्थ है 'सफाई' से बना है।
- खारची पूजा शाही राजवंश की देवी त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है, जिन्हें खारची या खारची बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि देवी माँ या त्रिपुरा सुंदरी, भूमि की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो त्रिपुरा के लोगों की रक्षा करती हैं और अंबु बाची के समय में मासिक धर्म (menstruate) करती हैं, जो जून में मनाया जाता है।

खारची पूजा का महत्व

- यह त्यौहार अंबु बाची या अंबु पेची के 15 दिन बाद होता है।
- त्रिपुरी लोककथाओं के अनुसार अम्बु पेची देवी माँ या पृथ्वी माता के मासिक धर्म का प्रतीक है।
- एक लोकप्रिय मान्यता है कि देवी मां या त्रिपुरा सुंदरी के मासिक धर्म के दौरान पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है।
- इसलिए, मासिक धर्म समाप्त होने के बाद पृथ्वी को अनुष्ठानिक रूप से साफ करने और पृथ्वी पर लोगों के पापों को धोने के लिए खारची पूजा मनाई जाती है।
- यह सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक उत्साह का एक जीवंत प्रदर्शन है, जो देश भर से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है।
- त्यौहार में त्रिपुरा की विविध लोक परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक प्रदर्शन भी होते हैं।
- ऐतिहासिक खारची पूजा न केवल आध्यात्मिक कार्याकल्प के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, बल्कि सामुदायिक बंधन और एकता को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में भी कार्य करती है।

क्रम	त्यौहार/उत्सव का नाम	स्थान	मनाने का समय
1	गरिया पूजा	सम्पूर्ण राज्य में	बंगाली बैशाख माह के सातवें दिन (अप्रैल के तीसरे सप्ताह में) 7 दिनों तक
2	अशोका अष्टमी	उनाकोटि, पुरातात्विक स्थल, कैलाशहर, उनाकोटि जिला	हर साल फरवरी के महीने में
3	पिलक त्यौहार	पिलक पुरातत्व स्थल, जोलाईबारी, दक्षिण त्रिपुरा जिला	हर साल फरवरी/मार्च के महीने में
4	खारची त्यौहार	खयेरपुर, पुराना अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा	हर साल जुलाई के महीने में
5	नीरमहल त्यौहार	रुद्रसागर झील, राजघाट, मेलाघर, सिपाहीजला जिले में	हर साल अगस्त और दिसंबर के महीने में
6	दिवाली	त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, माताबारी, गोमती जिले और पूरे राज्य में	हर साल अक्टूबर/नवंबर में
7	पौस संक्रांति मेला	तीर्थमुख, गोमती जिला	हर साल जनवरी के महीने में

6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्वदेशी शिल्प

वर्तमान संदर्भ

केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ने संसद में बताया कि उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (NEHHDC), जो मोबाइल आउटलेट 'पूर्वश्री' ऑन व्हील्स' संचालित करता है उसने अपना ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू किया है और कारीगरों को भारत और विदेश के बाजारों से जोड़ने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी लाइव कर दी है।

विवरण

- उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने अन्य बातों के साथ विभिन्न संस्थाओं, जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग; राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग; राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट आदि के साथ 30 से अधिक समझौता

ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

- उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कौशल भारत के प्रमुख कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (NSDC) के साथ एक प्रशिक्षण भागीदार (TP) के रूप में भी पंजीकृत है।

उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम

- उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम एक ऐसा संगठन है जो कारीगरों को संभावित बाजारों एवं उपभोक्ताओं से जोड़कर तथा उपभोक्ताओं के लिए सांस्कृतिक महत्व का अवसर खोजते हुए, रचनाकारों के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर पैदा करके इस क्षेत्र के स्वदेशी शिल्प को विकसित और बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- यह निगम भारत सरकार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय और भारत सरकार ने 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries-SFURTI)' के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया है।
- यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी आठ राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करता है।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम का कारोबार 105.87 लाख रुपये (वर्ष 2020-21); 369.22 लाख रुपये (वर्ष 2021-22) और लगभग 565.22 लाख रुपये (वर्ष 2022-23) था।

केंद्र सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्वदेशी शिल्प को क्यों बढ़ावा दे रही है?

- क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) के विविध स्वदेशी संस्कृतियां अद्वितीय शिल्प का प्रदर्शन करती हैं; सरकार भावी पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु उन्हें बढ़ावा दे रही है।
- क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक अवसर : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र आजीविका के लिए पारंपरिक शिल्प पर निर्भर है एवं इन्हें आर्थिक अवसर हेतु एवम् जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकारी प्रोत्साहन से लाभ मिलता है।
- सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों को उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यहां सरकार सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण के लिए स्वदेशी शिल्प को बढ़ावा देती है।
- रोजगार सृजन : स्वदेशी शिल्प को बढ़ावा देने से कुटीर उद्योगों और लघु उद्यमों की स्थापना हो सकती है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के शिल्प के समक्ष चुनौतियां

- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, शिल्प क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है।
- शिल्प कारीगरों को अपने व्यावसायिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। लेकिन वित्तीय संस्थानों की ओर से कारीगरों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।
- क्षेत्र के शिल्पों को प्लास्टिक, स्टील और एल्यूमीनियम जैसे संगठित औद्योगिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- शिल्प उद्योग के विकास में अन्य समस्याएं उचित प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, उत्पादन की उच्च लागत, डिजाइन विकास, सीमित परिवहन और संचार सुविधाएं, उत्पादन के पुराने तरीके और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अच्छी संख्या में तकनीकी कर्मियों की कमी हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शिल्प के लिए सरकारी पहल

- बुनकर मुद्रा योजना : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बुनकर मुद्रा योजना बेहद सफल रही है। इस योजना से क्षेत्र के लगभग 1.5 लाख हथकरघा बुनकरों को लाभ हुआ है।
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Amended Technology Up-gradation Fund Scheme-ATUFS) : सरकार वर्ष 2016-2022 के लिए 17,822 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कपड़ा उद्योग प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू की है।
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Park-SITP) : भारत सरकार वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु वस्त्र पार्क स्थापित करने हेतु अधिकतम 40 करोड़ रुपये का अनुदान देती है।
- पीएम-मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन्स एंड अपैरल पार्क (PM-Mega Integrated Textiles Regions and Apparel Park-PM-MITRA) : ग्रीनफील्ड पीएम मित्रा और ब्राउनफील्ड पीएम पार्क के विकास के लिए भारत सरकार से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पीएम मित्रा के लिए अधिकतम क्रमशः 500 करोड़ और 200 करोड़ रुपये प्रति पार्क के साथ परियोजना लागत का 30 प्रतिशत की दर से विकास पूंजी सहायता (DCS) का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (National Handicrafts Development Programme-

NHDP) व्यापक हस्तशिल्प क्षेत्र विकास योजनाओं का उद्देश्य डिजाइन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास, बाजार समर्थन आदि पर सहायता प्रदान करके एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से हस्तशिल्प समूहों का समग्र विकास करना है।

- **रेशम समग्र** : अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बीज व्यवस्थापन और समन्वय, बाजार विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात के घटकों के साथ रेशम उद्योग के विकास के लिए एक एकीकृत योजना।

आगे की राह

- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्वदेशी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को मौजूदा समस्याओं का हल करना चाहिए और शिल्प उद्योग को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सहायता पहल जारी रखनी चाहिए।

स्व कार्य हेतु



राज्यवस्था एवं शासन

1. डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक, 2023

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संसद में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा और व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा प्रदान करना है।

विवरण

- यह विधेयक वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसले के दृष्टिकोण को बरकरार रखता है, जिसमें भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया था।
- न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की भारत के डेटा को नियंत्रित करने वाले डेटा संरक्षण कानूनों की सिफारिश के बाद इसके बुनियादी ढाँचे का उद्भव हुआ है।
- सरकार, प्रौद्योगिकी कंपनियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से जुड़ी लगभग पाँच वर्षों की चर्चा के बाद इस कानून में कई पुनरावृत्तियाँ हुई हैं तथा गैर-व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने की नीति के रूप में इसे हाल ही में पेश किया गया है।
- यह एक बड़े नीतिगत ढाँचे का एक हिस्सा है, जिसमें एक व्यापक डिजिटल इंडिया अधिनियम शामिल है, जो अंततः मौजूदा आईटी अधिनियम की जगह लेगा।

डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता

- इस विधेयक के मसौदे का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को इस तरह से प्रदान करना है, जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन की पहचान कर सके।
- यह विधेयक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संगठनों और सरकार को व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के तरीके पर मार्गदर्शन और सर्वोत्तम नीतिगत नियम प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करना भी शामिल है।
- यह विधेयक एक तरफ नागरिक (डिजिटल नागरिक) के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और दूसरी तरफ डेटा प्रत्ययी (Data Fiduciary) के लिए एकत्रित डेटा का कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों को निर्धारित करता है।

- अर्थव्यवस्था और समाज में बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण और डेटा के डिजिटल क्रांति की मुद्रा बनने की स्थिति में विकसित होने के साथ, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए डेटा सुरक्षा एक अनिवार्य साधन है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- यह विधेयक डेटा के लिए डेटा प्रत्ययी (Fiduciaries) के दायित्वों और डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ उनके अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड (अर्थदंड) का प्रावधान करता है।
- इस विधेयक में डेटा प्रत्ययी द्वारा डेटा संसाधित करने के तरीके में आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए न्यूनतम व्यवधान के साथ डेटा संरक्षण कानून पेश करने का भी प्रयास किया गया है; ताकि जीवन की सुगमता (Ease of Living) और व्यवसाय करने की सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने के साथ-साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके नवाचारी पारितंत्र को सक्षम बनाया जा सके।
- यह विधेयक व्यक्तिगत डेटा की सहमति, वैध और पारदर्शी उपयोग के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करना; उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनीकरण, सटीकता, भंडारण सीमा आदि के सिद्धांत के निर्माण का प्रयास करता है।
- 'he' के बजाय 'she' शब्द का उपयोग करके, यह पहली बार संसदीय कानून-निर्माण में महिलाओं के भूमिका को स्वीकार करता है।
- यह विधेयक संसाधित व्यक्तिगत डेटा के बारे में जानकारी तक पहुँच का अधिकार; डेटा को सुधारने और मिटाने, शिकायत निवारण; के अलावा मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- अपने अधिकारों को लागू करने के लिए, एक प्रभावित डेटा प्रिंसिपल पहली बार में डेटा प्रत्ययी (Fiduciary) से संपर्क कर सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो वह डेटा प्रत्ययी के खिलाफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में अवरोध विहीन तरीके से शिकायत दर्ज करा सकता है।

- यह विधेयक डेटा प्रत्ययी को केवल माता-पिता की सहमति से बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की अनुमति देता है। यह ऐसे प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) की अनुमति नहीं देता, जो बच्चों की भलाई के लिए हानिकारक हो या जिसमें उनकी ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी या लक्षित विज्ञापन शामिल हो।
- इस विधेयक में अधिसूचित एजेंसियों के लिए, सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में; अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए; कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने; विदेशी अनुबंध के तहत गैर-निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को भारत में संसाधित करने; स्टार्टअप्स या डेटा प्रत्ययी की अन्य अधिसूचित श्रेणियों हेतु; न्यायिक या नियामक कार्य करने; अपराधों को रोकने, पता लगाने, जाँच करने या मुकदमा चलाने; अनुमोदित विलय, डिमर्जर आदि हेतु; तथा डिफॉल्टरों और उनकी वित्तीय संपत्तियों आदि जैसी चीजों का पता लगाने हेतु कुछ छूट प्रदान की गई हैं।

महत्व

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने में सक्षम होगा, और उन्हें अपने व्यक्तिगत डेटा को पोर्ट करने के बारे में अधिक स्वतंत्रता देगा।
- यदि बड़े निगम और उपभोक्ता ऐसा करने में विफल रहते हैं और विधेयक में सूचीबद्ध मानदंडों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा तथा उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
- इसके अनुमोदन अर्थात् पारित होने के बाद, सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की कई संस्थाओं को अपना डेटा एकत्र करने और संसाधित करने के लिए उपयोगकर्ताओं से सहमति प्राप्त करनी होगी।
- प्रत्येक उपभोक्ता की निजता के अधिकार को अधिक महत्व दिया जाएगा और उनका डेटा पहले से अधिक सुरक्षित रखा जाएगा।

चुनौतियाँ

- सरकार और उसकी एजेंसियों को व्यापक छूट देना, डेटा संरक्षण

बोर्ड की शक्तियों को कमजोर करना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन आदि विवादास्पद हैं।

- यह विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43A को अधिभावी (Override) करता है, जिसके तहत उपयोगकर्ता के डेटा का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों को उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देना होगा।
- केंद्र को डेटा संरक्षण बोर्ड में सदस्यों को नियुक्त करने का भी अधिकार है, जिससे उन मामलों में संस्थान पर नियंत्रण की संभावना को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जहाँ यह एक इच्छुक पक्ष थी।
- केंद्र सरकार के लिए नागरिकों से स्पष्ट सहमति लेने के मानदंडों को दरकिनार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी सरकारों के साथ संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने आदि का हवाला देते हुए प्रतिकूल परिणामों से 'राज्य के किसी भी मशीनीनरी' को छूट देने का प्रावधान प्रतिबंधात्मक राज्य तंत्र की आशंकाओं को जन्म देता है।
- विपक्षी दलों के संसद सदस्यों ने प्रस्तावित कानून को पेश करने पर आपत्ति जताई और इसे संसदीय समिति को सौंपने का आह्वान किया।

सुझाव

- इस कानून को बेहतर बनाने के लिए यूरोपीय संघ के ऐतिहासिक सामान्य डेटा संरक्षण विनियमों जैसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए।
- सर्वसम्मति बनाने और संभावित खामियों को दूर करने के लिए विधेयक को आवश्यक संसदीय जाँच से गुजरना चाहिए।
- स्पष्ट छूटों की तुलना में सुरक्षा एजेंसियों, राज्य के प्रतिनिधियों आदि के लिए कानूनी सुरक्षा के पर्याप्त दायरे वाले सिद्धांतों को तैयार करने पर विचार करना चाहिए।
- डेटा संरक्षण बोर्ड को सरकारी नीतियों की निष्पक्ष निगरानी की भावना से सशक्त और हितों के टकराव से मुक्त किया जाना चाहिए।
- जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कानून के उत्तरदायी तंत्र को और मजबूत किया जाना चाहिए।

2. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में संसद में रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया गया जिसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई।

विवरण

यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में पुलिस,

सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को बहाल करने के बाद लाया गया। परिणामतः इसे मंजूरी के लिए संसद में पेश किया गया था।

अध्यादेशों का मुख्य विवरण

- भारतीय संविधान के भाग V का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार देता है।
- अध्यादेशों को लागू रहने के लिए 6 सप्ताह के भीतर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- डीसी वाधवा बनाम बिहार (1987) में उच्चतम न्यायालय ने बताया था कि कैसे अध्यादेश कानून बनाने की एक असाधारण शक्ति है, न कि इसे पहले उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- संविधान के भाग VI के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

विधेयक की उल्लेखनीय विशेषताएं

- इसमें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory-NCT) में सेवाओं से समूह-A अधिकारियों के स्थानांतरण, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन हेतु राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
- यह कानून कार्मिक प्रबंधन के मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार को चुनौती देते हुए सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार देता है।
- यह विधेयक दिल्ली सरकार के मंत्रियों को संबंधित विभाग के सचिव से परामर्श के बाद समस्या समाधान के लिए स्थायी आदेश जारी करने की अनुमति देता है।
- विभाग के सचिवों का यह कर्तव्य है कि वे कुछ मामलों को उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाएं, विशेषकर वे मामले जो अन्य राज्य सरकारों, अदालतों या केंद्र सरकार के साथ विवाद का कारण बन सकते हैं।

अध्यादेश की तुलना में विधेयक में प्रमुख बदलाव

- यह विधेयक अध्यादेश के उस प्रावधान को हटाता है जो दिल्ली विधानसभा को 'राज्य लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग' से संबंधित कानून बनाने से रोकता था।
- राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) के लिए संसद और दिल्ली विधानसभा में वार्षिक रिपोर्ट पेश करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
- यह विधेयक दिल्ली में विभिन्न प्राधिकरणों, बोर्डों, आयोगों और वैधानिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को कमजोर करता है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से पहले केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले मामलों में मंत्रियों के निर्देशों

की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।

- विधेयक उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री की सिफारिशों सहित NCCSA द्वारा सुझाए गए नामों की सूची से दिल्ली सरकार के बोर्डों और आयोगों के सदस्यों का चयन करने का अधिकार देता है।

संक्षिप्त घटनाक्रम

- 11 मई, 2023 : उच्चतम न्यायालय कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है।
- 19 मई, 2023 : केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति से दिल्ली विधानमंडल के दायरे से 'सेवाओं' को बाहर करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को कहा।
- 1 अगस्त, 2023 : अध्यादेश को GNCTD (संशोधन) विधेयक 2023 के रूप में लोकसभा में पेश किया गया।
- 2 अगस्त, 2023 : लोकसभा ने GNCTD (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया।
- 7 अगस्त, 2023 : GNCTD (संशोधन) विधेयक 2023 राज्यसभा द्वारा अनुमोदन के बाद संसद द्वारा पारित किया गया।
- 11 अगस्त, 2023 : GNCTD (संशोधन) विधेयक 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।

समस्याएं

- यह 'जवाबदेही की त्रि-शृंखला' (triple chain of accountability) को तोड़ता है जिसे मई 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्टतः मान्यता दी गई थी अतः इस प्रकार यह मौलिक रूप से प्रतिनिधि सरकार के मूल संवैधानिक सिद्धांत (जो हमारे लोकतंत्र का आधार हैं) को कमजोर करता है।
- इस अध्यादेश के कारण निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है।
- यह विधेयक उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दायरे का विस्तार करता है, जिससे उन्हें मंत्रिपरिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति मिलती है, जो संभावित रूप से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधा डाल सकती है।
- विपक्षी नेताओं ने विधेयक पर कड़ा विरोध जताया और दावा किया कि यह लोकतांत्रिक विरासत, संघवाद की भावना और निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कमजोर करता है।
- अध्यादेश ने दिल्ली सरकार के विभागों में कार्यरत सिविल सेवा अधिकारियों के मध्य भ्रम और अनिश्चितता पैदा की, जो दीर्घकाल में दिल्ली में सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को प्रभावित करेगा।

दिल्ली एनसीटी पर संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 239AA को 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCTD) को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद में कहा गया है कि एनसीटी में एक विधान सभा और एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति होगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिन्हें संविधान द्वारा विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

परिणाम

- राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के मध्य संवैधानिक संकट और सत्ता संघर्ष पैदा करना हमारे लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है।
- यह दिल्ली सरकार की स्वायत्तता एवं लोकतंत्र तथा इसे चुनने वाले लोगों की इच्छा को कमजोर करता है।
- दिल्ली का प्रभावी प्रशासन और शासन बाधित हो रहा है, क्योंकि सिविल सेवा अधिकारियों को अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर अनिश्चितता और भ्रम का सामना करना पड़ सकता है।
- यह कानूनी चुनौतियों और न्यायिक जांच को आमंत्रित करता है, क्योंकि दावा किया गया है कि अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के फैसले और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

परिचर्चा

क्र. सं.	विधेयक के पक्ष में तर्क	विधेयक के विरोध में तर्क
1	NCCSA में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधित्व के साथ स्थानीय और राष्ट्रीय हितों को संतुलित करना आवश्यक है, जबकि कर्मियों के आवंटन में केंद्र का दखल राजधानी के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है।	कार्यकारी उत्तरदायित्व का अभाव, क्योंकि उप-राज्यपाल को विधानसभा को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, विधानसभा के विधायी विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

2	अनुच्छेद 239AA (दिल्ली की विशेष स्थिति) और अनुच्छेद 239AB (सुशासन के लिए कानून बनाने का राष्ट्रपति का आदेश) के अनुरूप।	भारतीय संविधान की मूल विशेषता संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
3	बेहतरी के लिए संशोधनों के साथ उच्चतम न्यायालय के फैसलों की समीक्षा के दायरे में।	मुख्यमंत्री और निर्वाचित सरकार की शक्तियों को समाप्त करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को बाधित करता है।
4	एक केंद्रशासित प्रदेश, जो राष्ट्रीय राजधानी भी है की विशिष्ट आवश्यकताओं को मान्यता देता है।	सेवाकर्मियों के भाग्य का फैसला करने के लिए दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों को छीनकर प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर किया गया है।

सुझाव

- चूंकि कानून पारित हो चुका है, इसलिए सभी हितधारकों के लिए संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें लोकतांत्रिक शासन, शक्तियों का विभाजन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार शामिल हैं।
- अधिनियम के संबंध में नीतिगत पंगुता को रोकने और समग्र रूप से समस्या समाधान के लिए अब से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मध्य सार्थक वार्ता और विचार-विमर्श करना अति महत्वपूर्ण है।
- संविधान के संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार के रूप में उच्चतम न्यायालय की भूमिका का सम्मान करने के लिए इसके निर्देशों का आत्मनिरीक्षण किया जाना चाहिए।

आगे की राह

यह घटनाक्रम निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के मध्य शक्ति के संवेदनशील संतुलन के संबंध में महत्वपूर्ण आशंकाएं पैदा करता है और लोकतांत्रिक मानदंडों और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति व्यापक समझ और अनुपालन की मांग करता है।

3. चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित नया विधेयक

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner-CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाने वाला एक विधेयक पेश किया।

विवरण

- कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय) विधेयक, 2023 को राज्यसभा में पेश किया।
- विधेयक में, भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री की एक समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान है।

नियुक्ति हेतु नई प्रक्रिया

- विधेयक के अनुसार, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति द्वारा पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जायेगा, जिसमें चुनाव से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सरकार के सचिव के पद से नीचे के दो अन्य सदस्य शामिल होंगे, जो नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं।
- इसके पश्चात् प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की एक चयन समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी।

उच्चतम न्यायालय का फैसला

- 02 मार्च, 2023 को न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अगुवाई वाली -5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को संशोधित किया।
- पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर राष्ट्रपति को सलाह देगी।
- अबतक, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे।

क्या संसद उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द कर सकती है?

- संसद के पास निर्णय में व्यक्त आशंकाओं को दूर करके अदालत के

फैसले के प्रभाव को रद्द करने की शक्ति है। कानून केवल निर्णय का विरोधाभासी नहीं हो सकता।

- इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था विशिष्ट इसलिए थी क्योंकि न्यायालय के अनुसार यहाँ 'विधायी शून्यता' थी। अतः इस रिक्तता को भरना संसद के अधिकार क्षेत्र में है।

विधेयक की आलोचना

- विधेयक में चयन समिति की संरचना इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या प्रक्रिया अब स्वतंत्र है या अभी भी कार्यपालिका के पक्ष में झुकी हुई है।
- तीन सदस्यीय पैनल में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री के साथ, प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष को वोट से बाहर कर दिया जाता है।
- विधेयक में भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाने और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान
- संविधान के भाग XV (चुनाव) में केवल छह अनुच्छेद (-324 329) हैं।
- अनुच्छेद 324 : चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा।
- अनुच्छेद 325 : कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा।
- अनुच्छेद 326 : लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
- अनुच्छेद 327 : विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
- अनुच्छेद 328 : ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति।
- अनुच्छेद 329 : चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

नियुक्तियां एवं कार्यकाल

- भारत का संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।
- राष्ट्रपति यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।
- चुनाव आयोग के सभी सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से छह साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने (जो भी पहले हो) तक पद पर बने रहेंगे।

पदत्याग/निष्कासन

- वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाए भी जा सकते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही, पद से हटाया जा सकता है।

4. असम में परिसीमन**वर्तमान संदर्भ**

चुनाव आयोग ने असम के लोकसभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपना अंतिम परिसीमन आदेश प्रकाशित कर दिया। इस आदेश में जून में प्रकाशित पहले के मसौदे में कुछ बदलाव शामिल हैं।

प्रकाशित परिसीमन आदेश की मुख्य बातें

- नई प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राज्य विधानसभा के साथ-साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अपरिवर्तित रूप से क्रमशः 126 और 14 बनी रहेगी।
- अनुसूचित जनजाति के लिए 2 संसदीय क्षेत्रों सहित लगभग 19 विधानसभा क्षेत्र (पहले यह संख्या 16 थी) आरक्षित हैं।
- इसी तरह, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। इसके अलावा, करीमगंज लोकसभा सीट का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का दर्जा समाप्त कर दिया गया है।
- पश्चिमी कार्बी और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जैसी स्वायत्त परिषदों में भी सीटों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः (1 से 2) एवं (16 से 19) कर दी गई है।
- कई विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदले गए हैं, जैसे- मानस विधानसभा सीट का नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है और कालियाबोर लोकसभा सीट का नाम बदलकर काजीरंगा कर दिया गया है।

परिसीमन क्या होता है?

- परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का दायरा या सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय को सौंपा गया है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का

अनुच्छेद 82 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 170 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है।

परिसीमन आयोग

- प्रत्येक जनगणना कार्य सम्पन्न होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के अनुसार संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित किया जाता है।
- अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है।
- यह परिसीमन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है और नवीनतम जनगणना के अनुसार संबंधित राज्य या पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है।
- यह एक स्वतंत्र निकाय होता है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग में अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सदस्य के रूप में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
- वर्तमान में परिसीमन अधिनियम, 2002 के माध्यम से गठित परिसीमन आयोग द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329ए के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या उन निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन आदि से जुड़े किसी भी कानून की वैधता पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

परिसीमन क्यों आवश्यक है?

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का आकार समान रहे, संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को समय-समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता होती है।
- परिसीमन का मूल विचार यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचन क्षेत्र चाहे जो भी हो, प्रत्येक मत (Vote) का मान समान होना चाहिए।
- परिसीमन प्रक्रिया के दौरान जनसंख्या के साथ-साथ प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं, भौगोलिक विशेषताओं और सम्पर्क सुविधा पर भी विचार किया जाता है।

असम का परिसीमन की आवश्यकता क्यों?

- असम में आखिरी परिसीमन वर्ष 1976 में किया गया था। वर्ष 2008 के दौरान, जब राष्ट्रव्यापी परिसीमन पूरा हुआ, तो असम उन पांच राज्यों में से एक था जो इस प्रक्रिया से बाहर रह गए थे। इसके लिए सरकार ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा चिंताओं से जुड़े कारणों का हवाला दिया था। बाद में दिसंबर 2022 में इस परिसीमन की शुरुआत की गई।

इस परिसीमन का महत्व

5. अविश्वास प्रस्ताव

वर्तमान संदर्भ

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

विवरण

- इस कदम का उद्देश्य मणिपुर में हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगना है।
- इस प्रस्ताव को नवगठित इंडिया (I.N.D.I.A) गठबंधन और भारत राष्ट्र समिति के सभी दलों ने समर्थन दिया है।

‘अविश्वास प्रस्ताव’ क्या है?

- अविश्वास प्रस्ताव को संसदीय लोकतंत्र का एक साधन माना जाता है जिसके माध्यम से सरकार को लोकप्रिय सदन (लोकसभा) में जवाबदेह बनाया जा सकता है।
- इस प्रस्ताव का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि यह लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में प्रदान

- कई हितधारकों द्वारा परिसीमन प्रक्रिया को एक बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति को समन्वयित करने के लिए वैध और आवश्यक माना जाता है। कई आदिवासी और स्वायत्त परिषदों ने इसका समर्थन किया है क्योंकि इससे विधायिका में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण में बढ़ोतरी उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण मानी गयी है।

इससे जुड़ी चिंताएं

- वर्ष 2001 की जनगणना का चयन अनुचित माना जाता है, क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के हालिया आंकड़े उपलब्ध हैं।
- असम को परिसीमन से बाहर रखने के कारणों में एनआरसी भी शामिल था, जिसे अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष

- इस परिसीमन को आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और स्वायत्त परिषदों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है।

प्रस्ताव कैसे लाया जाता है?

- अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 198 के तहत ही लोकसभा में लाया जा सकता है।
- नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसके बाद स्पीकर उस तारीख की घोषणा करेंगे जिस दिन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और उस पर चर्चा की जा सकती है।
- स्पीकर द्वारा आवंटित तिथि प्रस्ताव स्वीकार होने की तिथि से 10 दिन के भीतर होनी चाहिए अन्यथा प्रस्ताव गिर जायेगा। ऐसे मामले में, अगला ऐसा प्रस्ताव पिछले प्रस्ताव की अस्वीकृति के 6 महीने की अवधि के बाद ही लाया जा सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना

- अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की। उदाहरण के लिए, यदि सदन में 300 सदस्य उपस्थित हैं और उनमें से 270 सदस्य मतदान करते हैं (यदि 30 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहते हैं) तो 136 सदस्य द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने से प्रस्ताव पारित माना जाएगा।
- पूर्ण संख्या में सदन में सदस्यों की मौजूदगी के मामले में भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक मतों की संख्या 272 या अधिक है।

यदि प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा?

- यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह माना जाता है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

वर्तमान परिदृश्य में इस प्रस्ताव की प्रासंगिकता

- यह स्पष्ट है कि वर्तमान एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के पास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के लिए आवश्यक संख्या से अधिक सांसद (331) हैं। इस प्रकार, इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य सरकार को गिराना नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में यह संभव नहीं है।
- फिर भी विपक्ष मणिपुर घटना पर प्रधानमंत्री से आधिकारिक बयान मांगने के मकसद से यह प्रस्ताव ला रहा है।

इस प्रस्ताव को लाने के बजाय क्या किया जा सकता था?

- चूंकि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य (जैसा कि विपक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया गया है), मणिपुर में वर्तमान स्थिति और सरकार इससे कैसे निपट रही है के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, इसलिए, इस तरह के प्रस्ताव लाने के बजाय विपक्ष अनुरोध कर सकता था कि स्पीकर को संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए विचार करना होगा।
- इसके अलावा यह एक 'जिम्मेदार सरकार' के 'प्रमुख' के रूप में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री (क्योंकि उन्हें देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है) की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे सांसदों के सवाल का जवाब दें और वर्तमान परिदृश्य और स्थिति को प्रबंधित करने के लिए संबंधित राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में सदन को सही जानकारी प्रदान करें।
- एकमात्र तंत्र जिसके माध्यम से स्थिति को हल किया जा सकता है और उचित कदम उठाए जा सकते हैं, वह एक उपयोगी 'चर्चा' है।

6. अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023

वर्तमान संदर्भ

लोकसभा ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया। सरकार ने इस कदम को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा है।

विधेयक की कुछ प्रमुख विशेषताएं

- इस विधेयक का उद्देश्य तीनों सशस्त्र बलों का एकीकरण और संयुक्तता सुनिश्चित करके एकीकृत थिएटर कमांड और संयुक्त कमांड के कामकाज में सुधार करना है।
- इस विधेयक में सेवारत कर्मियों के संबंध में या जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करने के

लिए ऐसे संगठनों से जुड़े होते हैं (चाहे वे किसी भी सेवा से संबंधित हों) के मामले में अंतर-सेवा संगठनों (Inter-Services Organizations-ISOs) से जुड़ी सभी प्रशासनिक और साथ ही अनुशासनात्मक शक्तियां कमांडर-इन-चीफ के साथ-साथ संबंधित आईएसओ के अधिकारी-इन-कमांड को देने का प्रावधान है।

- **कमांडिंग चीफ या कमांडिंग ऑफिसर की अनुपस्थिति में,** जिस कार्यवाहक पदाधिकारी पर कमांड विकसित होती है, उसे

- कमांडर-इन-चीफ को प्रदान की गई समान शक्तियों प्राप्त होंगी।
- यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सेना, वायु सेना और नौसेना के सभी कर्मियों के साथ-साथ ऐसे अंतर-सेवा संगठनों में सेवारत अन्य बलों के कर्मियों पर लागू होगा।
- कमांडर-इन-चीफ के पास उस आईएसओ में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या संलग्न कर्मियों के खिलाफ सभी प्रशासनिक और साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां होंगी। इस मामले में, कमांडर-इन-चीफ का अर्थ वास्तविक कमांड अधिकारी से है।
- विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार को एक अंतर-सेवा संगठन गठित करने का अधिकार है।

इस विधेयक की जरूरत क्यों है?

- भारत में एकीकृत थिएटर कमांड की वर्तमान व्यवस्था
 - एक एकीकृत थिएटर कमांड को एक विशेष कमांड के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सभी सशस्त्र बलों से संसाधनों की पूंजिंग या एकीकरण शामिल है और जो किसी एकल कमांडर के तहत एकीकृत है। ये आदेश एक विशिष्ट भौगोलिक युद्ध क्षेत्र या क्षेत्र को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इस प्रकार, एक अकेला सैन्य कमांडर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए सभी सशस्त्र बलों के संसाधनों का उपयोग कर सकता है।
 - ऐसे कमांड की मांग कारगिल युद्ध के बाद उठी थी। वर्तमान में भारत में दो एकीकृत थिएटर कमांड हैं : पहला अंडमान और निकोबार कमांड और दूसरा स्ट्रैटेजिक फोर्सज कमांड, जो भारत की परमाणु संसाधन को संभालती है।
 - इन कमांडों का महत्व सभी आवश्यक संसाधनों और विशेषज्ञताओं की उपलब्धता में निहित है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार सभी वांछित स्थानों पर तैनात किया जा सकता है, जिससे संचालन में उच्च दक्षता सुनिश्चित होती है।
- इन कमांडों के प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों में निम्न शामिल हैं
 - चूँकि कमांड में सभी सेवाओं के संसाधन और कर्मी शामिल होते हैं, इसलिए कमांड की विभिन्न श्रृंखलाओं की समस्या होती है, यानी कौन किसे रिपोर्ट करेगा, जिससे गलत संदेश जाता है।
 - विभिन्न सशस्त्र बलों से संबंधित कार्मिक उनके विशिष्ट मूल कानूनों द्वारा शासित होते थे, जैसे- वर्ष 1950 का सेना अधिनियम, 1950 का वायु सेना अधिनियम और 1957 का नौसेना अधिनियम। इस प्रकार, कर्मियों को किसी भी अनुशासनिक कार्यवाही मामले में अपनी मूल सेवा इकाइयों में जाने की आवश्यकता होती है।

- इसके परिणामस्वरूप प्रशासन और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में देरी होती है और यहां तक कि प्रशासनिक लागत भी बढ़ जाती है।
- ऐसे एकीकृत कमांडों के संचालन के बावजूद संबंधित आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को अन्य सशस्त्र सेवा इकाइयों से संबंधित कर्मियों के मामले में अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों को लागू करने का अधिकार नहीं था।

विधेयक का महत्व

- विधेयक के अधिनियमन के साथ संबंधित आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को उस एकीकृत कमांड के कर्मियों पर अधिनियम द्वारा दी गई अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाएगा, भले ही वह किसी भी मूल कमांड का हो।
- यह शक्ति प्रशासनिक और अनुशासनात्मक मामलों में त्वरित निर्णय लेना सुनिश्चित करेगी, क्योंकि सभी निर्णय आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ द्वारा किए जाएंगे।
- कर्मी आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड की कमान के तहत काम करेंगे, और इस प्रकार, कर्मियों के लिए कमांड की एक एकल श्रृंखला होगी।
- भारत तीन नए एकीकृत थिएटर कमांड गठित करने की योजना बना रहा है, जिन्हें उत्तर-पश्चिम (पाकिस्तान) सीमा और चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। यह कदम उनके कार्यों में सुगमता सुनिश्चित करेगा।

आगे की राह

- संसद की स्थायी समिति द्वारा विधेयक को बिना किसी संशोधन के मंजूरी देना यह दर्शाता है कि यह विधेयक भारतीय सीमाओं को शत्रुवत पड़ोसियों (खासकर पाकिस्तान तथा चीन) के खिलाफ एक मजबूत रक्षा तंत्र सुनिश्चित करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है।
- चीन ने वर्ष 2016 में अपनी पीएलए सेना को पांच एकीकृत कमांडों में विभाजित किया था। इस प्रकार, यह महत्वपूर्ण कदम भारत को चीन का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए पांच एकीकृत कमांडों की अपनी प्रस्तावित योजना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा।
- अधिक त्रि-सेवा अभ्यासों से सेवाओं के बीच समन्वय भी बढ़ेगा और एकीकृत कमांडों में कर्मियों की भर्ती में मदद मिलेगी और उनके प्रबंधन में आसानी होगी।
- इन एकीकृत कमांडों को निर्धारित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

7. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

वर्तमान संदर्भ

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) शहरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के समग्र कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 'स्वच्छ सर्वेक्षण' नामक एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करता है।

विवरण

- तीसरे पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से शहर को खुले में शौच मुक्त (ODF) और कचरा मुक्त शहर (GFC) होने के लिए वार्षिक प्रमाणन से गुजरने होते हैं।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्वच्छ भारत मिशन (SBM-U) की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, कार्यशालाओं और समर्पित एसबीएम-यू पोर्टलों के माध्यम से किए गए मूल्यांकन के जरीये निगरानी की जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन

- महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर उचित श्रद्धांजलि के रूप में 2 अक्टूबर, 2019 तक 'स्वच्छ भारत' की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission-SBM) शुरू किया गया था।
- स्वच्छ भारत मिशन को क्रमशः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) को देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में 30 सितंबर, 2021 तक की अवधि के लिए 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHLs) और सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (CT/PTs) के निर्माण के माध्यम से 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्त (ODF) के लक्ष्य को प्राप्त करना था।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) की शुरुआत 1 अक्टूबर, 2021 को की गयी, जो एक पांच साल की पहल है और जिसका उद्देश्य सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना है।

- इस दृष्टिकोण में 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण और सभी अपशिष्ट कार्यों का वैज्ञानिक प्रबंधन शामिल है, जो वैज्ञानिक कचरा भराव क्षेत्र (landfills) में सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करता है।
- सरकार ने बजट 22-2021 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की घोषणा की थी।
- 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल वित्तीय आवंटन युक्त यह मिशन विश्व के लिए और विशेष रूप से सुरक्षात्मक प्रबंधित स्वच्छता सुविधाओं की दिशा में काम करने वाले दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक अनुकरणीय होगा।
- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों को ओडीएफ+ और ओडीएफ++ प्रमाणित करना है।
- इसके विभिन्न घटकों के लिए एसबीएम-यू 2.0 के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत 1,41,600 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 36,465 करोड़ रुपये होगा।
- एसबीएम-यू 2.0 पहल के लिए यूडब्ल्यूएम हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ACA) के रूप में 15883 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) घटक के लिए 10884.80 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के उद्देश्य

- यह पर्यावरण में अनुपचारित मल कीचड़ और उपयोग किए गए पानी के बहाव को रोकने पर केंद्रित है।
- सीवरेज, सेप्टेज, ग्रे वॉटर और ब्लैक वॉटर सहित सभी उपयोग किए गए पानी को सुरक्षित रूप से समाहित, ढुलाई, उपचारित और अधिकतम पुनः उपयोग किया जाना चाहिए।
- एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए प्रयुक्त जल प्रबंधन (UWM) नामक एक अतिरिक्त घटक पेश किया गया है।
- इसके अलावा मिशन का लक्ष्य सभी पुराने डंपसाइटों का पुनःउपचारित करना और उन्हें हरित क्षेत्रों में बदलना है।

वित्तीय प्रावधान

- एसबीएम-यू 2.0 के तहत, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न प्रकार के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) प्रबंधन संयंत्रों की

स्थापना, जैसे- अपशिष्ट-से-खाद (WtC), अपशिष्ट-से-ऊर्जा (WtE), बायो-मेथेनेशन, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (MRF) और पुराने अपशिष्ट डंपसाइटों, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट आदि का पुनःउपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **यूडब्ल्यूएम घटक के तहत** सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs)/एसटीपी-कम-फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTPs) स्थापित करने, पंपिंग स्टेशनों और पंपिंग मेन/प्रेविटी मेन को एसटीपी तक अवरोधन बिछाने और डायवर्जन (I&D) संरचनाओं के लिए और पर्याप्त संख्या में सेप्टिक टैंक से कीचड़ हटाने वाले उपकरणों की खरीद करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की उपलब्धियां

- **ओडीएफ+ और ओडीएफ++ प्रोटोकॉल:** यह मिशन 3500 से अधिक शहरों और 1100 से अधिक शहरों को क्रमशः ओडीएफ+ और ओडीएफ++ प्रमाणित करने के साथ स्थायी स्वच्छता के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
- **जल+ प्रोटोकॉल :** 14 शहरों को जल+ प्रमाणित किया गया है, जिसमें अपशिष्ट जल का शोधन और इसका इष्टतम पुनः उपयोग शामिल है।
- **स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल :** शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग में 234 शहरों में -1स्टार रेटिंग है, 199 शहरों में -3स्टार रेटिंग है और 11 शहरों में -5स्टार रेटिंग है।
- वर्ष 2026 तक सभी शहरों को 3-स्टार कचरा-मुक्त रेटिंग प्राप्त करने के लिए नियमित योजना, निगरानी, मूल्यांकन और सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से त्वरित प्रयासों की आवश्यकता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन :** वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर इस बात से स्पष्ट है कि भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण वर्ष 2014 में 18 प्रतिशत से चार गुना बढ़कर अब तक 76 प्रतिशत हो गया है।
- **स्वच्छता कर्मी :** यह मिशन स्वच्छता कर्मियों, अनौपचारिक कचरा कर्मियों और सफाई मित्रों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लाने में सक्षम रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की चुनौतियां

- **ठोस अपशिष्ट के निपटान का अभाव :** ठोस अपशिष्ट के निपटान के तीन मुख्य घटक हैं। सबसे पहले कचरे का संग्रहण,

फिर कचरे का स्थानांतरण और अंत में लैंडफिल साइट पर उचित निपटान।

- ✓ अपशिष्ट संग्रहण और उसे लैंडफिल साइट पर स्थानांतरित करने के कार्य के लिए जनशक्ति के साथ-साथ एक कुशल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- ✓ भारत में **कचरा प्रबंधन** चिंता का मुख्य विषय है और शहरों में लैंडफिल साइटों (जहां कचरा डाला जा सके) की कमी है।
- ✓ मानव अपशिष्ट के अपघटन को रोगजनक मुक्त बनाया जाना चाहिए।

- **जल आपूर्ति की कमी :** शहरी क्षेत्रों में जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति इसकी मांग से काफी कम हो गई है। अनौपचारिक बस्तियों में स्थिति और भी खराब है क्योंकि उनमें से अधिकांश में पानी के कनेक्शन और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है।
- **डेटा संग्रह का अभाव :** विश्वसनीय ऑन-ग्राउंड डेटा की कमी और उचित स्वच्छता के प्रभावों के स्वास्थ्य हितों या स्वच्छता की कमी के प्रतिकूल प्रभावों को मापने के लिए संस्थागत ट्रैकिंग तंत्र की कमी।
- **शौचालय का खराब निर्माण :** एसबीएम (यू) के तहत निर्मित बड़ी संख्या में शौचालयों का उपयोग जल आपूर्ति कमी के कारण नहीं किया जा रहा है और कई सार्वजनिक शौचालय की स्थिति स्वच्छता के मामले में दयनीय हैं।

निष्कर्ष

- पिछले 8 वर्षों में इस मिशन ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है और इससे अनगिनत नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाया है। **स्वच्छ भारत शहरी-मिशन** का दूसरा चरण एक जन आंदोलन बन गया और बड़े पैमाने पर नागरिकों को संगठित करने और शामिल करने में मदद मिली। यह भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, साथ ही इसने सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान भी दिया है। एसबीएम-यू 2.0 का लक्ष्य **वेस्ट टू वेल्थ** और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा कचरे के कुशल और वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है।

8. पीएम पीवीटीजी विकास मिशन

वर्तमान संदर्भ

सरकार ने बजट 2023-24 में विशेष रूप से आदिवासी समूह 'ग' की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की है।

विवरण

- **मिशन का उद्देश्य** पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क एवं दूरसंचार सम्पर्क और स्थायी आजीविका के अवसर तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups-PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
- इसमें मिशन के तहत अगले तीन वर्षों अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

- जनजातीय समूहों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) अधिक असुरक्षित हैं, जिन्हें अधिक सहायता और विकास की आवश्यकता है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.9 प्रतिशत है।
- डेबर आयोग 1973 में आदिम जनजातीय समूह (PTGs) को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं।
 - ✓ वर्ष 2006 में भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह (Primitive Tribal Groups-PTGs) का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups-PVTGs) कर दिया।
 - ✓ वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की।
 - ✓ वर्ष 1993 में इस श्रेणी में अतिरिक्त 23 समूह जोड़े गए।

- भारत में 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 को पीवीटीजी के रूप में पहचाना गया है और ये 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में फैले हुए हैं।
- ओडिशा में सबसे अधिक 13 पीवीटीजी हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 और बिहार में 9 हैं।
- भारत सरकार द्वारा पीवीटीजी की पहचान के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाता है :
 - ✓ प्रौद्योगिकी का पूर्व-कृषि स्तर
 - ✓ साक्षरता का निम्न स्तर
 - ✓ आर्थिक पिछड़ापन
 - ✓ घटती या स्थिर जनसंख्या
- पीवीटीजी के कुछ उदाहरण खोंड पोरजा, असुर, बिरहोर, कादर, सहरिया, कुरुम्बा, बैगा, टोडा, जारवा, शोम्पेन, सेंटिनलीज़ आदि हैं।

प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन

- यह मिशन बजट 2023-24 में सूचीबद्ध सात सप्तरष्ट्रि प्राथमिकताओं में से एक है, जिसे 'अंतिम छोर तक पहुंचना-किसी भी नागरिक को पीछे न छोड़ना' ('Reaching the Last Mile-Leaving No Citizen Behind') के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों में इस मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे 3.5 लाख जनजातियों को लाभ प्राप्त होगा।
- वर्ष 2023-24 बजट में सूचीबद्ध सप्तरष्ट्रि प्राथमिकताएं (सात प्राथमिकताएं):
 - ✓ समावेशी विकास
 - ✓ अंतिम छोर तक पहुंचना
 - ✓ बुनियादी ढांचा और निवेश
 - ✓ क्षमता को उजागर करना
 - ✓ हरित विकास
 - ✓ युवा शक्ति
 - ✓ वित्तीय क्षेत्र

‘अंतिम छोर तक पहुंचना’ के अंतर्गत अन्य पहल

- वर्ष 2047 तक प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों से सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन शुरू किया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
 - ✓ एकलव्य विद्यालय (जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं) देश भर के दूरदराज के क्षेत्रों में लगभग 350,000 आदिवासी छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं।
- आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम : यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्र में आवश्यक सरकारी सेवाओं की पूर्ति के लिए 500 ब्लॉकों को शामिल करते हुए शुरू किया गया है।
- पीएम आवास योजना : पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक करने का प्रस्ताव है।
- सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए पानी : कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में टिकाऊ सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

- भारत साझा शिलालेख भंडार (भारत श्री) की स्थापना एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में की जाएगी, जिसके पहले चरण में एक लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

चुनौतियां

- निवास स्थान : बोंडा, डोंगरिया कोंध और कुटिया कोंध जैसे पीवीटीजी (जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर रहते हैं) और उनकी बस्तियों को हर मौसम के अनुकूल सड़क बुनियादी ढांचे से जोड़ना एवं स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान की व्यवस्था सुविधा प्रदान करना संबंधित सरकारों के लिए एक चुनौती होगी।
- वामपंथी उग्रवाद (LWE) : वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मिशन को एक बड़ी कार्यान्वयन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- पूंजी का अभाव : पीवीटीजी के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया धन उनके अस्तित्व और विकास के लिए अपर्याप्त है। उनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं।
- घने जंगल : जनजातियां विशेष रूप से बहुत घने वन क्षेत्रों में रहती हैं, जिससे बुनियादी ढांचे का निर्माण और इन कठिन भौगोलिक इलाकों तक पहुंच लगभग असंभव हो जाती है।

9. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) (संशोधन) विधेयक, 2023, लोकसभा में पेश किया गया, जो इसके प्रशासन और संचालन को नियंत्रित करने वाले कानून में बदलाव करने का प्रयास करता है।

विवरण

- वर्ष 2017 के पुराने भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम के कई प्रावधानों को पूर्ववत करने के लिए संसद मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा मसौदा विधेयक पेश किया गया।
- विधेयक सरकार द्वारा 2017 में दी गई शक्तियों को आईआईएम से वापस लेने का प्रयास करता है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017

- आईआईएम अधिनियम 2017 में कुछ प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए पारित किया गया

था, ताकि इन संस्थानों को प्रबंधन, प्रबंधन अनुसंधान और ज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों को हासिल करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

- आईआईएम अधिनियम (जो जनवरी 2018 में लागू हुआ) ने प्रमुख बी-स्कूलों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की।
- सभी प्रमुख नियुक्तियां, जैसे- अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, निदेशक और आईआईएम के समन्वय मंच के अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) पर छोड़ दी गई थी।
 - ✓ प्रत्येक संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 19 सदस्य होते हैं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के एक-एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

संशोधन की आवश्यकता

- हाल के वर्षों में आईआईएम प्रणाली में अशांति रही है और सरकार प्रश्नों और सुझावों के प्रति जवाबदेही की कमी के कारण आईआईएम से नाखुश रही है।
- आईआईएम अधिनियम ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां निदेशक पर कोई सार्थक जांच और संतुलन नहीं था।
- डीन की नियुक्ति जैसे प्रमुख मामलों पर मानदंडों का अभाव।
- संस्थान के निदेशक एक बीओजी के प्रति जवाबदेह बन गया जिसमें दो सरकारी नामांकित व्यक्तियों ने अप्रतिरोधी भूमिका निभाई। उद्योग जगत के व्यक्ति, पूर्व छात्र आदि (जो बोर्ड के बाकी सदस्यों में शामिल हैं) के पास अपने संबंधित संस्थानों में कोई हिस्सेदारी नहीं है और आवश्यक निगरानी करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

आईआईएम (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रावधान

कुलाध्यक्ष का पद

- विधेयक में कुलाध्यक्ष (Visitor) का पद सृजित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे।

आईआईएम निदेशकों की नियुक्ति और निष्कासन

- कुलाध्यक्ष बीओजी के अध्यक्ष, निदेशक के लिए चयन समिति में एक नामांकित व्यक्ति और आईआईएम के लिए समन्वय मंच के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे।
- यह विधेयक बोर्ड को संस्थान निदेशक की नियुक्ति और हटाने से पहले कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी लेने की शक्ति देता है।
- निदेशक के चयन की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- विधेयक (खोज समिति में) तीन सदस्यों को घटाकर दो कर दिया गया है और कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक और सदस्य जोड़ा गया है।
- विधेयक कुलाध्यक्ष को निदेशक की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार भी देता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

बीओजी के अध्यक्ष की नियुक्ति

- विधेयक पूर्व नियमों में संशोधन करके बोर्ड के अध्यक्ष को कुलाध्यक्ष द्वारा नामित करने का प्रावधान करता है।
- विधेयक कुलाध्यक्ष के लिए तीन प्राथमिक भूमिकाएं निर्धारित करता है: नियुक्तियां करना, संस्थानों के कामकाज का ऑडिट करना और जांच करना।

आईआईएम के मामलों की जांच

- विजिटर किसी संस्थान के मामलों की समीक्षा या जांच शुरू कर सकता है और निदेशक को हटा सकता है।
- विजिटर (कुलाध्यक्ष) किसी संस्थान के काम की समीक्षा करने और उसके मामलों की जांच करने के लिए किसी व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
- पूछताछ की रिपोर्ट के आधार पर विजिटर निर्देश जारी कर सकते हैं जो संस्थान पर बाध्यकारी होंगे।
- बोर्ड विजिटर को पूछताछ की अनुशंसा भी कर सकता है।

बोर्ड का विघटन

- विधेयक के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार किसी संस्थान के बोर्ड को भंग करने या निलंबित करने के लिए शर्तें और प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है।
- यदि किसी बोर्ड को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, तो केंद्र सरकार छह महीने के लिए या नए बोर्ड के गठन तक एक अंतरिम बोर्ड का गठन करेगी।

समन्वय मंच

- विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि सभी संस्थानों के अध्यक्ष फोरम के पदेन सदस्य होंगे।

संस्थानों का समावेश

- विधेयक ऐसे संस्थानों के निदेशक को उस प्रावधान से बाहर करता है जहां ऐसे संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को पहले की तरह समान कार्यकाल, वेतन, पेंशन बरकरार रहेगी।

नीटी, मुंबई

- यह विधेयक राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (NITIE), मुंबई को IIM, मुंबई के रूप में वर्गीकृत करता है।

आईआईएम (संशोधन) विधेयक, 2023 का उद्देश्य

- यह संशोधन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकार को आईआईएम निदेशक की नियुक्ति में एक विस्तारित भूमिका देने का प्रयास करता है।

- यह विधेयक आईआईएम की स्वायत्तता पर सरकार के पुनर्विचार का प्रतिनिधित्व करता है। विगत चार वर्षों में सरकार और आईआईएम कई प्रमुख नियुक्तियों पर आमने-सामने रहे हैं।
- आईआईएम सार्वजनिक संस्थान हैं, जो भारत के लोगों के प्रति (संसद के माध्यम से) जवाबदेह हैं। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें निजी जागीर नहीं बनना चाहिए।

आईआईएम (संशोधन) विधेयक, 2023 की प्रमुख चिंता

- **सरकारी नियंत्रण:** विजिटर की अवधारणा की शुरुआत सरकार के लिए संस्थानों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका हो सकता है।
- **स्वायत्तता पर संभावित प्रभाव:** विधेयक जवाबदेही तय करने के नाम पर स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।
- **जवाबदेही और स्वायत्तता को संतुलित करना:** आईआईएम को जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए और निजी 'जागीर' नहीं

बनना चाहिए, क्योंकि आलोचक स्वायत्तता बनाए रखने के महत्व को बताते हैं जो इन संस्थानों को पनपने की अनुमति देता है।

- **वैचारिक अनुरूपता को लागू करना:** सरकार इस संशोधन के माध्यम से सख्त नियंत्रण बनाए रखना और वैचारिक अनुरूपता को लागू करना चाहती है।
- **केंद्र और आईआईएम के बीच खींचतान:** संशोधनों में प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में सरकार को भी अधिकार देने की बात कही गई है।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे संशोधन विधेयक विधायी प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है, यह देखना बाकी है कि आईआईएम, नीति निर्माताओं और शिक्षा विशेषज्ञों सहित हितधारक इन प्रमुख बी-स्कूलों के लिए जवाबदेही और स्वायत्तता के बीच सबसे उपयुक्त संतुलन खोजने के लिए चर्चा में कैसे शामिल होते हैं।

10. आयुष्मान भारत के पाँच साल

वर्तमान संदर्भ

सितंबर, 2023 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)** के पाँच साल पूरे होने वाले हैं।

विवरण

- **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana-AB-PMJAY)** सितंबर, 2018 में लोगों की जेब से होने वाले खर्च (आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय) को कम करने और चिन्हित लाभार्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- यह योजना **माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने पर प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।**
- इस केंद्र प्रायोजित योजना की परिकल्पना, **सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.8 को प्राप्त करने के लिए की गई है**, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से जुड़ा है।

इस योजना की उपलब्धियाँ एवं महत्व

- यह योजना लगभग 12 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा तक

पहुँच प्रदान करती है, जो कुल आबादी का लगभग 40 प्रतिशत है। इसके साथ ही यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गयी है।

- राज्यों की योजनाओं के सम्मिलन के साथ इस योजना के कार्यान्वयन तथा इस योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक परिवारों को शामिल किया गया।
- **भारत की लगभग आधी आबादी को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है तथा लगभग 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी आबादी के पूर्ण लाभ सुविधा पर जोर दिया है।**
- आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाभार्थी 27,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। अब तक ऐसे करीब 24 करोड़ कार्ड बनाए जा चुके हैं।
- इस योजना ने लाभार्थियों की जेब से होने वाले अवह्नीयखर्च (आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय) को लगभग आधा कर दिया है।
- इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 45000 मरीजों को दाखिलों की अनुमति के साथ प्रति मिनट लगभग 31 उपचार किये जा रहे हैं। इस योजना के कुल लाभार्थियों में से 48 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

योजना का प्रभावी कार्यान्वयन

इन उपलब्धियों का कारण योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और सभी हितधारकों का सहयोग है।

- सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज को पेश किया है। इस पैकेज में सभी प्रकार के अंतःरोगी उपचार (Inpatient Treatment) भी शामिल हैं। इस पैकेज को समय-समय पर संशोधित भी किया गया और नवीनतम पैकेज में कैंसर का इलाज भी शामिल है।
- इसमें 15 दिनों के भीतर दावा (क्लेम) का निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों के लिए इसे घटाकर 7 दिन भी कर दिया गया था।
- इस योजना के वास्तविक लाभार्थियों, गरीबों और वंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।
- इसके तहत प्रत्येक अस्पताल को लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित 'पीएम-आरोग्य मित्र' रखना अनिवार्य किया गया।

योजना के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ

- कई राज्य सरकारें या तो बजट की समस्या का हवाला देकर या केंद्र सरकार के साथ कुछ विवादों के कारण इस योजना को अपने संबंधित राज्यों में लागू नहीं कर रही हैं। जिससे अंततः मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है।
- यहाँ तक कि जिन राज्यों में यह योजना लागू है, वहाँ भी कई निजी

स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सरकार द्वारा विलंबित भुगतान और प्रतिपूर्ति का हवाला देते हुए अभी भी आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं करते हैं।

- कई लाभार्थियों के पास इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का अभाव है।
- आयुष्मान भारत योजना के लाभों का दावा करते समय धोखाधड़ी की गतिविधियों की भी सूचना मिली है।

आगे की राह

- केंद्र और राज्य सरकारों को अपने बीच की प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाने के बजाय, अपने नागरिकों का हित सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा यदि बजट की समस्या इसके कार्यान्वयन में बाधा बनती है तो संबंधित सरकारों द्वारा उचित निधि का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- इससे जुड़ी खामियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए वास्तविक समय निगरानी (real time monitoring) और सामाजिक अंकेक्षण (social auditing) करनी चाहिए।
- सरकार को निजी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को समय पर मुआवजा और प्रतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए, ताकि उनके बीच विश्वास उत्पन्न हो और योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सके।
- यदि सूचीबद्ध स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसके लिए उचित कार्रवाई करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- धोखाधड़ी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बनायी जानी चाहिए।

11. चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु

वर्तमान संदर्भ

संसद की एक स्थायी समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की है जो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु के समान है।

विवरण

- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित स्थायी समिति द्वारा संसद में 'चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलू और उनके सुधार' पर 132वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी।
- समिति ने सुझाव दिया कि भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कम करने से निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। हालांकि, भारत का चुनाव आयोग इस विचार के खिलाफ है।

भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएँ

- संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भारत में चुनाव लड़ने की योग्यता निर्धारित करता है।
- व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।

चुनाव लड़ने की वर्तमान आयु

- लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष।
- राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के लिए 30 वर्ष।
- पंचायत और नगरपालिका स्तर के चुनाव के लिए 21 वर्ष।

भारत में मतदान की न्यूनतम आयु

- 61^{वाँ} संविधान संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 के रूप में जाना जाता है, इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।

दुनिया भर में मतदान की उम्र

- चेकोस्लोवाकिया पहला देश था जिसने वर्ष 1946 में देश में मतदान की न्यूनतम आयु को घटाकर 20 वर्ष कर दिया और उसके बीस साल बाद 17 देशों ने भी अपने यहां मतदान की आयु को कम कर दिया।
- 1900 के दशक के अंत तक 18 वर्ष मतदान की सामान्य उम्र बन गई थी और आज भी वैसी ही बनी हुई है।
- दुनिया भर में मतदान की न्यूनतम आयु 16 से 25 वर्ष के बीच है।
- दुनिया भर के अधिकांश देशों में मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।

उम्र घटाने के पक्ष में दिए गए तर्क

- विश्वसनीय और जिम्मेदार राजनीतिक भागीदार
 - ✓ कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों की मतदान व्यवस्था पर विचार करने के बाद संसदीय समिति ने राष्ट्रीय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होने की सिफारिश की। इन देशों के उदाहरण दर्शाते हैं कि युवा व्यक्ति विश्वसनीय और जिम्मेदार राजनीतिक भागीदार हो सकते हैं।
- युवाओं में राजनीतिक चेतना
 - ✓ युवा उम्मीदवार चर्चा और सहयोग को सुविधाजनक बनाकर विभिन्न पीढ़ियों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं। इससे राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वसनीयता और भरोसा बढ़ सकता है।
- नीतिगत विचार-विमर्श
 - ✓ समिति का मानना है कि यह उपाय नीतिगत विचार-विमर्श और परिणामों में व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है।

लोकतंत्र में समान अवसर

- ✓ चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु को कम करने से युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे।

नागरिक शिक्षा कार्यक्रम

- ✓ भारत निर्वाचन आयोग और सरकार को युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशलयुक्त करने के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

फिनलैंड की नागरिकता शिक्षा को अपनाना

- ✓ सरकार और भारत निर्वाचन आयोग, फिनलैंड के नागरिक शिक्षा मॉडल जैसे अन्य देशों के सफल मॉडल पर विचार कर उसे अपना भी सकते हैं।

आयु में कमी करने के विरुद्ध दिये गये तर्क

जिम्मेदारी के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं

- ✓ 18 वर्ष की आयु में संसदीय और राज्य विधायी भूमिकाओं की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता नहीं हो सकती है।

अवास्तविक

- ✓ भारत के चुनाव आयोग का मानना है कि संसद और राज्य विधायी निकायों के सदस्य होने के लिए 18 वर्षीय व्यक्ति के पास आवश्यक 'अनुभव और परिपक्वता' होने की उम्मीद करना 'अवास्तविक' है।
- ✓ हालांकि, संसदीय समिति पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहती है कि वर्ष 2019 में 47 प्रतिशत लोकसभा सांसद 55 वर्ष से अधिक आयु के थे। यह चिंताजनक है, यह देखते हुए कि भारत की औसत आयु केवल 27.9 वर्ष है। इसके अलावा, केवल 2.2 प्रतिशत लोकसभा सांसद 30 वर्ष से कम आयु के हैं, जबकि दुनिया भर में 1.7 प्रतिशत से भी कम सांसद 30 वर्ष से कम आयु के हैं।

- अनुभव की कमी

- ✓ अतीत में राजनीतिक दलों ने सार्वजनिक पदों के लिए अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी थी, जबकि अनुभव की कमी के कारण युवा उम्मीदवारों को खारिज कर दिया था।

निष्कर्ष

- विभिन्न सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर युवाओं में

महत्वपूर्ण राजनीतिक जागरूकता और ज्ञान है। यह फ्राइडेज़ फॉर फ्रूचर और मार्च फॉर अवर लाइव्स जैसे युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों के माध्यम से स्पष्ट है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक चिंताओं को एकजुट करने और समर्थन करने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। राजनीतिक योग्यता उम्र के साथ आती है, एक ऐसी धारणा जिसके बारे में प्लेटो ने दो हजार साल पहले तर्क दिया था। हालांकि, 21वीं सदी में यह विचार इतना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि बढ़ती शिक्षा, वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण के कारण, युवा व्यक्ति अब सभी देशों में कामकाज चलाने में सक्षम हैं।

12. स्वामित्व योजना की उपलब्धियां

वर्तमान संदर्भ

पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के तहत 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किए गए ड्रोन सर्वेक्षित गांवों के राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण देते हुए एक डेटा जारी किया है।

योजना के विवरण

- गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (संक्षिप्त रूप से स्वामित्व योजना), पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण निवासियों जिनके पास घर है, उनके मालिकों के 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और कानूनी स्वामित्व अधिकार (संपत्ति कार्ड या स्वामित्व विलेख) जारी करना है।
- इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गांवों में भूमि पार्सल को ड्रोन तकनीक की मदद से भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) द्वारा मानचित्रित किया जाता है।
- वर्तमान में यह योजना राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग जैसे अन्य विभागों के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- इस योजना को ग्रामीण स्तर पर लागू करने हेतु राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा, ताकि गांवों का सर्वेक्षण किया जा सके।
- यह योजना 5 वर्षों से अधिक की समयावधि में देश भर में 6 लाख से अधिक गांवों को शामिल करनेवाली है।

योजना की उपलब्धियां

- लगभग 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर

हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना को छह राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के 1 लाख गांवों में प्रारंभिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था।

- वर्ष 2021 में योजना के शुरू होने के बाद से वित्त वर्ष 21-2020 और उसके बाद वित्त वर्ष 2022-23, 22-2021 और वित्त वर्ष 2023-24 में सर्वेक्षण किए गए हैं।
- इन चार वर्षों में, सर्वेक्षण किए गए गांवों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 39376 गांवों का सर्वेक्षण किया गया था। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 23-2022, 22-2021 और 24-2023 के सर्वेक्षण में, गांवों की संख्या बढ़कर क्रमशः 123868, 237428 और 269279 हो गई। इस प्रकार, सर्वेक्षण किए गए गांवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- वित्त वर्ष 24-2023 में सर्वेक्षित कुल 269279 गांवों में से लगभग 90,902 गांवों (सबसे अधिक गांवों) का सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में ड्रोन सर्वेक्षण तंत्र के माध्यम से किया जाना है, इसके बाद मध्य प्रदेश (43014 गांव) और महाराष्ट्र (36499 गांव) का स्थान है।

सर्वेक्षण और जारी रिपोर्ट का महत्व

- चूंकि चालू वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख से अधिक गांवों का सर्वेक्षण किया जाना है, इसलिए यह योजना मानचित्रण और ग्राम संपत्ति सीमांकन के माध्यम से एक मजबूत ग्रामीण विकास सुनिश्चित कर रही है।

- चूंकि यह सीमांकन कार्यक्रम प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है, इसलिए लोगों को मालिकाना हक देने का कार्य ठीक से हो सकेगा।
- इस योजना में संपत्ति के पात्र मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करने का भी प्रावधान है ताकि वे आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें।
- सरकारें संबंधित सर्वेक्षण किए गए डेटा का उपयोग करके अपने भविष्य के कार्यक्रमों और पहलों के लिए लाभार्थियों को भी लक्षित कर सकती हैं।

चुनौतियां

- यह योजना भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए राज्यों से सम्बंधित ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों या आबादी क्षेत्रों से लगभग 6 लाख गांवों को शामिल करनेवाली थी। हालांकि, सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों की वास्तविक संख्या को यहां निम्न उल्लिखित कुछ कारणों से संशोधित किया गया है :
 - ✓ यह पाया गया कि 'आबादी वाले गांवों' की संख्या राज्य

सरकारों द्वारा स्थानीय सरकार निर्देशिका में चिन्हित गांवों की संख्या से अपेक्षाकृत कम है।

- ✓ बिहार, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय जैसे कई राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए गांवों की संख्या में काफी कमी आई है।
- ✓ सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड जैसे कुछ राज्यों में यह कार्यक्रम केवल प्रारंभिक चरण में ही लागू किया जा रहा है।
- ✓ असम और ओडिशा जैसे राज्यों में यह योजना केवल ऐसे गांवों में लागू की जा रही है जिनके पास कोई पूर्व 'अधिकारों का रिकॉर्ड' नहीं है।

- हालांकि, कई राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उनकी मंजूरी के बिना उन गांवों में सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा।
- इससे अंततः संपत्ति के सीमांकन और संपत्ति के वास्तविक मालिकों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया में देरी होगी।

13. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

वर्तमान संदर्भ

नए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशानिर्देश, 2023 के तहत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का उपयोग, शैक्षिक उद्देश्यों से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित आईटी सिस्टम की खरीद के लिए कर सकते हैं।

विवरण

- इसकी सूची विस्तृत नहीं है और दिशानिर्देशों में दिए गए योजना के समग्र सिद्धांतों के अधीन सांसद की सिफारिशों पर नए कार्यों को सूची में जोड़ा जा सकता है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्या है?

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की सिफारिश विकास कार्यों के लिए कर सकते हैं।

MPLADS की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी।

- प्रारंभ में इस योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। अक्टूबर 1994 को इसका संचालन कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation-MOSPI) को सौंप दिया गया।

- वर्ष 2012 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने MPLADS के तहत एक नई योजना 'वन एमपी-वन आइडिया' की घोषणा की।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य सांसद को टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक कार्यों का सुझाव देने और निष्पादित करने में सक्षम बनाना है।
- योजना की शुरुआत से ही पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़क आदि जैसी टिकाऊ संपत्तियां सृजित की जा रही हैं।

योजना कैसे काम करती है?

- इन योजनाओं के तहत सांसदों और विधायकों को सीधे कोई धन नहीं मिलता है। सरकार इसे सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित करती है।
- विधायक केवल दिशानिर्देशों के एक ढांचा के आधार पर अपने

- निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- MPLAD योजना के लिए दिशानिर्देश टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किए जाते हैं।
- गैर-टिकाऊ संपत्तियों के लिए सिफारिशें केवल सीमित परिस्थितियों में ही की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, सरकार ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कोरोना वायरस परीक्षण किट आदि की खरीद के लिए MPLAD फंड के उपयोग की अनुमति दी।
- MPLAD फंड के उपयोग के दिशानिर्देश सभी राज्यों में अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली के विधायक फॉगिंग मशीनों के संचालन (डेंगू मच्छरों को रोकने के लिए), सीसीटीवी कैमरे लगाने आदि की सिफारिश कर सकते हैं।
- विधायकों द्वारा विकासात्मक कार्यों की सूची देने के बाद, उन्हें सरकार के वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक नियमों के अनुसार जिला अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है।

विशेषताएं

- MPLADS पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित एक योजना है। प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र की वार्षिक MPLADS निधि पात्रता 5 करोड़ रुपये है।
- सांसदों को प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLADS पात्रता का कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत लागत वाले कार्यों की सिफारिश करनी होती है।
- आदिवासी लोगों की भलाई हेतु ट्रस्टों और सोसायटियों को संपत्ति सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु योजना दिशानिर्देशों के तहत 75 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।
- लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, राज्यसभा सदस्य चुनावी राज्य के भीतर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं और नामांकित सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का महत्व

- MPLADS ने कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद की है।
- यह सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने, जवाबदेही में सुधार करने और जिसके परिणामस्वरूप अधिक उत्तरदायी और कुशल शासन गठित करने की शक्ति देता है।
- यह योजना पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं और सरकारी निगरानी के माध्यम से विकास परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जिससे परियोजना की प्रगति और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

- यह सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनाएं चुनने की अनुमति देकर लोगों की जरूरतों के अनुरूप संरक्षण करके और लागत प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके सरकारी धन बचाता है।

मुद्दे और चुनौतियां

- भ्रष्टाचार** : इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। कई मामलों में निजी ठेकेदार (जिन्हें अनुमति नहीं है) कार्यों को लागू करने में लगे हुए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कई अवसरों पर कार्यान्वयन में कमियों को उजागर किया है।
- वित्तपोषण** : पिछले कुछ वर्षों में बड़ी मात्रा में अव्ययित शेष राशि बढ़ रही है, धन का कम उपयोग हो रहा है और किसी विशेष क्षेत्र के प्रति व्यय का झुकाव परिलक्षित हुआ है।
- प्रतिपादन** : इसकी मंजूरी की प्रक्रिया में कमजोरियां हैं। जिला प्राधिकारी संबंधित सांसदों से कोई सिफारिश प्राप्त किए बिना स्वयं या सांसदों के बजाय सांसदों के प्रतिनिधियों की सिफारिश पर कार्यों को निष्पादित करते हैं।
- योजना की स्थिरता** : ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि यह योजना 73वें और 74वें संशोधन की भावना के खिलाफ है, जिसमें सांसद उस काम (जिसे पूरा करने के लिए स्थानीय निकाय बेहतर स्थिति में हैं) को करने के लिए धन के निर्बाध वार्षिक प्रवाह का विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं।
- योजना की संवैधानिकता पर भी इस तर्क के साथ सवाल उठाए गए हैं कि यह योजना शक्तियों के पृथक्करण की धारणा को खत्म कर देती है, क्योंकि सांसद/विधायक सीधे कार्यकारी बन जाता है।
- सांसदों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने** के कारण कभी-कभी एक जिले में अनुपातहीन रूप से बड़ी मात्रा में धन प्रवाहित हो जाता है।
- संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए **राष्ट्रीय आयोग (2000)** और **वीरप्पा मोडली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (2007)** ने इस योजना को बंद करने की सिफारिश की।

आगे की राह

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए सख्त निगरानी और पारदर्शिता उपायों के माध्यम से भ्रष्टाचार और दुरुपयोग के मामलों हल करने की आवश्यकता है। स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने से बेहतर परियोजना निष्पादन सुनिश्चित हो सकता है। दिशानिर्देशों और उपयोग स्वरूप की गहन समीक्षा से स्थायी विकास हेतु स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के विकल्पों की खोज करते हुए योजना की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

14. वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, जो वन भूमि पर निर्माण हेतु विवादास्पद छूट प्रदान करता है को लोकसभा में पारित किया गया जिसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

विवरण

परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा।

- देश की पारिस्थितिक, रणनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं में गतिशील परिवर्तनों के अनुरूप प्रावधानों को बनाने के लिए अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाना आवश्यक था।
- वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3.0 बिलियन टन CO के कार्बन सिंक निर्माण के लिए देश में वन विस्तार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस विधेयक को पारित किया गया।

भूमि की छूट प्राप्त श्रेणियां

- यह कुछ किस्म की भूमि को भी अधिनियम के दायरे से छूट देता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

- वनों की कटाई को नियंत्रित करने और वनों और उनके संसाधनों के संरक्षण के लिए संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 पेश किया गया था।
- यह अधिनियम 25 अक्टूबर, 1980 को लागू हुआ।
- यह वनों के संरक्षण और उनसे जुड़े या सहायक या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।
- एफसीए, जिसे वन संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है का उद्देश्य वन भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तित होने से रोकना भी है।

वन भूमि में अनुमत गतिविधियां

- यह अधिनियम वनों के गैर-आरक्षण या गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। ऐसे प्रतिबंध केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से हटाए जा सकते हैं।

वन भूमि का पट्टा

- राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- यह विधेयक इसे सभी संस्थाओं तक विस्तारित करता है, और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देता है।

वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक की विशेषताएं

प्रासंगिकता

- विधेयक अधिनियम के लघु शीर्षक में संशोधन करता है जिसे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 कहा जाता है।
- यह प्रासंगिकता के दायरे को स्पष्ट करता है।

अधिनियम के दायरे में भूमि

- यह विधेयक कुछ किस्म की भूमि पर अधिनियम की प्रयोज्यता का विस्तार करता है। इनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 या 1980 अधिनियम के तहत लागू होने वाले सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में अधिसूचित भूमि शामिल है।
- यह अधिनियम 12 दिसंबर, 1996 से पहले गैर-वन उपयोग में

निर्देश जारी करने की शक्ति

- केंद्र सरकार केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधीन या मान्यता प्राप्त किसी भी प्राधिकरण/संगठन को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक की आवश्यकता

- इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वनों के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के हमारे लक्ष्यों

- को पूरा करने के लिए देश के वन क्षेत्र को बढ़ाना है।
- विधेयक की प्रमुख विशेषता निजी वनों और कृषि-वानिकी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना है।
- यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि निजी वनों और कृषि-वानिकी को पारंपरिक अर्थों में वन नहीं माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि इन्हें भी मूल अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी जाएगी।
- यह सुनिश्चित करेगा कि किसान या इन निजी वनों के मालिक वन मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, व्यावसायिक या अन्य उपयोगों के लिए अपनी भूमि की कटाई कर सकें।
- निजी वनों की खेती पर प्रतिबंध हटाकर, सरकार वन आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर रही है, जिससे भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता हासिल करने में मदद मिलेगी और अपने क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा वन आवरण के तहत रखने के घोषित उद्देश्य की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी।
- यह संशोधन रेलवे लाइन या राजमार्ग के किनारे स्थित वन भूमि पर (जो किसी बस्ती तक पहुंच प्रदान करता है या रेलवे या सड़क के किनारे की सुविधा प्रदान करता है) अधिकतम 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र तक छोटे निर्माण की भी अनुमति देता है।

वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक की प्रमुख चिंता

- प्रासंगिकता को सीमित करना :** विधेयक भूमि की दो श्रेणियों को अधिनियम के दायरे से बाहर करता है, यानी 25 अक्टूबर, 1980 से पहले वन के रूप में दर्ज भूमि (लेकिन वन के रूप में अधिसूचित नहीं) और वह भूमि जो 12 दिसंबर, 1996 से पहले वन-उपयोग से गैर-वन-उपयोग में बदल गई। यह प्रावधान वनों की कटाई को रोकने पर वर्ष 1996 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ जा सकता है।

- कुछ भूमि की छूट :** राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के पास की भूमि को छूट देने से उत्तर-पूर्वी राज्यों में वन क्षेत्र और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- वृक्षारोपण पर ध्यान :** परिवर्तन से खो गए प्राकृतिक वनों को वृक्षारोपण से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह विधेयक कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए निजी भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है।
- जंगल के अंदर चिड़ियाघर का उद्देश्य :** चिड़ियाघर, पर्यावरण-पर्यटन सुविधाओं और टोही सर्वेक्षण जैसी परियोजनाओं के लिए एक व्यापक छूट वन भूमि और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर वन :** विधेयक संभावित रूप से भारत के 28 प्रतिशत जंगलों को बाहर करता है। 5,16,630 वर्ग किमी में से 1,97,159 वर्ग किमी के जंगल रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर हैं।
- वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन :** यह विधेयक वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से वन मंजूरी पर ग्राम परिषदों की पूर्व सूचित सहमति की बात नहीं करता है।

आगे की राह

- केंद्र सरकार का कहना है कि इस तरह का विधेयक उसे राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में सक्षम बनाएगा ताकि महत्वपूर्ण सुरक्षा बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित किया जा सके, विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में।

15. गिग वर्कर्स

वर्तमान संदर्भ

विगत 24 जुलाई को राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 पारित कर दिया।

विवरण

- यह भारत में अपनी तरह का पहला कानून है जो राज्य के लगभग तीन लाख गिग श्रमिकों (gig workers) के लिए कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
- यह विधेयक 'समूहक' (क्रेता और सेवा प्रदाता को जोड़ने के लिए डिजिटल मध्यस्थ) और 'प्राथमिक नियोक्ता' (प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों को शामिल करने वाले व्यक्ति या संगठन) पर लागू होता है।
- विधेयक में एक कल्याण समिति का प्रस्ताव किया गया है जिसमें राज्य के अधिकारी, गिग वर्कर्स और समूहक के पांच-पांच प्रतिनिधि

- और नागरिक समाज के दो अन्य लोग शामिल होंगे।
- बोर्ड एक **कल्याण कोष** स्थापित करेगा, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों, समूहक और प्राथमिक नियोक्ताओं को पंजीकृत करेगा, प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की सुविधा प्रदान करेगा और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए समाधान उपलब्ध करेगा।
- बोर्ड कंपनियों और श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाए रखेगा और प्रत्येक कर्मचारी को एक अद्वितीय पहचान (ID) संख्या दी जाएगी जो 'हमेशा के लिए वैध होगी'
- सरकार को अपनी सिफारिशों में श्रमिक संघों ने विधेयक में अस्पष्ट शब्दावली पर आपत्ति जताई है, जो कंपनियों के लिए बचाव का रास्ता (loopholes) मुहैया कर सकती है।

गिग क्या है?

- गिग वर्कर एक ऐसे पेशेवर होते हैं, जिसे नियमित वेतन भुगतान के बजाय प्रति कार्य या प्रति प्रोजेक्ट के अनुसार वेतन भुगतान किया जाता है।
- **नीति आयोग 'गिग वर्कर्स'** को ऐसे कर्मचारी के रूप में परिभाषित करता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी अनुबंधों से मुक्त होते हैं।
- गिग इकोनॉमी क्या है?
- गिग इकोनॉमी एक ऐसा श्रम बाजार है जो अस्थायी, अल्पकालिक अनुबंधों या फ्रीलांस के प्रचलन के रूप वर्णित किया जाता है।
- गिग इकोनॉमी में कर्मचारी/ठेकेदार अंशकालिक या अस्थायी और स्वतंत्र होते हैं।
- गिग अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप Uber या Airbnb के इच्छुक लोगो को आसानी से सस्ती, अधिक कुशल सेवाएं प्राप्त हो जाती है।

गिग की उत्पत्ति

- नवीनतम रोजगार रुझानों में से एक, जिसने हाल के दिनों में भारत के थिंक टैंक नीति आयोग सहित कई लोगों का ध्यान खींचा है, वह है गिग वर्किंग या अधिक सामान्य शब्दों में 'फ्रीलांसिंग' की अवधारणा।
- 'गिग' शब्द वर्ष 1915 में जैज़ संगीतकारों द्वारा विभिन्न प्रदर्शनों को संदर्भित करने के लिए गढ़ा गया था।
- वर्ष 2005 में तेजी से आगे बढ़ते हुए, अमेज़न मैकेनिकल तुर्क ने गिग कर्मचारियों की मांग बढ़ाते हुए आसान और दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए एक क्राउडसोर्सिंग बाजार बनाया, जिसे एआई नहीं कर सका।
- वर्षों तक Airbnb और Uber जैसे प्लेटफॉर्म ने लोकप्रियता हासिल की और कई लोगों के लिए कमाई का नवीनतम वैकल्पिक तरीका पेश किया।

- कोविड19- के प्रभाव के साथ, महामारी से प्रेरित दूरस्थ कार्य नया आदर्श बन गया और इसने केवल शहरी क्षेत्र से लोगों को काम पर रखने के मानसिक अवरोध को समाप्त कर दिया।

गिग इकोनॉमी का विस्तार

- जून 2022 में जारी नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट, 'इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' के अनुसार वर्ष 30-2029 तक भारतीय गिग कार्यबल का विस्तार 23.5 मिलियन श्रमिकों तक होने की उम्मीद है, जो मौजूदा 7.7 मिलियन से छलांग लगाकर लगभग 200 प्रतिशत हो जाएगा।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गिग वर्किंग का विस्तार सभी क्षेत्रों में होने वाला है, जहां 47 प्रतिशत नौकरियां मध्यम-कुशल हैं, 22 प्रतिशत उच्च-कुशल हैं और लगभग 31 प्रतिशत कम-कुशल हैं।

गिग इकोनॉमी के लिए कानून की जरूरत

- भारतीय न्यायालयों में गिग कार्य अभी भी अप्रयुक्त है और किसी विशिष्ट कानून न होने के कारण गिग श्रमिक न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, ओवरटाइम, छुट्टी आदि जैसे परिणामी लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं।

वर्तमान में भारतीय श्रम और रोजगार कानून कर्मचारियों की तीन मुख्य श्रेणियों को मान्यता देते हैं

1. सरकारी कर्मचारी
 2. सरकार-नियंत्रित कॉर्पोरेट निकायों में कर्मचारी [जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) के रूप में जाना जाता है]
 3. निजी क्षेत्र के कर्मचारी [जो प्रबंधकीय कर्मचारी या कामगार हो सकते हैं]
- भारत में अनुबंध श्रम की संलग्नता को **अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970** नियंत्रित करता है, जिसमें तीसरे पक्ष के ठेकेदारों के माध्यम से किया गया काम भी शामिल है।
 - इस कानून के तहत संबंधित प्लेटफॉर्मों के लिए काम करने वाले गिग श्रमिकों के लिए 'ठेकेदार' बनने की गुंजाइश है।
 - **रोजगार मुआवजा अधिनियम, 1923** में यह प्रावधान है कि नियोक्ता रोजगार के दौरान और उसके दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा देगा। गिग श्रमिकों पर इस कानून की प्रयोज्यता भी न्यायालयों द्वारा निर्धारित की जानी है।

गिग वर्कर्स के लिए कानून की प्रासंगिकता

- दुनिया भर में और भारत में श्रम कानूनों में श्रमिकों को उनके दायरे में लाने के लिए कुछ निश्चित सीमाएं तय की गई हैं।

- हालांकि, 21वीं सदी में यह अब काम का प्रमुख प्रतिमान नहीं रह गया है। **उदाहरण के लिए**, गिग वर्कर के रूप में कर्मचारी अक्सर एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच काम बदलते हैं, उन्हें अपने स्वयं के संसाधन का उपयोग करना पड़ता है (या कंपनी से इसे उधार लेना पड़ता है) और श्रम कानून द्वारा नियत प्रावधान को दरकिनार करने के लिए, कंपनी द्वारा कपटपूर्वक उन्हें कर्मचारियों के बजाय भागीदार के रूप में बताया जाता है।
- जबकि गिग कार्य फ़ैक्ट्री मालिक और श्रमिक के रोजगार संबंध जैसा नहीं होता है, यह संस्थागत शक्ति भिन्नता और अधीनता के सभी कसौटी को प्रदर्शित करता है जो श्रम कानूनों को प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं।
- गिग श्रमिकों को अक्सर स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में गलत वर्गीकृत किया जाता है, साथ ही वे कर्मचारियों के समान अधिकारों और सुरक्षा के हकदार नहीं हैं।
- गिग श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम भुगतान और बीमारी की वैतनिक छुट्टी जैसी बुनियादी श्रम सुरक्षा सुविधा तक पहुंच होनी चाहिए।

गिग वर्कर द्वारा गिग इकाँनमी को प्राथमिकता देने की वजह

- गिग कार्य श्रमिकों को यह चुनने की अनुमति देता है कि वे कब और कहां काम करना चाहते हैं, जिससे उन्हें अपनी समयावधि और कार्य जीवन संतुलन पर अधिक नियंत्रण मिलता है।
- गिग श्रमिक विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं और कार्यक्रमों में संलग्न हो सकते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न उद्योगों का पता लगाने और नए कौशल विकसित करने की सुविधा मिलती है।
- गिग कर्मचारी किसी एक नियोक्ता से बंधे नहीं होते हैं, जिससे उन्हें कई ग्राहकों के लिए काम करने और अपना बॉस खुद बनने की आजादी मिलती है।
- कई गिग कार्य दूर-दराज क्षेत्र से किए जा सकते हैं, जिससे आने-जाने की आवश्यकता कम हो जाती है और श्रमिक कहीं से भी काम करने में सक्षम रहते हैं।
- गिग कार्य आय के एक पूरक स्रोत के रूप में काम कर सकता है, जिससे श्रमिकों को अन्य जुनून या अंशकालिक काम करने की सुविधा मिलती है।

गिग नियोक्ताओं द्वारा गिग इकाँनमी को प्राथमिकता देने की वजह

- गिग श्रमिकों को काम पर रखना नियोक्ताओं के लिए अधिक लागत प्रभावी हो सकता है क्योंकि उन्हें अक्सर प्रति-प्रोजेक्ट के आधार पर

भुगतान किया जाता है और व्यवसायों को लाभ प्रदान करने या काम नहीं होने (downtime) के दौरान भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

- गिग नियोक्ता विभिन्न भौगोलिक स्थानों से विविध कौशल और विशेषज्ञता युक्त प्रतिभावान लोगों के विस्तृत समूह तक पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें प्रत्येक परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने में मदद मिलती है।
- पारंपरिक भर्ती प्रक्रियाओं में समय लग सकता है, जबकि गिग श्रमिकों को जल्दी से शामिल किया जा सकता है, जिससे परियोजना का निष्पादन तेजी से हो सकता है।
- गिग श्रमिकों को काम पर रखने से नियोक्ताओं को आर्थिक उतार-चढ़ाव या अनिश्चित बाजार स्थितियों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि वे अपने कार्यबल को तदनुसार समायोजित कर सकते हैं।
- नियोक्ता बड़े स्थायी कार्यबल या गिग वर्कर्स के लिए कार्यालय न रखकर ऊपरी लागत को कम कर सकते हैं।

गिग इकाँनमी की बाधाएं

- गिग इकाँनमी में नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता अनिश्चित है क्योंकि श्रमिकों को व्यक्तिगत परियोजनाओं या गिग को पूरा करने के आधार पर भुगतान मिलता है।
- गिग इकाँनमी में श्रमिकों को किसी भी समय बर्खास्त किया जा सकता है क्योंकि वे दीर्घकालिक रोजगार अनुबंध से बंधे नहीं होते हैं।
- गिग कर्मचारी पेंशन, ग्रेच्युटी और भत्तों जैसे लाभों से वंचित रह जाते हैं जो आम तौर पर पूर्णकालिक कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं।
- गिग इकाँनमी में स्थिर आय की कमी के कारण बैंकों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए श्रमिकों को ऋण सुविधा देना मुश्किल हो जाता है।
- सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली वाले क्षेत्रों में कई लोग गिग इकाँनमी के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जिससे असमानता पैदा होती है।

निष्कर्ष

- नए स्नातकों, अर्ध-कुशल श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को काम देने के लिए शायद गिग इकाँनमी ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए, इस क्षेत्र के विकास में सहायता करना महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी प्रक्रियाओं और विनियमों की आवश्यकता है जो यह स्पष्ट करें कि इस उद्योग को कैसे संचालित होना चाहिए।

सामाजिक मुद्दे

1. पीएमकेवी योजना: कुशल श्रमिकों को नियुक्त करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर

वर्तमान संदर्भ

अन्य बड़े राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल कुशल श्रमिकों को उच्चतम रोजगार देने वाले शीर्ष पांच राज्यों के रूप में उभरे, इन राज्यों में प्रमाणित उम्मीदवारों की अधिक संख्या राज्य में कुशल श्रमिकों की अधिक मांग को दर्शाता है।

रिपोर्ट के विवरण

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana-PMKVY) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में योजना शुरू होने के बाद से मध्य प्रदेश ने पीएमकेवीवाई के तहत अपने कौशल प्रमाणित उम्मीदवारों में से 30.7 प्रतिशत को रोजगार प्रदान किया, इसके बाद हरियाणा (29.6 प्रतिशत), तमिलनाडु (27.60 प्रतिशत), बिहार (25.4 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (24.7 प्रतिशत) का स्थान रहा।
- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान (जहां प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है) राज्यों में रोजगार उपलब्धता दर क्रमशः 21.2 प्रतिशत, 8.3 प्रतिशत और 19.3 प्रतिशत है।
- पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण के लिए 10 राज्य- उत्तर प्रदेश (1.9 मिलियन), महाराष्ट्र (1.2 मिलियन), राजस्थान (1.09 मिलियन), मध्य प्रदेश (0.9 मिलियन), तमिलनाडु (0.75 मिलियन), असम (0.72 मिलियन), हरियाणा (0.65 मिलियन), बिहार (0.63 मिलियन), पश्चिम बंगाल (0.58 मिलियन) और ओडिशा (0.55 मिलियन) हैं।
- इन 10 राज्यों में पीएमकेवीवाई के तहत प्रमाणित कुल 12.4 मिलियन युवाओं की संख्या में से 58.9 प्रतिशत या 7.3 मिलियन हैं और योजना के अस्तित्व में आने के बाद से आठ वर्षों में कुल 2.43 मिलियन रोजगार पानेवालों में से इनकी संख्या 63.2 प्रतिशत या 1.54 मिलियन उम्मीदवार हैं।
- राज्य-वार विश्लेषण के अनुसार पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में भी कुशल श्रमिकों की अधिक भर्ती देखी गई, जबकि अधिक आबादी वाले राज्यों में कौशल, प्रशिक्षण और प्रमाणन दर अधिक थी।
- उन राज्यों में भी कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ रही है जो आमतौर पर औद्योगिक प्रकृति के नहीं हैं।
- राज्य-वार विश्लेषण से पता चलता है कि जहां बड़े और अधिक

आबादी वाले राज्यों में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन की दर अधिक है, वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में भी कुशल कार्यबल को उच्च रोजगार प्राप्त हो रहा है।

• पीएमकेवीवाई 4.0 में अधिकतम भर्ती के मामले में हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल योजना में शीर्ष स्थान पर हैं। इन राज्यों में रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों की मांग अन्य बड़े राज्यों की तुलना में अधिक है।

कौशल भारत मिशन

- वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक नागरिकों को विभिन्न उद्योग प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए वर्ष 2015 में स्किल इंडिया शुरू किया गया था।
- स्किल इंडिया मिशन का एक हिस्सा परिणाम-उन्मुख ढांचे के माध्यम से उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप भारत में कौशल विकास की पूर्ति करना है।
- यह एक स्मार्ट पहल है जिसका उद्देश्य व्यापक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना है, जो उद्योग की मांगों और कौशल आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटने में मदद करेगा और इससे बड़े पैमाने पर देश का विकास करेगा।
- कौशल भारत कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम-आधारित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू करना शामिल है, जिसमें प्रशिक्षुओं को उद्योग-मान्यता प्राप्त शिक्षण केंद्रों से प्रमाणपत्र और समर्थन प्राप्त होगा।
- इस मिशन के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल-आधारित शिक्षा को शामिल करना, दीर्घकालिक और अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर सृजित करना भी शामिल था।
- भारत सरकार का लक्ष्य इस मिशन के साथ व्यावहारिक कौशल विकसित करना है, जो उद्योग के लिए आवश्यक है और इसलिए, देश में रोजगार दर में सुधार करना है।
- कौशल भारत मिशन के कार्यान्वयन के बाद से इस मिशन ने रोजगार को बढ़ावा देने में अत्यधिक मदद की है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- कौशल भारत मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) लागू की।
- 31 दिसंबर, 2022 तक पीएमकेवीवाई 1.0, 2.0 और 3.0 के तहत 1.37 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है; जिनमें से 24.36 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों को देश भर में नियुक्त किया गया है।
- 31 दिसंबर, 2022 तक पीएमकेवीवाई के तहत गुजरात में 4.11 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।
- पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक हैं - अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT) और पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL)
- पीएमकेवीवाई के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि आरपीएल प्लेसमेंट से जुड़ा नहीं है, क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को पहचानता है।

पीएमकेवीवाई 2.0

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (वर्ष 2016-20) के तहत फरवरी 2021 तक कार्यान्वयन एजेंसियों को 7,279 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (वर्ष 2016-20) के तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। जनवरी 2021 तक 1.07 मिलियन उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

पीएमकेवीवाई 3.0

- 15 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत सरकार ने देश के सभी जिलों के लिए मांग-संचालित, अल्पकालिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए।

पीएमकेवीवाई 4.0

- सरकार ने भारत के लोगों को अत्मनिर्भर बनाने के मुख्य लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की।
- भारत सरकार बेरोजगार युवाओं का कौशल विकसित करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा संचालित होता है।
- एनआईईएलआईटी, औरंगाबाद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के सहयोग से वित्त वर्ष 22-23 के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 की केंद्र प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (CSCM) श्रेणी के तहत लघु अवधि प्रशिक्षण लागू कर रहा है।

निष्कर्ष

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कुशल कार्यबल की योग्यता, आकांक्षा एवं ज्ञान को रोजगार के अवसरों और बाजार में मांगों के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है। PMKVY के माध्यम से सरकार का लक्ष्य सक्षम कार्यबल की दक्षता में सुधार करना या बढ़ाना और भारत के समग्र विकास में योगदान देना है।
- वर्तमान में स्थानीय स्तर पर उद्योग की आवश्यकताओं और व्यक्ति कौशल के बीच एक बड़ा अंतर है जो तेजी से बढ़ रहा है। जबकि नियोजता आवश्यक कौशल वाले लोगों को रोजगार देने के लिए संघर्ष करते हैं, कम कौशल वाले कई विस्थापित कर्मचारी अपनी आजीविका वापस पाने हेतु परिश्रम करते हैं।
- साथ ही, वर्तमान कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को एक नई कार्य योजना की आवश्यकता है, क्योंकि 'घर से काम' (work from home) नया मानदंड बन गया है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यात्मक भूमिकाएं तेजी से फिर से परिभाषित की जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं।

2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

वर्तमान संदर्भ

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दो पेंशन योजनाओं यानी व्यापारियों और स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के प्रबंधन हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की विस्तृत समीक्षा करेगा, क्योंकि इनका कार्यान्वयन सरकार की प्राथमिकता है।

विवरण

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारतीय जीवन बीमा निगम (CIL) की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने तथा असंगठित कामगारों और

व्यापारियों के लिए अपनी स्वैच्छिक पेंशन योजनाओं के अंतर्गत नामांकन हेतु लगभग 500 कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के लिए परिचालन ढाँचे को मजबूत करने की योजना बना रहा है।

- असंगठित कामगारों और व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी

मानधन योजना (PM-SYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को वर्ष 2019 में शुरू किया गया। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है तथा एलआईसी और ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

- ✓ ये स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजनाएँ 40-18 आयु वर्ग के उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और व्यापारियों के लिए हैं, जो प्रतिमाह 15,000 रुपये से कम कमाते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए एक पेंशन योजना है।
- यह योजना असंगठित कर्मकारों (Unorganised Workers) के लिए वृद्धावस्था के दौरान संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है।
- यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह न्यूनतम 3000 रुपये की निश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
- यदि अभिदाता (लाभार्थी) की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के रूप में मूल पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा।
 - ✓ इसके तहत पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी पर लागू होती है।
- PM-SYM में अभिदाता का अभिदान (योगदान) उसके बचत बैंक खाते/जन-धन खाते से स्वतः कटौती ('auto-debit') सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- PM-SYM और NPS योजनाओं के तहत कोई भी कामगार या स्व-नियोजित व्यक्ति 55 से 200 रुपये का मासिक योगदान देता है जिसमें सरकार द्वारा भी समान योगदान दिया जाता है।
- सरकार ने वर्ष 2019 से PM-SYM के तहत प्रीमियम अंशदान पर 1,323.29 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष -2022 23 में 269.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

- पेंशन दान (डोनेट) करना : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2022 में एक योजना शुरू की, जिससे किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान करने की अनुमति दी गयी।
- इसके तहत दानकर्ता कम से कम एक वर्ष के लिए अंशदान का भुगतान कर सकता है, जिसमें लाभार्थी की उम्र के आधार पर 660 रुपये से लेकर 2,400 रुपये प्रतिवर्ष तक की राशि हो सकती है।

CIL की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन

- दोनों योजनाओं यानी PM-SYM और NPS के तहत प्रीमियम की राशि (200-55 रुपये प्रतिमाह) इतना छोटी है कि वृहद् स्तर पर कमीशन पर आधारित CIL को नामांकन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता है।
- आवेदन प्राप्त करने की गति इसलिए भी धीमी है क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) प्रति आवेदन 30 रुपये का कमीशन मिलने के बावजूद आवेदन के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2019 से अब तक व्यापारियों और स्व-रोजगार के लिए NPS के तहत केवल 52,671 आवेदन प्राप्त किए हैं।
- लगभग 400 मिलियन असंगठित कामगारों में से लगभग 4.9 मिलियन कामगारों ने PM-SYM योजना में पंजीकरण कराया है।

आगे की राह

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के लिए न्यूनतम मासिक नामांकन लक्ष्य तय करने का प्रयास कर रहा है, जिसकी नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी। दोनों पेंशन योजनाओं (PM-SYM और NSP) की पहुँच बढ़ाने के लिए मंत्रालय राज्यों पर आवेदन बढ़ाने हेतु भी दबाव डाल रहा है। यह आवेदन बढ़ाने के लिए अन्य मंत्रालयों के फील्ड स्टाफ को इसके तहत जोड़ सकता है।

3. छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों हेतु सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं

वर्तमान संदर्भ

केंद्र सरकार छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं लागू कर रही है। हालांकि, केंद्र ने वर्ष 2022-23 में शुरू की गई 'पढ़ो परदेश' योजना को बंद करने का निर्णय लिया है जो अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए ऋण पर 'ब्याज सब्सिडी' प्रदान कर रही थी।

विवरण

- इस योजना को बंद कर दिया गया, क्योंकि आधिकारिक बयान के अनुसार इस योजना के माध्यम से अर्जित ब्याज सब्सिडी बहुत सीमित थी और योजना द्वारा दिए जाने वाले अधिकांश लाभ पहले से ही अन्य समर्पित सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान किए जा रहे थे।

भारत के अल्पसंख्यक समुदाय

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में 'अल्पसंख्यक' शब्द शामिल है, हालांकि, यह इसे परिभाषित नहीं करता है। परंपरागत रूप से अल्पसंख्यक उन समुदायों को माना जाता है जिनकी कुल जनसंख्या में भागीदारी 50 प्रतिशत से कम है।
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत भारत में 6 समुदायों जिनमें मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन को 'अल्पसंख्यक समुदाय' के रूप में मान्यता दी।
 - ✓ पहले पांच को वर्ष 1992 में मान्यता दी गई थी, जबकि जैन समुदाय को वर्ष 2014 में अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई थी।
- उक्त अधिनियम के माध्यम से इन समुदायों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) नामक एक वैधानिक निकाय की भी स्थापना की गई थी।
 - ✓ यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसे सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

- इस मंत्रालय का गठन वर्ष 2006 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके किया गया था।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत निम्न संगठन शामिल हैं :
 - केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Wakf Council-CWC),
 - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities-NCM),
 - भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त (Commissioner for Linguistic Minorities-CLM),
 - मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (Maulana Azad Education Foundation-MAEF),
 - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (National Minorities Development and Finance Corporation-NMDFC)

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं और पहल

- केंद्र सरकार अल्पसंख्यक अधिसूचित समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और उद्यमिता आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है।

शिक्षा संबंधी योजनाएं

- छात्रवृत्ति योजनाएं : मंत्रालय छात्रों के विभिन्न समूहों के लिए निम्न छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान कर रहा है :
 - ✓ समर्पित पूर्व-मैट्रिक और बाद-मैट्रिक (pre-matric and post-matric) छात्रवृत्ति योजना।
 - ✓ व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना।
 - ✓ मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (MAEF) द्वारा 11 वीं और 12 वीं कक्षा के अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दी जा रही है।

सामाजिक-आर्थिक योजनाएं

- कौशल वृद्धि कार्यक्रम और पहल
 - ✓ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM ViKaS) : यह एक एकीकृत योजना है जिसमें निम्न 5 अलग-अलग योजनाएं शामिल हैं -
 - ✓ सीखो और कमाओ (Learn and Earn) : यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के पारंपरिक कौशल को विकसित करना, संरक्षित करना और बाजार से जुड़ाव बनाना है।
 - ✓ उस्ताद (USTTAD-Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts Crafts for Development) : इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला एवं शिल्प की विरासत को संरक्षित करना है और कला एवं शिल्प की पैतृक पद्धतियों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की विरासत को भी सुनिश्चित करने हेतु हमारी धरोहर पहल भी चलाई गयी।
 - ✓ नई रोशनी : इस कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों की मदद से महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल है।
 - ✓ नई मंजिल : यह योजना दीनी मदरसा में छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान और कौशल विकास को जोड़ने के लिए एक ब्रिज कोर्स प्रदान कर रही है।
 - ✓ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) योजना : इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को रियायती ऋण वितरित की जाती है।

विशेष योजनाएं

- **जियो पारसी:** यह केंद्रीय क्षेत्र योजना भारत में पारसियों की आबादी में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में शुरू की गई थी।
- **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY)**
 - ✓ यह अतिक्रमण से बचाने के लिए वक्फ संपत्तियों के भूमि रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण पर केंद्रित है।
 - ✓ इसका उद्देश्य खाली भूमि पर व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित करना है ताकि रोजगार और आजीविका के नए अवसर तलाशे जा सकें और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) :** इस केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा प्रदान कर रही है।

महत्व

- उक्त योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में सहायक हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के जरिए सामाजिक सुरक्षा और विकास यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।
- **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना** जैसी योजनाएं इन धार्मिक निकायों को स्वयं या सरकार की मदद से संस्थानों का विकास करके लोगों के निरंतर कल्याण करने हेतु स्वायत्तता प्रदान करती हैं।
- उस्ताद और हमारी धरोहर के माध्यम से सरकार इन अल्पसंख्यक समूहों को अपने पैतृक कौशल और संस्कृति को संरक्षित करने में मदद कर रही है और 'नयी मंजिल' और 'सीखो और कमाओ' की मदद से वे इन कौशलों को विकसित कर सकते हैं और उनसे धन अर्जित कर सकते हैं।

- ये प्रयास अल्पसंख्यक समूहों के साथ-साथ उनकी मान्यताओं, जातीयता और संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करेंगे।

चुनौतियां

- पहचान के दस्तावेज न होने की स्थिति में सबसे पहली समस्या इन समुदायों की पहचान और मान्यता को लेकर है।
- एक सार्वभौमिक कार्यक्रम और योजना सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए काम नहीं कर सकती क्योंकि प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति समान नहीं है।
- इसके अलावा, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि शासन तंत्र में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक वैमनस्य और असहमति की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है (जैसा कि मणिपुर में देखा गया)।

आगे की राह

- चूंकि सभी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक जरूरतें अलग-अलग हैं, इसलिए हर समुदाय के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जैसे -
 - ✓ **मुसलमानों के मामले में,** शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या काफी आम है। हालांकि, जैन सम्प्रदाय अल्पसंख्यक समूह होने के बावजूद शैक्षिक स्तर पर अच्छा है।
 - ✓ इसी तरह पारसियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में अच्छी है।
 - ✓ इस प्रकार, अधिक अल्पसंख्यक-विशिष्ट समर्पित कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए।
- योजना को लागू करते समय सरकार को सही लाभार्थी की पहचान के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- कार्यक्रमों की प्रभावकारिता की जांच के लिए पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण हेतु तंत्र लाकर शासन व्यवस्था की खामियों को कम किया जाना चाहिए।

4. दवा कंपनियों के लिए संशोधित विनिर्माण नियम

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में सरकार ने देश की सभी फार्मास्युटिकल कंपनियों को संशोधित गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (Good Manufacturing Practices-GMP) को लागू करने का निर्देश दिया है, जिससे उनकी प्रक्रियाओं को वैश्विक मानकों के बराबर लाया जा सके।

विवरण

- सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची M में संशोधन करने से फार्मा कंपनियों के लिए जीएमपी मानदंडों में सुधार और सख्ती होगी।
- 250 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करनेवाली बड़ी कंपनियों को छह महीने के भीतर बदलाव लागू करने के लिए कहा गया है, जबकि 250 करोड़ रुपये से कम कारोबार करनेवाली लघु और मध्यम उद्यमों को एक वर्ष के भीतर ऐसा करने के लिए कहा गया है।
- नया दिशानिर्देश वैश्विक नियामकों के अनुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के दस्तावेजीकरण में सुधार करना चाहता है।

जीएमपी विनियमों में परिवर्तन की आवश्यकता

- नए मानदंडों के कार्यान्वयन से भारतीय उद्योग वैश्विक मानकों के बराबर आ जाएगा।
- ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां अन्य देशों ने भारत में निर्मित सिरप, आई-ड्रॉप और आंखों के मलहम में कथित संदूषण की सूचना दी है। गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत, अमेरिका में तीन लोगों की मौत और कैमरून में छह लोगों की मौत को इन उत्पादों से जोड़ा गया है।
- सरकार द्वारा 162 विनिर्माण इकाइयों के जोखिम-आधारित निरीक्षण में निम्न कई कमियां पाई गईं : आने वाले कच्चे माल का उपयोग करने से पहले परीक्षण नहीं किया जाना, उत्पाद की गुणवत्ता की समीक्षा नहीं किया जाना, गुणवत्ता विफलता जांच न होना, परस्पर-संदूषण को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, विनिर्माण और परीक्षण क्षेत्र के दोषपूर्ण डिजाइन, योग्य पेशेवर न होना और खराब दस्तावेजीकरण।
- यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में देश में 10,500 दवा निर्माण इकाइयों में से केवल 2,000 ही डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित होने के वैश्विक मानकों को पूरा करती हैं।
- बेहतर मानक यह सुनिश्चित करेंगे कि दवा कंपनियां मानक प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का पालन करें और कोई कमी न छोड़ें, जिससे भारत में उपलब्ध दवाओं के साथ-साथ वैश्विक बाजार में बेची जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

इससे क्या बदलाव आएगा?

- संशोधित जीएमपी दिशानिर्देश उत्पादित दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों, उचित दस्तावेजीकरण और आईटी सहायता पर केंद्रित हैं।
- नए दिशानिर्देश औषधि गुणवत्ता प्रणाली (PQS), गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन (QRM), उत्पाद गुणवत्ता समीक्षा (PQR), और उपकरणों के सत्यापन का परिचय देते हैं।

- इसका मतलब यह है कि कंपनियों को अपने सभी उत्पादों की नियमित गुणवत्ता समीक्षा करनी होगी, गुणवत्ता की स्थिरता और प्रक्रियाओं को सत्यापित करना होगा, किसी भी चूक या संदिग्ध दोष की गहन जांच करनी होगी और किसी भी निवारक कार्रवाई को लागू करना होगा।
- यह उत्पाद के उत्पादन या गुणवत्ता को प्रभावित करनेवाले सभी परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए नियंत्रण प्रणाली में बदलाव का भी सुझाव देता है।
- कंपनियों को जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्थिरता का अध्ययन भी करना होगा। वर्तमान में अधिकांश कंपनियां अपने नमूनों को अनुशंसित शर्तों के तहत संग्रहित रखती हैं और समय-समय पर विभिन्न मापदंडों के लिए परीक्षण करती हैं।
 - अब कंपनियों को दवाओं को स्थिरता कक्ष में अनिवार्य रूप से बनाए रखने, उचित तापमान और आर्द्रता निर्धारित करने और त्वरित स्थिरता परीक्षण भी करनी होगी।
- दशानिर्देशों के अनुसार कंपनियों के पास जीएमपी-संबंधित कम्प्यूटरीकृत सिस्टम होना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि प्रक्रियाओं से संबंधित डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। ऐसे जीएमपी सिस्टम डेटा में अनधिकृत पहुंच और बदलाव को रोकेंगे।
- इसके अलावा, नयी अनुसूची M अतिरिक्त किस्म के उत्पादों की जरूरतों को भी सूचीबद्ध करता है, जिनमें जैविक उत्पाद, रेडियोधर्मी सामग्री वाले तत्व या पौधे से बने उत्पाद शामिल हैं। नई अनुसूची में नैदानिक परीक्षणों के लिए निर्मित किए जा रहे जांच उत्पादों की आवश्यकता को भी सूचीबद्ध किया गया है।

परिवर्तन कैसे मदद करेंगे?

- पूरे उद्योग में समान गुणवत्ता मानक लागू करने से अन्य देशों के नियामकों को विश्वास मिलेगा।
- इसके अलावा, इससे घरेलू बाजारों में दवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
 - भारत में औषधि की आपूर्ति करनेवाली 8,500 विनिर्माण इकाइयों में से अधिकांश WHO-GMP प्रमाणित नहीं हैं।
- यह सुनिश्चित करेगा कि देश की सभी विनिर्माण इकाइयां वैश्विक मानकों के अनुरूप हों, जिससे विभिन्न नियामकों द्वारा बार-बार निरीक्षण की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- यह भारत को दुनिया का गुणवत्तापूर्ण औषधि केंद्र बना देगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे नागरिकों को भी निर्यात-गुणवत्ता वाली दवाएं प्राप्त हों।

औषधि कंपनियों के लिए उन्नत विनिर्माण प्रथाएं क्या हैं?

- उन्नत विनिर्माण प्रथाएं (Good Manufacturing Practices-GMP) अनिवार्य मानक हैं, जिनका उद्देश्य सामग्री, विधियों, मशीनों, प्रक्रियाओं, कर्मियों, सुविधा या पर्यावरण आदि पर नियंत्रण के माध्यम से उत्पाद में गुणवत्ता लाना है।
- GMP को पहली बार वर्ष 1988 में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची M में शामिल किया गया था और अंतिम संशोधन जून 2005 में किया गया था।
- **औषधि नियम, 1945 के तहत मौजूदा अनुसूची M सुविधाओं की आवश्यकताओं और उनके रखरखाव, कर्मियों, निर्माण, नियंत्रण और सुरक्षा परीक्षण, सामग्री के भंडारण और परिवहन, लिखित प्रक्रियाओं, लिखित रिकॉर्ड, पता लगाने की क्षमता आदि का विवरण निर्धारित करती है।**

आगे की राह

- भारत को वैश्विक औषधि केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका उद्योग सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के भरोसेमंद

आपूर्तिकर्ता के रूप में सेवा करके दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- पिछले 20-15 वर्षों में औषधि विनिर्माण और गुणवत्ता क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। अच्छे विनिर्माण कार्य और उत्पाद की गुणवत्ता के बीच संबंध अन्योन्याश्रित है।
- इसलिए, तेजी से बदलते विनिर्माण और गुणवत्ता क्षेत्र के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, वर्तमान अनुसूची M में उल्लिखित जीएमपी के सिद्धांतों और अवधारणा को फिर से देखने और संशोधित करने की आवश्यकता थी।
- यह भारत की जीएमपी सिफारिशों एवं अनुपालन अपेक्षाओं को वैश्विक मानकों, विशेष रूप से **डब्ल्यूएचओ के मानकों** के बराबर लाएगा और विश्व स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता युक्त दवा का उत्पादन सुनिश्चित करेगा।

5. भारत में तम्बाकू नियंत्रण

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तम्बाकू नियंत्रण उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित ऐसे नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन में प्रगति का आकलन करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इस दिशा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और रिपोर्ट

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है।
 - ✓ यह संगठन दुनिया भर में स्थित अपने 6 क्षेत्रीय और 150 फील्ड कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है और इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है।
- लगभग डेढ़ दशक पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा **MPOWER** उपाय विकसित किए गए थे, जो निम्न प्रकार से है :
 - ✓ Monitor - तम्बाकू उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी
 - ✓ Protect - लोगों को तम्बाकू के धुएं से बचाना
 - ✓ Offer - तम्बाकू छोड़ने में सहायता प्रदान करना
 - ✓ Warn - तम्बाकू के खतरों से जागरूक करना
 - ✓ Enforce - तम्बाकू विज्ञापन पर प्रतिबंध लागू करना
 - ✓ Raise - तम्बाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना

- **डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी तम्बाकू नियंत्रण उपायों पर रिपोर्ट** यह आकलन करने के लिए समर्पित है कि इन उपायों को कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- रिपोर्ट में **बेंगलुरु शहर** का विशेष उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 'तम्बाकू निषेध चिह्न' और जागरूकता कार्यक्रम चलाकर **बेंगलुरु शहर** में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में 27 प्रतिशत कमी लायी गई है।
- विश्व में आज धूम्रपान करने वाले लोग 300 मिलियन से कम हैं, क्योंकि धूम्रपान का प्रचलन वर्ष 2007 में 22.8 प्रतिशत था जो वर्ष 2021 में घटकर 17 प्रतिशत हो गया।

1. MPOWER उपायों की प्रभावशीलता

- रिपोर्ट के अनुसार 70 फीसदी से ज्यादा लोगों को कम से कम एक उपाय से सुरक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2008 में यह स्थिति मात्र 5 प्रतिशत के आसपास थी।

- अब तक 151 से अधिक राष्ट्र ऐसे MPOWER उपायों में से कम से कम एक को लागू कर रहे हैं। वर्ष 2008 में यह संख्या 44 देश थी।
- अधिक दिलचस्प बात यह है कि ब्राजील, तुर्किये, मॉरीशस और नीदरलैंड जैसे देशों ने सभी MPOWER उपायों को लागू कर दिया है।
- रिपोर्ट के अनुसार 'तंबाकू महामारी' के कारण दुनिया भर में लगभग 9-8 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से MPOWER उपायों को अपनाने का आग्रह किया।

2. सेकेंड-हैंड धूम्रपान

- सेकेंड-हैंड धूम्रपान को उस धुएं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो धूम्रपान करने वाले के निकट रहने वाले व्यक्ति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है।
- रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार तंबाकू के सेवन से होने वाली 8.7 मिलियन मौतों में से 1 मिलियन से अधिक मौतें उन लोगों की होती हैं जो धूम्रपान नहीं करते थे, लेकिन दूसरे धुएं के संपर्क में रहते थे।
- रिपोर्ट यह भी बताती है कि 50 हजार से अधिक बच्चे और किशोर सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में हैं, जिससे गंभीर अस्थमा, श्वसन तंत्र में संक्रमण और यहां तक कि अचानक शिशु मृत्यु लक्षण जैसी चिकित्सीय जटिलताएं हो सकती हैं।
- इसलिए, यह रिपोर्ट मुख्य रूप से धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक क्षेत्र तैयार करने और समाज में धूम्रपान की लत को सामान्य बनाने की आवश्यकता को इंगित करती है।
- रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 40 प्रतिशत देशों में इनडोर सार्वजनिक स्थल हैं जो पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त हैं।

3. भारत की स्थिति

- वर्ष 2005 से भारत तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन का एक पक्ष रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार जब तंबाकू उत्पादों के दोनों तरफ चेतावनी के लेबल लगाने के साथ-साथ तंबाकू निर्भरता उपचार प्रदान करने की बात आती है, तो भारत में उपलब्धि का स्तर सबसे अधिक है।
- भारत उन शीर्ष 10 देशों में से एक है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक सिगरेट पैक पर स्वास्थ्य सलाह के साथ-साथ क्विट-लाइन टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है।

भारत में तंबाकू उपभोग का परिदृश्य

वर्ष 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार -

- लड़कों में तंबाकू के उपयोग और खपत का प्रचलन अधिक है,

यानी 9.6 प्रतिशत, जबकि लड़कियों में यह 7.4 प्रतिशत है।

- तंबाकू का धूम्रपान में प्रचलन लगभग 7 प्रतिशत था जबकि धुआं रहित तंबाकू उत्पादों का प्रचलन लगभग 4 प्रतिशत था।
- लगभग 3 प्रतिशत ई-सिगरेट का उपयोग भी देखा गया।

भारत द्वारा अपनाए गए उपाय

- भारत में ई-सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यह इस निष्कर्ष के अनुरूप है कि ई-सिगरेट पारंपरिक सिगरेट की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हानिकारक है।
- साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- रिपोर्ट में इन प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को स्वास्थ्य सुविधाओं में 10 में से 8, स्कूलों में 6 और विश्वविद्यालयों में 5 में स्थान दिया गया है। अधिकांश मास मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऐसे उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। इसके अलावा भारत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी चेतावनियां लागू करने पर विचार कर रहा है। महामारी काल के बाद से भारत में ओटीटी का चलन बढ़ा है। इसलिए, इन प्लेटफॉर्मों पर चेतावनियों और सलाह के प्रसारण से लोगों के एक बड़े हिस्से में जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। यदि ऐसा कदम लागू किया जाता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा।
- भारत उन देशों में से है जहां तंबाकू नियंत्रण से संबंधित व्यापक कानून है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में ऐसे उत्पादों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है। इसके अलावा, सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सिगरेट और तंबाकू की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए एक नियम बनाया गया है।

ऐसे प्रतिबंधों का महत्व

- भारत द्वारा अपनाए गए उपायों के महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं, क्योंकि 15-13 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच तंबाकू के उपयोग में लगभग 42 प्रतिशत की कमी आई है।
- इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में तंबाकू उपयोग का स्तर 1 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

चुनौतियां

- खुली सिगरेट बेचना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्योंकि केवल पैक पर छपी होने के वजह से उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य चेतावनी और सिगरेट छोड़ने की चेतावनी बिल्कुल भी नहीं मिलती है।

- कानूनों और विनियमों के उचित कार्यान्वयन का भी अभाव है।

आगे की राह

- यदि उपभोक्ता हानिकारक पदार्थ के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक हों और सरकार इस दिशा में उचित कदम उठाए (जैसा कि डब्ल्यूएचओ की संबंधित रिपोर्ट में भी उजागर किया गया है) तो तम्बाकू सेवन की समस्या को सबसे अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है।
- सरकार को और अधिक मजबूत तंत्र बनाने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव लाया जा सके।
- सरकार को भी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- ऐसी वस्तुओं पर अधिक कर लगाने से उनकी कम खपत भी सुनिश्चित हो सकती है।

6. भारत का राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

वर्तमान संदर्भ

सरकार की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेली मानस (Tele MANAS) [एक टोल-फ्री सेवा] को पिछले साल अक्टूबर में शुरू होने के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों से 2,00,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।

विवरण

- अप्रैल, 2023 के पहले प्राप्त हुई एक लाख कॉल की तुलना में इसके बाद के केवल तीन महीने में ही यह संख्या दो लाख तक पहुँच गई।
- परामर्शदाताओं द्वारा ऐसे लगभग 7,000 कॉलों का कॉलबैक किया गया, जिसमें वे देखरेख के चक्र को पूरा करने में सफल रहे।

राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

- भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (Tele MANAS) की घोषणा की और इसके समग्र कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने का जिम्मा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया।
- जिसके परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAG) के साथ-साथ टेली मानस के विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए तीन तकनीकी सलाहकार उप-समितियों (मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रतिपादन, सूचना प्रौद्योगिकी संरचना और स्वास्थ्य प्रणाली) का गठन किया।
- इस कार्यक्रम में 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का एक नेटवर्क शामिल है, जिसमें NIMHANS नोडल केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बैंगलोर (IIIT, बैंगलोर) प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करता है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHRSC) तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

टेली मानस

- टेली मानस (Tele MANAS) 'जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की डिजिटल शाखा है।

- वर्तमान में 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 42 टेली मानस सेल सक्रिय हैं। यह सेवा प्रतिदिन 20 विभिन्न भाषाओं में 1,300 से अधिक कॉल स्वीकार करती है।

लक्ष्य और उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का लक्ष्य सभी भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से न्यायसंगत, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।
- यह कार्यक्रम एक पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य-सेवा नेटवर्क लागू करता है, जो एकीकृत चिकित्सा और मनोसामाजिक हस्तक्षेप प्रदान करता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ वीडियो परामर्श, ई-पर्चा, अनुवर्ती सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाओं से जुड़ाव शामिल है।
- यह कार्यक्रम गरीब लोगों और दूर-दराज क्षेत्र के लोगों तक सेवाएं प्रदान करता है।

दो स्तरीय कार्य

- Tele-MANAS को दो-स्तरीय प्रणाली में संचालित किया जाता है। इसके पहले स्तर में राज्य टेली-मानस सेल शामिल हैं, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं और दूसरे स्तर में भौतिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) में विशेषज्ञों/मेडिकल कॉलेज संसाधनों और/या ऑडियो-विजुअल परामर्श के लिए ई-संजीवनी शामिल हैं।

कॉल करने वाले लोगों का आंकड़ा

- आयु समूह: लगभग 75 प्रतिशत कॉल करने वाले 18-45 वर्ष आयु वर्ग के थे, 12.5 प्रतिशत कॉल करने वाले 46-64 वर्ष आयु वर्ग के थे और 8 प्रतिशत कॉल करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के थे।

- **लैंगिक स्थिति :** दो लाख कॉलों में से 59.6 प्रतिशत कॉल पुरुषों द्वारा और 40 प्रतिशत कॉल महिलाओं द्वारा किए गए थे।
- **प्रमुख समस्याएं :** मदद मांगने के सबसे आम कारण अवसाद का अनुभव (28.8 प्रतिशत), नींद से संबंधित समस्याएं (27.6 प्रतिशत), चिंता (20.4 प्रतिशत), रिश्ते की समस्या (10 प्रतिशत), उग्र व्यवहार (9.2 प्रतिशत) और गतिविधियों में कम रुचि (9.7 प्रतिशत) थी।

राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्व

- परीक्षा सत्र के दौरान **परीक्षा के तनाव** से संबंधित कॉलों में तेजी देखी गई। इन कॉल करने वालों को परामर्शदाताओं द्वारा सहायक परामर्श और स्व-सहायता रणनीतियों के साथ मदद की गई।
- यह सेवा बुनियादी परामर्श एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा मौजूदा महत्वपूर्ण सेवाओं और संसाधनों से जुड़ाव के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।
- यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत को सामान्य बनाने की दिशा में बदलाव में मदद करने, **लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों को पहचानने**, उपचार लेने और लंबे समय में लांछन को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय को सुनिश्चित करता है।
- यह कार्यक्रम **दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों के लोगों के साथ-साथ उन लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ाएगा**, जो व्यक्तिगत सेवाओं का खर्च उठाने या यात्रा करने में असमर्थ होते हैं।
- यह कार्यक्रम मदद लेने को अधिक सुलभ और स्वीकार्य बनाकर **मानसिक बीमारी से जुड़े लांछन को कम करने में मदद कर सकता है।**
- यह कार्यक्रम **प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों तक पहुंच सुविधा प्रदान करके मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है।**
- यह कार्यक्रम **सेवाएं प्रदान करने का सुविधाजनक और किफायती तरीका प्रदान करके मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की दक्षता बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।**

मानसिक विकार: एक चुनौती

- विश्व भर में महामारी के कारण नौकरी के छूटने, सामाजिक संपर्क की कमी और उत्कंठा कुछ ऐसे कारक रहे हैं, जिनके कारण मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ गई है।
- संकट, उत्कंठा, अवसाद, परीक्षा के तनाव वाले छात्रों, पारिवारिक समस्याओं, खुदकुशी के विचारों, रिश्ते की समस्याओं, वित्तीय समस्या या किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या के कारण जीवन में बढ़ते तनाव की वजह से कई लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता होती है।
- ऐसा अनुमान है कि भारत की छह से सात प्रतिशत आबादी मानसिक विकारों से पीड़ित है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, चार परिवारों में से एक परिवार में कम से कम एक सदस्य को व्यवहार संबंधी या मानसिक विकार से ग्रस्त होने की संभावना है।
- ये परिवार न केवल शारीरिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, बल्कि लांछन और भेदभाव का नकारात्मक प्रभाव भी झेलते हैं।
- उनमें से अधिकांश **(90 प्रतिशत से अधिक) का इलाज नहीं किया जाता है।** मानसिक बीमारी के लक्षणों, इससे जुड़े मिथकों और लांछन के बारे में कम जागरूकता, उपचार की उपलब्धता और उपचार कराने के संभावित लाभों के बारे में जानकारी की कमी उपचार की उच्च कमी का महत्वपूर्ण कारण हैं।

मानसिक विकार का प्रभाव

- मानसिक विकारों के कारण काम करने, अध्ययन करने या अन्य गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता कम हो सकती है। इससे आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं।
- मानसिक विकारों के उपचार, चिकित्सा और दवा की लागत काफी अधिक हो सकती है, जिससे व्यक्तियों और परिवारों पर वित्तीय दबाव पड़ सकता है।
- मानसिक विकार सामाजिक अलगाव का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इन विकारों से पीड़ित लोग सामाजिक गतिविधियों और सगे-संबंधियों से दूर हो सकते हैं। इससे अकेलापन, अवसाद और अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
- एक शोध से पता चला है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां आत्महत्या के बढ़ते जोखिम से जुड़ी होती हैं।

7. मणिपुर समस्या

वर्तमान संदर्भ

मणिपुर में कुकी-जोमी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और भीड़ द्वारा उनका यौन उत्पीड़न करने का भयावह वीडियो ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और इसकी वजह से संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों के लगातार स्थगन हुए, साथ ही साथ मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ा।

विवरण

- मणिपुर 3 महीने से यौन उत्पीड़न के साथ-साथ हिंसक झड़पों के बीच जल रहा है, जबकि लगभग 6500 एफआईआर दर्ज की गई हैं और मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है।
- गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की 10 साल पुरानी सिफारिश को आगे बढ़ाने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गईं।
- मैतेई समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनिशन मणिपुर (ATSUM) द्वारा बुलाए गए 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के दौरान आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच हिंसात्मक झड़पें हुईं।

मणिपुर राज्य

- यह राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके केंद्र में इम्फाल घाटी खेल का मैदान के रूप में है और आसपास की पहाड़ियां गैलरी के रूप में हैं। मणिपुर का लगभग 10 प्रतिशत भूभाग घाटी है, जिसमें गैर-आदिवासी मैतेई का वर्चस्व है, जिनकी संख्या राज्य की आबादी का 64 प्रतिशत से अधिक है और वे राज्य के 60 विधायकों में से 40 का चयन करते हैं।
- 90 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वाली पहाड़ियों में 35 प्रतिशत से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन विधानसभा में केवल 20 विधायक चुनती हैं।
- अधिकांश मैतेई हिंदू हैं और उसके बाद मुसलमानों की संख्या है। 33 मान्यता प्राप्त जनजातियों को मोटे तौर पर 'कुछेक नागा जनजाति' और 'कुछेक कुकी जनजाति' में वर्गीकृत किया गया है, जो बड़े पैमाने पर ईसाई समुदाय के हैं।

मैतेई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ क्यों हैं जनजातीय समूह ?

- जनजातीय समूहों का कहना है कि शैक्षणिक और अन्य पहलुओं के सिवाय अन्य क्षेत्रों जैसे जनसांख्यिकीय और राजनीतिक लाभ में मैतेई लोग आगे हैं।

- ✓ उनका मानना है कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से नौकरी के अवसर खत्म हो जाएंगे और उन्हें पहाड़ियों में जमीन हासिल करने और आदिवासियों को बाहर निकालने का मौका मिलेगा।
- ✓ मैतेई लोगों की भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई को एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस स्थिति से जुड़े लाभ प्राप्त हैं।

एसटी दर्जे के समर्थन में मैतेई का तर्क?

- मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति (STDCM) ने वर्ष 2012 में मैतेई लोगों के लिए एसटी दर्जे की मांग शुरू की।
- ✓ वर्ष 1949 में, मणिपुर को भारत संघ में विलय करने से पहले मैतेई को एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। इस समुदाय को 'संरक्षित' करने और मैतेई की 'पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने' के लिए एसटी का दर्जा आवश्यक है।
- ✓ मैतेई लोगों को बाहरी लोगों के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जरूरत है, क्योंकि समुदाय को पहाड़ियों से दूर रखा गया है, जबकि आदिवासी लोग 'सिकुड़ती' इफाल घाटी में जमीन खरीद सकते हैं।

संकट के पीछे क्या कारण हैं?

- भौगोलिक विभाजन : वर्ष 2011 में हुई आखिरी जनगणना के अनुसार, राज्य की 2.85 मिलियन आबादी में मैतेई की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत है, लेकिन कुकी और 33 अन्य जनजातियों के मुकाबले उनकी भूमि का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा है, जो आबादी का लगभग 30 प्रतिशत है और भौगोलिक दृष्टि से गरीब पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक फैले हुए हैं।
- ✓ मणिपुर में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ अचानक जनसंख्या वृद्धि देखी जा रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 17.64 प्रतिशत है और पहाड़ी क्षेत्रों में गांवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

- **जातीय तनाव :** कुकी ज्यादातर ईसाई हैं और मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं (मैतेई की थोड़ी संख्या ईसाई या मुस्लिम हैं), हिंसा धार्मिक विभाजन के बजाय जातीय आधार पर हुई है।
- **विद्रोह :** मैतेई ने लंबे समय से आरोप लगाया है कि कुकी मणिपुर के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा म्यांमार की नजदीकी पहाड़ियों से उन्हें राज्य में पुनर्स्थापित किया गया था।
- मणिपुर के **चुराचांदपुर जिले में** विद्रोही समूहों की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें **सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) के तहत 24 परिचालन समूह** हैं।
- **नशीली दवाओं की समस्या :** मैतेई का मानना है कि कुकी म्यांमार से संचालित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सहयोग से पोस्ता की खेती सहित अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल रहते हैं।
- मणिपुर में सरकार समर्थक समूहों का दावा है कि निहित स्वार्थों वाले कुछ आदिवासी समूह नशीली दवाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री के अभियान को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं।
- नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत पोस्ता के खेतों को नष्ट करने और इस सिद्धांत के साथ हुई कि अफ्रीम और भांग उगाने के लिए जंगलों और सरकारी ज़मीनों को साफ़ करने के पीछे म्यांमार के **अवैध निवासी** हैं।
- ✓ ये निवासी जातीय रूप से मणिपुर के **कुकी-ज़ोमी लोगों** से संबंधित हैं।

- कुकी समूहों ने दावा किया है कि सर्वेक्षण और बेदखली **अनुच्छेद 371सी** (जो मणिपुर के आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है) का उल्लंघन है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- केंद्र ने संविधान के **अनुच्छेद 355** को लागू किया, जो आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है। यह केंद्र को किसी राज्य को बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।
- सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के इरादे से इंटरनेट पर रोक लगा दी।

आगे की राह

- सरकार के सामने बड़ा काम मैतेई और कुकी समुदायों के बीच विश्वास पैदा करना है।
- म्यांमार से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक निगरानी लाया जाय।
- अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मानदंडों (किसी समुदाय को जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मानदंड) का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

स्व कार्य हेतु

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. 15^{वां} ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

वर्तमान संदर्भ

जोहान्सबर्ग में, ब्रिक्स (BRICS) के 15^{वें} शिखर सम्मेलन (22-24 अगस्त, 2023) में सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने (ब्रिक्स-प्लस) की बात कही गयी, जो लम्बे समय से सदस्य देशों के मध्य विचाराधीन रहा है।

विवरण

- यह पंद्रहवां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें पांच सदस्य देशों : ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों ने भाग लिया।
- दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने शिखर सम्मेलन में 67 देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया, जिनमें 53 अन्य अफ्रीकी देशों के साथ-साथ बांग्लादेश, बोलीविया, इंडोनेशिया और ईरान भी शामिल थे।
- ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में दक्षिण अफ्रीका ने 'ब्रिक्स और अफ्रीका : पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी' विषय पर ध्यान केंद्रित किया।

आकस्मिक संरक्षित व्यवस्था

- यह ब्राजील के फोर्टालेजा में गठित एक ढांचा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट के समय ब्रिक्स देशों को अतिरिक्त तरलता और अन्य माध्यमों से सहायता प्रदान करना है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक

- यह वर्ष 2014 में फोर्टालेजा, ब्राजील में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका गठन नवाचार एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तेजी से विकास के लिए ब्रिक्स तथा अन्य वंचित, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया गया था।

ब्रिक्स क्या है?

- ब्रिक्स (BRICS) दुनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देशों- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है।
- इसमें वैश्विक जनसंख्या का 41 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व शामिल है।

शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें

- ब्रिक्स नेताओं ने अगले साल से छह नए देशों - अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को इस समूह में शामिल करने की घोषणा की।
- इस सम्मेलन में वार्ताएं राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक समन्वय के कई पहलुओं पर केंद्रित रहीं, जिसमें सदस्य देशों ने व्यापार के अवसरों, आर्थिक समानताओं और सहयोग के क्षेत्रों को चिह्नित किया।
- इसने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक आम सहमति बनाने की उम्मीद के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिलने और वार्ता करने का अवसर प्रदान किया।
- ब्रिक्स के आकार का विस्तार आर्थिक विकास से परे एजेंडे के विस्तार का संकेत दे सकता है, क्योंकि सभी संबंधित सदस्यों का एक मत है कि वैश्विक स्तर पर सबको समानता मिले। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर अमीर पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के कारण इसकी कमी है।
- मौजूदा विश्व व्यवस्था के प्रति व्यापक असंतोष के बीच, ब्रिक्स देशों (वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के समूह को 'ग्लोबल साउथ' का मुख्य चैंपियन बनाने की प्रतिज्ञा को प्रतिध्वनि मिली है।

चुनौतियां

- विस्तारित ब्रिक्स-11- एक **कम सुसंगत समूह** है, कुछ संकट से गुजर रहे हैं जबकि अन्य फल-फूल रहे हैं। इससे विषमता की समस्या पैदा होती है जिससे सावधानीपूर्वक निपटने की जरूरत है।
- ब्रिक्स में शामिल होने के आकांक्षी देशों (अर्जेंटीना और मिस्र) कुख्यात 'कॉफी क्लब' के सदस्य भी हैं, जो चीन का समर्थन से **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** में भारत की सदस्यता का विरोध करते हैं, जिससे भारत के सम्मुख मुश्किल विदेश नीति विकल्प प्रस्तुत होते हैं।
- चीन वर्ष 2017 से ब्रिक्स प्लस ढांचे का गठन करने के लिए अन्य देशों को शामिल करके समूह का विस्तार करने और **ब्रिक्स को चीन-केंद्रित समूह में बदलने के लिए प्रेरित करने, नए सदस्यों को अपने बेल्ट एंड रोड पहल के तहत ऋण देकर फंसाने की कोशिश कर रहा है।**
- ब्रिक्स एक अपेक्षाकृत युवा समूह है;** बहुध्रुवीय दुनिया और सत्ता के वैश्विक संस्थाओं के पुनर्गठन के बारे में **इसके सदस्यों के आकार, दृष्टिकोण और धारणाओं में व्यापक असमानताएं हैं।** समूह को बहुत बड़ा बनाने से **निर्णय लेना अधिक जटिल और समय लेने वाला हो जाएगा।**

सुझाव

- ब्रिक्स को चीन से केंद्रीयता हटाने और बेहतर आंतरिक संतुलन बनाने की जरूरत है, जो विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता से ओतप्रोत हो।
- ब्रिक्स देशों को सार्वभौमिक सुरक्षा का निर्माता बनना चाहिए। दूसरों के व्यय पर अपनी सुरक्षा की तलाश केवल नए तनाव और जोखिम पैदा करेगी।
- वि-वैश्वीकरण की बढ़ती लहर और एकतरफा प्रतिबंधों में वृद्धि का सामना करते हुए, ब्रिक्स देशों को **आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा, खाद्य और वित्तीय लचीलेपन** में पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग बढ़ाना चाहिए।
- ब्रिक्स को एक वैश्विक शासन दर्शन को अपनाना चाहिए जो व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान एवं साझा लाभ, उभरते बाजारों और विकासशील देशों के साथ एकता तथा सहयोग बढ़ाने और वैश्विक शासन में आवाज बढ़ाने पर जोर देता है।

2. अमेरिका-ईरान संबंध

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वर्तमान में चल रही समझौता वार्ता के अनुसार पाँच ईरानी-अमेरिकियों की सजा को कारावास से घटाकर नजरबंदी में परिवर्तित कर दिया गया है। इस कदम के बाद, ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के कारण दक्षिण कोरिया में जब्त किए गए (frozen) उसके 6-7 बिलियन डॉलर मिल जायेंगे।

विवरण

- अमेरिका ने इस कदम को एक 'सकारात्मक कदम' माना है, लेकिन उसने इस पर अधिक जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है।
- ईरान के स्वामित्व वाले धन को केवल कुछ प्रतिबंधित खातों में इस शर्त के तहत स्थानांतरित किया जाएगा कि इसका उपयोग केवल मानवीय कार्यों के लिए किया जा सकता है।
- हालाँकि आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि इस घटनाक्रम से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों से कोई राहत नहीं मिलेगी।
- दूसरी ओर, ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरासत में लिए गए ईरानियों की रिहाई के साथ-साथ जारी किए गए फंड और परिसंपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी पूर्ण नियंत्रण का प्रयास कर रहा है।

अमेरिका-ईरान संबंधों का इतिहास

- ईरान में पश्चिमी देशों की समर्थक राजशाही को उखाड़ फेंकने और पश्चिम विरोधी धर्मतंत्र की स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए।
- वर्ष 2015 में एक पहल प्रस्तावित की गई थी, जिसमें ईरान, P5+1 राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त व्यापक कार्ययोजना पर एक समझौता किया। इसके अनुसार, ईरान अपने अराक (Arak)-आधारित परमाणु रिएक्टर को नष्ट करने और इसे फिर से डिजाइन करने तथा कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने आदि पर सहमत हुआ।
- हालाँकि, 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) से बाहर कर लिया और ईरान पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। इसकी प्रतिक्रिया में, ईरान द्वारा अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया, जिससे संबंध और खराब हो गए।

वर्तमान समझौता

- पिछले कुछ महीनों से चल रही समझौता वार्ता चर्चा में है। मार्च, 2023 में ईरानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कैदियों की अदला-बदली के ऐसे समझौते के संबंध में एक बयान दिया।
- हालाँकि, दोनों देशों के बीच इस तरह की वार्ता की खबर को आखिरकार ओमान के विदेश मंत्री से पुष्टि मिल गई।
- कतर की भूमिका : अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक ईरान का रुका हुआ फंड (frozen fund) सबसे पहले कतर के सेंट्रल बैंक को भेजा जाएगा। कतर यह सुनिश्चित करने के लिए खाते को विनियमित करेगा कि इस फंड का उपयोग केवल मानवीय सहायता के लिए किया जा सके।

दोनों पक्षों के लिए लाभ

- ईरान का हित
 - ✓ अवरोद्ध फंड या रुके हुए फंड (frozen fund) को जारी करने से ईरान को अपने सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं का प्रबंधन और समाधान करने में मदद मिलेगी।
 - ✓ हालाँकि अनौपचारिक रूप से इस समझौते के माध्यम से ईरान प्रतिबंधों में ढील देने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनयिक जुड़ाव की कोशिश कर रहा है।
 - ✓ यह समझौता संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) के मुद्दे को सुलझाने और इसे फिर से शुरू करने की दिशा में आगे का रास्ता हो सकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का हित :
 - ✓ हाल के दिनों में, यूरेनियम संवर्धन और रूस को ड्रोन और अन्य हथियारों की आपूर्ति जैसे कृत्यों के कारण ईरान को अमेरिका द्वारा शत्रुता का स्रोत माना गया है।
 - ✓ इस समझौते के माध्यम से, अमेरिका ईरान के साथ अपने

विवादों को सुलझाने का मार्ग तलाश सकता है, जिससे पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में अपने रूसी सहयोगी के प्रति उसकी शत्रुता को कम किया जा सके।

• भारत का फायदा :

- ✓ संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच स्थिर संबंधों से भारत को लाभ होगा, क्योंकि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के जोखिम के बिना ईरान के साथ व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतों में विविधता आएगी।
- ✓ भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
- ✓ इनके बीच के तनाव का समाधान होने से, भारत को किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों के जोखिम के बिना चाबहार बंदरगाह पर विकासात्मक कार्य करने की अनुमति मिलेगी।
- ✓ चाबहार बंदरगाह पर भारत द्वारा विकास से अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यहाँ तक कि यूरोप के साथ इसकी आपूर्ति सम्पर्क और वस्तुओं का व्यापार सुनिश्चित होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North-South Transit Corridor) जैस सम्पर्क पहल क्रियाशील हो जाएगा।
- ✓ इससे भारत को अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह, जो चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्स' (string of pearls) का एक हिस्सा है का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक सैन्य लाभ भी मिलेगा।

निष्कर्ष

- संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच यह अनौपचारिक समझौता दोनों देशों के बीच औपचारिक संपर्क का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है। ऐसे में, भारत को इस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए।

3. द्विपक्षीय अभ्यास 'जायद तलवार'

वर्तमान संदर्भ

दो भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम (INS Visakhapatnam) और आईएनएस त्रिकंद (INS Trikand) यूएई नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसेना समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए 8 अगस्त, 2023 को दुबई के पोर्ट रशीद पहुँचे।

इस अभ्यास की मुख्य विशेषताएँ

- द्विपक्षीय अभ्यास 'जायद तलवार' को दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता और तालमेल बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था।
- रियर एडमिरल मैककार्टी ने अबू धाबी नौसेना कमान में संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के उप कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल्ला फर्ज अल महैरबी से मुलाकात की और समुद्री डकैती, तस्करी, मानव तस्करी की आम चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर सहमति हुई।
- दोनों बेड़ों के मध्य समन्वय में सुधार हेतु अभ्यास के एक भाग के रूप में, जहाजों को सामरिक युद्धाभ्यास, क्षितिज पर लक्ष्यीकरण, खोज और बचाव के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास में संलग्न करने की योजना बनाई गई।

भारतीय नौसेना के जहाज

- INS विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना के सबसे बड़े परिचालन विध्वंसकों में से एक है और यह मझगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पूरी तरह से स्वदेशी युद्धपोत है।
- INS त्रिकंद 2013 में अधिकृत किया गया एक उन्नत गुप्त युद्धपोत (stealth frigate) है। यह पोत एक आधुनिक युद्धपोत है जिसमें इसे स्थिर, गुप्त, तेज और दुर्जेय बनाने के लिए इसके डिजाइन के सभी पहलू में नवीन तकनीक शामिल की गई है।

जायद तलवार का प्रथम आयोजन

- दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने हेतु, भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना के बीच का द्विपक्षीय अभ्यास,

जायद तलवार का प्रथम आयोजन मार्च, 2018 में आयोजित किया गया था।

- भारतीय नौसेना के जहाजों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में नियमित बंदरगाह कॉल किए हैं अतः जायद तलवार, 2023 अभ्यास दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अतिरिक्त प्रयास है।

भारत-यूएई राजनयिक संबंध

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, इसके पश्चात् संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 1972 में नई दिल्ली में अपना दूतावास बनाया, जबकि भारत ने वर्ष 1973 में अबू धाबी में अपना दूतावास स्थापित किया।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के पारंपरिक रूप से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को 17-16 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा से और मजबूती मिली। इसने दोनों देशों के मध्य एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत को इंगित किया।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य द्विपक्षीय रक्षा संपर्क में द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं के अनुरूप लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
- दोनों देशों के मध्य नियमित रूप से उच्च-स्तरीय और कार्यात्मक स्तर पर आदान-प्रदान होते रहे हैं।

आगे की राह

- भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास 'जायद तलवार' दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए अपने समुद्री सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

4. मालाबार अभ्यास

वर्तमान संदर्भ

भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के संयुक्त मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास के 31वां संस्करण का आयोजन 11-21 अगस्त तक सिडनी में किया जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस वर्ष इसकी मेजबानी करेगा।

विवरण

- भारत समुद्र-शक्ति सम्मेलन में भी भाग लेगा जिसकी मेजबानी इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया 9-7 नवंबर तक कर रहा है।
- यह अभ्यास एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्र में होगा, जो सिडनी से कुछ सौ मील की दूरी पर फैला हुआ है और इसमें एक बंदरगाह और समुद्री चरण होगा।

- मालाबार अभ्यास के बाद भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास (AUSINDEX) होगा।
- इसके अलावा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के पी8- समुद्री गश्ती विमान पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास में भाग लेंगे।

मालाबार अभ्यास

- मालाबार एक बहुपक्षीय युद्ध-नौसैनिक अभ्यास है जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था।
- अभ्यास के दो अन्य आयोजन वर्ष 1995 और वर्ष 1996 में आयोजित किए गए थे, जिसके बाद भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद वर्ष 2002 तक विराम लग गया।
- वर्ष 2002 के बाद से यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जाता रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वर्ष 2007 में इसमें भाग लिया था और वर्ष 2014 के बाद से भारत, अमेरिका और जापान हर साल इस अभ्यास में भाग लेते हैं।
- जापान वर्ष 2015 में स्थायी सदस्य के रूप में इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ और मालाबार एक त्रिपक्षीय अभ्यास बन गया।
- पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच वर्ष 2020 में मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।
- मालाबार का पिछला अभ्यास नवंबर 2022 में जापान की मेजबानी में पूर्वी चीन सागर के पास योकोसुका द्वीप पर आयोजित किया गया था।
- यह 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुए अभ्यास के 30 साल पूरे होने का भी प्रतीक है।

उद्देश्य

- मालाबार अभ्यास में नकली युद्ध क्रीड़ा और युद्धाभ्यास शामिल हैं।
- एक-दूसरे की परिचालन पद्धतियों की समझ और अनगिनत समुद्री चुनौतियों से निपटने में सहयोग करने की क्षमता बढ़ाना।
- संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का आकलन।
- इस क्षेत्र में सभी देशों की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता।
- नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में नौवहन की स्वतंत्रता का सम्मान करना और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना।
- मालाबार अभ्यास क्वाड सदस्यों के साझा मूल्यों और खुले, समावेशी हिंद-प्रशांत और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।

महत्व

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक स्तर की चार सर्वशक्तिशाली नौसेनाओं का समूह क्वाड द्वारा शक्ति प्रदर्शन ने चीन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है।
- इसने चारों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल, अंतरसंचालनीयता और समन्वय को बढ़ाया।
- यह अभ्यास, समुद्री समस्याओं पर भाग लेने वाले देशों के बीच विचारों की समानता और एक खुले, समावेशी हिंद-प्रशांत और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
- एएसडब्ल्यू प्रशिक्षण एक प्रमुख लक्षित क्षेत्र के रूप में उभरने के साथ मालाबार के आकार, दायरे और जटिलता में वृद्धि हुई है, खासकर चीनी नौसेना के तेजी से विस्तार और हिंद महासागर में इसके बढ़ते आक्रमण की पृष्ठभूमि में।
- यह अभ्यास भारत-एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के साझा खतरों को संबोधित करता है।
- मालाबार अभ्यास को क्वाड समूह (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत) का अभ्यास कहा जा सकता है।

चुनौतियां

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति और मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती पहुँच जापान और अमेरिका के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं।
- चीन की नीति हमेशा से वैश्विक विस्तारवादी नीति रही है। यह प्रत्येक क्षेत्रीय या वैश्विक रणनीतिक समूह को अपने विस्तार कार्यक्रम के लिए एक चुनौती के रूप में देखता है।
- बीजिंग 1.3 मिलियन वर्गमील दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना संप्रभु क्षेत्र होने का दावा करता है।
- चीन इन क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य अड्डे बना रहा है।
- हाल के वर्षों में चीन ने पड़ोसी देशों द्वारा मछली पकड़ने और खनिज अन्वेषण जैसी व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा (यह कहते हुए कि संसाधन समृद्ध समुद्री क्षेत्र का स्वामित्व सैकड़ों वर्षों से चीन का है) डाली है।
- क्वाड (QUAD) देशों में सर्वसम्मति का अभाव है, क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हर देश का अपना व्यक्तिगत हित है।
- क्वाड को भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगठित अपराध, हथियारों की तस्करी, सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) और संबंधित सामग्री की तस्करी की चुनौतियों से भी निपटना है।

आगे की राह

- पिछले कुछ वर्षों में पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण एक प्रमुख लक्षित क्षेत्र के रूप में उभरने के साथ इस अभ्यास के आकार, दायरे और जटिलता में वृद्धि हुई है, खासकर चीनी नौसेना के तेजी से विस्तार और हिंद महासागर में इसके बढ़ते आक्रमण की पृष्ठभूमि में।
- मालाबार अभ्यास, यदि इन देशों की नौसेनाएं क्वाड को अपडेट/अद्यतन करती हैं और समान विचारधारा वाले इन देशों के बीच सामरिक निवारण और एकजुटता के संदेश को दोहराएगा, जिससे

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रचलित अविश्वास, महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की जटिल गतिशीलता को देखते हुए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

- यदि भारत इसे अवसर के रूप में देखता है एवं **ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका** के सहयोग से क्वाड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह सहयोगी दृष्टिकोण, अधिक सुसंगतता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समस्या समाधान का एक विकल्प प्रदर्शित करेगा, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की जा सकती है।

5. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States-ECOWAS) ने नाइजर सैन्य तख्तापलट में हस्तक्षेप करने की अपनी योजना के संकेत दिए हैं।

विवरण

- **नाइजर संकट में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसी वैश्विक महाशक्तियों के साथ-साथ ECOWAS महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक रहा है।
- नाइजर के जुंटा सैन्य शासन द्वारा अपदस्थ राष्ट्रपति को बहाल करने के साथ-साथ बंद किए गए हवाई क्षेत्र को पुनःआरम्भ करने की 6 अगस्त की समय सीमा बीत जाने के बाद ECOWAS के सदस्य देशों के प्रमुख इस सन्दर्भ में निकट भविष्य में बैठक करेंगे।
- नाइजर में 26 जुलाई को एक सैन्य तख्तापलट हुआ, जब राष्ट्रपति **मोहम्मद बज्रौम** को अपदस्थ कर दिया गया और सैन्य जुंटा सरकार (military junta government) की स्थापना की गई।
- आशंका है कि ECOWAS नाइजर संकट में सैन्य शक्ति से भी हस्तक्षेप कर सकता है।

पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS)

- ECOWAS पश्चिमी अफ्रीका में एक क्षेत्रीय गुट है, जिसमें निम्नलिखित 15 सदस्य देश शामिल हैं: **बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, गिनी, कोटे डी आइवर (आइवरी कोस्ट), घाना, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, नाइजर, लाइबेरिया, माली, सिएरा लियोन, नाइजीरिया, सेनेगल और टोगो**।
- हालांकि, माली, गिनी और बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट के बाद ECOWAS ने इन तीन सदस्य देशों को निलंबित कर दिया और नई सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया।

- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ ECOWAS की स्थापना वर्ष 1975 में लागोस संधि के माध्यम से की गई थी। इसे फ्रांसिसी भाषा में CEDEAO के नाम से भी जाना जाता है।

ECOWAS के उद्देश्य

- **इसका उद्देश्य**- उद्योग, दूरसंचार, परिवहन, ऊर्जा, वित्तीय मामलों और सामाजिक-सांस्कृतिक मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक समान मुद्रा और एक व्यापारिक गुट का गठन करना है।

नाइजर में अब तक ECOWAS की भूमिका

- अपने उद्देश्यों के अनुरूप ECOWAS ने इस क्षेत्र में होने वाले सैन्य संघर्षों को हल करने और समाप्त करने का प्रयास किया है।
- ECOWAS ने वर्ष 1990 में गृह युद्ध के दौरान लाइबेरिया में भी अपनी शांति सेना तैनात की थी। इसी तरह वर्ष 1997 में, जब सिएरा लियोन में सैन्य तख्तापलट हुआ, तो इन शांति सेना को तैनात किया गया था।
- इसने गाम्बिया में भी हस्तक्षेप किया, जब वहां के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद भी पदत्याग नहीं कर रहे थे।
- इस उथल-पुथल को सुलझाने में ECOWAS की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मौजूदा तख्तापलट के नेता **जनरल त्चियानी (General Tchiani)** ने वर्ष 2003 में ECOWAS शांति सेना के लिए बटालियन कमांडर के रूप में भी काम किया है।

नाइजर संकट से निपटने में ECOWAS के समक्ष चुनौतियां

- माली और बुर्किना फासो की सैन्य जुंटा सरकारों ने अपना

आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजकर नाइजर में जुंटा सरकार को अपना समर्थन दिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, नाइजर पर कोई भी हमला उन पर हमला माना जाएगा।

- इसके परिणामस्वरूप ECOWAS के भीतर सैन्य-सरकार के नेतृत्व वाले देशों के एक विद्रोही समूह का विकास हुआ है, जिससे इसकी प्रभुता और अखंडता को चुनौती मिली है।
- इसके अलावा, समूह को हमले शुरू करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ECOWAS के अध्यक्ष नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने नाइजर में ECOWAS द्वारा सैन्य हस्तक्षेप का आह्वान किया है; हालांकि, नाइजीरियाई सीनेट इसमें देरी कर रही है।

भारत के लिए ECOWAS का महत्व

- ECOWAS, पश्चिमी अफ्रीका का एक क्षेत्रीय गुट होने के नाते भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत को वर्ष 2004 में, ECOWAS के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। भारत 'राजनीतिक जोखिम पट्टा' ('political risk coverage') जैसी ऋण सुविधाओं और नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र

में सहयोग के साथ इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है।

- ECOWAS भारत की UNSC (United Nations Security Council) में स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन कर रहा है।
- इसके अलावा, ECOWAS के साथ भारत का सहयोग ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में द्विपक्षीय सौदों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो भारत के ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है साथ ही अफ्रीकी बाजार उन वस्तुओं का गंतव्य हो सकता है।
- ECOWAS के साथ एक स्थिर संबंध भारत को दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का अवसर देकर वैश्विक दक्षिण सहयोग के अपने विचार को साकार करने में मदद कर सकता है, जिससे चीन के वैश्विक विस्तार का मुकाबला किया जा सके।

निष्कर्ष

- पश्चिम अफ्रीका में शांति और स्थिरता बनाए रखने में ECOWAS की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्षेत्र अभी गंभीर खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या से उबरा है और एक अस्थिर सैन्य जुंटा सरकार इसे फिर से अशांति में डाल सकती है।

6. भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधि

वर्तमान संदर्भ

भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधि (FTA) पर वार्ता संपन्न करने की दिशा में अग्रसर हैं और इसी उद्देश्य से प्रेरित दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार 7 अगस्त, 2023 से नई दिल्ली में 12वें दौर की वार्ता करेंगे।

विवरण

- एफटीए के 26 अध्यायों में से लगभग 19 बंद हो चुके हैं और शेष पर बातचीत चल रही है।
- हालांकि एक अलग समझौते, यानी द्विपक्षीय निवेश संधि के माध्यम से निवेश के संबंध में बातचीत की जा रही है, जिसे इस मुक्त व्यापार संधि पर बातचीत के साथ-साथ अंतिम रूप दिए जाने की भी संभावना है।

भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार परिदृश्य

- ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए भारत शीर्ष स्रोत बाजारों में से एक है। भारतीय कंपनियां ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में योगदान देकर नौकरियां पैदा कर रही हैं। ब्रिटेन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रेषण का सबसे बड़ा यूरोपीय स्रोत और भारत के लिए एफडीआई निवेश का छठा सबसे बड़ा स्रोत है।
- माल व्यापार की दृष्टि से भारत का सातवां सबसे बड़ा निर्यात भागीदार ब्रिटेन है और इस व्यापार में वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त

वर्ष 2020-21 तक 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है।

- सेवा व्यापार के मामले में भारत ब्रिटेन के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है क्योंकि यह ब्रिटेन का दसवां सबसे बड़ा सेवा व्यापार भागीदार है।

एफटीए क्या है?

- मुक्त व्यापार संधि (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता या संधि है, जिसका उद्देश्य व्यापार और EX-IM संबंधित बाधाओं को कम करना और पक्षों के बीच द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार को आसान बनाना है।
- एक मुक्त व्यापार नीति और समझौता अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद को या तो बहुत कम या बिना किसी सरकारी शुल्क, सब्सिडी, कोटा या प्रतिबंधों (जो उनके विनिमय को बाधित कर सकते हैं) के पूरा करता है।
- एफटीए में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs), सरकारी प्रतिस्पर्धा और खरीद नीति, निवेश आदि जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।

भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही एफटीए वार्ता

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए **मुक्त व्यापार संधि** पर बातचीत और चर्चा **जनवरी 2022 में शुरू हुई**। उन्नत रक्षा क्षमताओं के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार के लिए साझेदारी विकसित करने और नए और उभरते साइबर, समुद्री और आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- चूंकि महामारी के दौरान एफटीए चर्चा में आया था, इसलिए **एस्ट्रा जेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया** के बीच सहयोग का प्रस्ताव आया है।

अब तक की प्रगति

- अब तक इस तरह की वार्ताओं के **11 दौर पूरे हो चुके हैं**, जिसके परिणामस्वरूप FTA के 26 में से 19 अध्याय पर सहमति बनी। अब तक, 11^{वें} दौर की वार्ता तक दोनों देश **व्हिस्की और ऑटोमोबाइल शुल्क** जैसे विवाद के मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं।
- **बोतलबंद स्काॅच** के लिए, एफटीए में एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) को शामिल करने की संभावना है, जबकि आयातित बोतलबंद व्हिस्की (150 प्रतिशत से लगभग 100 प्रतिशत तक) और कास्क व्हिस्की (75 प्रतिशत तक) पर शुल्क कम किया जाएगा।
- चर्चा और समझौते में आगे उल्लेख किया गया कि **बोतलबंद स्काॅच** पर शुल्क को 10 वर्षों की अवधि में 50 प्रतिशत के लक्ष्य तक कम करने हेतु आगे और कम किया जाएगा।
- **वाणिज्य सचिव के अनुसार**, संबंधित एफटीए भारत के लिए अब तक का सबसे जटिल एफटीए समझौता होगा और यह भविष्य में आगामी एफटीए वार्ता के लिए एक मानक आदर्श के रूप में भी काम करेगा।

दोनों देशों की उम्मीदें

- भारतीय आईटी और स्वास्थ्य सेवा उद्योग ब्रिटिश बाजार में अपने कुशल पेशेवरों के लिए अधिक पहुंच की मांग कर रहे हैं।
- इसके अलावा, भारतीय उद्योग ब्रिटेन के बाजार में शून्य सीमा शुल्क पर कुछ वस्तुओं की पहुंच की मांग कर रहा है।
- जबकि ब्रिटेन **स्काॅच व्हिस्की, मेमने के मांस, ऑटोमोबाइल और कुछ मिष्ठान्न मदों** जैसे सामानों पर आयात शुल्क में महत्वपूर्ण कटौती की मांग कर रहा है।

भारत के लिए महत्व

- एफटीए से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का दायरा और बढ़ेगा। इससे भारत का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र समृद्ध होगा।
- यह भारत को दुनिया में चीनी बाजार के विकल्प के रूप में पेश करेगा।
- यदि अनुसंधान एवं विकास के संबंध में बातचीत सफल हो जाती है, तो भारतीय शोधकर्ताओं को आगे उन्नत प्रौद्योगिकी और संसाधनों तक पहुंच मिल जाएगी जो संबंधित क्षेत्र के विकास में मदद कर सकती है।
- अधिक औद्योगिक किस्तों और अधिक द्विपक्षीय व्यापार के परिणामस्वरूप ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी भी मजबूत होंगे जो भारत के लिए सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करेंगे।
- **इस मुक्त व्यापार संधि** की सफलता से यूरोपीय संघ के साथ भारत की एफटीए वार्ता को बढ़ावा मिल सकता है।
- यह एफटीए, अन्य एफटीए की तरह घरेलू लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की मदद कर सकता है, जिससे कि वे सरकारी सब्सिडी पर ज्यादा निर्भर हुए बिना अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे।

चुनौतियां

- क्लिनिकल दवाओं के बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में एक विवाद है जिस पर भारत का रुख समझौता योग्य नहीं है। यह रुख यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत में जीवन रक्षक दवाएं किफायती कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- भारत डेटा सुरक्षा और डेटा स्थानीयकरण के विचार से सहमत नहीं है क्योंकि इस विषय क्षेत्र को प्रबंधित करने के लिए भारत में कोई समर्पित डिजिटल नीति नहीं है।
- सरकारी खरीद एक और क्षेत्र है जहां असहमति बनी हुई है। भारत बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत की सार्वजनिक खरीद नीति छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) को समर्थन देने के लिए बनाई गई है, और इस संबंध में कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं है।

अन्य देशों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित इसी तरह की व्यापार संधियां

- भारत, अपनी व्यापार आवश्यकताओं में विविधता लाने और सबसे बड़े बाजारों में से एक के रूप में अपना दायरा बढ़ाने के लिए, दुनिया भर में अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों के साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी दिशा में ऐसे एफटीए पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

- भारत ने लगभग 54 अलग-अलग देशों के साथ बेहतर पहुंच, आर्थिक सहयोग के साथ-साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
- वर्ष 2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA (व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता) पर हस्ताक्षर किए जिसमें एफटीए भी शामिल है। यह भारत का 5^{वां} प्रमुख एफटीए था।
- उसी वर्ष भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किये।
- इसी तरह, भारत द्विपक्षीय व्यापार के दायरे को रक्षा से लेकर अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए इजराइल जैसे देशों के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहा है।
- वर्ष 2011 में भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के सदस्य देशों के साथ अलग-अलग एफटीए पर हस्ताक्षर किये।

निष्कर्ष

- चल रही एफटीए वार्ता संबंधित देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के दायरे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और भारत को आगामी वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

स्व कार्य हेतु



भूगोल

1. तूफान हिलेरी

वर्तमान संदर्भ

श्रेणी 1 तूफान हिलेरी ने 20 अगस्त, 2023 को अमेरिकी राज्य कैलिफ़ोर्निया से टकराने की वजह से प्रशांत तट पर भयंकर हवाएं चलीं और बाढ़ आ गयी।

विवरण

- तूफान हिलेरी अब उत्तर नेवादा की ओर बढ़ रहा है, इस तूफान से डेथ वैली नेशनल पार्क में रिकॉर्ड बारिश होने और अचानक बाढ़ आने के अनुमानों के साथ यह दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के ऊपर से गुजर गया है।
- यह मेक्सिको से सीमा पार चला गया, जहां बाजा कैलिफ़ोर्निया प्रायद्वीप में 70 मील प्रति घंटे (119 किमी/घंटा) की रफ्तार से हवाएं चलीं। पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुसार हिलेरी 84 वर्षों में दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय तूफान था, जो आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, तेज़ हवाओं, बिजली कटौती और छिट-पुट बवंडर की संभावना लेकर आया।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इसका नाम

- **टाइफून** : चीन सागर और प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून के रूप में जाना जाता है।
- **तूफान (Hurricanes)** : कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडीज द्वीपों में।
- **विली-विलीज़** : उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में।
- **उष्णकटिबंधीय चक्रवात** : हिंद महासागर क्षेत्र में।

तूफान क्या होता है ?

- तूफान उष्णकटिबंधीय तूफान हैं, जो अटलांटिक महासागर में कम से कम 119 किलोमीटर (74 मील) प्रति घंटे की हवा की गति के साथ बनते हैं।
- कोई भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान एक ऊष्मा इंजन की तरह होता है, जो महासागरों और समुद्रों के ऊपर चलने के बाद हवा द्वारा एकत्रित नमी के संघनन के कारण गुप्त ऊष्मा के निकलने से सक्रिय होता है। ये तूफान समुद्र की सतह से पानी के वाष्पीकरण के

माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो अंततः बादलों में फिर से संघनित हो जाता है और जब नम हवा ऊपर उठते हुए संतृप्ति तक ठंडी हो जाती है, तब बारिश होती है।

- तूफान के निम्न **तीन मुख्य भाग** होते हैं :

1. केंद्र में स्थित शांत नेत्र (calm eye)
2. आईवॉल/नेत्र भित्ति (जहां हवाएं और बारिश सबसे तेज़ होती हैं)
3. वर्षाबैंड (जो केंद्र से बाहर निकलते हैं और तूफान को आकार देते हैं)

तूफान की श्रेणियां

- मौसम विज्ञानी तूफानों को **एक से पांच तक श्रेणियों** में वर्गीकृत करने के लिए सैफिर-सिम्पसन तूफान पवन पैमाने का उपयोग करते हैं।
- श्रेणी **तीन से पांच** बड़े तूफान माने जाते हैं।
- श्रेणी **पांच के तूफान** में हवा की गति 252 किलोमीटर (157 मील) प्रति घंटे से अधिक होती है।
- तटीय क्षेत्र अक्सर विनाशकारी हवाओं, बारिश और तूफानी लहरों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि तूफान जमीन से टकराता है या रगड़ाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव की स्थितियां

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सटीक तंत्र के बारे में वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हैं। हालांकि, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए कुछ प्रारंभिक स्थितियां निम्न हैं :

- I. **गर्म और नम हवा की बड़ी और निरंतर आपूर्ति** जो व्यापक गुप्त उष्मा प्रदान कर सकती है।
- II. **मजबूत कोरिओलिस बल** जो केंद्र में निम्न दबाव को भरने से रोक सकता है (भूमध्य रेखा के पास कोरिओलिस बल की अनुपस्थिति 0°-5° अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गठन को रोकती है)।
- III. **क्षोभमंडल के माध्यम से अस्थिर परिस्थिति** जो स्थानीय विक्षोभ पैदा

करती है, जिसके चारों ओर एक चक्रवात विकसित होता है।

- IV. मजबूत ऊर्ध्वाधर पवन पच्चर (wind wedge) की अनुपस्थिति, जो गुप्त उष्मा की ऊर्ध्वाधर गति को परेशान करती है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात का पूर्वानुमान

- यह पूर्वानुमान लगाने का विज्ञान है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र और उसका प्रभाव भविष्य में किसी बिंदु पर कहाँ होने की संभावना है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वानुमान के कई तत्व हैं: **पथ पूर्वानुमान, तीव्रता पूर्वानुमान, वर्षा पूर्वानुमान, लहरों में वृद्धि, बवंडर और मौसमी पूर्वानुमान**।
- जमीन से दूर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, आमतौर पर आधे घंटे (30 मिनट) से पौने घंटे (45 मिनट) के अंतराल पर **मौसम उपग्रहों** द्वारा अंतरिक्ष से दृश्यमान और अवरक्त चित्रों को कैप्चर करके पता लगाया जाता है।
- जैसे ही कोई तूफान जमीन के पास आता है, इसकी निगरानी जमीन-आधारित **डॉप्लर मौसम रडार** द्वारा की जा सकती है।
- रडार प्रत्येक कुछ मिनटों में तूफान का स्थान और तीव्रता प्रदर्शित करते हुए स्थलावतरण के आसपास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानिक-लौकिक वितरण

इसके प्रायद्वीपीय आकार के कारण, **पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा होने के कारण**, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी इन दो महत्वपूर्ण स्थानों पर उत्पन्न होते हैं।

- हालांकि अधिकांश चक्रवात मानसून के मौसम के दौरान 10° – 15° उत्तरी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी के मामले में, चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान विकसित होते हैं।
- इनकी उत्पत्ति 16° – 2° उत्तरी अक्षांशों के बीच और 92° पूर्व के पश्चिम में होती है। जुलाई तक इन तूफानों की उत्पत्ति का स्थान लगभग 18° उत्तरी अक्षांश और सुंदरबन डेल्टा के पास 90° पूर्व के पश्चिम में स्थानांतरित हो जाता है।

भारत में कुछ महत्वपूर्ण चक्रवातों की सूची

- 1970 - भोला चक्रवात
- 1999 - ओडिशा चक्रवात
- 2014 - हुदहुद चक्रवात
- 2018 - गाजा चक्रवात
- 2019 - फणी चक्रवात

चक्रवात की तैयारी के लिए सरकारी पहल

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन

- **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP)** एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रमुख कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित घटकों के साथ दो चरणों में 8 चक्रवात संभावित तटीय राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है:
 - ✓ **घटक ए**: प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली (EWDS)
 - ✓ **घटक बी**: चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (CRMI)
 - ✓ **घटक सी**: आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता
 - ✓ **घटक डी**: परियोजना प्रबंधन और निगरानी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन वर्ष 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005 के डीएम अधिनियम) के तहत किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसका काम देश में आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना है।
- चक्रवातों के प्रभावों को कम करने के लिए **संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक** उपायों को लागू करने के उद्देश्य से भारत द्वारा 'राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन' कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य जोखिम वाले **स्थानीय समुदायों को चक्रवातों और अन्य मौसम संबंधी आपदाओं के परिणामों से बचाना** है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना के बाद, परियोजना का प्रशासन सितंबर 2006 में एनडीएमए को सौंप दिया गया था।

एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM)

- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन का उद्देश्य तटीय समुदायों के कल्याण में वृद्धि और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना है।
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन रणनीति में तटीय क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और तरीकों की पहचान भी शामिल है।
- मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण इसमें शामिल पहलुओं में से एक है।
- परियोजना के राष्ट्रव्यापी खंड में देश की तटरेखा का चित्रण और जोखिम रेखा की स्थापना शामिल है।

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)

- समुद्र, खाड़ियां, संकरी खाड़ियां (क्रीक), नदियां और अप्रवाही जल सहित तटों के किनारे के क्षेत्र, जो उच्च ज्वार रेखा (HTL) से 500 मीटर की सीमा के भीतर ज्वारीय प्रभाव का अनुभव करते हैं, साथ ही निम्न ज्वार रेखा (LTL) और उच्च ज्वार रेखा के बीच स्थित भूमि को वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के रूप में नामित किया गया था।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संचालित क्षेत्र को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किए गए हैं।

चक्रवातों की रंग कोडिंग

- चक्रवातों के संबंध में चेतावनी और जानकारी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की अपनी रंग कोडिंग प्रणाली है।
- स्थिति की तीव्रता और उससे जुड़ी चेतावनी को दर्शाने के लिए

विभाग द्वारा रंग कोड का उपयोग किया जाता है।

- **भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चार रंग हरा, पीला, नारंगी और लाल हैं।**
- **हरा** : हरा रंग यह दर्शाता है कि सब कुछ सुचारू और अच्छा है अर्थात 'सब ठीक है' और कोई प्रतिकूल मौसम की स्थिति नहीं है।
- **पीला** : पीला रंग कोड गाड़ों को दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करने की चेतावनी के साथ कई दिनों तक चलने वाले खराब मौसम से निपटने के लिए 'अद्यतन/अपडेट रहने' के लिए कहता है।
- **नारंगी** : नारंगी रंग का कोड अलर्ट गंभीर क्षति, संचार व्यवधान, बिजली कटौती, सड़क एवं रेलवे अवरोध और निकासी की चेतावनी देता है, लोगों से बुनियादी जरूरतों को तैयार करने का आग्रह करता है।
- **लाल** : लाल चेतावनी अधिकारियों को गंभीर मौसम की स्थिति में कार्रवाई करने का संकेत देती है- जीवन के लिए खतरा स्थिति को संभालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया टीमों की आवश्यकता होती है।

2. डेन्यूब चैनल

वर्तमान संदर्भ

रूस ने ड्रोन हमलों के जरिए डेन्यूब नदी चैनल के किनारे बंदरगाहों और अनाज भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया।

विवरण

- रूस द्वारा संयुक्त राष्ट्र काला सागर अनाज पहल (UN Black Sea Grain Initiative) से बाहर निकलने के बाद, यूक्रेन द्वारा अपने अनाज निर्यात के लिए डेन्यूब डेल्टा को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग किया गया।
- रूस द्वारा ड्रोन हमलें के परिणामस्वरूप काला सागर में ओडेसा, पिवडेनी और चोर्नोमोर्स्क जैसे यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज ले जाने वाले मालवाहक जहाजों का मार्ग अवरुद्ध हो गया।

डेन्यूब नदी चैनल

- डेन्यूब नदी को यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है और यह सामानों के आयात-निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- डेन्यूब नदी 10 देशों- जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से होकर गुजरती है।



- **डेन्यूब की सहायक नदियां** : डेन्यूब नदी समुद्र (एक रोमानियाई शहर तुलसिया के पास) से लगभग 80 किलोमीटर दूर अपना डेल्टा बनाती है और तीन प्रमुख सहायक नदियों या चैनलों (चिलिया, सुलिना और सेंट जॉर्ज) में फैल जाती है।

- इनमें से 63 किमी लंबा सुलिना नदी चैनल यूक्रेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकमात्र चैनल है जिसे खोदकर सीधा किया गया है और इस प्रकार इसमें माल दुलाई के लिए पर्याप्त चौड़ाई है।

सुलिना नदी चैनल

- सुलिना नदी पूरी तरह से रोमानिया की सीमा के भीतर स्थित है और नदी पर बने यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है।
- इन विशेषताओं के कारण, इसे एक नदी 'एक्सप्रेसवे' माना जाता है, जो आन्तरिक भाग से काला सागर तक माल की दुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इजमेल और रेनी जैसे यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज ढोने वाले जहाज चिलिया चैनल के माध्यम से सुलिना चैनल के मुहाने पर स्थित सुलिना बंदरगाह की ओर यात्रा करते हैं।



- उसके बाद ये जहाज रोमानिया के सबसे बड़े बंदरगाह कॉन्स्टेंटा की ओर रूख करते हैं, जहां माल को बड़े जहाजों में रखा जाता है। यहां से अनाज को काला सागर से बोस्फोरस जलसन्धि के माध्यम से भूमध्य सागर में ले जाया जाता है। वर्तमान में इस रूट पर नाटो लगातार नजर बनाए हुए है।

यूक्रेन के लिए इस वैकल्पिक चैनल का महत्व

- यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में से एक है और इस

प्रकार इसकी अर्थव्यवस्था कृषि निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है, जो संयुक्त राष्ट्र काला सागर अनाज पहल पर गतिरोध के बाद रुका हुआ है।

- **संयुक्त राष्ट्र काला सागर अनाज पहल से रूस का बाहर आना**
 - ✓ संयुक्त राष्ट्र काला सागर अनाज पहल ने काला सागर से शेष विश्व तक यूक्रेनी खाद्यान्न के लिए सुरक्षित मार्ग की अनुमति दी, जिससे संकट के दौरान भी खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली।
 - ✓ यूक्रेनी सेना द्वारा केर्च ब्रिज पर कथित हमले के बाद रूस ने खुद को इस पहल से अलग कर लिया।

यूक्रेन के समक्ष चुनौतियां

- **काला सागर अनाज पहल के गतिरोध के साथ, काला सागर में यूक्रेनी बंदरगाहों से होकर जाने वाला मार्ग बाधित हो गया है, जिससे इसे चिलिया चैनल में बंदरगाहों की ओर स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा है।**
- रेल मार्ग और काला सागर बंदरगाहों पर इसकी उच्च निर्भरता के कारण यूक्रेन द्वारा अनाज निर्यात के उद्देश्य से डेन्यूब चैनलों का अब तक उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए, **डेन्यूब पर बंदरगाहों की क्षमता काफी सीमित है।**
- डेन्यूब में अनाज भंडारों पर रूस के हाल के हमले को देखने के बाद, **भविष्य में हमलों की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।**
- रोमानिया ने यूक्रेन को वैश्विक स्तर पर अनाज की आपूर्ति के लिए अपने निर्यात को रेल नेटवर्क के माध्यम से दुलाई करने और फिर रोमानियाई बंदरगाहों का उपयोग करने की पेशकश की है। हालांकि, इससे यूक्रेन के लिए निर्यात की लागत और बढ़ जाएगी।
- **अन्य प्रभाव**
 - ✓ **काला सागर अनाज पहल के विघटन के साथ, भोजन की कमी से पीड़ित अफ्रीकी देशों को अनाज की आपूर्ति में पहले से ही देरी हो रही है जो वर्तमान स्थिति के कारण और भी खराब हो सकती है।**
 - ✓ यूक्रेनी निर्यात की बढ़ती लागत के साथ इन खाद्यान्नों की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिसके परिणामस्वरूप **खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी।**

निष्कर्ष

- दुनिया ने हाल ही में महामारी और रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण खाद्य संकट और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति देखी है। इस प्रकार, यह सभी हितधारकों का कर्तव्य बन जाता है कि वे एक व्यवहार्य रास्ता खोजें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुनिया को खाद्य असुरक्षा और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या का सामना न करना पड़े।

3. प्रोजेक्ट देविका

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन और परियोजना देविका के विकास की समीक्षा की।

विवरण

- इस परियोजना को उत्तर भारत की पहली **नदी पुनर्जीवन परियोजना** माना जाता है, जिसे पवित्र नदी 'देविका' की पवित्रता की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
- इस परियोजना को लगभग 190 करोड़ रुपये की लागत से 'नमामि गंगे' परियोजना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।

देविका नदी

- देविका नदी का उद्गम **जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले, पहाड़ी सुद्ध महादेव मंदिर के निकट** से होता है। पाकिस्तान की ओर बहते हुए यह रावी नदी में मिल जाती है।
- गंगा की बहन कहलाने के कारण इस नदी का अपना धार्मिक महत्व है।
- **सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organization-BRO)** द्वारा इस नदी पर **देविका पुल** का निर्माण किया गया है, जो क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों तक सैन्य काफिले के सुगम मार्ग में मदद करता है।
- इस तरह के सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ, नदी का **आर्थिक महत्व भी है**, क्योंकि त्योहारों के दौरान यह **स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार** के अवसर उपलब्ध कराती है।
- हालांकि, यह नदी विभिन्न समस्याओं जैसे **नगरपालिका अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, अशोधित सीवेज जल** और इन जल निकायों में सीधे छोड़े जाने वाले कचरे के निपटान के कारण **पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विनाश** की समस्या का सामना कर रही है।

प्रोजेक्ट देविका क्या है?

- नदी में अनुपचारित सीवेज जल निपटान की समस्या का समाधान करने के लिए पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River Conservation Plan-NRCP)** के तहत वर्ष 2019 में इस परियोजना पर काम शुरू किया गया था, जिससे कि एक पवित्र नदी के रूप में इसकी पवित्रता की रक्षा की जा सके।
- **इस परियोजना के दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार**, नदी तटों पर स्नान घाटों को विकसित किया जाएगा और नदी मार्ग के

पास के अतिक्रमण को हटाया जाएगा।

- इसके तहत नदी जलग्रहण क्षेत्रों के साथ-साथ प्राकृतिक जल निकायों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा।
- इस परियोजना के अंतर्गत पाइप और मैनहोल के नेटवर्क के साथ एक **तरल अपशिष्ट प्रबंधन** परियोजना विकसित की जा रही है जो शहरी पर्यावरण इंजीनियरिंग कार्यक्रम (UEEP) के माध्यम से सभी घरों को जोड़ेगी। इसके लिए केंद्र और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा 90:10 के अनुपात में धन आवंटित किया जाएगा।
- इस महत्वाकांक्षी देविका कायाकल्प के तहत **लगभग 129 किमी के व्यापक सीवेज नेटवर्क** के साथ तीन सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण के साथ-साथ एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना भी विकसित की जाएगी।
- इस परियोजना का लक्ष्य दो **शमशान घाट, लघु जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाएं** और तीन सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करना भी है।

परियोजना का महत्व

- सीवेज उपचार संयंत्रों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के विकास से ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के साथ-साथ नदी में जल प्रदूषण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाएगा।
- चूंकि नदी, रोजगार सृजन क्षेत्र भी है, इसलिए इसकी सफाई से क्षेत्र में अधिक पर्यटकों का आगमन सुनिश्चित होगा, जिससे राज्य में पर्यटन और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी।
- एक स्वच्छ नदी आस-पास के क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है। यह परियोजना यह भी सुनिश्चित करेगा कि नदी पारिस्थितिकी तंत्र फलता-फूलता रहे, जिससे जैव विविधता की रक्षा और पोषण हो सके।
- नदी का सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक पवित्रता भी कायम रहेगी।

चुनौतियां

- अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों, जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाओं आदि जैसी परियोजनाओं की स्थापना के परिणामस्वरूप नदी के पास रहने वाले मूल निवासियों का विस्थापन होगा। ऐसे में उनका समुचित पुनर्वास एक बड़ी चुनौती बन जाएगी।

- चूँकि संबंधित क्षेत्र **शिवालिक पर्वतमाला में स्थित** है, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं का निर्माण मुश्किल हो सकता है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हो सकता है।
- ऐसी परियोजनाओं के विकास से क्षेत्र की जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

- इस परियोजना को लागू करते समय, आधिकारिक सर्वेक्षणों और

सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से समय-समय पर इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जाना चाहिए।

- परियोजना से विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
- परियोजनाओं की दीर्घकालिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आपदा लोच निर्माण (Disaster resilience construction) किया जाना चाहिए।

4. वर्षा का स्वरूप

वर्तमान संदर्भ

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जून से सितंबर तक (JJAS) दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान विगत 30 वर्षों (1989-2018) के आईएमडी के अवलोकन डेटा के आधार पर राज्य और जिला स्तर पर **29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** की मानसून वर्षा परिवर्तनशीलता और परिवर्तनों का विश्लेषण किया और 30 मार्च, 2020 को एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में चालू वर्ष की मानसूनी परिवर्तनशीलता को महत्वपूर्ण पाया गया है।

विवरण

- **भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार**, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले 30 साल की अवधि में दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा में कमी देखी गई है।
- यदि जिलेवार आंकड़ों पर विचार किया जाए तो सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान के दक्षिणी भाग, उत्तरी तमिलनाडु आदि जिलों में दक्षिण-पश्चिम मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी देखी गई।

निहितार्थ और प्रभाव

- वर्षा के परिवर्तित स्वरूप की समस्या दुनिया भर में देखी जाती है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। वर्षा के स्वरूप में बदलाव के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- वैश्विक शोधकर्ताओं का दावा है कि प्राकृतिक वर्षा स्वरूप वनस्पति विकास के लिए अच्छा है, जबकि उतार-चढ़ाव वाले वर्षा स्वरूप के परिणामस्वरूप मिट्टी की उपसतह परत में पानी की मात्रा कम हो सकती है। इसके अलावा, वर्षा के बदले हुए स्वरूप से खरपतवारों की असामान्य वृद्धि भी हो सकती है जो फसल उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।
- भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था अधिकतर वर्षा पर निर्भर है और इस प्रकार परिवर्तनीय वर्षा के परिणामस्वरूप फसलें जल्दी पक सकती हैं जो अत्यधिक नमी एवं फंगस तथा बैक्टीरिया के हमले के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में असामान्य और बेमौसम बारिश ने गेहूँ के उत्पादन को प्रभावित किया है।
- भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ सकती हैं जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों और बिहार जैसे राज्यों में हर साल बाढ़ की घटनाएं देखी जा सकती हैं। साथ ही भारत के कई राज्यों को सूखे जैसे हालात का भी सामना करना पड़ता है।
- इसके परिणामस्वरूप 'विरोधाभास' की स्थिति पैदा होती है, जहां देश का एक हिस्सा पानी की कमी और सूखे से पीड़ित है, जबकि

वर्षा स्वरूप में बदलाव की वजह

- दक्षिण-पश्चिम मानसून के इस बदले हुए स्वरूप का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन है।
- **यूनेस्को द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार** जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह का तापमान बदल रहा है। समुद्र की सतह के तापमान में इस बदलाव के कारण, थर्मोहेलिन परिसंचरण बाधित हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक हवा के दिशा में परिवर्तन हुआ। वैश्विक हवा परिवर्तन के कारण वर्षा के स्वरूप में भी बदलाव हो रहा है।
- इसके अलावा, यह परिवर्तित वर्षा स्वरूप धरातली वनस्पति पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के कारण भी उत्पन्न होता है।
- हाल ही में प्रकाशित आईपीसीसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बदले हुए मानसूनी वर्षा के स्वरूप में अधिक परिवर्तन होने वाला है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है।

- दूसरा हिस्सा अत्यधिक वर्षा और बाढ़ जैसी स्थितियों से पीड़ित है।
- दूसरा बड़ा प्रभाव शहरी क्षेत्रों में शहरी बाढ़ के रूप में देखा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत के महानगरों को दक्षिण-पश्चिमी मानसून शुरू होने के साथ ही शहरी बाढ़ का लगातार खतरा बना रहता है और शहरी बाढ़ की नियमित घटनाएं भी देखी जाती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला है।
- बाढ़ के बाद जल-जनित बीमारियों के फैलने जैसी अन्य अतिरिक्त समस्याएं भी अतिरिक्त स्वास्थ्य जोखिम के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपनाए गए उपाय और पहल

चूंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग मानसूनी वर्षा स्वरूप पर डेटा जारी कर रहा है और परिवर्तनशीलता की भविष्यवाणी कर रहा है, इसलिए बदले हुए वर्षा स्वरूप से जुड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उसने कुछ उपाय अपनाए हैं जिनका उल्लेख यहां किया गया है।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग विभिन्न स्तरों पर एक निम्न निर्बाध पूर्वानुमान तंत्र और प्रणाली लेकर आया है :
 - ✓ पूरे मौसम के लिए लंबी अवधि के पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं और उसके बाद विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। यह 4 सप्ताह की वैधता अवधि के साथ प्रत्येक गुरुवार को जारी किया जाता है।
 - ✓ विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NWFC) द्वारा पांच दिनों तक की मान्यता और अगले दो दिनों के लिए एक दृष्टिकोण के साथ दिन में चार बार 36 मौसम विज्ञान उप-विभाजनों के स्तर पर एक और छोटी से मध्यम दूरी का पूर्वानुमान और चेतावनियां प्रदान की जाती हैं।
 - ✓ एक अन्य पूर्वानुमान, यानी लघु से मध्यम अवधि का पूर्वानुमान

और चेतावनी भी राज्य-स्तरीय या क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती है जो अगले पांच दिनों के लिए वैध होती है और दिन में दो बार अद्यतन की जाती है।

- ✓ इसके अलावा बहुत कम अवधि के पूर्वानुमान उपलब्ध कराये जाते हैं और हर तीन घंटे में इन्हें अद्यतन (तात्कालिक पूर्वानुमान) किया जाता है।

प्रभाव आधारित पूर्वानुमान

- तंत्र खराब मौसम की संभावना होने पर दिशानिर्देशों, जनता के लिए क्या करें और क्या न करें आदि के साथ-साथ संबंधित मौसम की स्थिति के प्रभाव के बारे में संकेत देता है। इन दिशानिर्देशों और मानक संचलन प्रक्रियाओं (SOPs) को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से अंतिम रूप दी जाती हैं।
- इसके अलावा, खराब मौसम की तीव्रता और प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए अलग-अलग रंग कोड का उपयोग किया जाता है। हरा रंग कोई चेतावनी नहीं होने का संकेत देता है, इसलिए किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, पीला रंग सतर्क रहने और अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का संकेत देता है, नारंगी रंग सतर्क रहने और उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है। हालांकि, लाल रंग उचित कार्रवाई करने का संकेत है।
- चेतावनियों को संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे ईमेल, व्हाट्सएप और लघु संदेश सेवा (SMS) और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और चैनलों (यदि आवश्यक हो तो प्रेस विज्ञप्ति सहित) के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं और आपदा प्रबंधकों तक प्रसारित की जाती हैं।
- संबंधित स्थितियों का रोकने के लिए उमंग मोबाइल ऐप, मौसम (MAUSAM) [एक मौसम पूर्वानुमान एप्लिकेशन], मेघदूत (कृषि मौसम सलाह के प्रसार के लिए) और दामिनी (DAMINI) [बिजली की चेतावनी के लिए] जैसी डिजिटल पहल भी मौजूद हैं।

पर्यावरण

1. हिमनद का पिघलना

वर्तमान संदर्भ

‘नेचर’ पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, पिघलने वाले हिमनद अर्थात ग्लेशियर (glaciers) वर्ष 2100 तक नेपाल और फिनलैंड के आकार के बराबर के क्षेत्र को कवर करने वाले नए पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर सकते हैं।

पिघलते हुए हिमनदों पर नए अध्ययन का विवरण

- **शोधकर्ता और अध्ययन से जुड़े संदर्भ**: यह अध्ययन जीन-बैप्टिस्ट बॉसन (Jean-Baptiste Bosson) और फ्रांस के हाउते-सावोई (haute-savoie) के प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षक सहयोगियों द्वारा वैश्विक हिमनद विकास मॉडल का उपयोग करके किया गया था।
- **हिमनदों के पिघलने से पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव**: ग्लेशियरों के पिघलने से महत्वपूर्ण पारिस्थितिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नई आवास स्थितियों के अनुकूल नए पारिस्थितिक तंत्र का उद्भव हो सकता है।
- **हिमनद सम्बन्धी भविष्यवाणी**: यह अध्ययन 21वीं सदी के दौरान अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड की बर्फ की परतों के अलावा लगभग 650,000 वर्ग किलोमीटर के ग्लेशियरों के प्रक्षेप पथ पर केंद्रित है।
- **हिमनद के पिघलने की दर (Deglaciation Rate)**: यह अनुसंधान मॉडल इस बात की भविष्यवाणी करता है कि विभिन्न जलवायु परिदृश्यों के बावजूद, वर्ष 2040 तक हिमनद के पिघलने या हिमनदों के कम होने की दर लगातार जारी रहेगी।
- **वर्ष 2040 के बाद का विचलन अनुमान**: वर्ष 2040 के बाद ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की गंभीरता के आधार पर हिमनदों के पिघलने की दर अलग-अलग हो जाएगी। अधिक उत्सर्जन होने के परिणामस्वरूप वर्ष 2100 तक वर्ष 2020 के हिमनद (ग्लेशियर) क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा समाप्त हो सकता है।
- **कम उत्सर्जन परिदृश्य की भूमिका**: वैकल्पिक रूप से कम उत्सर्जन परिदृश्य को अपनाने से वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन तटस्थता प्राप्त करने से हिमनद के नुकसान को लगभग 22 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
- **उभरते पारिस्थितिकी तंत्र**: यह अनुसंधान मॉडल उन क्षेत्रों में उभरते पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति की भविष्यवाणी करने में सक्षम था, जो पहले हिमाच्छादित थे। इन पारिस्थितिक तंत्रों को स्थलीय, समुद्री या मीठे पानी के आवास के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

वैश्विक ग्लेशियर विकास मॉडल

- वैश्विक ग्लेशियर विकास मॉडल (GloGEM) में, समुद्र-समाप्त वाले ग्लेशियर मोर्चों पर फ्रंटल एब्लेशन के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान के साथ-साथ हिमनद के बढ़ने/कम होने तथा सतह की ऊँचाई में बदलाव शामिल हैं।

हिमनदों (ग्लेशियरों) के पिघलने के उदाहरण -

- **ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर** से प्रतिवर्ष लगभग 280 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है।
- **हिमालय के हिमनदों (ग्लेशियरों) के लुप्त होने का खतरा है।**
- **यूरोपीय आल्प्स के हिमनद (ग्लेशियर) 1800 के दशक के मध्य से पिघल रहे हैं।**
- **उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के एंडीज़ में एंडीज़ पर्वत के हिमनद (ग्लेशियर) 1970 के दशक से 30-50 प्रतिशत तक पिघल गए हैं।**
- **अंटार्कटिक की बर्फ की परत को भी नुकसान हो रहा है।**

हिमनदों को पिघलाने वाले कारक

- **भूमंडलीय ऊष्मीकरण (Global warming)**: बढ़ते तापमान के कारण हिमनदों के पिघलने की दर बर्फ जमा होने की दर से अधिक हो जाती है।
- **मानवजनित गतिविधियाँ**: वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन के जलाने और उद्योग से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग और हिमनद पिघलाने के मुख्य कारक हैं।
- **अप्रत्याशित वर्षा**: खराब मौसम की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित होकर हिमनदों की सीमा और मोटाई को प्रभावित करते हैं।

- प्राकृतिक कारक : ज्वालामुखीय गतिविधियाँ, और सूर्यातप में भिन्नता भी ग्लेशियर के पिघलने की दर को प्रभावित करते हैं।

मुख्य ग्रीनहाउस गैसों (जिनकी सांद्रता बढ़ रही है), वे निम्न हैं : निचले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ब्लैक कार्बन और एरोसोल, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) और ओजोन।

हिमनद के पिघलने के दूरगामी प्रभाव :

- समुद्र के स्तर का बढ़ना : समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों को बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है, जिससे जीवन, संपत्ति और बुनियादी ढाँचे की हानि का जोखिम होता है।
- पानी की कमी : हिमनदों का पिघला हुआ पानी कई समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसकी कमी कृषि और उद्योगों को प्रभावित कर सकती है।
- मौसम के स्वरूप में बदलाव : हिमनदों का पिघलना मौसम के स्वरूप को अवरुद्ध कर सकता है, अर्थात् यह संभवतः क्षेत्रीय जलवायु को अस्थिर कर सकता है।
- पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान डालना : हिमनद के पिघलने से जैव विविधता, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं।
- प्राकृतिक आपदाएँ : हिमनदों के पिघलने से अचानक बाढ़, बादल फटना और विनाशकारी प्रभाव वाले भूस्खलन देखने को मिल सकते हैं।
- एल्बिडो (albedo) प्रभाव में कमी : जैसे-जैसे हिमनद कम होता जाता है, वैसे-वैसे पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को अधिक अवशोषित करती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।

हिमनदों को पिघलने से रोकने के लिए किए गए प्रयास

- कम-कार्बन उत्सर्जन करना : पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ ऊर्जा-बचत नीतियों को अपनाना।
- ऊर्जा दक्षता में वृद्धि : भवन तापावरोधन (insulation) में सुधार करने के साथ-साथ ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना : निजी वाहन के उपयोग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ विद्युत क्रियाशीलता को बढ़ावा देना।
- वनीकरण का विस्तार करना: पेड़ लगाना, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में प्रमुख होते हैं।
- अपशिष्ट को कम करने के साथ-साथ पुनर्चक्रण करना : अस्थिर अपशिष्ट निपटान से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।
- वनों की कटाई पर अंकुश लगाना : REDD+ जैसी पहल के माध्यम से कार्बन-अवशोषित वनों की हानि को रोकना।
- सतत कृषि : उत्सर्जन में कटौती और जल संसाधनों को संरक्षित करने वाली प्रथाओं को लागू करना।
- वैश्विक समझौते : पेरिस जलवायु समझौते (2015) जैसे सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, उत्सर्जन से निपटने से सहायक हैं।
- अनुकूलन और शमन के उपाय : हिमनदों के पिघलने के प्रभावों से निपटने की रणनीति बनाने के साथ-साथ उन्हें क्रियान्वित करना।

निष्कर्ष

- अंततः, ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना ही दीर्घकालिक समाधान है। सरकारें, व्यवसाय जगत और प्रत्येक व्यक्ति हिमनदों के पिघलने के परिणामों का पता लगाने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. एनटीपीसी ने लेह में शुरू किया हाइड्रोजन बस का परीक्षण

वर्तमान संदर्भ

एनटीपीसी (National Thermal Power Corporation) ने लेह में हाइड्रोजन बस का पूर्व परीक्षण (trial run) शुरू किया। तीन महीने के क्षेत्र परीक्षण (field trials), सड़क योग्यता परीक्षण और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं के बाद 17 अगस्त को पहली हाइड्रोजन बस लेह पहुंची।

विवरण

- कार्बन-तटस्थ लक्ष्य बनाने के लक्ष्य के साथ, एनटीपीसी एक हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है और लेह के इंड्रा-सिटी मार्गों पर संचालन के लिए पांच ईंधन सेल बसें उपलब्ध करा रहा है।
- यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से शुरू

की गई एनटीपीसी की हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और कार परियोजना का एक भाग है।

इसके विकास का महत्व

- यह पहली बार है जब भारत में इस तरह की परियोजना शुरू की गई है, जिसमें हरित ऊर्जा से फ्यूल सेल वाहन तक का एक समग्र समाधान विकसित किया जाएगा।

- यह भारत की सार्वजनिक सड़कों पर हाइड्रोजन बसों का पहला परिचालन होगा, जो सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना पर भारत के नीतिगत विकास में एक उज्ज्वल पल को प्रदर्शित करेगा।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का भी उपयोग करेगा और लेह एवं दिल्ली में प्रारंभिक परियोजनाओं के हिस्से के रूप में इसके भंडारण तथा वितरण सुविधाओं का विकास करेगा।

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC)

- एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है, जिसे वर्ष 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था।
- यह भारत का प्रमुख ऊर्जा समूह है जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1975 में हुई थी। यह भारत में विद्युत विकास में तीव्रता लाने के उद्देश्य से कार्यरत है।
- इसके प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों और उपलब्धियों में सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी अवसंरचना का निर्माण, बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना, राज्य और शहर परिवहन उपक्रमों को इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करना आदि शामिल हैं।

हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा और इसका महत्व

- ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत का उत्पादन करने के लिए पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोलाइटिक विभाजन के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य हेतु कार्याकल्पकारी (Game Changer) माना जाता है।
- यह नवाचार प्रधानमंत्री के हाइड्रोजन विजन का एक भाग है जो सस्ती और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा का आत्मनिर्भर साधन सुनिश्चित करेगा, साथ ही जलवायु जोखिमों को कम करने और नए उद्यमियों एवं रोजगारों के सृजन की आवश्यकता के प्रति भी उत्तरदायी होगा।
- ऐसे नवाचारों के माध्यम से भारत जीवाश्म ऊर्जा के शुद्ध आयातक से स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा के शुद्ध निर्यातक बनने में परिवर्तन कर सकता है।
- उपर्युक्त विकास भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (-2021 22) के अनुरूप हैं क्योंकि सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई ग्रीन हाइड्रोजन नीति के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन विकास के लिए राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

भारत की वैश्विक आकांक्षाएं और सतत परिवहन

- फ्यूल सेल वाहन डीजल चालित वाहनों की तुलना में कम परिचालन लागत रखते हुए शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सुनिश्चित करते हैं।

- परिवहन क्षेत्र को कार्बनरहित करने के इस प्रयास से भारत को अपने अभीष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDCs) को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो पेरिस समझौते (2015) के तहत उसके अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का एक भाग है।
- ग्लासगो में UNFCCC COP26 में घोषित भारत की 'पंचामृत' रणनीति के एक भाग के रूप में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2070 तक कुल शून्य उत्सर्जन की घोषणा की।
- एक सीमा तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी भारत के लिए एक नीतिगत प्राथमिकता रही है, जिसे FAME India, EV30@30 अभियान आदि जैसी योजनाओं के परिणामी संरचना के माध्यम से व्यक्त किया गया है।
- हाइड्रोजन बसें सतत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने के व्यापक उद्देश्य की पूरक हैं और भारत की जलवायु-आधारित सार्वजनिक नीति में आवश्यक परिवर्तन दर्शाती हैं।

चुनौतियां

- निरंतर आधार पर ऐसी परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता प्रशासन के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय बनी हुई है।
- हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन हेतु कोयले जैसे गैर-नवीकरणीय स्रोतों की आवश्यकता हो सकती है जो बदले में ऐसी प्रौद्योगिकियों की प्रभावकारिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
- ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के रासायनिक रूप से अत्यधिक विस्फोटक होने की क्षमता के कारण अत्यधिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा के साथ संचालित करने की आवश्यकता है।

सुझाव

- ग्रीन हाइड्रोजन-आधारित प्रौद्योगिकियों एवं उसके अनुप्रयोगों से परिचित होने और उन्हें भारतीय सामाजिक संरचना की मुख्यधारा में लाने को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
- सरकार और निजी क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थानों के मध्य सामंजस्य लंबी अवधि वाली ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की सीमा में विस्तार ला सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो हाइड्रोजन ऊर्जा पर आधारित कारों (उदाहरण के लिए टोयोटा मिराई) जैसे ऑटोमोबाइल उत्पादों को शुरू किए जाने पर बाजार में मांग पैदा कर सकती है।

3. हरित गतिशीलता योजना

वर्तमान संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अगस्त, 2023 को शहरी गतिशीलता में सुधार और शहरों में सार्वजनिक परिवहन को डीकार्बोनाइज करने के लिए **हरित गतिशीलता योजना** के तहत 57,613 करोड़ रुपये की पीएम-ईबस सेवा को मंजूरी दी। इसके तहत 100 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित दस हजार इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जायेगा।

हरित गतिशीलता योजना

- वर्ष 2017 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित 'अर्बन ग्रीन मोबिलिटी स्कीम' का अनावरण किया।
- यह योजना स्मार्ट सिटीज मिशन और अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन-अमृत (and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation-AMRUT) के लॉन्च के तुरंत बाद शुरू हुई।
- शहरी हरित गतिशीलता योजना मुख्य रूप से दो क्षेत्रों पर केंद्रित है:

निर्भरता, वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ता है।

- पेरिस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत का लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना है। परिवहन, कुल ग्रीनहाउस गैसों के 15 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, जो एक प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र है।

सतत शहरी गतिशीलता

- बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (BRTS) की तर्ज पर अवसंरचना-सक्षम बस प्रणालियों का विकास करना।
- 8,000 किमी पैदल-पथ और साइकिल ट्रेक के माध्यम से गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देना।
- 73,000 सार्वजनिक साइकिलों के माध्यम से बाइक-शेयरिंग को बढ़ावा देना।
- शहरी माल-दुलाई का बेहतर प्रबंधन करना।
- भौतिक और नरम बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करना, कैशलेस भुगतान समर्थन के साथ ITS (इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम) जैसी प्रणाली स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करना।

सरकार द्वारा किए गए हाल के पहल

हाल के वर्षों में भारत सरकार ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें **FAME योजना**, **पीएम-ईबस सेवा योजना** का शुभारंभ शामिल है। **जिनका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना है।**

पीएम-ईबस सेवा

- 16 अगस्त, 2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में शहरी बस सेवाओं में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने और हरित गतिशीलता पहल के तहत शहरी बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने की योजना को मंजूरी दी, जिसमें उन शहरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया जहां कोई संगठित बस सेवाएँ नहीं हैं।
- पीएम ई-बस सेवा योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपये का सहयोग करेगी। यह 10 वर्षों तक बस संचालन में मदद करेगा।

टिकाऊ वाहन और ईंधन

- सार्वजनिक परिवहन के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में आगे बढ़ना।
- सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय संसाधनों को अपनाना।

हरित गतिशीलता की आवश्यकता

- भारत में उभरते हुए ऑटो बाजार ने तेजी से वाहन के विकास को गति दी है, जिससे बढ़ते यातायात के कारण शहरी क्षेत्रों में अधिक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ रही हैं।
- परिवहन के लिए आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की ऊर्जा

इस योजना को दो हिस्सों में लागू किया जाएगा

1. 169 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग करके 10,000 ई-बसें तैनात की जायेंगी। नई ई-बसों को सहायता देने के लिए डिपो के बुनियादी ढाँचे को भी विकसित या उन्नत किया जाएगा, जिसमें मीटर के पीछे विद्युत बुनियादी ढाँचे (Behind The Meter Power Infrastructure), जैसे-सबस्टेशन का निर्माण भी शामिल है।

2. 181 अन्य शहरों में हरित शहरी गतिशीलता पहल के तहत, बुनियादी ढाँचे को उन्नत किया जाएगा। यह पहल बस की प्राथमिकता, बुनियादी ढाँचे, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाओं, स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली और चार्जिंग की अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करेगी।

पीएम-ई-बस सेवा का महत्व

- इलेक्ट्रिक गतिशीलता सेवाओं को अपनाने से भारतीय शहरों में ध्वनि और वायु प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी तथा कार्बन उत्सर्जन पर भी अंकुश लगेगा।
- इस योजना द्वारा एकत्रीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की भी अपेक्षा की गई है।
- इस योजना के माध्यम से लगभग 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की उम्मीद है।

FAME योजना

- लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत अप्रैल, 2015 में, फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME)

4. विश्व जैव ईंधन दिवस

वर्तमान संदर्भ

पारंपरिक स्रोतों (जैसे जीवाश्म ईंधनों) की तुलना में, ऊर्जा उत्पादन में जैव ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को 'विश्व जैव ईंधन दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

विवरण

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 से इस दिन को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है।
- पिछले वर्ष का थीम 'स्थिरता और ग्रामीण आय के लिए जैव ईंधन' था, लेकिन इस वर्ष के लिए विषय अभी तक तय नहीं किया गया है।

जैव ईंधन क्या हैं?

- जैव ईंधन शैवाल, पौधा तत्वों, पशु और घरेलू अपशिष्ट, साथ ही कृषि और औद्योगिक जैव-अपशिष्ट जैसे जैव भार (biomass) आदि से प्राप्त ईंधन हैं।

योजना शुरू की गई थी।

यह योजना दो चरणों में शुरू की गई थी

- ✓ इस योजना का पहला चरण 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2019 तक था।
- ✓ इस योजना के दूसरे चरण को तीन साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 1 अप्रैल, 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना को मार्च, 2024 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

आगे की राह

- इन परिवर्तनकारी पहलों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निर्बाध निष्पादन और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- हरित गतिशीलता लाभों के बारे में जन जागरूकता अभियान को मजबूत करना, ईवी के लिए चार्जिंग बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण बिंदु है।
- नियमित समीक्षा और अनुकूल नीतियाँ टिकाऊ शहरी विकास, उत्सर्जन में कमी और आजीविका में वृद्धि को बढ़ावा देंगी।

- जैव ईंधन इस बायोमास से सीधे परिवर्तित तरल ईंधन होते हैं।
- जैव ईंधन को कभी-कभी 'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत' माना जाता है, क्योंकि जैव ईंधन उत्पादन के लिए फीडस्टॉक की जल्दी से पुनःपूर्ति की जा सकती है।
- आमतौर पर जैव ईंधन दो प्रकार के होते हैं- इथेनॉल और बायोडीजल, साथ ही इथेनॉल अधिक व्यवहार्य और कुशल विकल्प हैं।

संभावित जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल

इथेनॉल (C_2H_5OH) एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। हालांकि, जैव ईंधन के रूप में इसकी दक्षता भी बहुत अधिक है।

जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल का महत्व

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन

- इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाने से इथेनॉल के ऑक्सीजन-समृद्ध गुणों के कारण ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है और कुशल दहन की सुविधा मिलती है, जिससे अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा पैदा होती है और कम CO₂ उत्सर्जित होता है।
- इसलिए, विश्व स्तर पर, इसे एक व्यवहार्य और कुशल ऊर्जा स्रोत माना जाता है और इसे गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है।
- इथेनॉल मिश्रण से जीवाश्म ईंधन की खपत भी कम होगी। इससे भारत का आयात खर्च भी कम होगा।

आर्थिक लाभ

- भारत के लिए आयात खर्च को कम करने के साथ-साथ, यह जीवाश्म ईंधन पर उसकी निर्भरता को भी कम करेगा, जिससे उसके ऊर्जा संसाधनों में विविधता आएगी।
- इससे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता भी बढ़ती है।
- जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल की खपत के लिए इसके उत्पादन को बढ़ाना होगा। सरकार उन किसानों को आर्थिक लाभ भी दे रही है जो इथेनॉल उत्पादन के लिए अपनी गन्ना उपज बेचते हैं। इससे गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलता है और किसानों की आय बढ़ती है।
- इसके अलावा, इथेनॉल उत्पादन के उपोत्पाद, जैसे डिस्टिलर्स के अनाज का उपयोग पशुधन चारे के रूप में किया जा सकता है, जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित होगा।
- हाल ही में, जारी एक रिपोर्ट में भारत में गन्ने के उत्पादन में अधिशेष का संकेत दिया गया है। इसे इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और इस प्रकार, सम्मिश्रण लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।

पर्यावरणीय लाभ

- ईंधन के कुशल दहन से कम कार्बन मोनोऑक्साइड और कम CO₂ युक्त स्वच्छ उत्सर्जन सुनिश्चित होता है।
- इससे भारत को वर्ष 2030 तक, अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक अरब मीट्रिक टन कम करने के पंचामृत लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

- इथेनॉल का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जिससे स्वच्छ बिजली उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।

बायोइथेनॉल उत्पादन और इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू और कार्यान्वित की गई यह नीति खराब अनाज जैसे विभिन्न स्रोतों से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देती है।
- इस इथेनॉल का उपयोग मिश्रण प्रक्रिया में किया जाएगा, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैसोलीन में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है।
- भारत ने पहले ही 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है और जून 2022 में सरकार ने वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर लिया है।

चुनौतियां

- वर्तमान में सम्मिश्रण प्रक्रिया में बायोइथेनॉल का उत्पादन मांग से कम है।
- मौजूदा इंजन और तकनीक मिश्रित ईंधन के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इस प्रकार उनकी दक्षता कम हो सकती है।
- गन्ने के बढ़ते उत्पादन के परिणामस्वरूप भूजल स्तर में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

आगे की राह

- समुचित बायोइथेनॉल उत्पादन सुनिश्चित करने जिससे औद्योगिक मांग को पूरा किया जा सके इसके लिए सरकार पहल चला रही है।
- फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के क्षेत्र में नई तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए जो जैव ईंधन के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकें।
- गन्ना उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अन्य व्यवहार्य इथेनॉल उत्पादन विधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

5. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर

वर्तमान संदर्भ

कई देश पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (sPPN) के पूरक के रूप में 300 मेगावाट की अधिकतम क्षमता वाले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (Small Modular Reactors SMRs), परमाणु रिएक्टर विकसित कर रहे हैं।

विवरण

- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 7 के अनुरूप वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- चूँकि दुनिया अभी भी अपनी 82 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2050 तक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी भी 150-80 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
- सौर और पवन ऊर्जा में वृद्धि के बावजूद, यूरोप में कोयले की खपत में हालिया बढ़ोत्तरी दर्शाती है कि ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ बिजली उत्पादन के गहन डीकार्बोनाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय, 24/7 निम्न कार्बन बिजली संसाधन महत्वपूर्ण हैं।
- परमाणु ऊर्जा का तेजी से विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलविद्युत स्रोत सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के अलावा स्थलाकृति द्वारा भी सीमित हैं।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक तिहाई है।
- सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान इस दशक के भीतर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) प्रौद्योगिकी को सफल बनाने के प्रयासों में सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं।
- रूस के अकादमिक लोमोनोसोव (Lomonosov) [दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र] ने मई, 2020 में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया, जिसमें दो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) से WM53 ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है।
- इसके अलावा अन्य स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) अर्जेंटीना, कनाडा, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्माणाधीन या लाइसेंसिंग चरण में हैं।
- रोसाटॉम (Rosatom) देश में आगामी परियोजनाओं में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) की पूरी क्षमता का दोहन करने के

लिए भारत सरकार और उसके भागीदारों के साथ सहयोग करने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है।

- भारत और रूस कुडनकुलम (भारत) में छह हल्के जल रिएक्टर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिनमें से दो पहले से ही सक्रीय हो चुके हैं।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार, भारत के पास अभी भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) पर कोई औपचारिक नीति नहीं है।
- भारत में वर्तमान में 22 परिचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, दो हल्के पानी रिएक्टर, दो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और 18 स्वदेशी रूप से विकसित दबावयुक्त जल रिएक्टर (Pressurised Heavy Water Reactors) हैं।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) के लाभ

- निर्माण में किफायती : स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) की पूर्व-निर्मित इकाइयों का निर्माण किया जा सकता है और फिर उन्हें साइट पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे बड़े बिजली रिएक्टरों की तुलना में उनका निर्माण अधिक किफायती हो जाता है, जो अक्सर किसी विशेष स्थान के लिए प्रचलित तरीकों से बनाए जाते हैं, जिसके निर्माण में कभी-कभी देरी भी होती है।
- निर्माण की लागत और समय की बचत : स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लागत और निर्माण के समय को बचाने के साथ-साथ बढ़ती ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए उन्हें क्रमिक रूप से स्थापित किया जा सकता है।
- सरल डिजाइन : स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) का डिजाइन पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (sPPN) की तुलना में सरल है और इसमें कई निवारक सुरक्षा विशेषताएँ शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण में रेडियोधर्मी सामग्रियों के अनियंत्रित निस्तारण की संभावना कम हो जाती है।
- सुरक्षा हेतु बेहतर पृथक्करण : पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (sPPN) की तुलना में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) को छोटी कोर क्षति आवृत्ति (दुर्घटना से परमाणु ईंधन को नुकसान पहुँचाने की संभावना) और सोर्स टर्म (रेडियोधर्मी संदूषण का एक उपाय) के साथ डिजाइन किया गया है। इनमें अधिक सुरक्षा के लिए उन्नत भूकंपीय सुरक्षा भी शामिल है।

- **कम परमाणु ईंधन भंडार :** स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) परियोजना में खर्च की गयी परमाणु ईंधन की संग्रहित मात्रा भी पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (sPPN) की तुलना में कम होगी।

निष्कर्ष

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डिजाइन में सरल है और इसके लिए छोटे पदचिह्न (footprint) की आवश्यकता होती है। चूँकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) ज्यादातर कारखाने में निर्मित होते हैं और क्षेत्र (site) पर असेंबल होते हैं, इसलिए समय और लागत

बढ़ने की संभावना भी कम होती है। इसके अलावा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) का क्रमिक निर्माण अधिक कुशल विनियामक अनुमोदन और क्रमिक विनिर्माण के साथ प्रायोगिक ज्ञान की सुविधा के लिए संयंत्र डिजाइन को सरल बनाकर लागत को कम कर सकता है। कम परमाणु ऊर्जा नेट जीरो तक की यात्रा को और अधिक चुनौतीपूर्ण तथा महँगी बना देगी। इस चुनौती से निपटने के लिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) विश्वसनीय निम्न-कार्बन बिजली प्रदान करने के संभावित समाधान के रूप में उभरे हैं।

6. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की वजह

वर्तमान संदर्भ

1 जुलाई, 2023 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को एक वर्ष पूरा हो गया। भारत सरकार के रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर गठित 'विशेषज्ञ समिति' की सिफारिश के आधार पर प्रतिबंधित सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं की पहचान की गई थी।

विवरण

- इस तरह के प्रतिबंध का निर्णय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 लाए जाने के बाद आया है।
- अधिसूचना, 31 दिसंबर, 2022 से प्रभावी है, यह 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाती है।

बना होता है। हालांकि, पॉलिथीन थैलेट (polythene phthalate) सबसे अधिक रिसाइकल किए जाने वाले प्लास्टिक में से एक है, लेकिन अब तक कुल प्लास्टिक का केवल 9 प्रतिशत ही रिसाइकल किया जा सका है।

- जब प्लास्टिक को लावारिश छोड़ दिया जाता है, तो वे टूटते नहीं हैं, बल्कि वे केवल बंटकर छोटे प्लास्टिक में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण होता है जो सशक्त रूप से बहुत खतरनाक होता है।

सिंगल यूज प्लास्टिक

- सिंगल यूज प्लास्टिक वे वस्तुएं हैं जो पेट्रोकेमिकल्स (अर्थात जीवाश्म ईंधन-आधारित रसायनों) से बने होते हैं जिन्हें केवल एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट कर दिया जाता है।
- इन प्लास्टिक को 'डिस्पोजेबल प्लास्टिक' के रूप में भी पहचाना जाता है और इसका मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री जैसे पॉलिथीन-आधारित किराना बैग, खाद्य पैकेजिंग, स्ट्रॉ, कंटेनरों, बोतलों, कप और कटलरी आदि के रूप में उपयोग किया जाता है।
- कुल प्लास्टिक निर्माण में सिंगल यूज प्लास्टिक का योगदान सर्वाधिक है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव

- हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है और इस कचरे का लगभग आधा हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक से

जैव विविधता पर प्रभाव

- स्थलीय और जलीय जीवों के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग या जमाव (मुख्य रूप से अंतर्ग्रहण के माध्यम से) होने से जीवों की मृत्यु हो जाती है।
- अपघटन होने पर प्लास्टिक जहरीले रासायनिक यौगिक छोड़ता है जो मिट्टी में घुल जाते हैं और मानव और पशु के जीवन को समान रूप से नुकसान पहुंचाते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव

- चूँकि सिंगल यूज प्लास्टिक एक पेट्रोकेमिकल व्युत्पन्न है, इसलिए इसे जीवाश्म-आधारित यौगिकों से निर्मित किया जाता है। प्लास्टिक निर्माण हेतु जीवाश्मों के निष्कर्षण से 12 से 14 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है।

- अनुमान है कि सिंगल यूज प्लास्टिक वर्ष 2050 तक वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के पांच से दस प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हो सकता है।
- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव :** सिंगल यूज प्लास्टिक को **बिस्फेनॉल-ए (Bisphenol-A)** जैसे अंतःस्त्रावी-विघटनकारी रसायन (जो मानव शरीर में जैव-संचय होते हैं एवं कैंसर का कारण बन सकते हैं तथा प्रजनन हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं) छोड़ने वाले तत्व रूप में जाना जाता है।

उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध

- सिंगल यूज प्लास्टिक के इन सभी हानिकारक प्रभावों की पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।
- सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रबंधन से संबंधित पहला नियम (प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016) वर्ष 2016 में आया। इसका उद्देश्य निम्न था :
 - ✓ प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई बढ़ाकर 50 माइक्रोन करना
 - ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग में कथित वृद्धि के कारण ऐसे नियमों के अधिकार क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बढ़ाना
 - ✓ प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन आदि में निर्माता और उपयोगकर्ता दोनों की जिम्मेदारियों को सामने लाना
- इन नियमों को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया और केवल मानदंडों में प्रगति की गई।
- इसी प्रकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। 1 जुलाई, 2022 से निम्नलिखित 'एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं (पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित)' का निर्माण, भंडारण, वितरण, आयात, बिक्री और उपयोग रोकने हेतु नियम 4 में एक नया उप-नियम (2) जोड़ा गया :
 - ✓ प्लास्टिक स्टीक्स युक्त ईयर वडर्स, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडी, कैंडी और आइसक्रीम की डंडी, सजावट के उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाली पॉलीस्टीरीन (थर्मोकोल)
 - ✓ गिलास, कप, प्लेट, चाकू, चम्मच, कांटे जैसे कटलरी, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट पैक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैकिंग फिल्मों, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिटर।
- इसके अलावा सरकार ने निर्दिष्ट किया कि प्लास्टिक पैकेजिंग विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती है। कुछ पैकेजिंग

सामग्री जैसे प्लास्टिक सामग्री से बने पाउच, गुटखा, पान मसाला की पैकिंग, मिठाई के डिब्बों को लपेटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैकेजिंग आदि सभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत प्रतिबंधित हैं।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित विनियम

- **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** भी कुछ दिशानिर्देश और नियम [खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018] लेकर आई थी, जिसके अनुसार, पैकेजिंग सामग्री जैसे कांच, कागज, धातु और प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों का निर्माण अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में अच्छी विनिर्माण पद्धति के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य और पेय उद्योग के लिए कुछ निम्न दिशानिर्देश भी जारी किए :
 - ✓ खाद्य संपर्क सामग्री के रूप में बांस के उपयोग के लिए दिशानिर्देश।
 - ✓ उन्हें कुछ शर्तों के तहत होटलों के भीतर सीमित उपयोग हेतु पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कागज-सीलबंद पुनः प्रयोज्य कांच की बोतलों का उपयोग करने की अनुमति देना।
 - ✓ ईट राइट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में एफएसएसआई ने स्वाभाविक तरीके से सड़नशील पैकेजिंग के उपयोग को भी बढ़ावा दिया।
 - ✓ कृत्रिम रूप से मीठे पेय पदार्थों की पैकेजिंग आदि के लिए वापसी योग्य बोतलों के उपयोग से प्रतिबंध हटा दिए गए।

ईपीआर दिशानिर्देश

- ईपीआर दिशानिर्देशों में एफएसएसआई द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः उपयोग अनिवार्य है।
- ईपीआर दिशानिर्देश, प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करने के लिए टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के उपयोग को बढ़ावा देने का भी प्रयास करते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अन्य पहल

- 'इंडिया प्लास्टिक चैलेंज- हैकथॉन 2021' पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ-साथ स्टार्ट-अप के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ टिकाऊ विकल्प विकसित करने के लिए शुरू की गई एक पहल थी।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 अप्रैल, 2022 को 'प्रकृति' (एक शुभंकर) नामक एक और पहल भी लेकर आया। अब तक इस पहल के तहत 3 वीडियो बनाए गए हैं जो एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन पर केंद्रित हैं। जागरूकता फैलाने के लिए ये वीडियो 19 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं।
- इसके अलावा केंद्र सरकार और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 'प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पर्यावरण-विकल्पों पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी' भी शुरू किया गया था।

चुनौतियां

हालांकि सरकार ने एक साल से प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कुछ निम्न बाधाएं हैं जो इस पहल के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन को रोकती हैं :

- भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया हो, सिंगल यूज प्लास्टिक का विनिर्माण और खपत अभी भी चालू है और लागू करने वाले अधिकारी जमीनी स्तर पर इस पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं हैं।
- कार्यान्वयन के दौरान अधिकारियों ने नए मानदंडों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

हालांकि, स्थानीय निर्माता अभी भी बिना किसी प्रतिबंध के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं।

- हालांकि ईपीआर नियम लागू कर दिए गए हैं, लेकिन इन सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में एक बड़ा असंगठित बाजार शामिल है।

आगे की राह

- नीति नियमों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि अंतिम विक्रेता और उपभोक्ता के बीच सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोका जा सके। इस सख्त कार्यान्वयन से सिंगल यूज प्लास्टिक के असंगठित क्षेत्र के नेतृत्व वाले विनिर्माण की पहचान करने और उसे विनियमित करने में भी मदद मिलेगी।
- चूंकि मामला सार्वजनिक महत्व का है, इसलिए सरकार को इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए।
- निर्माताओं को इन सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और सब्सिडी के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों से अतिरिक्त सिंगल यूज प्लास्टिक को पुनर्चक्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

7. भारत में 5 प्रतिशत पक्षी स्थानिक हैं : भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जारी 'भारत के 75 स्थानिक पक्षी' शीर्षक नामक प्रकाशन के अनुसार, भारत में पाई जाने वाली लगभग 5 प्रतिशत पक्षी प्रजातियां स्थानिक हैं और इनके विश्व के किसी अन्य हिस्से में पाये जाने की जानकारी नहीं दी गई है।

प्रकाशन के मुख्य निष्कर्ष

- प्रकाशन के अनुसार भारत में पक्षियों की लगभग 1353 प्रजातियों का बसेरा है, जो कुल वैश्विक पक्षी विविधता का लगभग 12.4 प्रतिशत है।
- इन 1353 प्रजातियों में से लगभग 78 प्रजातियां (जो पक्षी प्रजातियों का लगभग 5 प्रतिशत हैं) भारत के लिए स्थानिक हैं।
- प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इन 78 स्थानिक प्रजातियों में से निम्न तीन को पिछले कुछ दशकों में देखा या अभिलिखित नहीं किया गया है :
 - ✓ मणिपुर बुश बटेर (*Perdica manipurensis*), जिसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में 'लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत है। इस पक्षी को आखिरी बार वर्ष 1907 में देखा गया था।
 - ✓ हिमालयी बटेर (*Ophrysia superciliosa*), जिसे

'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे आखिरी बार वर्ष 1876 में देखा और चिह्नित किया गया था।

- ✓ जेर्डन कोर्सर (*Rhinoptilus bitorquatus*), जो IUCN के अंतर्गत 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है और इसकी आखिरी बार वर्ष 2009 में देखे जाने की पुष्टि हुई थी।
- प्रकाशन में बताई गई 75 प्रजातियां 11 विशिष्ट क्रमों, 31 परिवारों तथा 55 अलग-अलग प्रजातियों से संबंधित हैं और ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय व्याप्त स्वरूप प्रदर्शित करती हैं।

स्थानिक प्रजातियां क्या हैं?

- स्थानिक प्रजाति को ऐसी प्रजाति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो केवल एक विशेष भौगोलिक स्थान तक ही सीमित है और

स्वाभाविक रूप से दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है।

- स्थानिक प्रजातियों की सीमित और अपेक्षाकृत छोटी आबादी के कारण, वे विलुप्त होने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं; इस प्रकार, उनका संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
- यह प्रकाशन स्थानिक प्रजातियों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जिससे स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है।
- यह रिपोर्ट आम लोगों, विशेषकर छात्रों को इन स्थानिक प्रजातियों के बारे में सूचित करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है जो सीमित स्थानों तक ही सीमित हैं।

• पश्चिमी घाट का महत्व

- ✓ उच्च स्थानिकता की दृष्टि से पश्चिमी घाट (Western Ghats) पर विशेष जोर दिया है। संबंधित दस्तावेज के अनुसार पश्चिमी घाट, जो भारत के चार जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में से एक है, इन क्षेत्रों में अधिक संख्या में स्थानिक प्रजातियां, यानी लगभग 28 पक्षी प्रजातियां हैं।
- ✓ इनमें मालाबार ग्रे हॉर्नबिल (Ocyrceros griseus), एशंबू लाफिंग थ्रश (Montecincla meridionalis), मालाबार पैराकीट (Psittacula columboides) और व्हाइट-बेलिड शोलाकिली (Sholicola albiventris) जैसी प्रजातियां शामिल हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानिकवाद

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पक्षियों की लगभग 25 ऐसी स्थानिक प्रजातियां हैं।
- इन प्रजातियों में निकोबार मेगापोड (Megapodius nicobariensis), अंडमान क्रेक (Rallina canningi), निकोबार सर्पेट ईगल (Spilornis klossi) और अंडमान बार्न आउल (Tyto deroepstorffi) शामिल हैं।
- पूर्वी हिमालय में चार स्थानिक पक्षी रहते हैं, साथ ही मध्य भारतीय वन और दक्षिणी दक्कन के पठार में एक-एक प्रजाति के पक्षी रहते हैं।
- कुल 78 पक्षी प्रजातियों में से लगभग 25 प्रजातियों को 'खतरे में' (Threatened) के रूप में चिह्नित किया गया है, 11 को 'खतरे के करीब' (Near Threatened) के रूप में चिह्नित किया गया है, 17 को 'असुरक्षित' (vulnerable) के रूप में चिह्नित किया गया है, 5 को 'लुप्तप्राय' (endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तीन प्रजातियों को बुगुन लिओसिचला, हिमालयन बटेर और जर्डन कौरसर (Jerdon's Courser) को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रकाशन का विवरण

- इस प्रकाशन को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 108वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया है।
- 'भारत के 75 स्थानिक पक्षी' नामक शीर्षक वाले प्रकाशन को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, जो भारत की समृद्धि जैव विविधता का संकेत है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण एक निकाय है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के अनुसार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को राष्ट्रीय प्राणी संग्रह के लिए एक नामित भंडार घोषित किया गया है।
- इस क्षेत्र में अन्वेषण, सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मौजूद वनस्पतियों और जीवों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए भारतीय संग्रहालय (कोलकाता) के प्राणीशास्त्र अनुभाग के रूप में वर्ष 1916 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का गठन किया गया था।
- वर्तमान में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पशु वर्गीकरण पर भारत की सर्वोच्च संस्था है।

रिपोर्ट का महत्व

- यह रिपोर्ट पक्षी प्रजातियों की विविधता के संदर्भ में भारत की उच्च स्थानिकता पर प्रकाश डालती है और इस प्रकार, यह इन स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण की आवश्यकता को भी इंगित करती है।
- इस समृद्ध जैव विविधता के साथ भारत जैव विविधता के संरक्षण के लिए अन्य पहलों के साथ-साथ प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (Convention on Migratory Species-CMS), आईयूसीएन और सीजेटीईएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा कर सकता है।
- निष्कर्षतः प्रकाशन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जैव विविधता के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए मौजूदा कानूनों के उचित कार्यान्वयन के साथ-साथ मजबूत नीतियों और कानूनों की भी आवश्यकता है।
- यह प्रकाशन स्थानिकवाद के महत्व पर प्रकाश डालता है, और इस प्रकार, स्थानिक प्रजातियों के संभावित खतरों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

आगे की राह

- हालांकि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए जिससे स्थानिकता की रक्षा की जा सके।
- संरक्षण तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए मौजूदा निकायों को सूचना और डेटा साझाकरण तंत्र के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

- लुप्तप्राय और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के लिए बंदी प्रजनन के कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में शोध को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- रिपोर्ट ने भारत के पक्षी जैव विविधता के खजाने की एक स्पष्ट तस्वीर दी है और इस प्रकार, किसी भी संभावित जोखिम से इसकी रक्षा और संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है ताकि क्षेत्र की सभी प्रजातियां में बढ़ोत्तरी की जा सके।

8. वाहन स्क्रेपिंग नीति

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि भारत भर में 23,000 से अधिक वाहन स्क्रेप किए गए हैं, जिनमें से आधे से अधिक सरकार के हैं।

विवरण

- केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और उनके विभागों के स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का 15 साल बीत जाने के बाद भी नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है।
- 12 राज्यों में कार्यरत 31 पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्रों में कम से कम 23,113 वाहनों को स्क्रेप किया गया है, जिनमें से आधे से अधिक सरकार से संबंधित हैं।
- नीति के शुरू होने के बाद से पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाओं द्वारा 21 जुलाई, 2023 तक कुल 23,113 वाहन (11,095 निजी वाहन और 12,018 सरकारी वाहन) स्क्रेप किए गए हैं।
- 31 पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्रों में सबसे अधिक नौ केन्द्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये सुविधा केन्द्र आंध्र प्रदेश (2), असम (2), चंडीगढ़ (1), गुजरात (4), हरियाणा (5), मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (1), ओडिशा (1), पंजाब (1), राजस्थान (2) और उत्तराखंड (1) में भी हैं।

भारत की वाहन स्क्रेपिंग नीति

- भारत की वाहन स्क्रेपिंग नीति के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों और 20 साल से अधिक पुराने यात्री वाहनों को फिटनेस और उत्सर्जन परीक्षण से गुजरना होगा।
- पॉलिसी, ब्रेक की गुणवत्ता इंजन के प्रदर्शन और कई अन्य कारकों की जांच करती है, जिसके बाद यह तय किया जाता है कि वाहन स्क्रेप योग्य है या नहीं।
- नीति के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशन और वाहन स्क्रेपिंग प्रावधान को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे।

- 23 सितंबर, 2021 को जारी मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रेपिंग सुविधा के संचालन) नियमों के तहत नीलाम, जब्त या छोड़े गए वाहनों को स्क्रेप करने का प्रावधान किया गया है और इन नियमों का कार्यान्वयन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के दायरे में आता है।
- दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में केवल आठ आरवीएसएफ (RVSFs) थे और इन सुविधाओं पर केवल 5,215 वाहन स्क्रेप किए गए थे।

वाहन स्क्रेपिंग नीति का उद्देश्य

- यह बिना किसी योग्य फिटनेस और पंजीकरण के 1 करोड़ वाहनों को स्क्रेप करके प्रदूषण पर अंकुश लगाता है।
- यह वाहन सुरक्षा में सुधार करता है।
- यह नीति ईंधन दक्षता को बढ़ाता है और वाहन मालिकों के लिए रखरखाव लागत को कम करती है।
- यह नीति ऑटो सेक्टर की बिक्री में सुधार करता है और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है।
- यह नीति स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव उद्योगों के लिए कम लागत वाली सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देती है।
- इस नीति को लागू करने का उद्देश्य पुराने वाहनों को हटाना था, क्योंकि वे फिट वाहनों की तुलना में पर्यावरण को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

वाहन स्क्रेपिंग नीति का महत्व

- यह ऐसे मानदंड स्थापित करता है जो वाहन सेवा मुक्त से सम्बंधित सुधार करने और राज्यों के पंजीकृत नियमों को सुसंगत बनाने की क्षमता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर वाहन चरण-परिवर्तन को विनियमित करते हैं।

- इस नीति में वाहन स्क्रेपेज और रीसाइक्लिंग की औपचारिकता में तेजी लाने की क्षमता है।
- यह नीति लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश भी लाएगी और 35,000 रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
- वाहनों को स्क्रेप करके भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम करने का लक्ष्य रख सकता है।
- **वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण** : यदि वाहनों को ठीक से विनियमित नहीं किया जाता है, तो वे पर्यावरण को दूषित करेंगे जिसका दीर्घकालिक परिणाम अच्छा नहीं होगा।
- **सरकार की पहल** : सरकार को सक्रिय दृष्टिकोण रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी वाहनों का उचित रखरखाव के साथ समय पर उन्हें बदल दिया जाय।

वाहन स्क्रेपिंग नीति से संबंधित समस्याएं

- **वाहनों के वर्गीकरण की आवश्यकता** : भारतीय सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं। इस विविधीकरण के कारण सभी कारों पर समान नियम लागू नहीं हो सकते। इस प्रकार स्क्रेपेज से संबंधित वाहनों के वर्गीकरण की आवश्यकता है।
- **सीमित प्रोत्साहन** : बड़े वाहनों के लिए सीमित प्रोत्साहन और कम लागत वाली अर्थनीति रही है।
- **कोई एसओपी नहीं** : सरकार के पास वाहन स्क्रेपिंग केंद्र स्थापित करने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) नहीं है।

निष्कर्ष

- यह नीति न केवल बिक्री को बढ़ावा देगी बल्कि समग्र सतत विकास के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण तैयार करने में भी सक्षम बनाएगी। **स्क्रेप नीति के तहत वर्ष 2030** सम्पूर्ण वाहन का 30-40 प्रतिशत विद्युतीकरण करने के सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना है। प्रभावी नीतियों को लागू करने और जागरूकता को बढ़ावा देकर भारत इस समस्या को अधिक कुशलता से हल कर सकता है और अपने नागरिकों के लिए एक स्वस्थ, हरित परिवहन प्रणाली बना सकता है।

9. भारत की स्वच्छ कुकिंग कार्यनीति

वर्तमान संदर्भ

पिछले 15 वर्षों में कई सरकारी प्रयासों के बावजूद ग्रामीण घरों में एलपीजी को अपनाना और इसकी रीफिलिंग लागत चिंता का कारण रही है। सरकार को द्वारा एलपीजी सब्सिडी देने से हटकर वित्तपोषण और व्यवसाय मॉडल की ओर बढ़ने की जरूरत है जो पर्यावरणीय हितों को देखते हुए खाना पकाने (कुकिंग) के स्वच्छ विधि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विवरण

- भारतीय घरों में एलपीजी की खपत में वर्षों की स्थिर वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 2023 में पूर्ण कमी (वित्त वर्ष 2022 के मुकाबले 0.5 प्रतिशत कम) देखी गई।
- भारत की स्वच्छ कुकिंग की नीति को सक्रिय रूप से स्वच्छ खाना पकाने की प्रौद्योगिकियों को अपनाने और केवल एलपीजी कार्यनीति से स्थानांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जैसे- इंडक्शन कुक-टॉप सहित इलेक्ट्रिक कुकिंग लौ-आधारित खाना पकाने की आवश्यकता को काफी हद तक पूरा कर सकती है।
- स्वच्छ ईंधन तक पहुंच संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य (SDG) -7सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच के अंतर्गत आती है।
- ग्रामीण वितरक आधार को कुल एलपीजी वितरक आधार के 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने में मदद की।
- काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनेट एण्ड वाटर (CEEW) द्वारा आयोजित **भारत आवासीय ऊर्जा उपभोग सर्वेक्षण (IRES) के अनुसार** हाल के दिनों में खाना पकाने के प्राथमिक ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करने वाले भारतीय परिवारों की हिस्सेदारी वर्ष 2011 में 33 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 में 71 प्रतिशत हो गई है।
- वर्ष 2016 में प्रारम्भ की गई **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)** जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसा कुकिंग का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत वर्ष 2016 से 9.5 करोड़ से अधिक नए परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं।

एलपीजी आधार बढ़ाने के सरकारी प्रयास

- वर्ष 2009 में शुरू की गई **ग्रामीण वितरक योजना** ने आज

भारत की स्वच्छ कुकिंग कार्यनीति को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता

- **एलपीजी को सार्वभौमिक रूप से अपनाना** : कोविड19- और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण आजीविका और आय का नुकसान, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल और उत्पाद की कीमतों में वृद्धि और अस्थिरता हुई। इससे भारतीय घरों में एलपीजी के सार्वभौमिक उपयोग की निकट भविष्य की संभावना को धक्का लगा है।
- **बजटीय परिव्यय** : महत्वपूर्ण प्रयासों, सब्सिडी, होम डिलीवरी और वितरण चैनल के बावजूद एलपीजी अपनाने की समस्या बनी हुई है और गरीबों को एलपीजी का उपभोग करने और इसके स्वास्थ्य हितों का लाभ उठाने के लिए सब्सिडी हेतु अधिक बजटीय परिव्यय की आवश्यकता होगी।
- **आयात पर भारत की निर्भरता के कारण एलपीजी की बढ़ती कीमत** : वित्त वर्ष 2023 में परिष्कृत वस्तु लगातार 64 प्रतिशत (पूर्व-पीएमयूवाई चरण में 46 प्रतिशत की तुलना में) से अधिक हो गई है। इसके अलावा, भारतीय परिवारों ने मई 2020 से एलपीजी की कीमतों में अंकित मूल्य से लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है।
- **सब्सिडी व्यवस्था**: अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और घरेलू बजट के साथ जो पेट्रोलियम (और उसके उत्पादों) कराधान पर काफी निर्भर है, यह संभावना नहीं है कि भारत उस व्यवस्था में वापस आ सकता है जहां 21वीं सदी के पहले दो दशकों में एलपीजी की खपत के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये (2011-12 की कीमतें) की सब्सिडी प्रदान की गई थी।
- **बीमारियों के बोझ से बचने के लिए** : हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)5- के अनुसार, अधिकांश राज्यों में खाना पकाने वाले स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले घरों की तुलना में ठोस ईंधन का उपयोग करने वाले घरों में टीबी का प्रसार अधिक था।

स्वच्छ कुकिंग में विविधता

- **उज्वला (UJWALA)** की सफलता और इस तरह स्वच्छ खाना पकाने की दिशा में बदलाव के बाद, भारत को अब वैकल्पिक खाना पकाने की स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर बदलाव करने की जरूरत है।
✓ **उदाहरण के लिए**, इंडक्शन कुक-टॉप सहित इलेक्ट्रिक कुकिंग लौ-आधारित खाना पकाने की आवश्यकता को काफी हद तक पूरा कर सकती है।
- बिजली कनेक्शन तक लगभग 100 प्रतिशत पहुंच के साथ ग्रामीण परिवार खाना पकाने की विशिष्ट जरूरतों के लिए बिजली के उपयोग में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में लगभग 10 प्रतिशत घर पहले से ही अपनी कुकिंग जरूरतों के लिए बिजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं।
- वहन क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमें सौर ऊर्जा और

तापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ई-कुकिंग को बढ़ावा देना चाहिए।

ई-कुकिंग को लेकर सरकारी प्रयास

- **मिशन लाइफ के लिए महत्वपूर्ण ई-कुकिंग** : इलेक्ट्रिक कुकिंग पर ध्यान इस मान्यता पर आधारित है कि ई-कुकिंग मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) का एक प्रमुख मार्ग है, जो पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है।
- **भारत सरकार ने वर्ष 2021 में**, ई-कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक ("GO Electric") अभियान शुरू किया है।

ई-कुकिंग के फायदे

- यह ई-कुकिंग प्रौद्योगिकियों के लिए घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित कर सकता है, आयातित एलपीजी और कच्चे तेल पर निर्भरता कम कर सकता है और कीमती विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को सीमित कर सकता है।
- ई-कुकिंग के कई फायदे हैं, जैसे घर के अंदर हवा की गुणवत्ता में सुधार, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और भारत के लिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा पहुंच में वृद्धि।
- **सीईईडब्ल्यू के एक अध्ययन से पता चलता है** कि बिजली की प्रत्येक यूनिट के लिए 8 रुपये के उच्च शुल्क पर भी आज की कीमतों पर एलपीजी का उपयोग करके खाना पकाने की तुलना में ई-कुकिंग सस्ता होगा।
- नए शुरू किए गए कार्बन बाजार के साथ, भारत वास्तव में इन बचाए गए उत्सर्जन का मुद्रीकरण कर सकता है और गरीब ग्रामीण समुदायों को ई-कुकिंग को अपनाने के लिए आवश्यक पूंजी को वित्तपोषित करने में मदद कर सकता है।

ई-कुकिंग अपनाने में बाधाएं

- मौजूदा प्रौद्योगिकी की उच्च-शक्ति आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण भारत में बिजली वितरण ग्रिड और पूर्ण-इलेक्ट्रिक कुकिंग का समर्थन करने की इसकी क्षमता के बारे में वैध चिंताएं हैं।
- ई-कुकिंग को अपनाने की दिशा में मुख्य चिंता ई-कुकिंग उपकरणों में संभावित दोषों और क्या सभी व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं के बारे में है।
- उपभोक्ता जागरूकता और खाना पकाने के नए रूपों की स्वीकार्यता कम है, खासकर ऐसे देश में जहां हर 40 किलोमीटर पर खाना पकाने के स्वरूप, खाद्य पदार्थ और संस्कृतियां बदल जाती हैं।
- ई-कुकिंग के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसे

स्वच्छ और आसान होने के बावजूद अपना कठिन हो सकता है।

- उदाहरण के लिए जाति जैसे सांस्कृतिक पहलू स्वच्छ खाना पकाने की प्रौद्योगिकियों के प्रवेश में बाधा के रूप में कार्य कर सकते हैं।

आगे की राह

- **स्वच्छ कुकिंग ऊर्जा तक पहुंच** भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। खाना पकाने के ईंधन के संबंध में हम जो विकल्प चुनते हैं, वह एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत के मार्ग में

महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। भारत के स्वच्छ कुकिंग में बदलाव के लिए ऐसे पुनर्विचार, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्यों और निर्णयों की आवश्यकता है जो ऊर्जा की खपत को बढ़ाते हैं।

- ईंधन की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति के बढ़ते दबाव के साथ भारत को एक स्वच्छ, टिकाऊ और किफायती ई-कुकिंग समाधान की आवश्यकता है, जो आयात पर उसकी निर्भरता को कम करे और ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाए।

10. कार्बन अवशोषण और भंडारण

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने अपने शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के अनुरूप CO₂ (कार्बन डाईऑक्साइड) उत्सर्जन का **अवशोषण और संग्रहण** (capturing and storing) करने के लिए समर्पित परियोजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

विवरण

- यूके की सरकार ने यह भी बताया कि ऐसी दो और परियोजनाओं पर बातचीत चल रही है।
- इससे पहले मार्च, 2023 में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि वे आनेवाले 20 वर्षों में इस प्रौद्योगिकी में लगभग 25.7 बिलियन अमेरिकी डालर का निवेश भी करेंगे।

- **चरण I** : पहले चरण में स्थापित तकनीक कार्बन डाईऑक्साइड को अन्य गैसों से अलग करेगी जो औद्योगिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ बिजली उत्पादन के दौरान उत्पन्न होती हैं।
- **चरण II** : CO₂ को अवशोषण का कार्य पूरा होने के बाद, इसे संपीड़ित (compressed) किया जाता है और फिर भंडारण स्थलों पर (आमतौर पर पाइपलाइनों के माध्यम से) ले जाया जाता है, जहां इस संपीड़ित गैस को जमीन के नीचे लगभग एक किलोमीटर तक दबा दिया जाता है/भंडारित कर दिया जाता है।

कार्बन अवशोषण और भंडारण (CCS) तकनीक

- वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड को एकत्र करना और फिर इसे उचित रूप से गहरे और भूमिगत स्थानों में संग्रहित करना या दफनाना है।
- इस तकनीक को साइट/स्थान अवशोषण के आधार पर दो अलग-अलग किस्मों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें निम्न शामिल हैं:
 - ✓ **बिंदु-स्रोत अभिग्रण और भंडारण तकनीक**- यह तकनीक वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले CO₂ को उसके उत्पादन और उत्सर्जन के स्रोत पर ही अवशोषित (capture) करने के लिए जानी जाती है। इसमें धूँ की नाल (smokestacks) जैसे तंत्र शामिल हैं।
 - ✓ **डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC)**- यह पहले से जारी कार्बन डाईऑक्साइड को हवा से हटा देता है।

दोनों परियोजनाएं ब्रिटेन द्वारा **तेल और गैस रिफाइनिंग, इस्पात उद्योग** आदि जैसे उद्योगों से CO₂ उत्सर्जन को अवशोषित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और इसे ब्रिटेन के तट से दूर खत्म हो रहे तेल और गैस क्षेत्रों में संग्रहित किया जाएगा।

भारत में इसी तरह की तकनीकें

- वर्ष 2070 तक अपने शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत, कार्बन अवशोषण, उपयोग और संग्रहण (CCUS) जैसी उत्सर्जन कटौती रणनीतियों को अपनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों ने 'हरित बदलाव- भारत के तेल और गैस क्षेत्र का निम्न कार्बन संक्रमण' नामक रिपोर्ट (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी) के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण से संबंधित योजनाओं की घोषणा की है।
- सीसीयूएस तकनीक सीसीयू के समान तंत्र पर ही काम करती है। सीसीयूएस तकनीक बिजली उत्पादन संयंत्रों, औद्योगिक सुविधाओं

यह तकनीक कैसे काम करती है?

यह तकनीक निम्न दो चरणों में काम करती है:

और इसी तरह के बड़े बिंदु स्रोतों (जहां जीवाश्म ईंधन और बायोमास का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है) से CO₂ को अवशोषण करके काम करती है। कैप्चर करने के बाद, संपीड़ित CO₂ को या तो साइट पर उपयोग किया जाता है या विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए ले जाया जाता है या उनके स्थायी भंडारण के लिए भूमिगत चट्टान संरचनाओं जैसे विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचनाओं में प्रविष्ट किया जाता है।

- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस उत्पादक और निर्यातक कंपनी ओएनजीसी ने सीसीयूएस प्रौद्योगिकी में अवसर तलाशने के लिए इक्विनोर (नॉर्वे स्थित ऊर्जा कंपनी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसके अलावा, ओएनजीसी भारत की पहली औद्योगिक पैमाने की कार्बन अवशोषक परियोजना (जो कोयली रिफाइनरी में स्थापित है) पर एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ साझेदारी में भी काम कर रही है।
- इसके अलावा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) भी क्रमशः वर्ष 2026 और वर्ष 2023 तक इस सीसीयूएस तकनीक को अपनी तेल रिफाइनरियों में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।
- गैल कार्बन पृथक्करण के एक अन्य तंत्र का उपयोग कर रहा है जहां यह अकार्बनिक कार्बन को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का उपयोग कर रहा है।

इस प्रौद्योगिकी का महत्व और संभावित लाभ

- इस तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैस के रिसाव को रोकने के लिए कार्बन को अलग करना है। इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी।
- यूएन पैनल ऑफ साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह तकनीक देशों के लिए उनकी आईएनडीसी (INDCs) और प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में कारगर साबित हो सकती है। भारत उन देशों में से है जो महत्वाकांक्षी है तथा अपने आईएनडीसी लक्ष्यों के प्रति समर्पित है और यह तकनीक भारत को जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ-साथ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
- पृथक किए गए कार्बन का उपयोग निर्माण सामग्री, प्लास्टिक, रसायन और शैवाल-व्युत्पन्न उत्पादों जैसे उर्वरक और पशु चारा के निर्माण में किया गया है।

भारत के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता

- भारत वर्तमान में सबसे अधिक आबादी और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके सिवाय सरकार का लक्ष्य है और आईएमएफ का अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, साथ ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऊर्जा की मांग और खपत दोनों बढ़ेगी।
- ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना होगा। चूंकि भारत की आधे से अधिक ऊर्जा आवश्यकताएं कोयले जैसे जीवाश्म संसाधनों से पूरी होती हैं, इससे CO₂ के उत्सर्जन में भी वृद्धि होगी।
- जबकि नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में और अधिक प्रगति की आवश्यकता है, ऐसे में भारत को ऐसी तकनीकों की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से वह उत्सर्जित कार्बन को अलग कर सके।
- हालांकि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत बहुत कम है, एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने पेरिस समझौते (CoP21) और उसके बाद के सम्मेलनों के अनुसार अपने NDCs का निर्धारण किया है। इस प्रकार ये तकनीकें भारत को अपनी INDCs हासिल करने में मदद करेंगी।

सीमाएं

- यद्यपि यह तकनीक अपेक्षाकृत विश्वसनीय है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता और प्रभावशीलता बहुत अधिक नहीं है। उदाहरण के लिए, धूएँ की स्टॉक (smokestacks) की स्थापनाएं उत्सर्जित CO₂ का केवल 90 प्रतिशत ही अलग कर सकती हैं।
- यह प्रौद्योगिकी अपने प्रदर्शन चरण में है और इसलिए इसमें व्यापक अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, ऐसी तकनीक की लागत विकासशील और अल्प विकसित देशों, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान देने के इच्छुक हैं लेकिन उनके पास उपयुक्त संसाधनों की कमी के कारण चिंतित है।

निष्कर्ष

- यह तकनीक आशाजनक और विश्वसनीय लगती है और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देश इसका विकास कर रहे हैं। भारत भी इस तकनीक को लागू करने का प्रयास कर रहा है लेकिन इस क्षेत्र में और अधिक शोध एवं विकास की आवश्यकता है। इसलिए, भारत इस पर काम कर रहे अन्य विकसित देशों के अनुभवों से सीख सकता है, जिससे अधिक आर्थिक, कुशल और विश्वसनीय किस्म विकसित हो सके।

आपदा प्रबंधन

1. फ्लडवॉच ऐप

वर्तमान संदर्भ

केंद्रीय जल आयोग ने 17 अगस्त 2023, को 'फ्लडवॉच' ऐप की शुरुआत की, जो एक दिन पहले ही बाढ़ आने की संभावना का पूर्वानुमान लगा सकता है।

विवरण

- यह ऐप (application) देश के सभी माप उपकरणों और अन्य उपकरण केन्द्रों पर बाढ़ की संभावनाओं से संबंधित -7 दिवसीय सलाह (advisory) भी प्रदान करता है।
- ऐप में बाढ़ की स्थिति के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी भी शामिल है, जिसे उपयोगकर्ता प्राप्त कर सकते हैं।

'फ्लडवॉच ऐप'

- इस मोबाइल एप्लिकेशन में भारत का मानचित्र शामिल है, जिस पर देश भर में स्थित जल केंद्रों को रंगीन वृत्तों से चिह्नित किया गया है जो बाढ़ के वर्तमान खतरे को दर्शाते हैं।
- अलग-अलग रंग निम्न अलग-अलग स्थितियों का संकेत देते हैं :
 - ✓ 'हरा' वृत्त दर्शाता है कि जल स्तर 'सामान्य' है और बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।
 - ✓ 'पीले' वृत्त दर्शाता है कि जल स्तर 'सामान्य से ऊपर' है।
 - ✓ 'नारंगी' रंग का वृत्त 'गंभीर' स्थिति का संकेत देता है।
 - ✓ 'लाल' रंग इंगित करता है कि जल स्तर सामान्य स्तर से काफी ऊपर है और बाढ़ का 'अत्यधिक' खतरा है।
- जब कोई किसी सर्कल पर क्लिक करता है, तो संबंधित केंद्र के बारे में कुछ निम्न जानकारी उपलब्ध होती है :
 - ✓ केंद्र पर वर्तमान जल स्तर
 - ✓ उस केंद्र पर पूर्व काल में प्राप्त उच्चतम स्तर
 - ✓ खतरे के स्तर के साथ-साथ चेतावनी इत्यादि के स्तर
- ये चेतावनियां अंग्रेजी या हिंदी में प्रस्तुत की जाती हैं। ऐप में आवाज-सक्षम संकेत ('voice-enabled prompt') का विकल्प भी उपलब्ध है।
- कोई भी व्यक्ति मानचित्र से सीधे केंद्र का चयन करके या दिए गए खोज बॉक्स में केंद्र का नाम खोजकर बाढ़ के पूर्वानुमान के साथ-

साथ सलाह से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।

- कहा जाता है कि ऐप में एक इंटरफ़ेस है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल है, जिसके कारण उपयोगकर्ता को जानकारी मिलती रहेगी, जिससे बाढ़ की घटनाओं के दौरान जोखिम कम हो जाएगा।

एप्लिकेशन की कार्य पद्धति

- एप्लिकेशन लगभग 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, वास्तविक समय में बाढ़ की नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए लगभग 338 केंद्रों से डेटा एकत्र करेगा।
- फ्लडवॉच ऐप उन्नत तकनीकों का उपयोग करने के लिए जानी जाती है, जिसमें 'सैटेलाइट डेटा विश्लेषण', 'वास्तविक समय की निगरानी' और 'गणितीय मॉडलिंग' शामिल है और जिससे बाढ़ के संबंध में समय पर और सटीक पूर्वानुमान मिलते हैं।
- उपयोगकर्ता इस एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यह आने वाले समय में अन्य ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध होगा।

ऐप का महत्व

- यह एप्लिकेशन सार्वजनिक उपयोग हेतु ऐसे समय में जारी किया गया है जब देश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि के खतरे का सामना कर रहा है।
- इस मोबाइल एप्लिकेशन की वजह से उपयोगकर्ता के लिए बाढ़ पूर्वानुमान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सुविधाजनक और आसानी से उपलब्ध हो गई है।
- एप्लिकेशन बाढ़ से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। बाढ़ के पूर्वानुमान के माध्यम से जीवन और पशुधन की क्षति को कम करने हेतु लोगों का समय पर स्थानांतरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
- बाढ़ पूर्वानुमान या बाढ़ सलाह के रूप में प्रदान की गई जानकारी अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी (लिखित और ऑडियो दोनों प्रारूपों) में उपलब्ध है। इस प्रकार, इसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकते हैं।

संभावित चुनौतियां

- फ्लडवॉच एप्लिकेशन में दी गई जानकारी साइबर खतरों से अछूता नहीं है, क्योंकि किसी भी गलत सूचना के परिणामस्वरूप बाढ़ के प्रभाव की उत्तेजना बढ़ सकती है।
- डिजिटल समावेशिता की कमी इस सूचना उपकरण की पहुंच में एक बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशिता की यह समस्या कई गुना बढ़ जाती है।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेडियो सिग्नल और नेटवर्क बुनियादी ढांचे में व्यवधान होने से एप्लिकेशन का कामकाज बाधित हो सकता है।

आगे की राह

- चूंकि साइबर हमलों के संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए।
- बढ़ती डिजिटल समावेशिता इस ऐप के सफल कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- एप्लिकेशन कार्यप्रणाली पर उपयोगकर्ता-समीक्षाओं और फीडबैक पर विचार करने और तदनुसार परिवर्तन लाने से एप्लिकेशन की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

2. भारत में आकाशीय बिजली की घटनायें

वर्तमान सन्दर्भ

हाल ही में आकाशीय बिजली को आपदा के रूप में वर्गीकृत करने की राज्यों की मांग के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि वह ऐसा करने के पक्ष में नहीं है।

विवरण

- केंद्र सरकार आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित करने को वरीयता नहीं देती है, क्योंकि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से इससे होने वाली मौतों को टाला जा सकता है।
- बिहार और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में अग्रणी रहे हैं जिन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित करने की मांग की है।
- इसके अधिसूचित होने के बाद पीड़ित व्यक्ति राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से मुआवजे के हकदार होंगे। एसडीआरएफ में धनराशि का लगभग 75 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान मानदंडों के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, ठंड और शीत लहर को आपदा माना जाता है जो एसडीआरएफ के अंतर्गत आते हैं।

एक भौगोलिक घटना के रूप में आकाशीय बिजली

- आकाशीय बिजली गिरना एक प्रचण्ड भू-जलवायु घटना है जो बादल के ऊपर और नीचे के बीच विद्युत आवेश में अंतर के कारण उत्पन्न होती है, जिससे बिजली की एक विशाल धारा का निर्माण होता है।
- वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन और क्रमिक वृद्धि से गर्मी उत्पन्न होती है, जो अंततः पानी के अणुओं को बर्फ में क्रिस्टलीकृत कर देती है।

- इन बर्फ के क्रिस्टलों के बीच टकराव से इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू हो जाता है, प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप बादल में एक धनात्मक रूप से आवेशित शीर्ष परत और ऋणात्मक रूप से आवेशित मध्य परत का निर्माण होता है।
- जब आवेश में अंतर एक सीमा से ऊपर चला जाता है, तो परतों के मध्य विद्युत की एक बड़ी ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो ऊष्मा उत्पन्न करके वायु स्तंभ का विस्तार करती है, जिससे कम्पित-तरंगें (shock-waves) निकलती हैं जो तीव्र ध्वनि के साथ गर्जन की आवाज उत्पन्न करती हैं।

आकाशीय बिजली एक आपदा

- वर्ष 2021 में 'प्रकृति की शक्तियों' के कारण होने वाली सभी आकस्मिक मौतों में से 40 प्रतिशत मौतें (एनसीआरबी डेटा) बिजली गिरने से हुईं। यह प्रवृत्ति अन्य प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों में वृद्धि का संकेत देती है।
- ऐसी घटनाओं की प्रवृत्ति देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग जैसे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और बिहार राज्यों में सबसे अधिक है। हालांकि, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे मध्य भारतीय राज्यों में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या अधिक है।
- आकाशीय बिजली गिरने के मामले में सर्वाधिक संवेदनशील राज्यों में से बिहार प्रमुख है, जहां हर साल बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। 25 जून, 2020 को आकाशीय बिजली गिरने से एक ही दिन में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।

आकाशीय बिजली की भौगोलिक व्याख्या

- जलवायु परिवर्तन के कारण तेज हुई ग्लोबल वार्मिंग का अत्यधिक खराब मौसम (जो आंधी और बिजली की गतिविधियों के साथ होती हैं) को प्रेरित करने में भूमिका हो सकती है।
- शहरों के आसपास बनाए गए **शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Islands)** मानव जनित गतिविधियों के घनत्व के कारण सामान्य से अधिक गर्म ताप उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक **मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली** की चमक पैदा हो सकती है।
- कृषि स्वरूप में अस्थिर परिवर्तन, प्राकृतिक रूप से संरक्षित परिदृश्यों में परिवर्तन, भूमि उपयोग स्वरूप में दीर्घकालिक परिवर्तन और वनों की कटाई स्थानीय जलवायु स्थितियों के दीर्घकालिक स्वरूप को अस्त-व्यस्त कर सकती है।
- प्रसुप्त कणिका पदार्थ (PM 1.0, PM 2.5) जैसे वायु प्रदूषकों के कारण एरोसोल के निर्माण से बादलों का निर्माण बढ़ जाता है, जिससे गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आवृत्ति बढ़ जाती है।

इन घटनाओं का प्रभाव

- 'वार्षिक आकाशीय बिजली रिपोर्ट 2021-2020' में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे भारत ने आकाशीय बिजली और तूफान के खतरे के कारण मानव जीवन, संपत्ति और आजीविका के बढ़ते नुकसान का सामना किया है। वर्ष 1972 से वर्ष 2019 के बीच आकाशीय बिजली गिरने से **करीब 90,632 लोग** मारे गए।
- ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए औपचारिक दिशानिर्देशों के अभाव के कारण आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों की बढ़ती आवृत्ति के कारण प्रशासन द्वारा नीतिगत प्रतिक्रिया को सुव्यवस्थित करना मुश्किल हो जाता है।

- अचानक और आकस्मिक प्रकृति (आंधी और आकाशीय बिजली का गिरना) के कारण नकारात्मक प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं, जिससे भविष्यवाणी करना और लोगों के लिए सावधानी बरतना मुश्किल हो जाता है।
- बादल से जमीन पर बिजली गिरना इस संबंध में विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह अपने उच्च विद्युत आवेश और अचानक उत्पन्न होने के कारण लोगों को इसका करंट लगा सकता है।

सुझाव

- भारत दुनिया भर में आकाशीय बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी प्रणाली वाले पांच देशों में से एक है, जो **बिजली गिरने से पहले (5 दिन-3 घंटे) पूर्वानुमान प्रदान करता है**। स्थानीय लोगों तक ऐसे पूर्वानुमानों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
- ऐसी घटनाओं के दौरान अपनाई जाने वाली मानक प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के बारे में **सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों को शिक्षित करने से जमीनी स्तर की क्षमता विकसित करने में मदद** मिल सकती है।
- इमारतों, स्कूलों, बस-स्टॉप जैसे मौजूदा अवसंरचनात्मक ढांचे का पुनर्निर्माण कर उन्हें आकाशीय बिजली के प्रति सहनशील बनाकर बिजली से होने वाली मौतों की तीव्रता को कम किया जा सकता है।
- ऐसी घटनाओं के दौरान स्थानीय समुदाय, पुलिस और समर्पित प्रथम-प्रतिक्रिया दलों की मदद से मृतकों की संख्या को कम करने के लिए **त्वरित-प्रतिक्रिया तंत्र** बनाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।
- प्रशासन द्वारा **रिमोट-सेंसिंग डेटा, उपग्रह-आधारित निगरानी** आदि का उपयोग करके तकनीकी उपयोग का तरीका अपनाया जा सकता है।

3. बाँध की सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन

वर्तमान संदर्भ

भारत में बाँधों के संबंध में दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई घटनाओं के मद्देनजर, बाँध सुरक्षा के व्यापक मुद्दे और जल संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका को महत्व मिला है।

बाँध की सुरक्षा

- बाँध एक अवरोध है, जो पानी के प्रवाह को रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप जलाशय का निर्माण होता है। बाँध पनबिजली उत्पन्न करने हेतु स्वतंत्र रूप से (जैसे- टिहरी बाँध) या संरक्षण, सामुदायिक सुरक्षा, ऊर्जा निष्कर्षण आदि जैसे व्यापक उद्देश्यों की

- पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं (जैसे- दामोदर नदी घाटी परियोजना) के एक भाग के रूप में बनाए जाते हैं।
- बाँध की सुरक्षा का कार्य, बाँध की परिचालन प्रभावशीलता में निरंतरता बनाए रखते हुए इससे संबंधित संभावित खतरों को कम करने के लिए बाँध में संरचनात्मक नवपरिवर्तन (Retrofitting), सुरक्षा करने और सतत प्रबंधन का कार्य है।

- भारत में जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट और संसाधनों की कमी के मद्देनजर बाँध सुरक्षा को बढ़ावा देने के उपाय देश में विवेकपूर्ण जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु एक संभावित नीति साधन के रूप में उभरे हैं।

बाँध की सुरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता

- भारत में बाँध जल-विद्युत ऊर्जा सृजित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो गैर-नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने के भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कार्य करता है।
- पानी के अतिप्रवाह, अस्थायी बाढ़ प्रबंधन और निर्माण-आधारित जोखिमों जैसी चुनौतियों की बढ़ती तीव्रता तत्काल उपायों की जरूरत पर बल देती है। उदाहरण- हाल के दिनों में, हिमाचल का पोंग बाँध।
- अस्थायी बाँध प्रबंधन प्रणाली किसी क्षेत्र के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करने के साथ-साथ इसकी बहुत सी पर्यावरणीय सुभेद्यताओं को सामने लाती है, जैसा कि हाल के दिनों में हिमालयी राज्यों में बाँधों के निर्माण और क्षेत्र में भू-आकृतिकीय आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के संबंध में देखा गया है।

बाँध की सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रावधान

- बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण के माध्यम से सभी निर्दिष्ट बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव को अनिवार्य करने के साथ-साथ बाँध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के माध्यम से नीति विश्लेषण करता है।
- नीति-निर्माण और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर संघ और राज्यों के बीच प्रभावी संघीय समन्वय, जिसके परिणामस्वरूप बाँध की सुरक्षा पर राज्य समिति, राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों आदि जैसे राज्य संस्थानों का सशक्तिकरण होगा।
- 'नियम वक्र' (Rule Curve) को बनाए रखते हुए परिचालन सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसे सार्वजनिक क्षेत्र (डोमेन) में रखना और बदलते हुए पर्यावरणीय कारकों के अनुसार इसका लगातार पुनर्मूल्यांकन करना।
- भारत में मौजूदा बाँधों की पुरानी संरचनाओं की समस्याओं को दूर करने और उन्हें आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुसार फिर से तैयार करने के लिए संरचनात्मक नवपरिवर्तन (Retrofitting) करना।

जल संसाधन प्रबंधन के बारे में

- जल संसाधन प्रबंधन सतत विकास लक्ष्यों के छठे लक्ष्य (स्वच्छ जल और स्वच्छता) के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए

भारत में जल संसाधनों को सतत रूप से प्रबंधन करने और उनके अनुवर्ती दुरुपयोग को रोकने के तरीकों, विधियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का कार्य है।

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक प्रति व्यक्ति पानी की औसत उपलब्धता 1588 घन (क्यूबिक) मीटर से घटकर आधे से भी कम हो जाएगी। भारत में पानी की ऐसी कमी के संदर्भ में, जल संसाधन प्रबंधन एक अपरिहार्य वास्तविकता है।

जल संसाधन प्रबंधन की चुनौतियाँ

- जोन IV और V में आने वाले अधिसंख्य बाँधों से युक्त हिमालयी क्षेत्र के साथ भारत की अधिकांश मुख्य भूमि भूकंपीय रूप से सक्रिय है, जिससे निपटने की एक स्थायी समस्या के साथ जल संरक्षण के प्रयासों में बाधा पहुंचती है।
- जल संचयन के तरीकों को मुख्यधारा में लाने की कमी, औसत घरों में पानी का अनियमित उपयोग और कृषि में जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, हमारे विकल्पों को बाधित करता है।
- औद्योगिक अपवाह के कारण जल प्रदूषण की बढ़ती दर पानी को उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना रही है, जैसा कि पूर्वी भारत के प्रमुख हिस्सों में आर्सेनिक प्रदूषण के रूप में देखा गया है।
- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याएँ और खराब मौसम, जैसे-बादल फटना, बे-मौसम अत्यधिक बारिश आदि, बाँधों और बैराजों जैसे मौजूदा प्रबंधन करने वाले बुनियादी ढाँचे पर दबाव डालते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आने के साथ-साथ जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है।

सुझाव

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय जल मिशन का व्यापक कार्यान्वयन आवश्यक है, जिसका उद्देश्य समग्र जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना है।
- जल संसाधन के प्रबंधन के बहुआयामी पहलुओं जैसे सूक्ष्म सिंचाई के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना, वर्षा जल संचयन के लिए जल शक्ति अभियान आदि को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए दूरदर्शी नीतिगत उपायों को एकीकृत और प्रभावी किया जाना चाहिए।
- परिशुद्ध खेती (Precision Agriculture), रिमोट सेंसिंग (उदाहरण के लिए इसरो द्वारा भुवन ऐप), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आदि जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को अपनाने से ऐसी नीतियों को क्रियान्वित करने की दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

4. अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना

वर्तमान संदर्भ

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

विवरण

- भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान 'कोई मौत नहीं होने' और संपत्ति के न्यूनतम नुकसान को सुनिश्चित कर देश को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं।
- संबंधित राज्य सरकार को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत योगदान देना होगा, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्य अपने बजटीय संसाधनों से केवल 10 प्रतिशत योगदान देंगे।

अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण की योजना

- पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने तैयारियों और क्षमता निर्माण के वित्तपोषण कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund-NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund-SDRF) प्रत्येक के लिए 12.5 प्रतिशत आवंटन की सिफारिश की। [राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (NDRMF) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (SDRMF) के कुल कोष का 10 प्रतिशत]

भारत में अग्निशमन सेवाएं

- भारत में अग्निशमन सेवाओं का इतिहास दो सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है।
- प्रारंभ में, यह देश के तीन मुख्य बंदरगाह शहरों- मुंबई (1803), कोलकाता (1822) और चेन्नई (1908) तक ही सीमित था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अग्निशमन सेवा के विकास को बढ़ावा मिला।
- अग्निशमन सेवा अब राज्य का विषय है और इसे अनुच्छेद -243 W के संदर्भ में भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिका के एक कार्य के रूप में शामिल किया गया है।
- गृह मंत्रालय ने अग्निशमन सेवा से संबंधित मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए नागरिक सुरक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद (SFAC) का गठन किया, जिसमें सभी राज्यों के अग्निशमन प्रमुखों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है ताकि एनडीआरएफ की तैयारियों और क्षमता निर्माण घटक के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
- एनडीआरएफ की तैयारियों एवं क्षमता निर्माण घटक के माध्यम से अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु गतिविधियाँ 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण' को राज्य स्तर पर प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जायेगा।

निधि आवंटन

- योजना के अंतर्गत निधि (धन) आवंटन राज्यों के साथ 75:25 के लागत-साझाकरण (उत्तर-पूर्वी पहाड़ी राज्यों को छोड़कर, जो 90:10 के अनुपात में है) के आधार पर है।
- यदि केंद्र निर्धारित गतिविधियों के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपये आवंटित करेगा, तब राज्यों का योगदान 1387.99 करोड़ रुपये होगा।
- कुल परिव्यय में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी अवसंरचनात्मक सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित की गई है।
- घटक/गतिविधियां और उनका आवंटन प्रतिशत निम्नानुसार होगा :
 - ✓ नए अग्निशमन केंद्रों, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 35 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई।
 - ✓ आधुनिक अग्निशमन उपकरणों के प्रावधानों, राज्य मुख्यालयों और शहरी अग्निशमन केंद्रों को मजबूत करने, तकनीकी विकास और ऑनलाइन प्रणाली की स्थापना और बढोत्तरी आदि के लिए 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई।
 - ✓ 15 प्रतिशत धनराशि राज्य की विशिष्ट मांग के लिए आवंटित की गई।

आपदा जोखिम कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नलिखित हैं

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना

- आपदा मित्र योजना
- कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल-आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली (सचेत)
- एनडीआरएफ का स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (SSP)
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP)
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और जिला स्तरों पर एनजीओ-समन्वय केंद्र
- सामुदायिक आपदा जागरूकता पर एनडीआरएफ छद्म अभ्यास योजना
- आपदा जोखिमों के प्रबंधन के लिए एनडीएमए दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस

- कर्तव्य के दौरान अपने जीवन का बलिदान देने वाले अग्निशमकों को श्रद्धांजलि देने और अग्निशमन सेवा के महत्व पर जोर देने के लिए 14 अप्रैल को पूरे भारत में **राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा (NFS) दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

उपरोक्त योजनाओं का महत्व

- राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करना और उन्हें आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना।

5. हिमाचल प्रदेश में आकस्मिक बाढ़

वर्तमान संदर्भ

लगातार बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बार-बार भूस्खलन और चट्टानों के खिसकने की घटनाएं देखी गई हैं।

विवरण

- मूसलाधार बारिश और **बादल फटने** से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए।
- भूस्खलन और बाढ़ के कारण **शिमला-कालका राष्ट्रीय राजमार्ग** और **शिमला-मतौर रोड** सहित 750 से अधिक सड़क मार्ग बंद हो गए हैं।
- बिलासपुर जिले में भी **आकस्मिक बाढ़** के कारण प्रमुख अवसंरचनात्मक ढांचे की हानि होने की सूचना मिली।

- अग्निशमन सेवाओं में सुधार लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
- अग्नि सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना।
- एक आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना।
- अग्निशमन केंद्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास और ऑनलाइन प्रणाली के लिए धन का आवंटन होने से विविध आपदा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलती है।
- आपदा प्रबंधन में भारत की अंतर्राष्ट्रीय अवस्थिति में सुधार लाना।

आगे की राह

- अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना को तत्परता से क्रियान्वित किया जाय।
- राज्यों को आवंटित धन का उचित उपयोग और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हुए परियोजना प्रस्तावों में तेजी लानी चाहिए।
- बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय, सार्वजनिक सहभागिता और निरंतर प्रशिक्षण प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- यह समग्र दृष्टिकोण आपदा प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करेगा, नुकसान को कम करेगा और एक प्रतिरोध क्षमता पूर्ण राष्ट्र की दिशा में भारत की यात्रा को आगे बढ़ाएगा।

आकस्मिक बाढ़ क्या है?

- भारी वर्षा, अचानक बर्फ पिघलने, बांध या तटबंध के विफल होने या अन्य कारणों से कम समय में घटित तीव्र बाढ़ की घटना को आकस्मिक बाढ़ की संज्ञा दी जाती है।
- आकस्मिक बाढ़ की **विशेषता** उनकी तीव्र शुरुआत एवं नदियों, झरनों और निचले इलाकों में जल स्तर का तेजी से बढ़ना है।
- आकस्मिक बाढ़ें अपनी तीव्रता के लिए जानी जाती हैं और अपनी अप्रत्याशितता तथा विकास की गति के कारण बेहद खतरनाक हो सकती हैं।
- आकस्मिक बाढ़ ढलानों को काटकर भूस्खलन को तेज कर सकती है।

पहाड़ी क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ का प्रभाव

- **जीवन की हानि** : तेज जलधाराओं के कारण आकस्मिक बाढ़ से लोगों की जान जा सकती है।
- **संपत्ति का नुकसान** : बाढ़ का पानी घरों, बुनियादी ढांचे और कृषि को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है।
- **कटाव** : तीव्र अपवाह मिट्टी को नष्ट कर देता है, परिदृश्य बदल देता है और कृषि भूमि को प्रभावित करता है।
- **व्यवधान** : सड़कें और पुल नष्ट हो सकते हैं, जिससे समुदाय और सेवाओं का सम्पर्क समाप्त हो सकता है।
- **पर्यावरणीय क्षरण** : बाढ़ द्वारा लाए गए तलछट और प्रदूषक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने का प्रभाव

- **आकस्मिक बाढ़** : बादल फटने से तीव्र वर्षा के कारण तेजी से और स्थानीय स्तर पर बाढ़ आती है।
- **भूस्खलन** : मिट्टी की संतृप्ति से भूस्खलन हो सकता है, संपत्ति को नुकसान हो सकता है और जोखिम पैदा हो सकता है।
- **संचार व्यवधान** : अवसंरचनात्मक ढांचे की क्षति संचार और आपातकालीन बचाव-राहत कार्य को बाधित करती है।
- **सामुदायिक अलगाव** : अवरुद्ध सड़कें समुदायों को अलग-थलग कर देती हैं, जिससे निकासी और सहायता उपलब्ध कराने में बाधा आती है।
- **आर्थिक प्रभाव** : घरों, कृषि और बुनियादी ढांचे को नुकसान होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

आकस्मिक बाढ़ के कारण

- तीव्र वर्षा, तेजी से बर्फ पिघलने, बांध टूटने, शहरीकरण के कारण जल अवशोषण में कमी और मलबे या बर्फ जैसी बाधाओं से जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने की वजह से आकस्मिक बाढ़ आती है।
- **खड़ी भूमि, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन** भी इनके आने के कारणों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अचानक आने वाली बाढ़ अपनी तीव्र शुरुआत और उच्च जल वेग के कारण बड़े खतरे पैदा करती है।
- क्षेत्र में बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव का एक मुख्य कारण **जलविद्युत परियोजनाओं का अनियंत्रित निर्माण** है, जिसने मूलतः पहाड़ी नदियों को केवल धाराओं में बदल दिया है।
- बादल फटने से नदियों और झरनों में जल स्तर के तीव्रता से बढ़ने से अचानक बाढ़ आ सकती है।

बादल फटना क्या है?

- बादल फटने का अर्थ बहुत कम समय में होने वाली अत्यधिक वर्षा से है, जो कभी-कभी ओलावृष्टि और गरज के साथ होती है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) इसे लगभग 20 से 30 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिघंटे 100 मिमी (या 10 सेमी) से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के रूप में परिभाषित करता है।
- इस तरह की भारी मात्रा में वर्षा के परिणामस्वरूप अचानक बाढ़ आ सकती है।
- बादल फटने की घटना, विशेष रूप से **पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य घटना** होती है जहां नम हवा तेजी से ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है, जिससे तेजी से संघनन और वर्षा होती है।

बादल फटने की क्रिया

- पहाड़ी इलाकों में, कभी-कभी वर्षा में परिवर्तित होने के लिए तैयार संतृप्त बादल, हवा की गर्म धारा के ऊपर की ओर बढ़ने के कारण बारिश नहीं कर पाते हैं।
- वर्षा की बूंदें नीचे की ओर गिरने के बजाय वायु प्रवाह द्वारा ऊपर की ओर चली जाती हैं। फिर नई बूंदें बनती हैं जिससे मौजूदा वर्षा की बूंदों के आकार में वृद्धि हो जाती है।
- एक सीमा के बाद, बारिश की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल उनका भार नहीं सह पाते और वे तेजी से एक साथ नीचे गिरती हैं।
- बादल फटने से होने वाली वर्षा खड़ी ढलानों को संतृप्त कर देती है, जिससे स्थिरता कम हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण गति तथा मलबे के प्रवाह में वृद्धि के कारण भूस्खलन होता है।

भूस्खलन

- भूस्खलन को केवल ढलान के नीचे **चट्टान, मलबे या मिट्टी के बड़े पैमाने पर प्रवाह** के रूप में परिभाषित किया गया है अतः इसमें गति की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिससे **गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरने, फिसलने और बहने से मिट्टी विस्थापित** हो जाती है। यह अक्सर भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण घटित होता है।
- हिमालय सहित भारत के पहाड़ी इलाकों में, भूस्खलन एक प्रमुख और व्यापक रूप से फैली हुई प्राकृतिक आपदा रही है जो अक्सर जीवन और संपत्ति की हानि के कारण प्रमुख चिंता का विषय बन जाती है।

पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का प्रभाव

- **संरचनात्मक क्षति :** भूस्खलन इमारतों, सड़कों और जनोपयोगी सेवाओं को नुकसान पहुंचता है या नष्ट कर देता है।
- **जीवन की हानि :** भूस्खलन में फंसे लोगों को चोट लगने या जान का जोखिम होता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव :** मिट्टी का क्षरण, प्राकृतिक निवास स्थान में व्यवधान और जल प्रदूषण हो सकता है।
- **विस्थापन :** भूस्खलन होने से लोगों को अपने घरों को खाली करने और अस्थायी आश्रय लेने के लिए मजबूर कर सकता है।
- **आर्थिक नुकसान:** बुनियादी ढांचे की मरम्मत, पुनर्प्राप्ति प्रयास और संपत्ति की क्षति होने पर आर्थिक नुकसान होता है।

हिमालय में भूस्खलन की संभावना अधिक क्यों है?

- टेक्टॉनिक प्लेटों (इंडियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट) के लगातार टकराव ने खड़ी ढलान और कमजोर चट्टानी संरचनाओं का निर्माण किया है, जिससे यह क्षेत्र भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील हो गया है।
- तीव्र मानसूनी वर्षा से मिट्टी संतृप्त हो जाती है, जिससे भूस्खलन शुरू हो जाता है क्योंकि पानी से भरी ढलानें अस्थिर हो जाती हैं।
- तीव्र झुकाव वाला उच्चावचीय हिमालयी क्षेत्र जल प्रवाह को तेज करता है, मिट्टी का क्षरण करता है और भूस्खलन का कारण बनता है।
- ग्लेशियर के पिघलने से अस्थिर चट्टान और तलछट उजागर हो जाती है, जो बार-बार चट्टानों के गिरने में और भूस्खलन में योगदान करती है।
- वनों की कटाई, निर्माण और शहरीकरण प्राकृतिक ढलानों को बाधित करते हैं, स्थिरता कम करते हैं जिससे भूस्खलन का खतरा और भी बढ़ जाता है।

मानव निर्मित कारण

- उत्खनन (विशेषकर ढलान के सिरे पर)
- ढलान शिखर का भार
- जलावतलन (जलाशय का)
- वनों की कटाई
- सिंचाई
- खुदाई
- कृत्रिम कंपन
- उपयोग के लिए जल जमाव और रिसाव

शमन के उपाय

- जल निकासी सुधार
- भूमि का उचित उपयोग
- नष्ट हो चुकी वनस्पति वाले क्षेत्रों के लिए पुनर्वनीकरण
- स्थानीय लोगों में जागरूकता पैदा करना

आपदा प्रबंधन के लिए सरकार की पहल

- राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम शमन परियोजना (NFRMP)
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
- राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, 1976

भारत में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र

हिमालय क्षेत्र

- पश्चिमी हिमालय (जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश)
- पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिमालय (अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल)
- नागा-अराकन पर्वत क्षेत्र (नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा)

प्रायद्वीपीय भारत

- पश्चिमी घाट क्षेत्र (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु)
- प्रायद्वीपीय भारत का पठारी किनारा और उत्तर-पूर्व भारत में मेघालय का पठार

आगे की राह

- आकस्मिक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की आशंका वाले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना अपरिहार्य है।
- इसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन में सुधार करना, स्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा देना, वनीकरण और समुदायों को आपदा तैयारियों के बारे में शिक्षित करना शामिल है।
- इन प्राकृतिक जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए अधिकारियों, स्थानीय लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों के सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

6. स्पंज सिटी

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में चीन में आई बाढ़ के कारण कई शहर डूब गये और इसके परिणामस्वरूप अपार जन-धन की हानि हुई, जिससे चीन की 'स्पंज सिटी' विचार की प्रभावशीलता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए।

विवरण

- शहर में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण जुओझोउ (Zhuozhou) जैसे उत्तरी चीनी प्रांतों से निवासियों को निकाला जा रहा है।
- बाढ़ और अन्य भूवैज्ञानिक आपदाओं के कारण जुलाई माह में चीन के लगभग 142 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के लापता होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण ढाँचाओं को भी नुकसान हुआ।
- चीन के आपातकालीन मंत्रालय के अनुसार इन आपदाओं से चीन को लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है।

स्पंज सिटी

- चीन द्वारा 'स्पंज सिटी' की अवधारणा को वर्ष 2014-15 में शहरी सतही जल प्रबंधन की एक पद्धति के रूप में अपनाया गया।
- यह कदम चीनी शहरों में शहरी बाढ़ और जल जमाव की लगातार बढ़ती हुई समस्या के प्रबंधन के लिए उठाया गया था।
- इस पहल का उद्देश्य पारगम्य डामर या एस्फाल्ट (permeable asphalt), नहर और तालाब निर्माण, आर्द्रभूमि पुनरुत्थान आदि जैसे वास्तुशिल्प, इंजीनियरिंग और ढाँचागत बदलावों के माध्यम से वर्षा जल का उचित उपयोग करना है, ताकि जलभराव के मामलों को कम किया जा सके।
- इस तरह की पहल की आवश्यकता बड़े पैमाने पर शहरीकरण और विशेष रूप से नदी तटों और बाढ़ के मैदानों के पास भूमि को अभेद्य कंक्रीट से घेरने के कारण उत्पन्न हुई।
- चीन द्वारा जारी वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 180 शहर प्रति वर्ष बाढ़ के खतरे का सामना करते हैं, और 600 से अधिक बड़े और मध्यम शहर शहरी बाढ़ की चपेट में आते हैं।

स्पंज सिटी की 'प्रभाविकता' का दावा

- स्पंज सिटीज को वर्षा के दौरान अधिक पानी को अवशोषित करके बाढ़ से निपटने के लिए जाना जाता था।
- यह भी दावा किया गया था कि स्पंज सिटी नदियों, छोटे झाड़ियों और मिट्टी में अधिक पानी रोक सकते हैं, जिससे वे सूखे के खिलाफ भी लचीले बन सकते हैं।

इसकी असफलता के कारण

उचित कार्यान्वयन का अभाव

- हालाँकि इसकी शुरुआत एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में हुई थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाया।
- वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में कुल 30 पायलट स्पंज सिटीज का चयन किया गया था। अब तक 654 शहरों में से केवल 64 (जो शहरी बाढ़ के संकट का सामना कर रहे हैं) ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कानून पारित किया है।

परियोजना का अप्रभावी होना

- प्रभावशीलता और जल-अवशोषित क्षमता के सभी दावों के बावजूद, यह पाया गया कि स्पंज सिटी प्रतिदिन केवल 200 मिलीमीटर तक के वर्षा का ही प्रबंधन कर सकते हैं।
- इसलिए, यह 2021 में इतिहास की सबसे भारी वर्षा के प्रभाव को झेलने में सक्षम नहीं था। यह जुलाई, 2023 के तूफानों के विरुद्ध भी विफल रहा।

भारत के लिए सबक : एक सुविचारित दृष्टिकोण की जरूरत

- भारत में हाल के दिनों में मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों में शहरी बाढ़ की घटनाएँ देखी गई हैं। हाल ही में दिल्ली को भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है। इसलिए, शहरी बाढ़ से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण को स्पंज सिटीज की विफलताओं से सीखकर संतुलित किया जाना चाहिए।
- इसे समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ तंत्र विकसित करके लागू किया जा सकता है, जिसके माध्यम से शहरों की जल-अवशोषित क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
- इसके अलावा, मौजूदा 'ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर' को और अधिक लचीला बनाने के लिए इसमें सुधार किया जाना चाहिए।
- अब समय आ गया है कि भारत को निम्नलिखित विभिन्न स्तरों पर शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए 'प्रकृति-आधारित समाधान' पर काम करना चाहिए :

✓ श्रेणी 1 स्तर पर : गाँव/स्थानीय स्तर

- वर्षा जल संचयन
- अर्बन रुफ टेरिस ग्रीनिंग और जल प्रतिधारण टैंक
- आवासीय भवनों के चारों ओर हरे भरे गलियारे, वर्षा उद्यान, हरे भूदृश्य, इत्यादि।

✓ श्रेणी 2 स्तर पर : शहर स्तर

- एक समर्पित 'प्रकृति-आधारित समाधान' ग्रिड की स्थापना (स्पंज सिटीज के विचार के समान लेकिन अधिक दक्षता के साथ)।

✓ श्रेणी 3 स्तर पर : राष्ट्रीय स्तर

- इन प्रकृति-आधारित समाधानों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीतियों में 'जलवायु अनुकूलन तंत्र' के रूप में एकीकृत किया जा सकता है और इसके लिए उचित फंड आवंटित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- बढ़ती हुई भूमंडलीय ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) और जलवायु परिवर्तन की लगातार घटनाओं के साथ वर्षा के स्वरूप और तीव्रता में बदलाव के कारण शहरी बाढ़ का खतरा निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। इसलिए, एक अधिक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, तथा प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढाँचे का विकास करना भविष्य का कदम हो सकता है।

स्व कार्य हेतु

अर्थव्यवस्था

1. 'T+1' निपटान चक्र

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, भारतीय पूँजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि वह भारत के शेयर बाजारों में लेनदेन को उचित समय पर निपटान करने पर काम कर रहा है।

विवरण

- सेबी ने निपटान चक्र को T+2 (जनवरी, 2023 में) से कम करके ट्रेड-प्लस-वन (T+1) करने के बाद यह घोषणा की।
 - ✓ 27 जनवरी से इक्विटी खंड में सभी शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, जिनमें शेयर, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs), इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvITs), सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB), सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेडिंग शामिल हैं, को T+1 आधार पर निपटान किया जा रहा है।
- T+1 के वर्तमान चक्र का मतलब है कि व्यापार-संबंधित निपटान एक दिन के भीतर या वास्तविक लेनदेन के 24 घंटों के भीतर होता है।
- म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए तत्काल निपटान का मतलब यह है कि उन्हें अपने प्रतिदान से प्राप्त आय अधिक तेजी से प्राप्त होगी।
- सेबी का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2025 तक रियल-टाइम लेनदेन निपटान प्रक्रिया को शुरू करना है।

व्यापार निपटान

- 'निपटान' एक दोतरफा प्रक्रिया है, जिसमें निपटान तिथि पर धन और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण शामिल होता है।
- पारंपरिक T+2 निपटान प्रणाली के अंतर्गत लेनदेन का निपटान व्यापार तिथि के दो व्यावसायिक दिनों के बाद होता है।
- किसी व्यापारिक दिन पर निष्पादित सभी व्यापार का निपटान अगले कार्य दिवस पर, अर्थात्, पारंपरिक दो-दिवसीय निपटान चक्र के बजाय T+1 के आधार पर, किया जाता है।
- जनवरी, 2023 में, भारत चीन के बाद दूसरा शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला देश बन गया, जिससे परिचालन दक्षता, तेज धन प्रेषण, शेयर प्रदायगी और शेयर बाजार प्रतिभागियों के लिए आसानी हुई।

T+0 या त्वरित निपटान

- त्वरित निपटान उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें शेयरों या इकाइयों को खरीदने या बेचने का लेनदेन तुरंत प्रोसेसिंग और पूरा होता है।
- एकीकृत भुगतान अन्तराफलक यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), ऑनलाइन डिपॉजिटरी और टेक्नोलॉजी स्टैक जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली के साथ ट्रेडों का उसी दिन या 'T+0' निपटान संभव होगा।
- T+0 निपटान चक्र के तहत, यदि निवेशक शेयर बेचते हैं, तो बेचने वालों को तुरंत उसके खाते में पैसा मिल जाएगा और खरीदारों को उसी दिन उनके डीमैट खाते में शेयर मिल जाएंगे।

त्वरित निपटान की आवश्यकता

- दुनिया में ऐसे बहुत कम ऐसे बाजार हैं, जो T+1 में निपटान करते हैं। कई देश समझौते को T+2 से T+1 पर लाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।
- इससे व्यापारियों और निवेशकों के लिए तरलता बढ़ेगी और अंततः कुल मात्रा में वृद्धि होगी।
- तत्काल निपटान की शुरुआत से नकदी हस्तांतरण पर सीधा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे बिना किसी देरी के शेयरों में निवेश बढ़ने से इसके आकार बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है।
- अभी, निवेशकों को नकद खंड में एक और शेयर खरीदने के लिए निपटान की प्रतीक्षा करनी होगी या स्टॉकब्रोकर द्वारा दी गई सीमा पर भरोसा करना होगा।
- इस तरह के घटनाक्रम से स्टॉकब्रोकरों को भी मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ग्राहकों को दिए जाने वाले मार्जिन पर चूक के कारण जोखिम की मात्रा काफी कम हो जाएगी।

निवेशकों के लिए त्वरित निपटान कितना प्रासंगिक है (How Instant Settlement is Relevant to Investors)?

- **फंड की त्वरित पहुँच** : त्वरित निपटान के साथ निवेशक बिक्री से धन या खरीद से शेयरों तक तुरंत पहुँच सकते हैं, जिससे उनके पोर्टफोलियो प्रबंधन की तरलता बढ़ जाती है।
- **अल्पकालिक व्यापार के अवसरों का लाभ उठाना**: T+0 निवेशकों को अल्पकालिक व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने की भी अनुमति देगा, क्योंकि वे निपटान की प्रतीक्षा किए बिना बिक्री से प्राप्त आय को तुरंत नई खरीद में पुनर्निवेशित कर सकते हैं।
- **व्यापार की मात्रा में वृद्धि** : म्यूचुअल फंड निवेशकों को लाभ होगा, क्योंकि शीघ्र निपटान चक्र से फंड की त्वरित प्राप्ति होगी, जिससे सुविधा और तरलता की एक और परत जुड़ जाएगी।
- **धोखाधड़ी में कमी** : यह निवेशकों को ट्रेडिंग से पहले अपने डीमैट

खातों में पर्याप्त धनराशि रखने के लिए बाध्य बनाएगा। इस प्रकार यह धोखाधड़ी के जोखिम को कम करेगा और विवेकपूर्ण ट्रेडिंग प्रचलनों को मजबूत बनाएगा।

निष्कर्ष

- तत्काल निपटान से बाजारों में शेयरों की खरीद-बिक्री आसान और तेज़ हो जाती है। इससे पारदर्शिता में सुधार करने और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के साथ-साथ समग्र बाजार में लागत दक्षता व पारदर्शिता में सुधार होगा। एकरूपता सुनिश्चित करने से दक्षता में भी सुधार होगा। सेबी अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण में मदद करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और अन्य हस्तक्षेपों का उपयोग करके नई इक्विटी जारी करने, ऋण देने, म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए अनुमोदन की गति बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

2. अप्रत्याशित कर

वर्तमान संदर्भ

केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को लगभग 1600 रुपया/टन से बढ़ाकर 4250 रुपया/टन करने का निर्णय लिया है।

विवरण

- मई, 2023 में, इस कर को हटाने के बाद 15 जुलाई को इसे फिर से लागू कर दिया गया।
- डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) में 1रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि होगी, जबकि पेट्रोल और ATF (Aviation Turbine Fuel-विमानन टरबाइन ईंधन) के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा यानी यह शून्य ही रहेगा।

- सरकार के इस कदम के पीछे का संभावित कारण यह हो सकता है कि सरकार तेल, पेट्रोलियम और अन्य ऊर्जा स्रोतों से अतिरिक्त राजस्व अर्जित करना चाहती है।

विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

- जैसा कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत उल्लेख किया गया है, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क है, जो अनुसूची 8 के तहत उल्लिखित हैं और भारत में निर्मित हैं। यह एक प्रकार का उत्पाद शुल्क है, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिभार के रूप में लगाया जाता है।

अप्रत्याशित कर

- **अप्रत्याशित कर (Windfall Tax)**, यह एक ऐसा कर है, जिसे सरकार कंपनियों द्वारा अर्जित अप्रत्याशित (supernatural) लाभ पर लगाती है। जब कंपनियाँ कुछ विशेष अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अधिक लाभ कमाती हैं, तो सरकारें अर्जित लाभ पर सामान्य करों के अतिरिक्त कर लगाती हैं। यह कर आमतौर पर उपकर के रूप में लगाया जाता है तथा कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन पर लाभांश (margin) में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने के बाद इसे हर पखवाड़े में संशोधित किया जाता है।

इस प्रकार के अप्रत्याशित कर लगाने के उदाहरण

- भारत में कई तेल उत्पादक और ईंधन निर्यातक उद्यमों पर ऐसे कर लगाए गए थे, जब रूस-यूक्रेन संकट के कारण ये कंपनियाँ असाधारण मुनाफ़ा कमा रही थीं।
- वर्ष 2022 में, ईंधन की कीमतें बढ़ जाने की वजह से ओएनजीसी और गेल जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने सबसे अधिक शुद्ध लाभ प्राप्त किया।

- साथ ही, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण रुपये में गिरावट आ रही थी और सरकार का आयात बिल बढ़ रहा था।
- इसके अलावा, सरकार संकट के दौरान लोगों को खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिक खर्च कर रही थी, जिससे उसके खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रही थी।
- इस प्रकार, इस कर का उद्देश्य सरकार की आय में वृद्धि करना और उसके भंडार में स्थिरता बनाए रखना था।

तेल, गैसों एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जानेवाले अन्य कर

- चूँकि कच्चे तेल के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पाद भी जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन उत्पादों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के निम्न कर लगाए जा रहे हैं:
- **केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर :** केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, साथ ही केंद्रीय बिक्री कर जैसे कर लगा सकती है।
- **राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर :** इसी प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कुछ अप्रत्यक्ष करों में वैट यानी मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर, चुंगी के साथ-साथ स्थानीय निकाय कर भी शामिल हैं।

अप्रत्याशित कर लगाने के संभावित प्रभाव

- इस अप्रत्याशित कर (उपकर के रूप में) लगाने से तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और निर्यात करने वाली कंपनियों की कर देनदारी और बढ़ जाएगी।
- इस कर देनदारी की भरपाई के लिए कंपनियाँ या तो अपने वास्तविक

लाभांश को छिपाने की कोशिश करेंगी या घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। अतिरिक्त कर लगाने की यह परंपरा अनुचित भी साबित हो सकती है, क्योंकि कंपनियाँ व्यवसाय करने के लिए इच्छुक नहीं हो सकती हैं। इससे जीडीपी और देश की आर्थिक वृद्धि में कमी आएगी।

- वास्तविक लाभांश को छिपाने के मामले में कंपनियाँ विभिन्न तंत्रों जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग आदि के माध्यम से कराधान से बचने की कोशिश करेंगी, जबकि ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मामलों में घरेलू बाजार में ऐसे ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, जिसके परिणामस्वरूप ईंधन मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी।
- इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश भारतीय लोगों की क्रय शक्ति कम है, जिससे उनके लिए महँगा ईंधन खरीदने में समस्या पैदा होगी।
- यदि ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी तो पूरी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति के जोखिम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन के साथ-साथ अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी। समाज के निम्न आय वाले और गरीब लोग ऐसी स्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होंगे।

निष्कर्ष

- चूँकि यह कर लगाने से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी, इसलिए ऐसे अतिरिक्त संसाधनों को लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि, इस कदम के निहितार्थों की भी गणना की जानी चाहिए, ताकि कल्याण सुनिश्चित करने के साथ-साथ व्यवसायों के हितों का भी ध्यान रखा जा सके।

3. तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं

वर्तमान संदर्भ

मुद्रास्फीति नियंत्रित दबाव में होने के कारण जून तिमाही में, ग्रामीण बिक्री वृद्धि में 4 प्रतिशत के कुछ सुधार के बाद एफएमसीजी क्षेत्र को राहत मिली।

विवरण

- उम्मीद है कि इस क्षेत्र में आने वाली तिमाहियों में ग्रामीण मांग के रुझान में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। हालाँकि, कृषि-आय पर अनियमित मौसम स्वरूप और अल नीनो के प्रभाव की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता होगी।
- सरकार द्वारा किए गए ग्रामीण व्यय की बढ़ी हुई मात्रा और सरकार के पूंजीगत व्यय निवेशों में वृद्धि ने ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्तर की समग्र स्थिति में मदद की है।

एफएमसीजी क्या है?

- तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं (Fast Moving Consumer Goods-FMCG) वैसी उच्च कारोबार वाली उपभोक्ता पैकेट युक्त वस्तुएं होती हैं जो कम समय में ही उत्पादित, वितरित, विपणन और उपभोग की जाती हैं।
- ये उपभोक्ता उत्पाद बार-बार उपयोग, त्वरित खपत, उच्च मांग और कम लागत के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे- घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, औषधीय, उपभोक्ता

इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेटयुक्त खाद्य उत्पाद, चॉकलेट आदि।

- एफएमसीजी उद्योग में बिक्री में घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों का हिस्सा 50 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा 31-32 प्रतिशत और शेष 19-18 प्रतिशत हिस्सा खाद्य तथा पेय पदार्थों का है।

भारत में एफएमसीजी क्षेत्र

- **महत्व** : एफएमसीजी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो लगभग 3 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और देश में कारखानों में दिए गए कुल रोजगार का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा है।
- **जीडीपी** : भारत में एफएमसीजी की बिक्री में घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों का हिस्सा 50 प्रतिशत है। यह उद्योग भारत की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।

उपभोग

- ✓ भारत में एफएमसीजी उद्योग ग्रामीण और शहरी भारत के जनसांख्यिकीय आंकड़ों में विभाजित है।
- ✓ भारत में एफएमसीजी क्षेत्र द्वारा सृजित कुल राजस्व में शहरी क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता (लगभग 65 प्रतिशत की राजस्व हिस्सेदारी) है।
- ✓ अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और कुल ग्रामीण खर्च में एफएमसीजी उत्पादों का हिस्सा 50 प्रतिशत है।

विकास की संभावनाएं

- ✓ पिछले वित्तीय वर्ष (23-2022) में इस क्षेत्र के राजस्व में 8.5 प्रतिशत और मात्रा में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- ✓ CRISIL के अनुसार एफएमसीजी क्षेत्र का राजस्व वर्ष 24-2023 में 9-7 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले दो वित्तीय वर्षों के 8-9 प्रतिशत अंश की तुलना में थोड़ा धीमा है, भले ही ग्रामीण मांग में फिर से उछाल लाने हेतु मात्रा वृद्धि तय कर दी गई है।
- ✓ एफएमसीजी बाजार का कुल राजस्व वर्ष 27-2021 में 27.9 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR-Compound Annual Growth Rate) से बढ़ने की उम्मीद है, जो लगभग 615.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।

- एफएमसीजी क्षेत्र के प्रमुख विकास चालकों में शामिल तत्व : अनुकूल सरकारी पहल और नीतियां, बढ़ता ग्रामीण बाजार और युवा आबादी, नए ब्रांडेड उत्पाद और ई-कॉमर्स मंचों की वृद्धि।

भारत में एफएमसीजी क्षेत्र के विकास हेतु अग्रणी कारक

अनुकूल सरकारी पहल और नीतियां

केंद्रीय बजट 2024-2023

- ✓ खाद्य अवसंरचना अनुसंधान एवं विकास और नवाचार में प्रगति हेतु प्रोत्साहन।
- ✓ उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए 976 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य आयात लागत को कम करना, घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, घरेलू क्षमता में वृद्धि करना और निर्यात को बढ़ावा देना है।

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** : भारत सरकार ने 'नकद दो और सामान ले जाओ' (cash and carry) खंड और सिंगल-ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ-साथ मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- ✓ साबुन, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल जैसे कई एफएमसीजी उत्पाद अब 24-23 प्रतिशत की पिछली दर के मुकाबले 18 प्रतिशत कर दायरे में आते हैं।
- ✓ खाद्य उत्पादों और स्वच्छता उत्पादों पर जीएसटी घटाकर क्रमशः 5-0 प्रतिशत और 18-12 प्रतिशत कर दिया गया है।
- ✓ जीएसटी से एफएमसीजी क्षेत्र में प्रचालन तंत्र (logistics) को एक आधुनिक और कुशल मॉडल में बदलने की उम्मीद है।

डिजिटलीकरण

- भारत में, जहां 80 प्रतिशत बिक्री अभी भी स्थानीय किराना स्टोरों से होती है, डिजिटलीकरण ने सुनिश्चित किया है कि ऐसे माध्यमों से ऑर्डर स्थिर रहें।
- एफएमसीजी कंपनियां ई-कॉमर्स की मदद से डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाते हुए आपूर्तिकर्ताओं, सामान प्रबंधन और वितरक प्रबंधन को एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ ला रही हैं।

- कंपनियां ग्राहकों के व्यवहार का सटीक अनुमान लगाने और यह समझने के लिए कि वास्तव में उनके ग्राहकों को क्या आकर्षित करता है, एआई, बिग डेटा और प्रेडिक्टिव एनालिसिस जैसी तकनीकों का उपयोग कर रही हैं।

ई-कॉमर्स का उदय

- इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ग्रामीण उपभोक्ताओं को विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर ऑनलाइन शॉपिंग तक आसानी से पहुंचने में सहायता कर रही है।
 - ✓ वर्ष 2025 तक भारत में ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या 850 मिलियन को पार करने की उम्मीद है।
- ई-कॉमर्स अब परिपक्व खरीदारों (जो समृद्ध हैं और लगभग 5,620 रुपये (68 यूएस डॉलर) रुपये का औसत खर्च करते हैं) के बीच कुल एफएमसीजी खर्च का 17 प्रतिशत हिस्सा है।
- कुल एफएमसीजी बिक्री में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 11 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री

- उपभोक्ताओं को सीधे उनके दरवाजे पर सामान बेचने से जुड़े लाभ का लाभांश धीरे-धीरे ब्रांडों को स्वचलित ऑनलाइन स्टोर और वेबसाइट तैयार करने के साथ-साथ विभिन्न डिजिटल मार्केटप्लेस पर प्रत्यक्ष डिजिटल बिक्री माध्यम तैयार करने के लिए लुभा रहा है।
- एफएमसीजी कंपनियों के लिए सीधे उपभोक्ता तक पहुंच (Direct-to-Consumer) एक पसंदीदा व्यवसाय मॉडल बनता जा रहा है, जिसकी प्रासंगिकता आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ेगी

बढ़ता ग्रामीण बाजार और युवा आबादी

- ग्रामीण भारत में खुदरा बाजार कुल एफएमसीजी खर्च में 36 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, क्योंकि और अधिक लोग आर्थिक प्रगति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तथा आर्थिक प्रगति का लाभ जनता तक पहुंच रहा है
- मात्र 27 वर्ष की औसत आयु के साथ, भारत के युवा इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते चलन, बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और लेनदेन करने के लिए डिजिटल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अधिक उपभोक्तावादी होते जा रहे हैं।

एफएमसीजी क्षेत्र के लिए चुनौतियां

- मुद्रास्फीति और कोविड प्रभाव

- ✓ किसी परिवार द्वारा की गई खरीदारी का मिश्रण मुद्रास्फीति या अनिश्चितताओं के साथ बदलता रहता है।
- ✓ देश का एफएमसीजी उद्योग लगातार 'मुद्रास्फीति के स्तर से बुरी तरह प्रभावित' हो रहा है, जिसके कारण लगातार कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही परिमाण पर भी असर (खासकर ग्रामीण बाजार में) पड़ रहा है।
- ✓ कोविड के दौरान, उपभोक्ता परिचित या ज्ञात ब्रांडों की ओर आकर्षित हुए और स्थानीय ब्रांडों को नुकसान उठाना पड़ा।

खंडित आपूर्ति शृंखलाएं

- ✓ कच्चे माल और ऊर्जा की बढ़ती लागत के साथ भंडारण और परिवहन सुविधाओं की कमी भारतीय एफएमसीजी बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।
- ✓ भारत में कई छोटे शहरों और गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है, जो आपूर्ति शृंखला नेटवर्क स्थापित करने में एक बड़ी बाधा है।
- ✓ अपर्याप्त भंडारण क्षमता के कारण भीड़भाड़, अव्यवस्थित भंडार और अकुशल चयन और पैकिंग प्रक्रियाओं में वृद्धि हो सकती हैं। इसके अलावा, यह अपेक्षित भंडार स्तर को बनाए रखने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है, जिसके परिणामस्वरूप भंडार खत्म होने या अत्यधिक भंडार की स्थिति उत्पन्न होती है।

उत्पाद का जीवन और नाजुकता

- ✓ कई एफएमसीजी उत्पाद, विशेष रूप से खराब होने वाले सामान और नाजुक वस्तुओं की जीवन अवधि सीमित होती है या वे हैंडलिंग और भंडारण की स्थिति के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- ✓ अपर्याप्त तापमान नियंत्रण, अनुचित संचालन और अनपेक्षित पैकेजिंग के परिणामस्वरूप सामान खराब हो सकता है, क्षति हो सकती है या उसकी समय सीमा तिथि समाप्त हो सकती है।

पर्यावरण और स्थिरता

- ✓ आज के युवा ऐसे व्यवसायों की तलाश कर रहे हैं जो स्थिरता प्रदान करते हों, जबकि एफएमसीजी उद्योग ने पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक गतिविधियों में संलग्न होकर विवादों को जन्म दिया है।
- ✓ फोर्ब्स के एक लेख के अनुसार, एफएमसीजी व्यवसायों को दुनिया के लगभग एक तिहाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए अनुसंधान एवं विकास निवेश करना चाहिए।

- **जालसाजी**
 - ✓ नकली उत्पादों का व्यापार, निवेश, रोजगार, नवाचार, पर्यावरण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है।
 - ✓ जालसाजी का मुद्दा निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), सुरक्षा चिंताएं और वैश्विक व्यापार शामिल हैं।
 - ✓ वितरण केंद्र, खुदरा दुकानें और तृतीय पक्ष रसद/लॉजिस्टिक प्रदाता नकली उत्पादों की घुसपैठ के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित हैं।
- **विशाल भौगोलिक विस्तार**
 - ✓ भारत में राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के दो नजदीकी बाजारों के बीच की दूरी अधिक होने से समस्या उत्पन्न होती है।
 - ✓ इसका माध्यम भागीदारों (जो अलग-अलग बाजारों में सेवा दे रहे हैं) की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **उपभोक्ता आयु में अन्तर**
 - ✓ एफएमसीजी व्यवसायों के लिए उपभोक्ताओं के एक निश्चित समूह में अन्य उद्योगों के विपरीत विभिन्न प्रकार के आयु समूहों की सेवा करने और प्रासंगिक बने रहने के लिए उचित संतुलन बनाना मुश्किल है।

आगे की राह

- भंडारण एवं परिवहन लागत और इस प्रकार **समग्र उत्पाद लागत को कम करने के लिए एक मजबूत, सुचारू और कुशल आपूर्ति श्रृंखला आवश्यक** है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करते समय ब्रांडों को सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से जागरूक होना चाहिए।
- उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए एफएमसीजी उद्योगों के लिए जालसाजी की जांच और निगरानी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग आवश्यक है।
- व्यवसायों को सतत तरीकों को अपनाकर टिकाऊ प्रचलनों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे- प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, जानबूझकर कचरे को खत्म करना, वैकल्पिक पैकेजिंग विधियों को अपनाना, टिकाऊ साधन, संयंत्र के विकल्प आदि।
- ग्राहकों की जरूरतों और पसंद के जवाब में डिजिटलीकरण और बदलाव की रणनीति एफएमसीजी से जुड़ी समस्याओं के किसी भी महत्वपूर्ण समाधान के मुख्य घटक हैं।
- सरकार को कर मानदंडों में भी ढील देनी चाहिए, स्थानीय खुदरा विक्रेताओं को बढ़ावा देने के लिए अधिक अनुकूल योजनाएं शुरू करनी चाहिए और एफएमसीजी क्षेत्र के विकास के लिए डिजिटल नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना चाहिए।

4. ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी

वर्तमान संदर्भ

संसद ने, 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग क्लब और जुआघर/कैसिनो पर 28 प्रतिशत कर लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

विवरण

- संसद ने **केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023** और **एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023** को मंजूरी दे दी।
- ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के मामले में, 28 प्रतिशत जीएसटी केवल वहां लागू होता है जहां बाजी/शर्तें लगायी जाती है, न कि अनौपचारिक गेम आयोजित करने वालों द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा पर।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग बाजार

- भारत का गेमिंग बाजार वर्ष 2022 के 2.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो **30-28 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से बढ़ रहा है।
- भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2022 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- भारत में यह उद्योग वर्ष 2017-2020 के बीच 38 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा, जबकि चीन में यह 8 प्रतिशत और अमेरिका में 10 प्रतिशत था।

- 15 प्रतिशत RGAC के साथ इसका राजस्व वर्ष 2024 तक 153 अरब रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत में गेमिंग में नए भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं (NPU) का प्रतिशत लगातार दो वर्षों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जो वर्ष 2020 में 40 प्रतिशत और वर्ष 2021 में 50 प्रतिशत तक पहुंच गया।
- ईसी (EC) और फिक्की (FICCI) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लेनदेन-आधारित गेम का राजस्व 26 प्रतिशत बढ़ गया, जिसमें भुगतान करने वाले गेमर्स की संख्या 17 प्रतिशत की दर के साथ वर्ष 2020 में 80 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में 95 मिलियन हो गई।

28% जीएसटी के अंतर्गत आनेवाली ऑनलाइन गेमिंग

- जीएसटी कानूनों के तहत किए गए संशोधन अनौपचारिक ऑनलाइन गेम और शर्तों/बाजी लगाने वाले गेम के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं।
- ये संशोधन ऐसे अनौपचारिक ऑनलाइन गेमिंग पर कर को प्रभावित नहीं करते हैं जिसमें कोई वास्तविक पैसा या सट्टेबाजी या दांव शामिल नहीं होता है।
- इन संशोधनों से यह स्पष्ट हो गया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की गतिविधि पर खिलाड़ी द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई कुल राशि पर कर लगाया जाएगा, भले ही गेम कौशल या संयोग या दोनों पर आधारित हो।
- साथ ही, क्रिप्टो परिसंपत्तियों द्वारा किया गया कोई भी भुगतान भी कर योग्य होगा।

जीएसटी कानून संशोधनों का उद्देश्य

- केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में एक प्रावधान शामिल है जो भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने वाली अपतटीय ऑनलाइन मनी गेमिंग फर्मों के लिए देश में पंजीकरण करना और करों का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है अन्यथा उन्हें अपनी सुविधा सेवा पर प्रतिबंधों का सामना करना होगा।

- जुआघर (कैसीनो) में ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति सुविधा और कार्रवाई योग्य दावों का मूल्यांकन पिछले गेम या दांव की जीत को छोड़कर, खिलाड़ी द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान या जमा की गई राशि के आधार पर किया जा सकता है। संशोधन यह राहत प्रदान करते हैं।
- संशोधनों के साथ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी शुल्क के संबंध में संभावित रूप से किसी मुकदमेबाजी का सामना नहीं करना होगा।

प्रमुख चिंताएं

- ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कर का बोझ : ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म शिकायत करते रहे हैं कि भुगतान के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगने से उन पर कर का बोझ बढ़ जाएगा और इससे यह उद्योग प्रभावित होगा। इससे कराधान में लगभग 1000 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है और यह उद्योग के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
- अवैध जुआ प्लेटफॉर्मों को लाभ : इससे देश में चलने वाले अवैध जुआ प्लेटफॉर्मों को लाभ होगा।
- निवेशक हतोत्साहित : जीएसटी में भारी वृद्धि होने से घरेलू और विदेशी निवेशक घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र को एक व्यवहार्य निवेश गंतव्य के रूप में मानने से हतोत्साहित होंगे।
- मैलवेयर और वायरस : यदि कोई पसंदीदा गेम के सस्ते या निःशुल्क स्वरूप खोजने की कोशिश करता है, तो अनजाने में वायरस और मैलवेयर डाउनलोड होने का जोखिम होता है।

निष्कर्ष

- वर्तमान में खेलों का ऐसा वर्गीकरण राज्य कानून और अदालती फैसलों पर निर्भर करता है, जिनमें मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक तरीकों का अभाव है। उद्योग जगत का बड़े पैमाने पर मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग जुए से अलग है, उन्होंने इसके लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों (जिनमें 'संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित वैध व्यावसायिक गतिविधि के रूप में ऑनलाइन कौशल-आधारित गेम की स्थिति की पुष्टि की गयी है') की ओर संकेत किया है।

5. शून्य राजस्व घाटा

वर्तमान संदर्भ

महामारी के बाद की राजकोषीय रणनीति में सुनहरा नियम, 'शून्य राजस्व घाटे' को लक्षित करने, व्यय योजना के आधार के रूप में राजस्व प्राप्तियों पर ध्यान केंद्रित करने और पूंजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करने पर जोर देता है।

शून्य राजस्व घाटा क्या है?

कोई भी 'शून्य राजस्व घाटा' एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार का कुल राजस्व आवर्ती आधार पर उसके कुल व्यय के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपने दैनिक कार्यों के खर्च हेतु धन उधार नहीं ले रही है।

- शून्य-राजस्व घाटा हासिल करना राजकोषीय अनुशासन और अच्छे आर्थिक प्रबंधन का संकेत माना जाता है।
- यह मुद्रास्फीति को कम करने, सरकार के ऋण को अधिक टिकाऊ बनाने और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधनों को मुक्त करने में मदद कर सकता है।

राजस्व घाटा

राजस्व घाटा तब होता है जब प्राप्त शुद्ध आय अनुमानित शुद्ध आय से कम होती है। ऐसा तब होता है जब राजस्व की वास्तविक राशि और व्यय की वास्तविक राशि बजटीय राजस्व और व्यय के अनुरूप नहीं होती है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा किसी सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी है। जिस सरकार के पास राजकोषीय घाटा है वह अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रही है।

राजकोषीय घाटे की गणना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में या आय से अधिक खर्च किए गए कुल रुपये के रूप में की जाती है।

बजटीय घाटा

बजट घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें किसी निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है।

बजट घाटा राष्ट्रीय ऋण, कुल वार्षिक बजट घाटे और देश पर ऋणदाताओं का कुल बकाया राशि को प्रभावित करता है।

प्रभावी राजस्व घाटा

राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान के बीच का अंतर प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है।

प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा सार्वजनिक व्यय पर रंगराजन समिति द्वारा सुझाई गई है। इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण हेतु उधार में से उपयोग किए गए धन में कटौती करना है।

वर्गीकरण

- बजटीय लेनदेन के वर्गीकरण में राजस्व व्यय को सामान्य सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में पुनः वर्गीकृत किया गया है।
- सामान्य सेवाएं (मुख्य रूप से ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन और स्थापना व्यय) गैर-विकासात्मक व्यय को संदर्भित करती हैं।
- सामाजिक सेवाएं (मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक बुनियादी ढांचा व्यय) और आर्थिक सेवाओं को मोटे तौर पर विकासात्मक व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सरकार को शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए : जब सरकार धन उधार लेती है, तो वह अर्थव्यवस्था में अधिक धन व्यय करती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। शून्य राजस्व घाटा प्रचलित धन की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।
- सरकार के ऋण को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए : जब सरकार पैसा उधार लेती है, तो यह उसके ऋण में जुड़ जाता है। शून्य राजस्व घाटा सरकार के कर्ज के बोझ को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे सरकार के लिए भविष्य में अपने कर्ज चुकाना आसान हो जाएगा।
- अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधनों को मुक्त करना : जब सरकार को अपने कार्यों के वित्तपोषण हेतु धन उधार नहीं लेना पड़ता है, तो वह उन संसाधनों का उपयोग बुनियादी ढांचे या शिक्षा में निवेश जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकती है।
- सरकार की क्रेडिट रेटिंग में सुधार करना : शून्य राजस्व घाटे वाली सरकार को वित्तीय रूप से अधिक स्थिर माना जाता है, जिससे सरकार के लिए भविष्य में पैसा उधार लेना आसान हो सकता है।
- किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान देशों को धन उधार देने की शर्त के रूप में शून्य राजस्व घाटे को लक्षित करने की मांग करते हैं।

शून्य राजस्व घाटा हासिल करने हेतु सरकार के उपाय

खर्च में कटौती : राजस्व घाटे को कम करने का यह सर्वाधिक सामान्य तरीका है। सरकार विभिन्न चीजों पर खर्च में कटौती कर सकती है, जैसे सामाजिक कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और रक्षा खर्च।

- कर में वृद्धि : सरकार आय, लाभ या उपभोग पर कर (tax) बढ़ा सकती है।
- कर संग्रह में सुधार : सरकार कर (tax) चोरी पर सख्ती बरत कर और लोगों के लिए अपने करों का भुगतान करना आसान बनाकर अपने कर संग्रह प्रयासों में सुधार कर सकती है।

- **आर्थिक विकास में निवेश द्वारा :** आर्थिक विकास में निवेश करके, सरकार अधिक रोजगार पैदा कर सकती है और अधिक कर (tax) राजस्व सृजित कर सकती है।
- **ऋण राहत प्राप्ति द्वारा :** यदि सरकार का ऋण बहुत अधिक है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण राहत प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। इससे सरकार पर कर्ज का बोझ कम होगा और शून्य राजस्व घाटा हासिल करना आसान हो जाएगा।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) नियम 2004 में 2018 के संशोधन में, शून्य राजस्व घाटे के 'स्वर्णिम नियम' को समाप्त कर दिया गया।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन :** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को अगस्त 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को पेश करने का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाना, राजकोषीय घाटे को कम करना, वृहत संतुलित बजट की ओर बढ़ते हुए आर्थिक प्रबंधन और सार्वजनिक धन का समग्र प्रबंधन में सुधार करना था।
- मई 2012 में संशोधित एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7A केंद्र सरकार को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को अनुपालन की समीक्षा करने और उन्हें संसद में प्रस्तुत करने का कार्य सौंपने की अनुमति देती है।

शून्य राजस्व घाटा हासिल करने के समक्ष चुनौतियां

शून्य राजस्व घाटा हासिल करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकार को खर्चों में कटौती या कर बढ़ाने जैसे कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ये निर्णय मतदाताओं के बीच अलोकप्रिय हो सकते हैं और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।

- शून्य राजस्व घाटा हासिल करने की सरकार की क्षमता संभावित राजस्व में गिरावट और बढ़े हुए व्यय के कारण चुनौतियां पैदा करने वाली मंदी सहित आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है।
- सरकार का उच्च ऋण बोझ शून्य राजस्व घाटे को हासिल करने में बाधा बन सकता है, क्योंकि ऋण को बढ़ाए बिना खर्च कम करना या कर बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **कमजोर बजट योजना और कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार और कर संग्रह प्रणाली में अक्षमता सहित सरकार के वित्तीय संस्थान शून्य राजस्व घाटे को हासिल करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।**
- **प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध जैसे बाहरी कारक भी चुनौतियां पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इससे सरकार का राजस्व कम हो जाएगा और खर्च बढ़ जाएगा, जिससे बजट को संतुलित करना कठिन हो जाएगा।**

6. फेडरल ओपन मार्केट समिति

वर्तमान संदर्भ

26 जुलाई, 2023 को आयोजित फेडरल ओपन मार्केट समिति की बैठक में, लक्षित संघीय निधि दर (फेडरल फंड रेट) को 5.25 से 5.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया, यानी, एक बार फिर से निधि की लागत में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई।

विवरण

- इसके परिणामस्वरूप, फेडरल फंड रेट 2001 की तुलना में अपने ऊँचे स्तर पर पहुँच गई है, यह 21 साल का सबसे उच्चतम स्तर है।
- यह निर्णय मुद्रास्फीति की दर को 2 प्रतिशत तक कम करने के आशय से किया गया है।
- ब्याज दर में बढ़ोतरी के बावजूद भी रोजगार के आँकड़े बढ़ रहे हैं।

फेडरल ओपन मार्केट समिति

- फेडरल ओपन मार्केट समिति (FOMC) फेडरल रिजर्व सिस्टम का एक निकाय है, जो राष्ट्रीय मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है।

- यह खुले बाजार संचालन के प्रबंधन के संबंध में सभी निर्णय लेता है, जो फेडरल फंड रेट (वह दर जिस पर डिपॉजिटरी संस्थान एक-दूसरे को उधार देते हैं), फेडरल रिजर्व की परिसंपत्ति होल्डिंग्स का आकार और संरचना, के साथ-साथ मौद्रिक नीति के संभावित भविष्य की नीति के बारे में जनता के साथ संचार को प्रभावित करते हैं।
- ग्लास-स्टीगल अधिनियम के बाद पहली बार वर्ष 1933 में फेडरल ओपन मार्केट समिति (FOMC) की बैठक बुलाई गई, लेकिन यह मार्च, 1936 में प्रभाव में आया, जैसा कि वर्ष 1935 के बैंकिंग अधिनियम द्वारा संशोधित फेडरल रिजर्व अधिनियम की धारा 12A द्वारा गठित किया गया था।

फेडरल ओपन मार्केट समिति की संरचना

- फेडरल ओपन मार्केट समिति (FOMC) में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य और रिजर्व बैंकों के अध्यक्ष शामिल होते हैं।
- बोर्ड का अध्यक्ष, फेडरल ओपन मार्केट समिति (FOMC) का अध्यक्ष होता है।
- फेडरल ओपन मार्केट समिति (FOMC) में कुल 12 सदस्य होते हैं, जिसमें निम्न शामिल हैं: बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सात सदस्य, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष, और शेष 11 बचे रिजर्व बैंक के अध्यक्षों में से 4 अध्यक्षों को चुना जाता है, जो रोटेशन के आधार पर एक वर्ष के कार्यकाल के अनुरूप कार्य करते हैं।

फेडरल ओपन मार्केट समिति की बैठक

- फेडरल ओपन मार्केट समिति (FOMC) प्रतिवर्ष लगभग हर छह सप्ताह में आठ बार नियमित बैठकें आयोजित करता है।
- इन बैठकों में, समिति आर्थिक और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करती है, मौद्रिक नीति का उचित रुख निर्धारित करती है, तथा मूल्य स्थिरता और सतत आर्थिक विकास के अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के जोखिमों का आकलन करती है।

फेडरल ओपन मार्केट समिति की जिम्मेदारियाँ

- फेडरल ओपन मार्केट समिति (FOMC) का प्रमुख कार्य 'खुले बाजार परिचालन' (ओपन मार्केट ऑपरेशन) के देख-रेख का कार्य सौंपा गया है, जिसके जरिए फेडरल रिजर्व अमेरिकी मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करता है।
- बाजार परिचालन, फेडरल फंड रेट को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समग्र मौद्रिक और ऋण स्थितियों, कुल माँग और संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती हैं।
- फेडरल ओपन मार्केट समिति विदेशी मुद्रा बाजारों में फेडरल रिजर्व द्वारा किए गए कार्यों को भी निर्देशित करता है और हाल के वर्षों में इसको विदेशी केंद्रीय बैंकों के साथ मुद्रा विनिमय कार्यक्रमों के लिए अधिकृत किया है।

संघीय निधि दर (फेडरल फंड रेट)

- फेडरल ओपन मार्केट समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य ब्याज दर की सीमा को संदर्भित करता है।
- यह लक्ष्य वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक उधार लेते हैं और रात भर के लिए (overnight) एक-दूसरे को अपना अतिरिक्त भंडार उधार देते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर उच्च फेडरल फंड रेट का प्रभाव

- पूँजी प्रवाह : ब्याज दरों पर फेडरल दर लिए गए कदम भारत में विदेशी पूँजी प्रवाह को काफी अधिक प्रभावित करता है।
- बैंकिंग उद्योगों को लाभ : उच्च फेडरल फंड रेट ब्याज बैंकिंग उद्योगों के लिए सहायक होगा।
- शेयर बाजार : इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ सकता है, रुपये में मजबूती आएगी और शेयर बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, यदि फेडरेशन दरों में कटौती करना शुरू करता है, तो इससे भारत में ऋण की लागत कम हो सकती है, व्यापार निवेश और समग्र आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है।
- ऋण लेने की लागत : उच्च ब्याज दरों से व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है और तेल की माँग कम हो सकती है।

निष्कर्ष

- विकासशील और अल्प विकसित देशों की तुलना में, जैसे-जैसे विकसित देशों में ब्याज दरें बढ़ती हैं, वैसे-वैसे अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों से जुड़े कम जोखिम को देखते हुए, विदेशी निवेशक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़ देंगे, जिसके परिणामस्वरूप विनिमय दर में गिरावट के साथ-साथ ऋण लेने या ऋण चुकाने (रोलओवर) की लागत भी बढ़ जाएगी।

7. रेपो रेट

वर्तमान संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में, रेपो दर को 6.50 प्रतिशत ही रखने, यानी अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।

विवरण

- लगातार, मौद्रिक नीति समिति की तीसरी बैठक थी, जिसमें मौद्रिक

नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है।

- रेपो रेट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वह मौद्रिक नीति है, जिस

दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देता है। आखिरी बार इसको फरवरी, 2023 में 25 आधार अंक (bps) बढ़ाया गया था।

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन दरों में एक ही बार 250 आधार अंक की बढ़ोतरी के बाद अप्रैल और जून की बैठकों में इस दर को अपरिवर्तित रखा था।
- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने कहा है कि समायोजन नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति के लक्ष्य की ओर अग्रसारित होने के साथ संरेखित हो।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक लाने और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रही।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) ने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि के अपने अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जिसमें **तिमाही %8.1 पर; तिमाही 6.5 2 प्रतिशत पर; तिमाही 6.3 प्रतिशत पर और तिमाही 5.7 4 तिमाही पर रखना** शामिल है।
- वर्ष 2025 के पहले क्वार्टर (Q1) में, अर्थव्यवस्था का 6.6 प्रतिशत की गति से विस्तार होने का अनुमान लगाया गया था।

रेपो रेट क्या है?

- 'रेपो' शब्द का अर्थ 'पुनर्खरीद विकल्प' दर है, जिसे पुनर्खरीद समझौते के रूप में भी जाना जाता है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** द्वारा निर्धारित **रेपो दर**, वह दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक प्रतिभूतियों के संपार्श्विक (सहायक प्रतिभूति) के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से धन उधार लेते हैं।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है।
- भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को बढ़ाकर या घटाकर ब्याज दरों को प्रभावित करने के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
- यह निवेश पर वह रिटर्न है, जो बैंकों को तब मिलता है जब वे किसी भी प्रकार की संपार्श्विक (collateral) के बदले पैसा उधार लेते हैं।

रेपो रेट का उद्देश्य

- **तरलता विनियमन:** तरलता ढाँचे का मुख्य उद्देश्य रेपो समझौते के कार्यान्वयन के माध्यम से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में किसी भी तरलता संकट से बचना है।

- **मुद्रास्फीति का नियंत्रण:** भारतीय रिजर्व बैंक के पास समय-समय पर रेपो रेट का प्रबंधन करके मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। रेपो रेट में बदलाव करके भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह यानी तरलता- बहुत अधिक तरलता जो आमतौर पर मुद्रास्फीति का कारण बनती है, को नियंत्रित कर सकता है, जो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जबकि बहुत कम तरलता आर्थिक मंदी का कारण बन सकती है।

रेपो रेट के बढ़ने और या घटने के प्रभाव

रेपो रेट में वृद्धि

- रेपो दर में वृद्धि से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से उधार लेना वाणिज्यिक बैंकों के लिए अधिक महंगा हो जाता है और इससे ऋण पर लागू दरों में वृद्धि हो सकती है।
- जैसे-जैसे विभिन्न ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ती हैं, कम ऋण वितरित किए जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ देश की आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

रेपो रेट में कमी

- रेपो दर में कटौती से बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से सस्ती दर पर ऋण लेने और बैंकिंग प्रणाली में उच्च तरलता लाने की अनुमति मिल सकती है।
- इससे बैंकों को ग्राहकों के लिए अपनी ऋण दरें कम करनी पड़ सकती है, जिससे लंबी अवधि में ऋण सस्ता हो सकता है।
- जैसे-जैसे बैंक ऋण सस्ते होते जाते हैं, उपभोक्ता ऋण ले सकते हैं और अधिक खर्च कर सकते हैं जिससे खपत बढ़ती है और अंततः आर्थिक विकास हो सकता है।

निष्कर्ष

- **रेपो रेट, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने की कुंजी है**, क्योंकि यह ऋण लेने की लागत को प्रभावित करती है और इसके परिणाम स्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा भी प्रभावित होती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को कम करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए रेपो दर को समायोजित करती है। रेपो रेट समायोजन उपभोक्ताओं, व्यवसायों और वित्तीय बाजारों के बीच मुद्रास्फीति की उम्मीदों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- रेपो रेट के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक वस्तुओं और सेवाओं की माँगों को प्रभावित करती है।

8. विवाद से विश्वास योजना

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) ने विवाद से विश्वास-II योजना के संबंध में विचार के लिए अपने दावे प्रस्तुत करने हेतु कंपनियों के लिए 31 अक्टूबर, 2023 की समय सीमा निर्धारित की है।

विवरण

- व्यय विभाग ने 29 मई, 2023 को एक आदेश द्वारा विवाद से विश्वास-II योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए।
- यह योजना उन सभी घरेलू संविदात्मक विवादों पर लागू होगी, जिसमें एक पक्ष या तो भारत सरकार है या उसके नियंत्रण में काम करने वाला कोई संगठन है।
- विवाद से विश्वास योजना
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2020 को बजट भाषण के दौरान विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी।
- इस योजना का लक्ष्य बड़ी संख्या में लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा करना है।

उद्देश्य

- लंबित आयकर विवादों और मुकदमेबाजी का समाधान।
- समय एवं संसाधनों की बचत के साथ सरकार द्वारा राजस्व अर्जित करना।
- करदाताओं को उनके विवादित कर का भुगतान करके विभाग के साथ उनके कर विवादों को समाप्त करने में मदद करना तथा ब्याज और जुर्माने के भुगतान से छूट प्राप्त करना। इसका उद्देश्य अभियोग से छूट देना भी है।

महत्व

- इस योजना के तहत तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक अपील की कार्यवाही के दौरान आयुक्त (अपील) और अपीलकर्ता के बीच के विवाद को समाप्त करके आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलों का निपटारा किया जाएगा।
- यह योजना आयुक्त (अपील) आयकर अपील की न्यायाधिकरण (ITAT), उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में लंबित विवादों को शामिल करती है।
- यह उन करदाताओं, जो अपने लंबित करों का भुगतान कर रहे हैं, को ब्याज और जुर्माने पर पूर्ण छूट प्रदान करता है।
- इस योजना का लक्ष्य विभिन्न अपील की मंचों पर लंबित 4,83,000 प्रत्यक्ष कर-संबंधी विवादों को हल करना है।

- सरकार को 98,328 करोड़ रुपये के कर विवादों के समाधान के लिए कुल 1,28,733 घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा 1 मार्च, 2021 तक विवाद से विश्वास योजना के तहत करदाताओं द्वारा 53,346 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

विवाद से विश्वास-II योजना

- वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 24-2023 में 'विवाद से विश्वास-II' (संविदात्मक विवाद) नामक एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है।
- इस योजना के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, व्यय विभाग ने 29 मई, 2023 को योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है।
- इस योजना के तहत 30 अप्रैल, 2023 को या उससे पहले पारित न्यायालय के निर्णय मामले में संविदाकार को दी जाने वाली निपटान राशि अदालत द्वारा प्रदान की गई राशि कुल राशि का 85 प्रतिशत होगी।
- 31 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले पारित मध्यस्थता निर्णयों के मामलों में प्रस्तावित निपटान राशि प्रदान की गई कुल राशि का 65 प्रतिशत तक होगा।

उद्देश्य

- व्यक्तियों के मेल-मिलाप और पहचान को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करना।
- सरकार और सरकार के उपक्रम से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना।
- इस कदम का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देना है और इसमें 30 सितंबर, 2022 तक के विवादों को शामिल किया जाएगा।
- केंद्र सरकार इस नई स्वैच्छिक निपटान योजना के तहत लगभग 500 मामलों का समाधान करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें लगभग 1 ट्रिलियन रुपये की राशि शामिल है।

महत्व

- एक सुचारू और पारदर्शी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु, सरकार के ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने 'विवाद से विश्वास-II (संविदात्मक विवाद)' योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब-पेज बनाया है।

- विवाद से विश्वास योजना विवादित कर के 100 प्रतिशत और विवादित जुमाने या ब्याज या शुल्क के 25 प्रतिशत के भुगतान पर मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश के संबंध में विवादित कर, विवादित हितों, विवादित दंड या विवादित शुल्क के निपटान का प्रावधान करती है।
- योग्य दावों को विशेष रूप से सरकार के ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा और शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
- इसके अलावा, रेल मंत्रालय के संविदाकार (ई-मार्केटप्लेस के अलावा) भारतीय रेलवे के ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (E-Procurement System) पर अपने दावे दर्ज कर सकते हैं।

योजना से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ

- बड़ी राशि के लिए उपयुक्त न होना: हालाँकि यह योजना कार्यवाही को अंतिम रूप देकर मध्यस्थता को प्रोत्साहित करती है,

लेकिन यह उन विवादों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, जिसमें विवाद की राशि काफी अधिक है।

- आसान और प्रभावी राहत: क्या, मध्यस्थता के तंत्र का वास्तविक उद्देश्य (यानी, वादियों को शीघ्र और प्रभावी राहत) इस पहल से पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्योंकि निर्णय लेने और फैसले का निष्पादन कोशिश में यह अपने घोषित उद्देश्य खो रहा है।

निष्कर्ष

- इस तरह के निपटान से सरकार की संस्थाओं के साथ-साथ निजी संगठनों को भी बहुत जरूरी राहत मिलेगी, अन्यथा वे लंबे समय तक चलने वाली और महँगी मुकदमेबाजी में फँस जायेंगे। विवाद से विश्वास योजना एक निपटान तंत्र प्रदान करती है, जिसमें सरकार की संस्था और निजी पक्ष एक मानक संविदा पर हस्ताक्षर करके मामलों का समाधान कर सकते हैं।

9. रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पीएलआई योजनाओं के लाभ

वर्तमान संदर्भ

‘भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र’ विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन के तीसरे आयोजन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना पर विचार कर रही है।

विवरण

- भारत सरकार, देश को विनिर्माण केंद्र बनाने हेतु रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए भी पीएलआई योजना पर विचार कर रही है।
- सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश को हरित विकास और ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना है।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य (नेट जीरो) उत्सर्जन हासिल करना है, लेकिन इस लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि प्रत्येक क्षेत्र और उद्योग इसमें योगदान नहीं देते हैं।

पीएलआई योजना

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive-PLI) योजना, एक ऐसी योजना है, जिसका उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने पर प्रोत्साहन देना है।
- पीएलआई योजनाएँ आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सरकार के प्रयास की आधारशिला हैं।

- इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाना है।
- इस योजना के पीछे की रणनीति आधार वर्ष के दौरान भारत में निर्मित उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- पीएलआई योजनाएँ मुख्यतः उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के साथ-साथ आयात खर्च को कम करने, घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने तथा घरेलू क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पीएलआई योजना के लाभ

- विनिर्माण क्षमता
 - ✓ रासायनिक उद्योग में वैश्विक निर्माता अपनी उत्पादन क्षमताओं में विविधता लाना चाह रहे हैं और भारत विनिर्माण के क्षेत्र में एक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में दिखा रहा है।

- ✓ रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के मामलों में, इसमें सतत कार्बन उत्सर्जन, सामान्य प्रदूषण और भूजल प्रदूषण आदि को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण क्षमता बनाने की काफी संभावनाएँ हैं।
- ✓ सरकार ने स्थानीय बैटरी सेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत के 18,100 करोड़ रुपये के कार्यक्रम (20 गीगावॉट एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल विनिर्माण) के लिए फिर से पीएलआई की बोली लगाने की घोषणा की है।
- ✓ इसके तहत 80,000 उत्पादों का निर्माण होता है, जो भवन-निर्माण, पैकेजिंग, वस्त्र और कृषि सहित कई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

• निर्यात में वृद्धि

- ✓ वित्तीय वर्ष 2022-23 (सितंबर, 2022 तक) में भारत का रासायनिक और पेट्रोकेमिकल का संयुक्त निर्यात 2 प्रतिशत बढ़कर 9 बिलियन डॉलर हो गया। इस क्षेत्र में आयात बढ़कर 13.33 अरब डॉलर हो गया।

• हरित विकास

- ✓ सरकार हरित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उद्योग जगत को भारत की ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ हाइड्रोजन मिशन को ध्यान में रखना चाहिए।
- ✓ सरकार ने उत्सर्जन में कटौती के लिए देश में हरित हाइड्रोजन के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 19,744 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
- ✓ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित

हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के विकास और लगभग 125 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना है।

रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पीएलआई योजना की प्रमुख चिंता

- **प्रदूषण नियंत्रण और बढ़ती श्रम लागत** : कड़े प्रदूषण नियंत्रण नियमों और बढ़ती श्रम लागत को देखते हुए रासायनिक उद्योग में वैश्विक निर्माता अपने उत्पादों और उत्पादन क्षमता में विविधता लाने पर विचार कर रहे हैं तथा भारत विनिर्माण के लिए एक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में तैयार है।
- **कौशल और प्रौद्योगिकी को अपनाना** : रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग को अनुसंधान और विकास (R&D) में अधिक प्रगति करने और उद्योग 4.0 मानकों को अपनाने के लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता है।
- **पुनर्चक्रण** : इस क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के कार्य उनके एजेंडे में प्रमुख हों।
- **हरित विकास और निम्न कार्बन सघनता** : शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए पेट्रोकेमिकल्स और रसायनों सहित सभी उद्योग के प्रयासों की आवश्यकता होगी। भारत हरित विकास और निम्न कार्बन सघनता को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक उत्सुक है।

निष्कर्ष

- यदि भारतीय विनिर्माता स्थिरता, पुनर्चक्रण या चक्रीय अर्थव्यवस्था बनने, कौशल और प्रौद्योगिकी अपनाने जैसी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वैश्विक निवेशक सक्रिय रूप से निवेश करने या रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने पर विचार करेंगे।

10. चावल निर्यात पर भारत के प्रतिबंध का प्रभाव

वर्तमान संदर्भ

भारत द्वारा 20 जुलाई 2023, को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एनआरआई 'सोना मसूरी चावल' खरीदने के लिए सुपर-मार्केट और किराने की दुकानों में पहुँचने लगे।


विवरण

- अमेरिका में भारतीय चावल के भंडारण के मामलों भी देखने को मिले
- थे, इसलिए कई दुकानों ने स्थिति से निपटने के लिए चावल की खरीद पर 'प्रति परिवार एक चावल बैग' की सीमा निर्धारित कर दी।
- केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह कदम घरेलू


बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। हालाँकि, भारत ने अन्य प्रकार के मिल में तैयार अर्ध या पूर्ण चावल (जैसे उसना चावल) और बासमती के निर्यात पर प्रतिबंधित नहीं लगाया है।

भारत का चावल निर्यात में भागीदारी

- वर्ष 2022-23 में वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत थी, जो इसे वैश्विक स्तर पर चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनाती है। पिछले वर्ष यह लगभग 22.2 मिलियन टन था, जिसमें उबले चावल का योगदान सबसे अधिक था।
- भारत आमतौर पर तीन प्रकार के चावल यानी, बासमती चावल, गैर-बासमती चावल और उसना चावल, का निर्यात करता है। कुल चावल निर्यात में इन किस्मों का वार्षिक को योगदान नीचे दर्शाया गया है।



- विगत दो वित्तीय वर्षों से गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात बासमती चावल से अधिक हुआ है।
- भारत के कुल चावल निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान उसना चावल (बॉयल्ड राइस) का है, जो 78 लाख टन है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल चावल निर्यात में गैर-बासमती सफेद चावल का योगदान लगभग 64 लाख टन था, इसके बाद बासमती चावल का निर्यात लगभग 45 लाख टन था।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 100 से अधिक देशों ने भारत के गैर-बासमती चावल का आयात किया। भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल और बांग्लादेश के साथ-साथ अफ्रीकी देश (मेडागास्कर, केन्या, बर्लिन और आइवरी कोस्ट) भारतीय चावल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- मलेशिया, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश पूर्णतः भारतीय गैर-बासमती चावल के सबसे बड़े आयातक हैं।



निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण

- भारत ने घरेलू बाजार में चावल की कीमतों (जो पिछले साल के अक्टूबर की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक हैं) को कम करने के लिए गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- सरकार का लक्ष्य घरेलू बाजार में चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है, ताकि चावल की फसल के सामान्य क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष चावल के वास्तविक कृषिगत क्षेत्र में कमी के प्रभाव को कम किया जा सके।

तालिका में इस वर्ष कवर किए गए वास्तविक क्षेत्र की तुलना में चावल द्वारा कवर किए गए सामान्य क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) का दर्शाया गया है।

राज्य	13 जुलाई के सप्ताहांत में		20 जुलाई के सप्ताहांत में	
	सामान्यतः कवर किये जाने वाले क्षेत्र	वास्तविक क्षेत्र	सामान्यतः कवर किये जाने वाले क्षेत्र	वास्तविक क्षेत्र
छत्तीसगढ़	21.37	11.01	25.6	19.5
उड़ीसा	10.22	2.89	13.7	5.0
पंजाब	28.73	23.97	29.9	29.2
असम	6.09	2.72	7.9	5.7
पश्चिम बंगाल	4.10	2.84	8.3	5.6
बिहार	8.48	8.07	13.8	14.0
मध्य प्रदेश	8.56	8.30	12.5	20.8
हरियाणा	8.35	8.80	11.0	10.4
उत्तर प्रदेश	31.24	31.86	41.1	39.1
सम्पूर्ण भारत	151.68	123.18	198.3	180.2

भारत के लिए प्रतिबंध के संभावित प्रभाव और चुनौतियाँ

- चूँकि भारतीय गैर-बासमती चावल लगभग 140 देशों में निर्यात किया जाता है, अतः निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप

चावल की विदेशों में बिक्री पर रोक लग जाएगी।

- भारत का चावल निर्यात कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 11 प्रतिशत का योगदान देता है। इस प्रकार, निर्यात पर एक सख्त और दीर्घकालिक प्रतिबंध इस पर आश्रित देशों के साथ-साथ अन्य चावल आयातक देशों के चावल भंडार को प्रभावित कर सकता है।
- भारत पर अनुमानित 'अल-नीनो' की स्थिति से यहाँ मानसून के प्रभावित होने की आशंका है तथा भारत सहित दक्षिण और दक्षिण एशियाई देशों में चावल का उत्पादन भी कम हो सकता है। ऐसे में भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे चावल निर्यातक देश निर्यात में और कमी कर सकते हैं, जिससे वैश्विक बाजार में इसके आपूर्ति में और अधिक कमी देखने को मिल सकती है।
- हाल ही में, रूस ने संयुक्त राष्ट्र ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव (जो यूक्रेन से पूरी दुनिया को निर्बाध खाद्यान्न आपूर्ति की अनुमति देता है) के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। भारत सरकार के इस फैसले से वैश्विक खाद्यान्न बाजार में खाद्यान्न की कमी का और अधिक खतरा पैदा हो सकता है।
- इस प्रतिबंध का अंतिम परिणाम गैर-बासमती चावल की बढ़ती कीमत के रूप में देखा जा सकता है, जिसका गरीब देशों पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कोविड-19 और रूस-यूक्रेन संकट के कारण खाद्य-असुरक्षा के खतरे से अभी-अभी उबरते हैं।

भारत के सामने आने वाली कूटनीतिक चुनौतियाँ

- चूँकि भारत खुद को 'ग्लोबल साउथ' का प्रतिनिधि होने का दावा करता है, इसलिए यह G-7 के साथ-साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसी पहल और समूहों को बढ़ावा देता है। हालाँकि, निर्यात प्रतिबंध का यह कदम ग्लोबल साउथ के कई गरीब देशों (जो उच्च ऋण, खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति के कारण संघर्ष कर रहे हैं) को और अधिक कमजोर स्थिति में डाल सकता है।
- इस प्रकार कई रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि यह कदम ग्लोबल साउथ के कल्याण के लिए भारत के रुख को कमजोर करेगा और 'ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि' के रूप में इसकी छवि को धूमिल करेगा।

निष्कर्ष

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत को गैर-बासमती चावल पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द करने के लिए प्रोत्साहित किया है और एक ऐसा राष्ट्र होने के नाते, जो 'वसुधैव कुटुंबकम-एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के विचार को बढ़ावा देता है, भारत को अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना होगा और ऐसे नतीजे पर पहुँचना होगा, जहाँ दोनों उद्देश्य पूरे हो सकें।

11. गेहूँ की मूल्य में वृद्धि के कारण

वर्तमान संदर्भ

त्योहारों का मौसम आने से पहले, सीमित आपूर्ति और माँग में वृद्धि के कारण भारत में गेहूँ का मूल्य छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।

विवरण

- इसके कीमत में पिछले चार महीनों में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- भारत में सालाना लगभग 108 मिलियन मीट्रिक टन गेहूँ की खपत होती है।
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने थोक उपभोक्ताओं (विशेष रूप से आटा मिलों) को 5 मिलियन मीट्रिक टन गेहूँ और 2.5 मिलियन टन चावल उपलब्ध कराने के अपने फैसले की घोषणा की है।
- **मूल्य वृद्धि के कारण** त्योहारों के मौसम से पहले सीमित आपूर्ति और माँग में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2023 में भारत की गेहूँ की फसल का उत्पादन कृषि मंत्रालय के अनुमान से लगभग 10 प्रतिशत कम है।
- सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में किसानों की आपूर्ति लगभग स्थिर है।
- **मौसम (सूखा, बाढ़ और गर्मी)** का गेहूँ उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा है।
- बदलते जलवायु स्वरूप के कारण गेहूँ की बुआई और कटाई के मौसम भी प्रभावित हुए हैं।
- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण प्रमुख निर्यातक देशों का उत्पादन और निर्यात बाधित हुआ है, जिसके कारण निर्यातक और आयातक देशों के बीच परिवहन संपर्क भी प्रभावित हुआ है।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाया, जिससे फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है।
 - ✓ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कटाई का काम भी बाधित हुआ है।

प्रभाव

- **बढ़ती मुद्रास्फीति** : गेहूँ की बढ़ती कीमतें खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान करने के साथ-साथ संभावित रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक के प्रयासों को जटिल बना सकती हैं।
- **आपूर्ति पर प्रभाव** : बाजार में पर्याप्त आपूर्ति के लिए आटा मिलें संघर्ष कर रही हैं।
- **उपभोक्ताओं पर प्रभाव** : गेहूँ मूल्य वृद्धि का प्रभाव मुख्यतः निम्न और मध्यम आय वर्ग पर पड़ेगा।

गेहूँ

- गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है।
- यह देश के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भाग में मुख्य खाद्य फसल है।
- रबी की फसल के रूप में गेहूँ की फसल उगाने के लिए शीत ऋतु और तेज धूप की आवश्यकता होती है।
- इसके पौधों में वृद्धि के लिए 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
- देश में प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं।
- चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है।

आगे की राह

- गेहूँ की मूल्य वृद्धि सरकार को प्रमुख राज्य में चुनावों और अगले वर्ष के आम चुनाव से पहले आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अनाज पर आयात शुल्क खत्म करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
- त्योहारों के मौसम में संभावित कमी से बचने के लिए सरकार को अपने गोदामों से गेहूँ के भंडारों को खुले बाजार तक पहुँचाना चाहिए।
✓ 1 अगस्त, 3202 तक, सरकारी गोदामों में गेहूँ का भंडार 28.3 मिलियन मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष के 26.6 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है।
- सरकार को गेहूँ के 40 प्रतिशत आयात कर पर (xat) को कम करने या समाप्त करने तथा मिल मालिकों और व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले गेहूँ भंडार की मात्रा की सीमा कम करने पर विचार करना चाहिए।
- सरकार अनाज निर्यात पर प्रतिबंध जारी रख सकती है। लेकिन यदि गेहूँ की कीमतों में और अधिक वृद्धि होती है, तो सरकार निजी व्यापार पर भंडारण सीमा लगा सकती है।

स्व कार्य हेतु

KHAN SIR

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की

वर्तमान संदर्भ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का तीसरा चंद्र मिशन (चंद्रयान-3) जिसे विगत 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था वह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिसे भारत के करोड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा।

विवरण

- भारतीय मानक समयानुसार (IST) लगभग सायं 6:03 बजे लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर गया। यह प्रक्रिया 19 मिनट तक चलती रही, जिसका इसरो द्वारा सीधा प्रसारण किया गया।
- भारत के इतिहास रचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंडिंग के दौरान प्रसारण में शामिल हुए और राष्ट्र को संबोधित किया।

चंद्रमा पर पहुंचने भारत के पूर्ववर्ती प्रयास

चंद्रयान प्रथम (2008)

- यह भारत का पहला चंद्र प्रयास था जिसने चंद्रमा की सतह से 100 किमी की दूरी पर चंद्रमा की परिक्रमा की।
- इसे PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया।
- यह जमे हुए पानी/बर्फ का पता लगाने में सक्षम था और इसने इस खोज का पता लगाने के लिए आगे के मिशनों को प्रेरित किया।

चंद्रयान II (2019)

- इस मिशन के द्वारा भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करने वाला पहला देश बन गया। हालांकि यह प्रयास विफल रहा।
- मिशन के सभी भाग (विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर आदि) स्वदेशी रूप से विकसित किए गए थे।
- इसे GSLV Mk III द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जिसे अब LVM3 के नाम से जाना जाता है।

मिशन की मुख्य विशेषताएं

- यह इसरो द्वारा संचालित तीसरा चंद्र मिशन है जिसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं- एक विक्रम लैंडर और दूसरा प्रज्ञान रोवर।
- चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में शेष (Spectro-polarimetry of Habitable Planet Earth-

SHAPE) नामक एक नए प्रयोग की सुविधा है, जिसका उद्देश्य परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करके संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना है।

- इसे प्रमुख LVM3 M4 प्रक्षेपक का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। LVM3 के उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद, अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया और एक अण्डाकार पार्किंग कक्षा (EPO) में प्रवेश कर गया।
- लैंडर और रोवर की मिशन अवधि एक चंद्र दिवस (लगभग 14 पृथ्वी दिवस) की होगी, क्योंकि वे सौर ऊर्जा पर कार्य करते हैं।
- लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन सूरज उग रहा था। मिशन दो सप्ताह बाद सूरज डूबने पर समाप्त होगा।

मिशन के उद्देश्य

- मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमता का प्रदर्शन करना है।
- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लक्षित यह मिशन इसे बर्फ या जमे हुए पानी वाले क्षेत्र के रूप में पुष्टि करने का प्रयास करता है, जो भविष्य के चंद्रमा मिशनों के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और पानी का स्रोत हो सकता है अथवा जीवन के संकेतों को उजागर करते हुए एक अधिक स्थायी चंद्रमा बस्ती की संभावना हो सकती है।
- सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर चंद्रमा के सतह पर तापीय, भूकंपीय और खनिजीय माप करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग करेंगे।
- सतह पर उतरने के बाद अगले 14 दिनों में मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह के रासायनिक प्रयोगों और व्यापक अध्ययन की एक श्रृंखला सम्पन्न होगी।

मिशन का महत्व

- पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा

की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला (जो प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों और कठिन इलाके के कारण एक चुनौती रही है) विश्व का पहला देश भी बन गया है।

- विक्रम ने रूस के लूना-25 को पीछे छोड़ दिया, जो इंजन में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारत उस देश से आगे निकलने में कामयाब रहा जिसने पहला उपग्रह एवं प्रथम पुरुष और महिला को अंतरिक्ष में भेजा था, यह किसी अंतरिक्ष कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए आवश्यक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भारत द्वारा लंबे समय से अपनाने का परिणाम है।
- क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'इंटरस्टेलर' पर खर्च किए गए 165 मिलियन डॉलर की तुलना में भारत के चंद्रयान-3 मिशन के 75 मिलियन डॉलर के अपेक्षाकृत कम बजट ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसने इसरो को संपूर्ण मानवता के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान तक पहुंच में क्रांति लाने वाले संगठन के रूप में स्थापित किया है।

विश्व के अन्य चंद्र मिशन

- नासा (अमेरिका), सीएसए (कनाडा), ईएसए (यूरोप) और जक्सा (जापान) का आर्टेमिस I (2022), II (2024), III (2026)
- इजराइल का बेरेशीट (2019)
- संयुक्त अरब अमीरात का राशिद (2023)
- दक्षिण कोरिया का डेनुरी ऑर्बिटर (2022)
- जक्सा (जापान) द्वारा हकुरो आर (2022)
- रोस्कोस्मोस (रूस) का लूना-25 (2023)
- चीन का चांग'ई 5 (2020)

यह प्रयास सफल क्यों हुआ?

- पहले की रणनीतियों की तुलना में इस बार लक्ष्य चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता प्रदर्शित करने का था जो सफल रहा। सॉफ्ट लैंडिंग (हार्ड लैंडिंग के विपरीत जो चंद्रयान 2 की विफलता के दौरान देखी गई थी) किसी भी प्रकार के विमान, रॉकेट या अंतरिक्ष यान की लैंडिंग होती है जिसके परिणामस्वरूप वाहन या उसके पेलोड को महत्वपूर्ण क्षति या विनाश नहीं होता है।
- लैंडिंग स्थान निर्धारित करने के लिए चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से प्राप्त उच्च-स्थिरता वाली छवियों का उपयोग किया गया था और स्थिरता एवं मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें भौतिक संशोधन किए गए थे।
- चंद्रयान-3 को एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए लैंडिंग का विस्तार किया गया एवं लोचशीलता प्रदान की गयी और लैंडिंग स्थल अथवा वैकल्पिक स्थानों पर लंबी दूरी की यात्रा में सक्षम करने के लिए इसे अधिक ईंधन युक्त बनाया गया।
- लैंडर की गति की लगातार निगरानी करने और आवश्यक सुधार करने के लिए चंद्रयान-3 में अतिरिक्त नौवहनीय और मार्गदर्शन उपकरण मौजूद थे। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर नामक एक उपकरण भी शामिल है, जिसने लैंडर की गति की गणना करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर किरणों का प्रयोग किया।

आगे की राह

- भारत, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम 'गगनयान' जैसी अपनी भविष्य की परियोजनाओं हेतु इस गति को जारी रखने के लिए तैयार है। चंद्रमा के अंधेरे भाग को सफलतापूर्वक प्रकाशित करने के बाद अब, भारत अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन गया है।

2. अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण

वर्तमान संदर्भ

23 अगस्त, 2023 को गोवा तट पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा अस्त्र (Astra) नामक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

विवरण

- इस मिसाइल का परीक्षण लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया गया।
- वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

(HAL) के साथ-साथ सैन्य उड़ान योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र (CEMILAC) और वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (DG-AQA) के अधिकारियों ने इस प्रक्षेपण की निगरानी की।

- जिस तेजस विमान से मिसाइल दागी गयी, उसकी निगरानी चेज तेजस (Chase Tejas) ट्विन-सीटर विमान से भी की गई।

अस्त्र मिसाइल

- अस्त्र एक स्वदेशी रूप से विकसित, अत्याधुनिक 'बिरॉन्ड विजुअल रेंज' (BVR) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसमें अस्त्र मिसाइल और लॉन्चर शामिल हैं।
- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL), अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की अन्य प्रयोगशालाओं में विकसित किया गया है।

अस्त्र की विशेषताएँ

- अस्त्र मिसाइल अत्यधिक गतिशील सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने और नष्ट करने में सक्षम है। इसे विशेष रूप से विमान पर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह मिसाइल हर मौसम में, दिन और रात में काम करने की क्षमता से लैस है।
- विशिष्ट माँगों को पूरा करने के लिए इस मिसाइल प्रणाली के कई प्रकार विकसित किए जा रहे हैं। इनके अन्य रूपों (वेरिएंट) में अस्त्र Mk-I (वर्तमान परिचालन में), अस्त्र Mk -2 और अस्त्र Mk-3 (परीक्षण चरण में), अस्त्र - IR (डिजाइनिंग चरण में), और VL-SRSAM (परीक्षण चरण में) शामिल हैं।

अस्त्र Mk-I

- यह अस्त्र मिसाइल का वह संस्करण है, जो वर्तमान में प्रयोग में है। यह 15 किलोग्राम वजनी हाई-एक्सप्लोसिव प्री-फ़ैगमेंटेड हथियार ले जा सकता है।
- यह मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेजर (ECCM) क्षमताओं से लैस है, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेजर वातावरण में प्रचालन करने में सक्षम बनाती है।
- इसकी हेड-ऑन लॉन्च रेंज 100 किमी तक और गति 4.5 मैक (सुपरसोनिक मिसाइल) तक है। इसमें 66 हजार फीट तक का लॉन्च क्लीयरेंस भी है।
- अस्त्र Mk-I हथियार प्रणाली को SU-30 Mk-I विमान में लगाकर भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल किया जा रहा है।

लड़ाकू विमान : एलसीए तेजस

- एलसीए तेजस (LCA Tejas), जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि यह एक हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने संयुक्त सहयोग से विकसित किया है।

एलसीए तेजस (LCA Tejas) की विशेषताएं

- एलसीए तेजस (LCA Tejas) 4.5 पीढ़ी का प्रत्येक मौसम में काम करने वाले और बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान के रूप में जाना जाता है।
- एलसीए तेजस (LCA Tejas) में 4000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने की क्षमता है।
- यह एकल पायलट तथा एकल इंजन वाला विमान है।
- यह अधिकतम 13,000 किलोग्राम भार वाहन की क्षमता रखता है।
- यह अपनी गति को 1.8 मैक तक बढ़ा सकता है, जो इसे एक सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाता है।
- इसकी रेंज लगभग 850 किमी है तथा लड़ाकू रेंज (combat range) लगभग 500 किमी है।

इस मिसाइल परीक्षण का महत्व

सामरिक और रक्षा संबंधी लाभ

- तेजस को जम्मू-कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया है, जो इसे अशांत सीमा क्षेत्र पर किसी भी सैन्य कार्रवाई को शुरू करने और उसका मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
- इस सफल मिसाइल परीक्षण से क्षेत्र में भारत की युद्ध संबंधी क्षमताएँ बढ़ जायेगी।
- इससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले पड़ोसियों के मन में भय पैदा करने में भी मदद मिलेगी।
- इससे भारत को पाकिस्तान-चीन गठबंधन के खिलाफ दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारी में मदद मिल सकती है।

आर्थिक लाभ

- यह 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ-साथ भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा।
- यह रक्षा उपकरणों, विशेषकर आधुनिक पीढ़ी के विमानों और मिसाइलों के मामले में भारत की आयात पर निर्भरता को कम करेगा।
- इससे भारत के रक्षा संबंधी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और अन्य देशों को किराये की कीमत पर प्रभावी और कुशल रक्षा उपकरण उपलब्ध होंगे।

3. भारत का पहला D3-प्रिंटेड डाकघर

वर्तमान संदर्भ

भारत के पहले 3डी-प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन 18 अगस्त 2023, को केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा बेंगलुरु में किया गया।

3D-प्रिंटेड डाकघर

- इसका निर्माण कार्य सिविल इंजीनियरिंग विभाग के भवन प्रौद्योगिकी और निर्माण प्रबंधन प्रभाग के मार्गदर्शन में आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा किया गया।
- यह डाकघर 1,021 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र में विस्तृत है।
- रोबोटिक प्रिंटर का उपयोग करते हुए 3D (Three Dimensional) प्रिंटेड तकनीक 3डी मॉडल ड्राइंग इनपुट के अनुसार कंक्रीट को परत-दर-परत जमा करती है।
- इस प्रक्रिया में कंक्रीट तत्वों के सटीक संतुलन की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रवाह क्षमता, भार-वहन क्षमता के लिए त्वरित गति से ठोस होना, अंतर-परत संबंध के लिए हरित कंक्रीट अवस्था और सफल प्रिंटिंग सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त क्षमता शामिल है।
- पूर्व-अंतर्निहित डिजाइन शामिल रोबोटिक सुविधा होने के कारण निर्माण कार्य 43 दिनों की अवधि में पूरा हो गया, जबकि पारंपरिक विधि द्वारा इसे पूरा करने में लगभग 6-8 महीनों का समय लगता।
- इस निर्माण कार्य में 23 लाख रुपये की लागत आई, जो पारंपरिक तरीकों में शामिल लागत की तुलना में लगभग 30-40 प्रतिशत कम है।
- इस परियोजना के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष कंक्रीट सामग्री पंपनीयता (pumpability), बाहर निकालने की शक्ति (extrudability), निर्माण क्षमता (buildability) प्रदान करती है तथा यांत्रिक गुणों से संचालित होती है।

निर्माण (Construction) में 3D-प्रिंटेड प्रौद्योगिकी

- 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें निर्माण प्रक्रिया को तीव्र करके और निर्माण गुणवत्ता को बढ़ाकर निर्माण के पारंपरागत तरीकों को बदलने की क्षमता है।
- 3डी प्रिंटिंग तकनीक जिसे वास्तव में डाकघर परियोजना के लिए डेनमार्क से आयात किया गया था, को घुमावदार सतहों को तैयार करने और स्थल आयामों के अनुकूल होने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें समतल दीवारों की कोई बाधा नहीं होती है।
- इस प्रौद्योगिकी ने निरंतर सुदृढ़ कंक्रीट आधार और तीन-परत वाली

दीवारों को भी सक्षम बनाया है, जिसमें बाहरी परतों को कंक्रीट से प्रिंटिंग किया गया है और मध्य को प्रबलित (Reinforced) कंक्रीट से प्रिंटेड किया गया है।

- निर्माण में 3D प्रिंटिंग निर्माण सामग्री को परतों में रखने, दीवारों, फर्श और छत बनाने के लिए रोबोटिक सिस्टम का उपयोग करती है।
- एक संरचना बनाने के लिए, 3D प्रिंटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के आयामों का अनुसरण करता है और एक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन का निर्माण करता है।
- संरचना के निर्माण हेतु विभिन्न सामग्रियों, जैसे सीमेंट, प्लास्टिक, या तरल धातुओं का उपयोग किया जा सकता है।

3D कंक्रीट प्रिंटिंग का लाभ

- **स्वचालन** : पूरी तरह से स्वचालित निर्माण तकनीक उत्कृष्ट निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है।
- **तेजी से निर्माण** : 3D प्रिंटिंग धीमी गति से ईट बिछाने और सरिया सुदृढ़ीकरण के पारंपरिक तरीकों के विपरीत, संरचनाएं बनाने में काफी तेज है।
- **डिजाइन की स्वतंत्रता** : फरमाबंदी (formwork) सिस्टम के बिना, सौंदर्य एवं सुविधा को बढ़ाने और समग्र लागत को अनुकूलित करने के लिए अभिनव और गैर-ज्यामितीय भवन के आकार का निर्माण किया जा सकता है।
- **सतत निर्माण** : लकड़ी और एल्यूमीनियम फरमाबंदी को हटाकर; CO₂ उत्सर्जन को अनुकूलित करने के लिए पूरक सामग्रियों का उपयोग कर; कम बर्बादी और विद्युत ऊर्जा की कम खपत कर सतत निर्माण किया जा सकता है।
- **डिजिटल कार्यप्रवाह** : चित्रों के डिजिटल कार्यप्रवाह की वजह से मानवीय त्रुटियों और महंगे पुनःकार्य को समाप्त किया जा सकता है।
- **समय की बचत** : इसमें समय की बचत होती है और इसमें चीन जैसे देशों में उत्पादित पारंपरिक विनिर्माण प्रक्रियाओं की तुलना में महंगी परिवहन लागत की आवश्यकता नहीं होती है।
- **कुशल निर्माण** : 3D प्रिंटिंग अधिक कुशल निर्माण के लिए दीवारों के भीतर मौसम के असर से बचे रहने के साथ-साथ उपयोगिताओं को भी शामिल करने में सक्षम बनाती है।

भारत में अन्य 3D मुद्रित निर्माण

- अप्रैल 2021 में चेन्नई में आईआईटी-मद्रास परिसर के अन्दर भारत का पहला 3D-प्रिंटेड घर टेक स्टार्टअप टीवीस्टा द्वारा बनाया गया था।
- वर्ष 2022 में आईआईटी गुवाहाटी ने एक स्वदेशी अनुसंधान और विकास पहल के हिस्से के रूप में भारतीय सेना के लिए एक 3D-प्रिंटेड संतरी पोस्ट का निर्माण किया।
- पहला 3D-प्रिंटेड हिंदू मंदिर वर्तमान में तेलंगाना में निर्माणाधीन है। सिद्दीपेट के पास स्थित यह मंदिर 3,800 वर्गफुट के क्षेत्र में विस्तृत है।

निष्कर्ष

- 3D प्रिंटिंग तकनीक भविष्य की तकनीक है जो कम लागत वाले आवास निर्माण में लोगों की रुचि पैदा कर सकती है। जब यह तकनीक सामान्य हो जाएगी, तो इस तकनीक को आगे ले जाने वाली ऐसी और पहल देखी जा सकती हैं। यह 'देश के नवाचार और प्रगति का प्रमाण' है, जो 'आत्मनिर्भर भारत की भावना' का प्रतीक है।

4. रूस ने किया नौका प्रक्षेपित

हालिया प्रसंग

हाल ही में, रूस ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला 'नौका' (Nauka) की, जो 8 दिनों की यात्रा करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर पहुँची।

विवरण

- रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस (Roscosmos) ने 'पर्स' (Pirs) को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से अलग करने के साथ-साथ इसे महत्वपूर्ण रूप से मॉड्यूल नौका द्वारा स्थानांतरित किया, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर देश की मुख्य अनुसंधान सुविधा के रूप में काम करेगा।

नौका की मुख्य विशेषताएं

- नौका (Nauka) को कजाकिस्तान के बायकोनूर कॉसमोड्रोम (Baikonur Cosmodrome) से प्रोटॉन रॉकेट (रूस की अंतरिक्ष सूची का सबसे शक्तिशाली रॉकेट) द्वारा 21 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भविष्य के संचालन के लिए एक नई विज्ञान सुविधा, डॉकिंग पोर्ट और स्पेसवॉक एयरलॉक के रूप में काम करना है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में एक अतिरिक्त ऑक्सीजन जनरेटर, एक अतिरिक्त बिस्तर, एक शौचालय और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा निर्मित एक रोबोटिक कार्गो क्रेन को जोड़ता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नौका को ज्वेज़्दा मॉड्यूल (Zvezda module) में स्थापित किया जाएगा, जो विशाल तैरती (फ्लोटिंग) प्रयोगशाला के रूसी भाग के रूप में रूसी ऑर्बिटल सेगमेंट (ROS) के संरचनात्मक और कार्यात्मक केंद्र के रूप में कार्य करते हुए अंतरिक्ष स्टेशन के जीवन समर्थन प्रणालियों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

महत्व

- यह मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर चल रहे सूक्ष्म गुरुत्व (Microgravity) अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है।
- यह अंतरिक्ष यात्रियों के संभावित भविष्य के संचालन के लिए एक नई विज्ञान सुविधा, डॉकिंग पोर्ट, स्पेसवॉक एयरलॉक, ऑक्सीजन जनरेटर आदि के रूप में बुनियादी अवसंरचनाओं को जोड़ता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के रहने योग्य भाग को लगभग 70 क्यूबिक मीटर तक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उपयोग प्रयोगों का संचालन करने और वस्तु भंडारण के लिए किया जाएगा।

अंतरिक्ष स्टेशन

- अंतरिक्ष स्टेशन वास्तव में एक बड़ा अंतरिक्ष यान है, जो सूक्ष्म गुरुत्व (Microgravity) संचालन की सुविधा हेतु विस्तारित अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में रहता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भाग लेने वाली पाँच देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक अग्रणी सहयोगात्मक प्रयास है, इसमें शामिल अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं : नासा (संयुक्त राज्य अमेरिका), रोस्कोस्मोस (रूस), जेएक्सए (जापान), ईएसए (यूरोप) और सीएसए (कनाडा)।
- अपने प्रक्षेपण के बाद 20 वर्षों से भी अधिक समय से, मनुष्य बाहरी अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ी सफलताओं के प्रयास में 150 बिलियन डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगातार रह रहे हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं।

- चीन का मानवरहित मॉड्यूल 'तियान्हे' निकट भविष्य में अपना स्वयं का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की उसकी संप्रभु महत्वाकांक्षा का प्रतीक है।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष

स्टेशन प्रक्षेपित करना है, जिससे यह अमेरिका, रूस और चीन के गुट में शामिल होकर अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रगति में समृद्ध देशों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा।

5. भारतीय नक्षत्र में नौवहन (नाविक)

वर्तमान संदर्भ

अंतरिक्ष विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय समिति को बताया कि नौवहन को भारतीय नक्षत्र (नाविक-NavIC) के साथ जल्द ही आधार नामांकन उपकरणों में एकीकृत कर दिया जायेगा।

विवरण

- यह आधार के लिए व्यक्तिगत विवरण के संग्रह एवं सत्यापन की सटीकता तथा आवृत्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा और साथ ही भारतीय नक्षत्र में नौवहन के अनुप्रयोग का विस्तार भी करेगा।
- ✓ वर्तमान में आधार नामांकन किट, जिसका उपयोग व्यक्तिगत विवरण एकत्र करने और सत्यापित करने के लिए किया जाता है, अमेरिकी GPS (global positioning system) से जुड़े हुए हैं।
- बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी एलेना जियो सिस्टम्स (Elena Geo Systems) द्वारा हाल ही में एक नाविक (NavIC) चिप विकसित की गई है, जो नाविक के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकती है और नौवहन, अवस्थिति और समय निर्धारण अनुप्रयोगों का मूल (core) बन सकती है।

NavIC सीरीज क्या है?

- इसरो द्वारा विकसित नाविक को मूलतः वर्ष 2006 में 174 मिलियन डॉलर की लागत से मंजूरी दी गई और जो वर्ष 2018 में, सक्रिय हुआ।
- उद्देश्य : राष्ट्र की स्थिति, नेविगेशन और समय आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु, इसरो ने भारतीय नक्षत्र/इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) के साथ नेविगेशन नामक एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित की।
- नाविक को पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (Indian Regional Navigation Satellite System-IRNSS) के नाम से जाना जाता था।
- नाविक को 7 उपग्रहों के एक समूह और 24 x 7 संचालित होने वाले ग्राउंड स्टेशनों के एक नेटवर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है।
- ✓ पहले कुल आठ उपग्रह थे, जिनमें से केवल सात ही सक्रिय हैं।

- ✓ नक्षत्र के तीन उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा (Geostationary Orbit) में रखा गया है और चार उपग्रहों को 29° के झुकाव (प्रत्येक तल में दो उपग्रह) के साथ झुकी हुई भू-तुल्यकालिक कक्षा (Geosynchronous Orbit) में रखा गया है।
- ✓ ग्राउंड नेटवर्क में नियंत्रण केंद्र, सटीक समय सुविधा, सीमा और समग्र निगरानी केंद्र, दो-तरफ़ा रेंज वाले स्टेशन आदि शामिल हैं।

• अनुप्रयोग

- ✓ परिवहन (स्थलीय, हवाई और समुद्री)
- ✓ स्थान (Location) आधारित सेवाएं
- ✓ निजी आवागमन
- ✓ संसाधन निगरानी
- ✓ सर्वेक्षण एवं भूगणित (Geodesy)
- ✓ वैज्ञानिक अनुसंधान
- ✓ समय प्रसार और तुल्यकालन (Synchronisation)
- ✓ जीवन की सुरक्षा संबंधी चेतावनी का प्रसार

• नाविक दो सेवाएं प्रदान करता है

- ✓ नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए मानक अवस्थिति सेवा (Standard Position Service-SPS)
- ✓ सामरिक उपयोगकर्ताओं हेतु प्रतिबंधित सेवा (Restricted Service-RS)

- बैंड : उपर्युक्त सेवाएं L5 (1176.45 मेगाहर्ट्ज) और S बैंड (2498.028 मेगाहर्ट्ज) दोनों में प्रदान की जाती हैं।

- ✓ नाविक प्रणाली L5 बैंड में संचालित होती है, जो विशेष रूप से भारतीय प्रणाली को निर्दिष्ट एक संरक्षित आवृत्ति है।
- ✓ NVS-1 जैसे नए उपग्रहों में L1 नामक एक अतिरिक्त बैंड नागरिकों के उपयोग के साथ संगत होगा जो अन्य उपग्रह-आधारित नौवहन प्रणालियों के साथ इसकी अंतरसंचालनीयता को बढ़ाएगा।

भारत के लिए नाविक का महत्व

- **आत्मनिर्भरता (Self-reliance)** : नौवहन सेवा आवश्यकताओं, विशेष रूप से 'रणनीतिक क्षेत्रों' के लिए विदेशी उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता को दूर करने के उद्देश्य से नाविक की कल्पना की गई है।
 - ✓ जीपीएस और ग्लोनास (GLONASS) जैसी प्रणालियों पर भरोसा करना हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकता है, क्योंकि वे संबंधित देशों की रक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित होती हैं। अतः नागरिक सेवाओं को न्यून अथवा अस्वीकार किया जा सकता है।
 - ✓ नाविक एक स्वदेशी अवस्थिति प्रणाली (indigenous positioning system) है जो भारतीय नियंत्रण में है। अतः किसी भी स्थिति में सेवा वापस लेने या अस्वीकार करने का कोई जोखिम नहीं है।
- **सटीकता (Accuracy)** : पूर्णतः सक्रीय हो जाने पर, सिग्नलों के बेहतर त्रिकोणीकरण के लिए भारत के बाहर ग्राउंड स्टेशनों के साथ नाविक ओपन सिग्नल में 5 मीटर तक की सटीकता होगी साथ ही प्रतिबंधित सिग्नल और भी अधिक सटीक होंगे।
 - ✓ नाविक सिग्नल, उपयोगकर्ता को GPS द्वारा प्रदान की गई 20 मीटर से बेहतर अवस्थिति सटीकता और 50 नैनो सेकंड से बेहतर समय सटीकता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- **पहुंच** : नाविक भारतीय भूभाग और इसके चारों ओर 1,500 किमी की परिधि तक पहुंच सुविधा प्रदान करता है।
 - ✓ इस क्षेत्र में, नाविक सिग्नल संभवतः दुर्गम क्षेत्रों में भी उपलब्ध होंगे।
 - ✓ जीपीएस के विपरीत नाविक पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर गति से चलने वाली उच्च भू-स्थिर कक्षा में उपग्रहों का उपयोग करता है, इसलिए वे हमेशा पृथ्वी पर एक ही क्षेत्र पर केन्द्रित होते हैं।
 - ✓ नाविक सिग्नल 90 डिग्री के कोण पर भारतीय क्षेत्र में आते हैं, जिससे उनके लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों, घने जंगलों या पहाड़ों में भी अवस्थित उपकरणों तक पहुंचना आसान हो जाता है।
 - ✓ जापान, फ्रांस और रूस में इसके स्थल केंद्र स्थापित करने पर कार्य जारी है।

- **अंतरसंचालनीयता (Interoperability)** : नाविक SPS सिग्नल अन्य वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली (GNSS) सिग्नल जैसे जीपीएस (यूएस), ग्लोनास (रूस), गैलीलियो (यूरोपीय संघ) और BeiDou (चीन) के साथ अंतरसंचालनीय हैं।
- **आपदा चेतावनी (Disaster Alert)**

- ✓ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (the National Disaster Management Agency-NDMA) द्वारा भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ और हिमस्खलन जैसी प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से ही एक चेतावनी प्रसार प्रणाली के रूप में नाविक का उपयोग किया जा रहा है।
- ✓ भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना प्रणाली केंद्र (INCOIS) भी गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को चक्रवात, ऊंची लहरों और सुनामी चेतावनी संदेश प्रसारित करने के लिए इस पर निर्भर करता है।

- **उपयोग (Uses)** : नाविक का उपयोग सार्वजनिक वाहन सुरक्षा, पावर ग्रिड सिंक्रनाइजेशन, वास्तविक समय ट्रेन सूचना प्रणाली और मछुआरों की सुरक्षा जैसी परियोजनाओं के लिए किया जाता है।
 - ✓ 'अन्य आगामी पहल, जैसे सामान्य अलर्ट प्रोटोकॉल-आधारित आपातकालीन चेतावनी, समय प्रसार, भूगणितीय प्रणाली, मानव रहित हवाई यान, नाविक प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया में हैं।
 - ✓ क्वालकॉम और मीडियाटेक द्वारा निर्मित जैसे कुछ मोबाइल फोन चिपसेट को वर्ष 2019 में नाविक रिसेवर के साथ एकीकृत किया गया।
 - ✓ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने हैंडसेट को नाविक के अनुकूल बनाने के लिए स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देशित कर रहा है।

विश्व की प्रमुख नाविक प्रणाली

- **विश्व स्तर पर चार उपग्रह-आधारित नौवहन प्रणालियां हैं -**
 - ✓ अमेरिक की GPS (Global Positioning System)
 - ✓ रूस का ग्लोनास (GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema-GLONASS)
 - ✓ यूरोप का गैलीलियो (Galileo)
 - ✓ चीन का बेइदौ (Beidou)

• क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली

- ✓ **नाविक (NavIC)** : भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन
- ✓ **क्यूजेडएसएस (QZSS)** : जापान के पास चार-उपग्रह प्रणाली हैं जो भारत के GAGAN (GPS Aided GEO Augmented Navigation) के समान, जापान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एशिया-ओशिनिया क्षेत्र तक पहुंच बनाते हुए पूरे देश में जीपीएस सिग्नल संवर्धित कर सकती हैं।

आगे की राह

- भारत की वर्ष 2021 की उपग्रह नौवहन मसौदा नीति में कहा गया है कि सरकार विश्व के किसी भी हिस्से में **नाविक** सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'क्षेत्रीय से वैश्विक तक पहुंच का विस्तार' करने की दिशा में कार्य करेगी। अपनी पहुंच का विस्तार करने और इसे वैश्विक बनाने के लिए नाविक के समूह में

कुल 30 उपग्रहों की आवश्यकता है। सरकार को उपग्रहों के प्रक्षेपण और रिसीवर चिप्स के विकास के लिए उचित धन और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।

- सरकार और इसरो को अपने उपभोक्ता आधार का विस्तार करने और बेहतर डेटा सुरक्षा, सटीकता और आर्थिक लाभ के लिए रक्षा, नौवहन, खनन, आपदा प्रबंधन, संचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **नाविक के व्यावसायीकरण** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण बनाने के लिए **आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे (CDRI)**, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना परिसंवाद के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक पहल के लिए गठबंधन के साथ एकीकरण में नाविक का उपयोग करने के लिए सीमाओं को बढ़ाया जाना चाहिए।

6. न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में **न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (Advanced Landing Ground-ALG)** को पूरी तरह कार्यात्मक परिचालन बेस में उन्नत करने का निर्णय लिया है, जो लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने में सुविधा प्रदान करने में सक्षम है।

न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड

- न्योमा लगभग 13,700 फीट की ऊँचाई पर स्थित होने के साथ-साथ **पैंगोंग-त्सो** के दक्षिणी तट के करीब है। **न्योमा को दुनिया का सबसे ऊँचा हवाई क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है।**
- यह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control-LAC) के काफी करीब है।
- इसके रनवे को 9,000 फीट से 10,000 फीट तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे यह सभी लड़ाकू विमानों के प्रबंधन में सक्षम होगा।
- भारतीय वायु सेना (FAI) भी लड़ाकू विमानों के इंजन में बदलाव कर रही है, ताकि उन्हें ऊँचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सके।
- वर्तमान में न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के रूप में नामित **न्योमा के मौजूदा रनवे में गीली मिट्टी या कीचड़ है**, जिससे यहां केवल विशेष परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को ही उतारा जा सकता है।
- एक बार नए रनवे का काम पूरा हो जाने पर, न्योमा से भारी परिवहन विमान भी संचालित हो सकेंगे, जिससे भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता में वृद्धि होगी।

- **न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड** ने चीन के साथ चल रहे गतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि C130Js ने वर्ष 2020 में तनाव शुरू होने पर **वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेनाओं, भारी हथियारों और उपकरणों को शीघ्र पहुँचाने में मदद की थी।**

न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का महत्व

- अन्य दो हवाई क्षेत्रों अर्थात **दौलत बेग ओल्डी (DBO)** और **फुकचे (Fukche)** की तुलना में न्योमा में **मौसम अधिक स्थिर है**, जिससे यहाँ निर्बाध संचालन संभव है।
- अधिक ऊँचाई वाले हवाई क्षेत्रों में लड़ाकू विमानों को तैनात करने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए **इंजनों में बदलाव किया जा रहा है, ताकि उन्हें बेहद कम तापमान पर संचालित करने योग्य बनाया जा सके।** इस क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
- यह कंक्रीट से बना एक स्थान होगा, जिसका उपयोग न्योमा में सैनिकों और उपकरणों को **वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब लाने के लिए भारी परिवहन विमान उतारने हेतु किया जा सकता है।**

न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड की आवश्यकता

- **सैन्य अभियानों को बढ़ाना** : न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (GLA) को सर्वाधिक ऊँचाई वाले लड़ाकू बेस में बदलना, अपने राष्ट्रीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
- **सीमा सुरक्षा** : भारत न्योमा में अपने उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को लड़ाकू विमानों के संचालन में पूर्ण सक्षम एयरबेस में उन्नत करने पर कार्य कर रहा है। इससे सीमा पर तनाव की स्थिति में कार्रवाई करने के समय में और भी कमी आएगी।
- **पूर्वी लद्दाख में बुनियादी ढाँचे का विकास करना** : हवाई क्षेत्र का उपयोग क्षेत्रीय सम्पर्क योजना 'उड़ान' के तहत पर्यटन के लिए भी किया जाएगा तथा यह अत्यधिक सर्दियों के दौरान बेहतर सम्पर्क सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे लद्दाख का समग्र विकास होगा। सरकार द्वारा सीमा पर हवाई अवसंरचना के विकास के लिए 219.39 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- **चीन की रणनीति को संतुलित करना (Counter balancing the China's strategy)** : भारत का उद्देश्य चीन के 'एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल(A2AD)' दृष्टिकोण का

मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रक्षात्मक क्षमता और तैनाती रणनीति तैयार करना है, क्योंकि चीन की इस रणनीति में युद्ध के मैदान पर दुश्मन की आवाजाही को प्रतिबंधित करना शामिल है।

- **सैनिकों और सामग्रियों की त्वरित गतिविधि (Quick movement of men and material)** : न्योमा उन्नत लैंडिंग ग्राउंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (CAL) के सर्वाधिक निकट स्थित एयरबेस है। यह एयरबेस क्षेत्र में सैनिकों और सामग्री की त्वरित पहुंच को सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

- नए रनवे के यथाशीघ्र पूरा होने पर, भारी परिवहन विमानों को समायोजित करने के लिए परिचालन क्षमताओं का विस्तार होगा। यह विकास भारत की सैन्य रणनीतिक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए अग्रसर है। यह प्रयास न केवल भारत की रणनीतिक तत्परता को बढ़ाता है, बल्कि उभरती क्षेत्रीय गतिशीलता के सामने इसके सक्रिय रुख को भी दर्शाता है।

7. भारत का अंतरिक्ष उद्योग

वर्तमान संदर्भ

वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का कारोबार 8 बिलियन डॉलर का है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 2 प्रतिशत है। अंतरिक्ष क्षेत्र पर सरकारी खर्च लगभग 2 बिलियन डॉलर है और देश ने वर्ष 1999 से 34 देशों के लिए 381 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, जिससे 279 मिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है।

विवरण

- भारत सरकार की इच्छा है कि वर्ष 2030 तक, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का वैश्विक उद्योग में 9 प्रतिशत हिस्सा हो।
- वर्ष 2021 से अब तक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को कुल 200 मिलियन डॉलर से अधिक आय प्राप्त हुई है और इसरो वर्ष 2030 तक स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है।

भारत का अंतरिक्ष उद्योग

- भारत का अंतरिक्ष उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है।
- यह उद्योग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा संचालित है, जो उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के विकास और प्रक्षेपण के कार्य करता है।

- इसरो, दुनिया की छठी सबसे बड़ी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है।
- भारत के पास वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की क्षमता है, जो वर्ष 2040 तक 100 अरब डॉलर होने की संभावना रखता है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास

- वर्ष 1960 के दशक के प्रारम्भ में भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियां शुरू की गईं।
- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम वर्ष 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर शुरू हुआ, जिसमें पहले साउंडिंग रॉकेट, नाइकी अपाचे (जिसे अमेरिका से खरीदा गया था) का उपयोग किया गया था।
- भारत का पहला स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट (आरएच-75) को 20 नवंबर, 1967 को प्रक्षेपित किया गया था।

- **आर्यभट्ट** (पहला भारतीय उपग्रह) को वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, जिससे भारत को उपग्रह प्रौद्योगिकी और डिजाइन सीखने में मदद मिली।
- पहला **GSLV-D1** वर्ष 2001 में श्रीहरिकोटा से GSAT-1 के साथ प्रक्षेपित किया गया था, जिसका लक्ष्य भारी, अधिक जरूरी **जियोसिंक्रोनस संचार उपग्रह** को प्रक्षेपित करना था।
- 22 अक्टूबर, 2008 को PSLV-C11 ने श्रीहरिकोटा से **चंद्रयान-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।**
- भारत ने वर्ष 2013 में पीएसएलवी-सी25 पर मंगल ग्रह पर अपना पहला **अंतरग्रहीय मिशन (मार्स ऑर्बिटर मिशन)** प्रक्षेपित किया और मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक कोई अंतरिक्ष यान भेजने वाली विश्व की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई।
- इसरो ने 30 जून, 2022 को PSLV-C53/DS-EO मिशन शुरू किया। PSLV-C53 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है।
- भारत के किफायती अंतरिक्ष कार्यक्रम ने चंद्र प्रोक्स प्रक्षेपण किया है, उपग्रहों का निर्माण किया है एवं सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच गया है और अपने नवाचारी दृष्टिकोण के लिए वैश्विक मान्यता अर्जित की है।
- भारत के पास दो परिचालन प्रक्षेपण यान हैं : **जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV)** और **पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV)**

अंतरिक्ष क्षेत्र में अवसर

- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की विशेषता राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संचालन का कार्य अंतरिक्ष विभाग (DOS) करता है।
- पिछले पांच दशकों में इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष गतिविधियों में आदि से अंत तक स्वदेशी क्षमता विकसित करने में सफल रहा है।
- यह उद्योग मोटर केस, इंजन, उपग्रह उत्पादन और रॉकेट मोटर बिक्री के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के निर्यात के स्तर तक परिपक्व हो गया है।
- अंतरिक्ष गतिविधियों में उद्योगों की भागीदारी ने देश में **लगभग 45,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन** की है।
- इन गतिविधियों से रक्षा उत्पादन, दूरसंचार, पदार्थ, रसायन और सूक्ष्म इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों को लाभ हुआ है।
- उच्च तकनीक वाली अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में भारतीय उद्योगों की बढ़ी हुई भागीदारी को सक्षम करने के लिए भारत सरकार ने **अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय**

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) के पूर्ण स्वामित्व वाले एनएसआईएल को शामिल किया है।

- अंतरिक्ष अन्वेषण में वृद्धि के साथ **मौसम विज्ञान, ऊर्जा, दूरसंचार, बीमा, परिवहन, समुद्री, विमानन, शहरी विकास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है** और दक्षता में भी वृद्धि हुई है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आनेवाला अंतरिक्ष विभाग इसरो को सीधे नियंत्रित करता है। इसरो की **एंट्रिक्स** नामक एक वाणिज्यिक शाखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक आधार पर इसरो के अंतरिक्ष उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देती है।
- इसलिए सरकार नियामक और वाणिज्यिक निष्पादक की दोहरी भूमिका निभाती है, जिससे **निजी क्षेत्र की भागीदारी में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा हुई हैं।**
- हालांकि सरकार इस क्षेत्र में **100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी है**, सभी निवेश सरकारी माध्यम के तहत अंतरिक्ष विभाग/इसरो के क्षेत्रीय दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं।
- इसके कारण कुछ **निजी कंपनियां** अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश करने से झिझकती हैं, क्योंकि वे नियामक माहौल और इसरो से प्रतिस्पर्धा के स्तर के बारे में अनिश्चित हैं।

भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सुधार दृष्टि को लागू करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 को एक व्यापक, समग्र और गतिशील ढांचे के रूप में तैयार किया गया है।

अंतरिक्ष उद्योग की दृष्टि

- **अंतरिक्ष क्षमताओं में निम्न वृद्धि करना**
 - ✓ अंतरिक्ष में समृद्ध व्यावसायिक उपस्थिति को सक्षम, प्रोत्साहित और विकसित करना।
 - ✓ प्रौद्योगिकी विकास के चालक के रूप में अंतरिक्ष का उपयोग करना और संबद्ध क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करना।
 - ✓ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाना और सभी हितधारकों के बीच अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- **सरकार निम्न पर ध्यान देगी**

- ✓ अंतरिक्ष कार्यक्रम को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
- ✓ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सार्वजनिक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना।
- ✓ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित नियामक ढांचा बनाना।
- ✓ अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्ट-अप को सहायता देने सहित अंतरिक्ष-संबंधित शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना।
- ✓ समग्र प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक चालक के रूप में अंतरिक्ष का उपयोग करना, समाज में वैज्ञानिक स्वभाव का पोषण करना और अंतरिक्ष गतिविधियों पर जागरूकता बढ़ाना।

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (InSPACe) : यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण, लॉन्च पैड स्थापित करने, उपग्रहों को खरीदने एवं बेचने और अन्य चीजों के बीच उच्च-विश्लेषण डेटा प्रसारित करने के लिए एकल स्थल मंजूरी और प्राधिकरण एजेंसी होगी।
- एनएसआईएल (इसरो के एंटरिक्स की जगह) निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों से अंतरिक्ष घटकों और संपत्तियों के निर्माण, पट्टे या खरीद के अलावा सार्वजनिक व्यय के माध्यम से बनाई गई अंतरिक्ष

प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों का व्यावसायीकरण करेगा।

- अंतरिक्ष विभाग समग्र नीति दिशानिर्देश प्रदान करेगा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करने और विदेश मंत्रालय के परामर्श से अंतरिक्ष गतिविधि से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित करने हेतु 'नोडल' विभाग होगा।

भविष्य के मिशन

निम्नलिखित ऐसे स्वीकृत मिशन हैं जिन्हें इसरो पूरा करने जा रहा है

- पीएसएलवी-सी56/डीएस-एसएआर : डीएस-एसएआर उपग्रह सिंगापुर की सरकारी एजेंसियों की उपग्रह आकृति आवश्यकताओं की सहायता करेगा और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए मल्टी-मोडल, उत्तरदायी आकृति और भू-स्थानिक सेवाएं प्रदान करेगा।
- निसार (NASA-ISRO SAR i.e. NISAR) : यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों पर लगातार डेटा प्रदान करता है।
- आदित्य एल1 : आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष-आधारित भारतीय मिशन होगा।
- स्पैडेक्स (SPADEX) : यह स्वायत्त डॉकिंग को प्रदर्शित करने वाला एक भारतीय प्रौद्योगिकी मिशन है।

8. हवाना सिंड्रोम

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि वह भारत में 'हवाना सिंड्रोम' के कथित मामलों की जांच करेगी।

विवरण

- बेंगलुरु के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सरकार ने न्यायालय के समक्ष जवाब दिया।
- याचिकाकर्ता ने इस सिंड्रोम की जांच करने और भारत में उच्च आवृत्ति वाले सूक्ष्म तरंगों के संचरण की रोकथाम हेतु परमादेश रिट जारी करने वाली याचिका उच्च न्यायालय में दायर किया था।
- न्यायालय ने इस मामले पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है।

हवाना सिंड्रोम

- हवाना सिंड्रोम को दुनिया भर के विभिन्न देशों में अमेरिकी खुफिया

और दूतावास के अधिकारियों द्वारा अनुभव किए गए मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के रूप में परिभाषित किया गया है।

- हवाना सिंड्रोम का नाम हवाना, क्यूबा नामक स्थान के नाम पर रखा गया है, जहाँ वर्ष 2016 में पहली बार इसकी जानकारी तब हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के बाद वहाँ एक दूतावास खोला था।

हवाना सिंड्रोम के लक्षण

- इस विकार के पहले घटना में, अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को उनके मस्तिष्क में अचानक दर्द होने लगा, जिसके बाद उनमें अनिद्रा, स्थिति भ्रान्ति का और सिरदर्द जैसी स्थितियाँ पैदा हुईं।
- इस विकार के लक्षणों में मतली, किसी बाहरी ध्वनि की मौजूदगी

के बिना कुछ ध्वनियों को सुनने की अनुभूति, चक्कर आना, सिरदर्द और स्मरण शक्ति की कमी शामिल हैं।

हवाना सिंड्रोम के कारण

- हालाँकि इस सिंड्रोम से संबंधित कारणों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन शुरू में, इसे क्यूबा 'सोनिक अटैक' होने का संदेह था। हालाँकि, आगे के अध्ययनों से संकेत मिला कि इस सिंड्रोम का संभावित कारण 'उच्च-शक्ति वाले सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव)' विकिरण के संपर्क में आना हो सकता है।
- अध्ययनों के अनुसार, ये उच्च शक्ति वाली सूक्ष्म तरंगें अधिकारियों के तंत्रिका तंत्र में व्यवधान उत्पन्न करती हैं।
- इस व्यवधान के कारण मस्तिष्क में दर्द होता है, जिससे ध्वनि सुनने का अहसास होने लगता है।
- अनुसंधान और अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि ऐसी तरंगों के दीर्घकालिक और अत्यधिक संपर्क में रहने के परिणामस्वरूप शरीर की संतुलन में व्यवधान भी हो सकता है। इससे याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है और यहाँ तक कि मस्तिष्क को स्थायी क्षति भी हो सकती है।

'सूक्ष्म तरंग विकिरण अनावृत्ति' (माइक्रोवेव विकिरण एक्सपोजर) से जुड़े अन्य विकार

सूक्ष्म तरंगों के संपर्क में रहने से कई अन्य विकार भी हो सकते हैं। इसमें निम्न शामिल हैं

- **त्वचा में जलन और मोतियाबिंद:** सूक्ष्म तरंगें गैर-आयनीकरण विकिरण उत्सर्जित करते हैं; हालाँकि, लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से अत्यधिक गर्मी होती है और अंततः त्वचा में जलन और मोतियाबिंद हो जाता है।
- **माइक्रोवेव सिंड्रोम**
 - ✓ इस सिंड्रोम को इलेक्ट्रो-हाइपरसेंसिटिविटी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक नैदानिक सिंड्रोम है, जो कई गैर-विशिष्ट अंगों, मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़े लक्षणों की मौजूगदी से पहचाना जाता है।
 - ✓ यह सिंड्रोम तब होता है जब रोगी पर्यावरण में या अपने कार्यस्थल पर ईएम (EM) तरंगों के तीव्र या दीर्घकालिक संपर्क से पीड़ित होता है।

- **माइक्रोवेव-प्रेरित मस्तिष्क आघात :** मस्तिष्क माइक्रोवेव विकिरण के प्रति सबसे संवेदनशील अंग है, क्योंकि इसके प्रभाव के कारण, ऊर्जा चयापचय (metabolism) संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जो बदले में मस्तिष्क आघात की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है।

इस सिंड्रोम की जानकारी देने वाले देश

- विभिन्न अमेरिकी अधिकारियों द्वारा विभिन्न देशों में लगभग 130 मामले दर्ज किए गए हैं।
- वर्ष 2017 में उज्बेकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास में यूएसएआईडी के एक कर्मचारी द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी।
- वर्ष 2018 में चीन में तैनात अमेरिकी अधिकारियों में इस तरह के सिंड्रोम के मामलों देखने को मिले थे।
- वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर (विशेष रूप से वाशिंगटन, डीसी में) अधिकारियों द्वारा इसी तरह की जानकारी दी गई थी।
- भारत में इस सिंड्रोम का पहला मामला वर्ष 2021 में सामने आया था, जब एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने इसकी जानकारी दी थी।

वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका-आधारित रिपोर्टों का रुख

- प्रारंभ में, अमेरिका में हुए अध्ययनों में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के उच्च शक्ति वाले विकिरण को 'माइक्रोवेव हथियारों' के माध्यम से 'अमेरिकी अधिकारियों' की ओर प्रक्षेपित किया गया था। हालाँकि, शोध और अध्ययन में उनके दावों के संबंध में कोई पुष्टा सबूत नहीं पाए गए हैं।
- अमेरिका में हुए कई अध्ययनों में इस सिंड्रोम के पीछे चीन और रूस पर आरोप लगाया गया है और दावा किया गया है कि दोनों देश 'माइक्रोवेव' पर शोध कर रहे हैं।
- कुछ अमेरिका में रहने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत को यह कहकर बदनाम कर दिया कि यह केवल एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, जिसे निशाना बनाए जाने के डर से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।
- इसके अलावा, कुछ अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों ने भी किसी ऐसे विदेशी प्रतिद्वंद्वी के विचार को नकार दिया है।

भारत इस सिंड्रोम के बारे में क्या जानता है?

- वर्ष 2021 के बाद से भारत में हवाना सिंड्रोम का केवल एक ऐसा मामला दर्ज किया गया है; ऐसे किसी भी हथियार प्रौद्योगिकी को

लक्षित करने की बहुत ही कम संभावना है, और अधिकारियों ने कहा कि वे इसके बारे में उन्हे कोई जानकारी नहीं हैं।

- यह भी कहा जाता है कि अगर ऐसी कोई तकनीक लगाई गई है, तो ऐसी समस्या केवल अमेरिकी अधिकारियों को ही क्यों होती है, यह किसी अन्य देश के अधिकारियों को क्यों नहीं होती है?
- भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वे अमेरिका द्वारा प्रस्तावित दावों से इनकार नहीं कर रहे हैं, हालाँकि, किसी सबूत के अभाव में हवाना सिंड्रोम की स्थिति और मामलें कुतूहल पैदा करते हैं।

आगे की राह

- चूँकि हवाना सिंड्रोम के बारे में सटीक कारण और ठोस सबूत को अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए किसी भी बिना सोचे-समझे दावे या तर्क से बचना चाहिए। इस समस्या और इससे उत्पन्न होने वाले अन्य संभावित प्रभावों का मुकाबला करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
- इस सिंड्रोम का सटीक कारण को निर्धारित करने के लिए उचित शोध किया जाना चाहिए।

स्व कार्य हेतु



आंतरिक सुरक्षा

1. भारत में वामपंथी उग्रवाद

वर्तमान संदर्भ

केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism-LWE) से प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना में सुधार कर, कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए कई विकास पहल कर रही है।

विवरण

- इन पहलों के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पूरे देश में वामपंथी हिंसा में लगातार गिरावट आई है।
- वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 76 प्रतिशत की कमी आई है।
- हिंसक घटनाओं से होने वाली मृत्यु (सुरक्षा बलों + नागरिकों) की संख्या भी वर्ष 2010 में 1005 के उच्चतम स्तर से 90 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2022 में 98 हो गई है।

वामपंथी उग्रवाद

- भारत में वामपंथी उग्रवाद विभिन्न उग्रवादी समूहों को संदर्भित करता है जो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं और भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह में संलग्न रहते हैं।
- ये समूह सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मार्क्सवादी या माओवादी-प्रेरित राज्य स्थापित करना चाहते हैं और अक्सर देश के दूरदराज और हाशिए पर रहने वाले क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं।
- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य (अलग-अलग स्तर पर) माना जाता है।
- वामपंथी उग्रवाद देश के सामने आने वाले प्रमुख आंतरिक सुरक्षा खतरों में से एक है।
- वामपंथी उग्रवादी संगठनों के सदस्यों को आमतौर पर नक्सली या माओवादी के नाम से भी जाना जाता है।

नक्सली और वामपंथी उग्रवाद के बीच अंतर

2 मार्च, 1967 को नक्सली [जैसा कि वे भारत में सामान्य रूप से जाने जाते हैं] और जो उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य थे] ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी उप-मंडल के नक्सलबाड़ी गांव में एक आदिवासी

किसान विद्रोह का नेतृत्व किया। तब से, राज्य को सशस्त्र रूप से उखाड़ फेंकने के विचार को मानने वाले सभी लोगों को सामान्यतः नक्सली कहा जाता है, इस शब्द की उत्पत्ति नक्सलबाड़ी गांव में हुई है।

दूसरी ओर, माओवादी शब्द विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के कैडरों और नेताओं को संदर्भित करता है। सभी माओवादी नक्सली हैं, लेकिन सभी नक्सली माओवादी नहीं हैं।

भारत में वामपंथी उग्रवादी संगठन

पिछले कुछ दशकों से कई वामपंथी चरमपंथी संगठन देश के कुछ दूरस्थ और खराब संपर्क वाले इलाकों में कार्य कर रहे हैं।

- वर्ष 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (MCCI) का सीपीआई (माओवादी) पार्टी में विलय एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
- अधिकांश हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार सीपीआई (माओवादी) को वर्ष 2009 में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था।

गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम

गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम का उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों वाले संगठनों की रोकथाम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना है।

हाल में, संशोधित कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 (UAPA 2019) ने केंद्र सरकार के लिए किसी भी औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना संभव बना दिया है। UAPA को 'आतंकवादी विरोधी कानून' के नाम से भी जाना जाता है।

भारत सरकार का कदम

‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ राज्य के विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्र सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखती है और कई तरीकों से उनके प्रयासों में सहयोग और समन्वय करती है।

इसमें निम्न शामिल हैं

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) उपलब्ध कराना।
- इंडिया रिजर्व (IR) बटालियनों की मंजूरी, जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद-निरोधी (CIAT) स्कूलों की स्थापना।
- राज्य पुलिस और उनके खुफिया तंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन।
- सुरक्षा-संबंधी व्यय (SRE) योजना के अंतर्गत सुरक्षा-संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति।
- वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायता करना।
- खुफिया जानकारी साझा करना।
- अंतर-राज्य समन्वय को सुगम बनाना; सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों आदि में सहायता प्रदान करना।

वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की पहल

राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना

- वामपंथी उग्रवाद की समस्या को समग्र रूप से हल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की।
- इसमें सुरक्षा-संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों (Entitlements) को सुनिश्चित करने वाली एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई थी।

समाधान (SAMADHAN)

- SAMADHAN सिद्धांत वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है।
- इसमें विभिन्न स्तरों पर बनाई गई सरकार की संपूर्ण रणनीति (अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक) शामिल है।

SAMADHAN के प्रत्येक अक्षर का विश्लेषणात्मक विवरण निम्न हैं

कुशल नेतृत्व (Smart Leadership)

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जवानों में जोश भर सके और उन्हें सिर्फ जीतना सिखा सके।
- केंद्रीय बलों और स्थानीय पुलिस को समन्वित योजना के तहत काम करने को कहा गया।



आक्रामक रणनीति (Aggressive strategy)

- उन घटनाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है जहां सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ हो एवं सोच, संचालन और सड़क निर्माण जैसे विकास में आक्रामकता को बढ़ावा मिला हो।

प्रेरणा और प्रशिक्षण (Motivation and training)

- सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए उनकी संस्कृति और भाषाएं सीखनी चाहिए।

कार्रवाई योग्य खुफिया सूचना (Actionable intelligence)

- स्थानीय लोगों के साथ एक अच्छा सम्पर्क स्थापित करना महत्वपूर्ण है। 'आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों का उपयोग खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाना चाहिए' और प्रमुख वामपंथी उग्रवादियों के लक्ष्यों का पता लगाने के लिए 'खुफिया अधिकारियों को छद्म रूप में' (Shadow Intelligence Officers) तैनात करने की आवश्यकता है।
- डैशबोर्ड आधारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक और मुख्य परिणाम क्षेत्र [Dashboard-based Key Result Areas (KRAs) and Key Performance Indicators (KPIs)]
- इन्हें राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के लिए उनकी तैयारियों के साथ-साथ प्रदर्शन का आकलन करने हेतु निर्धारित किया जाना चाहिए।

प्रौद्योगिकी का दोहन (Harnessing technology)

- उग्रवादियों द्वारा हथियारों की लूट को रोकने के लिए हथियारों में ट्रैकर और विस्फोटकों हेतु बायोमेट्रिक्स और विशिष्ट पहचान संख्या की आवश्यकता है।

प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य योजना (Action plan)


- विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए कई मोर्चों पर लड़ने और प्रत्येक मोर्चे हेतु अलग-अलग कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

वित्तपोषण तक पहुंच नहीं (No access to financing)

- इस लड़ाई में वामपंथी उग्रवादियों को हथियार, गोला-बारूद और खाद्य सामग्री मिलने से रोकने के लिए उनके वित्तीय संसाधनों को रोकना अति आवश्यक है।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहल

सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन को प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर और निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से धन का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की सरकार को सहायता प्रदान करती है :



- सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) और विशेष अवसंरचना योजना (SIS)
- राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन
- उपकरण और हथियार
- खुफिया जानकारी साझा करना
- सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों आदि का निर्माण
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE)
- वामपंथी उग्रवाद मोबाइल टावर परियोजना

आगे की राह

- सरकार को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा और विकास पहलों को लागू करना जारी रखना चाहिए। इसे खुफिया जानकारी एकत्र करने और साझा करने में सुधार लाने और वामपंथी समूहों के वित्तीय संसाधनों को रोकने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को इन क्षेत्रों में लोगों के दिल और दिमाग को जीतने के लिए काम करना चाहिए, ताकि वे वामपंथी उग्रवाद के प्रति सहानुभूति न रखें।

2. आईएनएस विंध्यगिरि

वर्तमान संदर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त, 2023 को कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) फैसिलिटी में एक उन्नत गुप्त युद्धपोत आईएनएस विंध्यगिरि का जलावतरण किया।

विवरण

- यह भारतीय नौसेना के **प्रोजेक्ट 17ए का छठा पोत** है, इसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा विकसित किया गया है।
- अन्य पांच पोत- **आईएनएस नीलगिरि, उदयगिरि, हिमगिरि, तारागिरि और दूनागिरि** को पहले ही वर्ष 2019 और 2022 के बीच जलावतरण किया गया।

आईएनएस विंध्यगिरि की विशेषताएं

- आईएनएस विंध्यगिरि का नाम कर्नाटक की विंध्य पर्वतमाला के नाम पर रखा गया। यह एक **उन्नत गुप्त नियंत्रित मिसाइल युद्धपोत** है।
- इसकी लंबाई लगभग 149 मीटर, गति 28 समुद्री मील और जलापसारण (displacement) लगभग 6,670 टन है।
- यह जहाज तीनों आयामों (**वायु, सतह और उप-सतह**) में संभावित खतरों और शत्रु को निष्क्रिय कर सकता है।
- यह P17A श्रेणी या नीलगिरि श्रेणी के जहाजों का एक युद्धपोत है।
- इस वर्ग के सभी जहाज रडार-अवशोषक कोटिंग्स से सुसज्जित हैं, जो दुश्मनों को इनका पता लगाने में असमर्थ कर देता है।
- रडार-अवशोषक कोटिंग की नई तकनीक जहाजों द्वारा उत्पन्न अवरक्त संकेतों को भी कम करती है।

प्रोजेक्ट 17 ए

- **प्रोजेक्ट 17 अल्फा युद्धपोत (संक्षिप्त रूप में पी17-ए)** को भारतीय नौसेना द्वारा गुप्त नियंत्रित मिसाइल युद्धपोत की एक श्रृंखला तैयार करने हेतु वर्ष 2019 में शुरू किया गया।
- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) और **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स** नामक दो कंपनियां इस श्रेणी के जहाजों का निर्माण कर रही हैं।
- कुल सात युद्धपोत में से तीन मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स द्वारा बनाए जाने हैं, जबकि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स तीन युद्ध

पोत विकसित करेगा।

- प्रोजेक्ट 17A के तहत जलावतरण किया गया पहला गुप्त युद्धपोत आईएनएस नीलगिरि था जिसे वर्ष 2019 में जलावतरण किया गया।
- ऐसा माना जाता है कि प्रोजेक्ट 17ए से संबंधित जहाजों को बेहतर गुप्त सुविधाओं, आधुनिक हथियारों, उन्नत सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों के साथ बनाया गया है।
- पी17-ए या नीलगिरि वर्ग के युद्धपोतों को आकार और प्रौद्योगिकी में कुछ बदलावों या संशोधनों के साथ शिवालिक वर्ग के युद्धपोतों (पी17-, जो एक तीन-जहाज बहु-मिशन युद्धपोत किस्म है) से लिया गया के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- P-17A पोतों का आकार P17- युद्धपोतों की तुलना में अपेक्षाकृत 5-4 प्रतिशत बड़ा है।
- **P-17A को P-17 श्रेणी** (जो एकल-हाथ वाले मिसाइल लांचर का उपयोग करता है) की तुलना में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को प्रक्षेपित करने के लिए **'वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम' (VLS)** सेल्स को तैनात करने के लिए जाना जाता है।

भारतीय फ्रिगेट और युद्धपोतों की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में भारतीय नौसेना बल में लगभग 150 पोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। इसमें तीन अलग-अलग वर्गों (शिवालिक, तलवार और ब्रह्मपुत्र) से संबंधित लगभग बारह नियंत्रित मिसाइल युद्धपोत शामिल हैं।

आईएनएस विंध्यगिरि युद्धपोत का महत्व

- इस नए युद्धपोत के शामिल होने से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी।
- इससे IORA, IONS और QUAD जैसी क्षेत्रीय और वैश्विक पहलों में भारत की हिस्सेदारी भी मजबूत होगी, जिससे वह क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा भागीदार के रूप में कार्य करेगा।
- इससे भारत को क्षेत्र में चीन के नौसेना से मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी।
- इस परियोजना को भारतीय नौसेना के सभी युद्धपोत डिजाइन

गतिविधियों से जुड़ा प्राथमिक संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है।

- इसके अलावा, इस परियोजना के तहत बनाए गए जहाजों के लगभग 75 प्रतिशत उपकरण और प्रणाली स्वदेशी फर्मों, विशेष रूप से एमएसएमई से खरीदे जाते हैं जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के अनुरूप हैं।

निष्कर्ष

- हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत में प्रमुख सुरक्षा भागीदार बनने के लिए भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की जरूरत है और मौजूदा कदम को इसी रूप में देखा जा सकता है।

3. सीमा अवसंरचना विकास

वर्तमान संदर्भ

क्षेत्रीय सम्पर्क को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम के रूप में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा अवसंरचना पर भारत के खर्च में चार गुना वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि **बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ भारत का जुड़ाव एक केंद्र बिंदु रहा है, जिसके केंद्र में बुनियादी अवसंरचना संबंधी पहल है।**

विवरण

- चीन के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर भारत के ध्येय का निहितार्थ है-अधिक प्रतिस्पर्धा और जवाबी गश्त, साथ ही भारतीय सेना अब तैनाती और किसी भी चीनी गतिविधि से कुशलतापूर्वक निपटने में सक्षम है।
- भारत और चीन अभी भी पूर्वी लद्दाख के शेष क्षेत्रों में सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और गलवान, गोगरा हॉट स्पिंग्स और पैगोंग सहित 5-6 तनावपूर्ण टकराव बिंदुओं पर 'कुछ समाधान' खोजने में कामयाब रहे हैं।
- ✓ व्यापार को सुचारू बनाने के लिए सभी सीमा क्रॉसिंगों पर एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) का आधुनिकीकरण एवं निर्माण तथा पड़ोसी देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण और निर्माण।
- **बजट** : वर्ष 2014 के बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में सम्पर्क बढ़ाने के लिए बजट में चार गुणा वृद्धि की गयी है।
- **चीन सीमा** :

सीमा अवसंरचना विकास पहल

- भारत चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा (वास्तविक नियंत्रण रेखा या एलएसी) पर उत्तर और पूर्व में पहल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें भारत को **बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार** जैसे 'मैत्रीपूर्ण' पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के साथ-साथ **लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश** में भारतीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को तैयार करना भी शामिल है।
- **एक बहुआयामी दृष्टिकोण**
 - ✓ सड़कों, पुलों और सुरंगों के माध्यम से एलएसी तक सम्पर्क में सुधार।
 - ✓ राजमार्गों, पुलों, अंतर्देशीय जलमार्गों, रेलमार्गों, बिजली लाइनों और ईंधन पाइपलाइनों के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार सम्पर्क में सुधार।
 - ✓ सीमा सड़क संगठन का बजट वर्ष 2013-14 में 3,782 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में 14,387 करोड़ रुपये कर दिया गया।
 - ✓ वर्ष 2008-14 में 3,610 किमी की तुलना में वर्ष 2014-22 में 6806 किमी सड़कों का निर्माण किया गया।
 - ✓ सशस्त्र बलों को चीनी सुरक्षा बलों की हरकतों का मुकाबला करने की बेहतर क्षमता देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी लाई गई।
 - ✓ वर्ष 2008-2014 की अवधि के मध्य 7,270 मीटर की तुलना में वर्ष 2014-22 में कुल 22,439 मीटर पुलों का निर्माण किया गया।
 - ✓ एलएसी पर 205 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं जबकि 6,200 करोड़ रुपये लागत की 176 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
 - ✓ सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पांच नई सुरंगों का निर्माण किया, जबकि 10 पर काम अभी जारी है और अतिरिक्त सात सुरंगों योजना के चरण में हैं।

• अरुणाचल

- ✓ लगभग 2,000 किलोमीटर लम्बा एक सीमांत राजमार्ग विकसित किया जा रहा है, जिसे मागो-थिंगबू-विजयनगर सीमा राजमार्ग के रूप में भी जाना जाता है। यह राजमार्ग मैकमोहन रेखा का अनुसरण करता है, जो चीन और भारत के बीच प्रभावी सीमा है।
- ✓ सीमांत राजमार्ग को ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग और पूर्व-पश्चिम औद्योगिक गलियारा राजमार्ग से जोड़ने के लिए, 2,178 किलोमीटर लम्बे छह ऊर्ध्वाधर और विकर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को मंजूरी दी गई है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सहायक होंगे, जिससे न केवल सशस्त्र बलों को लाभ होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- ✓ बीआरओ वर्तमान में नौ सुरंगों का निर्माण कर रहा है, जिसमें 2.53 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग भी शामिल है, जो असम के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच प्रत्येक मौसम में सम्पर्क सुविधा प्रदान करेगी और पूर्ण होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची द्वि-लेन सुरंग होगी।

• लद्दाख में निर्माणाधीन परियोजनाएं

- ✓ चुसुल-डुंगती-फुकचे-डेमचोक राजमार्ग परियोजना
- ✓ न्योमा हवाई क्षेत्र (विश्व के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक)
- ✓ लद्दाख-हिमाचल प्रदेश सीमा पर शिंकू-ला सुरंग (पूर्ण होने पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग)
- ✓ 9.02 किमी लंबी अटल सुरंग का समापन, (10,000 फीट से ऊंची विश्व की सबसे लंबी सुरंग), साथ ही दक्षिणी लद्दाख के डेमचोक क्षेत्र में 19,024 फीट ऊंचे उमलिंगला दर्रे पर सबसे ऊंची वाहन चलने योग्य सड़क महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

पड़ोस की परियोजनाएं

- नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ सुगम व्यापार प्रवाह के लिए एकीकृत जांच केंद्र।

- नेपाल और बांग्लादेश को रेलवे लिंक, महाकाली मोटरेबल पुल और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु।
- कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP), जिसमें 158 किमी लम्बा जलमार्ग शामिल।
- सिटवे पत्तन परियोजना और मिजोरम तक सड़क।
- भारत में मोतिहारी और नेपाल में अमलेखगंज के बीच 'दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन'
- बांग्लादेश के साथ हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन, जिससे पेट्रोल की कीमत और सड़क पर भीड़भाड़ में कमी।
- पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे पसाखा में एक भूटानी ड्राई पोर्ट भारत सरकार के अनुदान के तहत निर्माणाधीन।
- नेपाल में भारत सरकार द्वारा तराई क्षेत्र में कुल 306 किमी लंबी 10 सड़कों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये निवेश की प्रतिबद्धता।

सीमा अवसंरचना का महत्व

- **रणनीतिक तैनाती** : वर्ष 2014 में चुमार में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ लगातार गतिरोध, वर्ष 2017 में डोकलाम और अप्रैल 2020 से पूरे एलएसी पर चल रहे गतिरोध को देखते हुए (जब चीनी सेना ने सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा किया, जिसके परिणामस्वरूप गलवान हिंसा हुयी), सैनिकों के साथ-साथ संसाधनों की तेजी से तैनाती के लिए बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है।
- **सम्पर्क** : परिवहन के लिए सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण और सम्पर्क के लिए निर्बाध एकीकरण के नेटवर्क बुनियादी ढांचे का निर्माण आवश्यक है।
 - ✓ भारत का ध्यान व्यापार, ऊर्जा और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए अपने मित्रवत पड़ोसियों के साथ तेजी से सीमा संपर्क विकसित करने पर केंद्रित है।
- **समन्वय** : अनेक संघर्षों और युद्धों के बावजूद भारत की सीमा अवसंरचना की स्थिति अपर्याप्त है। घुसपैठ, दुश्मन की तैनाती के प्रति निगरानी और हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सैन्य, अर्ध-सैन्य और पुलिस बलों के बीच समन्वय आवश्यक है।

- ✓ तस्कर, नशीली दवाओं के तस्कर और आतंकवादी अक्सर सीमाओं पर खराब निगरानी और बुनियादी ढांचे का फायदा उठाते हैं।

अन्य सीमा पहलें

- **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (Border Infrastructure and Management-BIM):** सरकार ने 13,020 करोड़ रुपये की लागत से इस केंद्रीय क्षेत्रक मुख्य योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

- ✓ यह सीमा प्रबंधन, पुलिस व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए सीमा अवसंरचनाओं को मजबूत करेगा।
- ✓ बीआईएम योजना भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमा बाड़, सीमा फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों (BOPs)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (COBs) जैसी बुनियादी सीमा अवसंरचनाओं के निर्माण में मदद करेगी।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- ✓ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) की शुरुआत **सातवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1985-90) के दौरान पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में** की गई थी।
- ✓ भारत सरकार 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 117 सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बस्ती से 0-10 किलोमीटर के भीतर स्थित बस्तियों में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से बीएडीपी लागू कर रही है।
- ✓ बीएडीपी का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) के पास स्थित दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना एवं कल्याण करना और बीएडीपी/अन्य केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/स्थानीय योजनाओं के संमिलन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
- ✓ पिछले पांच वित्तीय वर्षों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 2,975.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली

- ✓ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहली बार व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के अंतर्गत वर्ष 2019 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग की शुरुआत की।
- ✓ **सीआईबीएमएस का उद्देश्य** बीएसएफ की तेज निगरानी, पता लगाने और अवरोधन क्षमता को बढ़ाना है।
- ✓ सीआईबीएमएस निम्न तीन मुख्य घटकों वाली एक मजबूत प्रणाली है :
 - सेंसर, डिटेक्टर, कैमरा, रडार सिस्टम, माइक्रो-एयरोस्टैट्स, लेजर आदि सहित परिष्कृत उपकरण
 - समर्पित वायर्ड और वायरलेस संचार प्रणाली
 - केंद्रीकृत कमांड नियंत्रण प्रणाली
- ✓ सीआईबीएमएस के तहत निम्न दो स्थानों पर लगभग 71 किलोमीटर की प्रारंभिक परियोजनाएं पूरी की गई हैं :
 - भारत-पाकिस्तान सीमा पर (10 किलोमीटर)
 - भारत-बांग्लादेश सीमा पर (61 किलोमीटर)

जीवंत ग्राम कार्यक्रम

- ✓ इस ग्राम विकास योजना की घोषणा पहली बार **वर्ष 2022 के बजट में** की गई थी।
- ✓ इसका लक्ष्य चीन के साथ लगी सीमा पर गांवों का व्यापक विकास करना और चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- ✓ इन गांवों में विकास से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और इससे सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।
- ✓ केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2,967 गांवों को व्यापक विकास के लिए चिन्हित किया गया है।

- ✓ ये गांव अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की सीमा पर स्थित हैं।
- ✓ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु 4,800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कुल परिव्यय में से 2,500 करोड़ रुपये विशेष रूप से सड़क अवसंरचना के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।

निष्कर्ष

- संसद में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय के तहत सीमा सड़क संगठन ने पिछले तीन वर्षों में चीन की सीमावर्ती 60 प्रतिशत से अधिक सड़कों का निर्माण कर लिया है। सीमाओं को सुरक्षित करने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में परिलक्षित होती है।

स्व कार्य हेतु



व्यक्तित्व/पुरस्कार/खेल

1. बिंदेश्वर पाठक

वर्तमान संदर्भ

15 अगस्त, 2023 को 'टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया' बिंदेश्वर पाठक का नई दिल्ली में निधन हो गया।

बिंदेश्वर पाठक का परिचय

- बिंदेश्वर पाठक का जन्म और शिक्षा-दीक्षा बिहार में हुई। वह एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री और सामाजिक उद्यमी थे। उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और मानवाधिकारों को बढ़ावा देकर भारत की स्वच्छता क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक प्रगति और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और स्वच्छ भारत के निर्माण को अपना मिशन बनाया।
- हाथ से मैला ढोने वालों (manual scavengers) की दुर्दशा देखने के बाद उन्हें स्वच्छता समस्या को उजागर करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने एक प्रथा और पेशे के रूप में हाथ से मैला ढोने के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया।
- उन्होंने सफाईकर्मियों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और वैकल्पिक आजीविका प्रदान की। वह अपने पीएचडी शोध के भाग के रूप में मैला ढोने वाले परिवारों के साथ रहे और सार्वजनिक शौचालयों और घरों में शौचालयों का निर्माण करके इस प्रथा का उन्मूलन करने की कसम खाई।
- श्री पाठक ने भारत में सार्वजनिक शौचालय प्रणाली शुरू करने के लिए वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस

ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की, जो आगे चलकर सैकड़ों शहरों का एक अंग बन गया।

- इस प्रयास से भारत में घरों में 1.3 मिलियन से अधिक शौचालय और 10,000 सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना हुई।
- समय के साथ, सुलभ इंटरनेशनल ने मैला ढोने के काम में लगे लोगों के कल्याण में भी योगदान दिया और इस व्यवसाय से बाहर आने में उनकी सहायता की। इस संगठन को अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से 2016 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- बिंदेश्वर पाठक, एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग सामाजिक उत्थान और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया। उन्होंने बायोगैस संयंत्र डिज़ाइन किया जो मानव अपशिष्ट को ऊर्जा और उर्वरक में परिवर्तित कर सकता है।
- उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए वर्ष 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और बाद में वे सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के राजदूत बने।



2. सी.आर. राव

वर्तमान संदर्भ


भारत के महानतम गणितज्ञों और सांख्यिकीविदों में से एक सी. राधाकृष्ण राव का 23 अगस्त, 2023 को अमेरिका में निधन हो गया। वह 102 वर्ष के थे।

सी. आर. राव का परिचय

- सी.आर. राव भारत के अब तक के सबसे प्रतिष्ठित सांख्यिकीविदों में से एक थे। उनके अध्ययन ने अनुमान सिद्धांत, अंतर ज्यामिति और बहुभिन्नरूपी विश्लेषण को समझाया।
- राव बेहद रचनात्मक थे। वह रचनात्मकता को दो प्रकारों में

वर्गीकृत करते थे- अपने उच्चतम स्तर पर रचनात्मकता एक नए विचार या सिद्धांत का जन्मदाता है, जो गुणात्मक रूप से अद्वितीय है, जबकि किसी मौजूदा प्रतिमान के ढांचे के भीतर की गई किसी अन्य प्रकार की खोज एक अलग प्रकार की रचनात्मकता होती है।

प्रमुख उपलब्धियाँ और पेशा



- राव ने आंध्र विश्वविद्यालय से गणित में डिग्री प्राप्त की।
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute-ISI) की स्थापना करने वाले प्रशांत चंद्र महालनोबिस से मिलने और उसके बाद कुछ संकाय सदस्यों और कार्यकर्ताओं से बात करने पर राव को लगा कि आईएसआई उनके लिए सही जगह है।
- स्नात्कोत्तर के बाद राव को भारतीय

सांख्यिकी संस्थान में तकनीकी प्रशिक्षुता का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में सांख्यिकी पढ़ाना भी शुरू किया।

- वह कैम्ब्रिज गए और आधुनिक सांख्यिकीय विज्ञान के संस्थापक रोनाल्ड फिशर के अधीन पीएचडी की।
- राव वर्ष 1948 में भारत लौट आए और भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रोफेसर बन गए जहां वर्ष 1964 में उन्हें इसका निदेशक नियुक्त किया गया।
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान से सेवानिवृत्ति के बाद वे अमेरिका चले गए और वर्ष 1982 में उन्होंने पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में

बहुभिन्नरूपी विश्लेषण केंद्र की स्थापना की। बाद में वह वर्ष 1988 में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में शामिल हो गए।

- वर्ष 2007 में हैदराबाद विश्वविद्यालय ने सी.आर. राव एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस खोला।
- 2010 के आसपास, राव एमहर्स्ट में बफ़ेलो विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने अपना अंतिम वैज्ञानिक अध्ययन अपने 100वें वर्ष में प्रकाशित किया।
- ISI के पूर्व निदेशक इस साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्हें सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे कई लोग नोबेल पुरस्कार के बराबर मानते हैं।

सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान

- राव का मौलिक योगदान सांख्यिकी के क्षेत्र में, सूचना के कुशल प्रवाह के लिए एक प्रयोग को डिजाइन करने और परिणामों का उपयोग करके वैज्ञानिक परिकल्पना का परीक्षण करने में रहा है।
- वर्ष 1944 में उन्होंने एक ऐतिहासिक परिणाम निकाला जिसके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है-**क्रैमर-राव बाउंड**। वर्ष 1945 में उन्होंने एक परिणाम सिद्ध किया जिसे अब **राव-ब्लैकवेल प्रमेय** के रूप में जाना जाता है। डेटा से अनुमान प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन राव द्वारा प्रस्तावित विधि और दो साल बाद डेविड ब्लैकवेल द्वारा प्रस्तावित विधि अत्यधिक विश्वसनीय अनुमान प्रदान करती है।
- पीएचडी के दौरान, उन्होंने एक विधि की खोज की, जिसे अब **राव स्कोर टेस्ट** के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग विज्ञान की सभी शाखाओं में किया जाता है।

3. डॉ. वी.एस. अरुणाचलम

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के पूर्व महानिदेशक डॉ. वल्लमपाडुगई श्रीनिवास राघवन अरुणाचलम (Vallampadugai Srinivasa Raghavan Arunachalam) का कैलिफोर्निया में निधन हो गया, उन्हें डॉ. वी.एस. अरुणाचलम के नाम से भी जाना जाता है।



परिचय

- अरुणाचलम ने भौतिकी में विशेषज्ञता प्राप्त करने के साथ ही भौतिक विज्ञान में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला और रक्षा धातुकर्म

अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे संस्थानों में काम किया तथा वे रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में कम उम्र में निदेशक बने।

- अरुणाचलम न केवल एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे, बल्कि वे एक गहन आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। वे मंदिरों में जाते थे तथा उनका लगाव कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में भी था। बाद में अपने शैक्षणिक जीवन में उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में लिखना जारी रखा।

भारत के वैज्ञानिक और रक्षा नीति में योगदान

- डॉ. अरुणाचलम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कई रणनीतिक कार्यक्रमों के मुख्य वास्तुकार थे। उनके प्रमुख एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें शामिल थीं।
- उनके कार्यकाल में हल्के लड़ाकू विमान (जिसे अब तेजस कहा जाता है) और एयरबोर्न अली वॉरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम का विचार रखा गया था। उनकी परिकल्पना ने डीआरडीओ को एक छोटी परियोजना संगठन से मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन जैसी जटिल परियोजनाओं के प्रबंधन में सक्षम एक बहुआयामी इकाई में परिवर्तित किया।
- उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और नेतृत्व कौशल ने डीआरडीओ के समग्र आधुनिकीकरण में योगदान दिया। उन्होंने सशस्त्र बलों के भीतर DRDO की प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देते हुए राजनीतिक नेताओं, सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्रियों के साथ मजबूत संबंध बनाए।
- अरुणाचलम भारत के परमाणु अस्त्रीकरण के प्रबल समर्थक थे, लेकिन उन्होंने हथियारों के विकास के साथ-साथ एक प्रभावी वितरण प्रणाली की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मिसाइल और परमाणु प्रणालियों के एकीकरण की एक ऐसी नींव की शुरुआत की, जो आगे चलकर प्रगति के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुई।

इनके कैरियर की प्रमुख उपलब्धियाँ

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला और रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में अपने कार्यकाल के बाद

उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) के सचिव के रूप में काम किया।

- डीआरडीओ के महानिदेशक के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल (वर्ष 1982 से वर्ष 1992) के दौरान महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं की नींव रखकर इसे एक बहु-मिशन संगठन में परिवर्तित कर दिया, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2015 में डीआरडीओ के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- उन्होंने भारत सरकार के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (वर्ष 1982 से वर्ष 1992) के रूप में कार्य किया।
- इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूरदर्शी नेतृत्व के लिए अरुणाचलम को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
- वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी के प्रतिष्ठित फेलो (Fellow) भी थे। रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (यूके) के पहले भारतीय फेलो होने के साथ-साथ वे कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय, पिट्सबर्ग में एक विशिष्ट सेवा प्रोफेसर (इंजीनियरिंग और सार्वजनिक नीति) भी थे।
- वर्ष 2005 में वे एक टिकाऊ, सुरक्षित और समावेशी समाज के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नवीन दृष्टिकोण के साथ नीति निर्धारण को समृद्ध करने हेतु बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (Center for Science, Technology and Policy-CSTEP) के संस्थापक अध्यक्ष बने।

पुरस्कार

1. 69वाँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

वर्तमान संदर्भ

69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 24 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में की गई, जिसमें वर्ष 2021 में सेंसर की गई फिल्मों के लिए सम्मान शामिल है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय (जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है) द्वारा आयोजित किया जाता है।

विवरण

पुरस्कारों की घोषणा फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष केतन मेहता; गैर-फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष वसंत एस साई; सिनेमा जूरी पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के यतींद्र मिश्रा ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुश्री

नीरजा शेखर की उपस्थिति में की।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 विजेता

- चयनित श्रेणियों में विजेताओं की सूची निम्नलिखित है :

- सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म : 'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट'
- सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म : सृष्टि लखेरा द्वारा निर्देशित 'एक था गांव'
- राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार : 'द कश्मीर फाइल्स'
- संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म : 'आरआरआर'
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता : अल्लू अर्जुन 'पुष्पा (द राइज़ पार्ट-I)' के लिए
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (संयुक्त विजेता) : 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के लिए आलिया भट्ट और 'मिमी' के लिए कृति सेनन
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता : मिमी (हिंदी) के लिए पंकज त्रिपाठी
- सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री : द कश्मीर फाइल्स के लिए पल्लवी जोशी (हिंदी)

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम देश में अच्छे सिनेमा चलन को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित केंद्रीय एजेंसी है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत व कुशल विकास की योजना बनाना, प्रचार करना तथा व्यवस्थित करना और सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

भारतीय सिनेमा

- भारत विश्व में फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता है और वर्ष 2007 से यह लगातार बना हुआ है। साथ ही, बेची गई टिकटों की संख्या के मामले में भी देश अग्रणी फिल्म बाजार है।
- महामारी के कारण वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में निर्मित होने वाली फिल्मों की संख्या में भारी कमी देखी गई।
- राजस्व बढ़कर 93 बिलियन (1.2 बिलियन डॉलर) हो गया, लेकिन महामारी से पहले के 191 बिलियन (2.5 बिलियन डॉलर) से काफी नीचे रहा। वर्ष 2024 तक इस क्षेत्र के बढ़कर 212 बिलियन (2.7 बिलियन डॉलर) होने का अनुमान है।
- भारत में विश्व का कंटेंट हब बनने की क्षमता है। भारतीय फिल्मों को विश्व भर में पहचान मिल रही है, चाहे वह बाफ्टा हो या ऑस्कर।

भारतीय सिनेमा का इतिहास

- भारत विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक

है। वर्ष 1913 की शुरुआत में एक भारतीय फिल्म को सार्वजनिक स्क्रीनिंग मिली।

- यह फिल्म थी- राजा हरिश्चंद्र (साइलेंट मूवी)। इसके निर्देशक दादा साहब फाल्के को अब उनके नाम पर फिल्म उद्योग द्वारा दिए गए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से याद किया जाता है।
- उस समय महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए किसी को तैयार करना वास्तव में कठिन था।
- मूक फिल्में भारत में एक और दशक तक जारी रहीं, हालांकि पहली भारतीय बोलती फिल्म 14 मार्च, 1931 को आई थी। यह फिल्म 'आलम आरा' (दुनिया की रोजानी) थी, जिसे अर्देशिर ईरानी ने बनाया था, जिन्होंने स्वीकार किया था कि भारतीय बोलती फिल्म बनाने का विचार 'शो बोट' फिल्म के यूनिवर्सल पिक्चर्स प्रोडक्शन से आया था, जो 40 प्रतिशत बोलती फिल्म थी।
- 1960 के दशक की ऐतिहासिक फिल्मों में सबसे पहला जिक्र 'अनारकली' का आता है। इसके बाद 'मुगल-ए-आजम' और 'मदर इंडिया' आती हैं।
- इस काल के महत्वपूर्ण फिल्म निर्माताओं ने न केवल व्यावसायिक रूप से सफल कार्य किये बल्कि सिनेमा की भाषा में भी महारत हासिल की।
- 1960 के दशक के अंत से पहले फिल्मों का निर्देशन उन लोगों द्वारा किया जाता था जिन्होंने काम करते हुए ही कला सीखी थी। अभिनेताओं, निर्देशकों, निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए कोई स्कूल या प्रशिक्षण संस्थान नहीं थे। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और एफटीआईआई ने इन कर्मियों को प्रशिक्षित किया।

भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग

1940 के दशक के उत्तरार्ध व 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत की फ़िल्में गीतात्मक और सशक्त थीं और निम्नलिखित विषयों पर आधारित थीं

- अमीर जमींदारों द्वारा गरीबों का शोषण (दो बीघा ज़मीन, 1953)
- त्याग और सम्मान का महत्व (मदर इंडिया)
- बड़े शहर में जीवन-यापन संघर्ष (बूट पॉलिश, 1954)
- अस्पृश्यता (सुजाता, 1959)
- महिलाओं की बदलती भूमिका (श्रीमान एवं श्रीमती 55, 1955)
- शहरी बनाम ग्रामीण नैतिकता (श्री 420, 1955)
- प्रकृति बनाम पोषण (आवारा, 1951)
- आधुनिक भारतीयों द्वारा सामना की जाने वाली दुविधाएँ (अंदाज़, 1949)
- भौतिकवाद बनाम अध्यात्मवाद (प्यासा, 1957)
- नियति का महत्व (चौदहवीं का चाँद, 1960)

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

- राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD), विश्व के अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है।
- इसकी स्थापना 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी घटक इकाइयों में से एक के रूप में की गई थी।
- वर्ष 1975 में, यह एक स्वतंत्र इकाई बन गया और 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया, जो पूरी तरह से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित था।

मध्य-समय का सिनेमा

- 1970 के दशक में राजेश खन्ना के आकर्षक व्यक्तित्व और अमिताभ बच्चन के रौबदार, गुस्सैल युवा रूप के उदय के साथ भारतीय व्यावसायिक सिनेमा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। अमर प्रेम, कटी पतंग और आनंद जैसी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उद्योग को बढ़ावा दिया, जबकि जंजीर और काला पत्थर जैसी उनकी एक्शन फिल्में लोकप्रिय हुईं।

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान

- भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) की स्थापना 1960 में भारत सरकार द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में पुणे में तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में की गई थी।
- यह बाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था बन गया, जिसमें एक गवर्निंग काउंसिल और एक नियुक्त निदेशक था।
- वर्ष 1971 में इस संस्थान ने भारत के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह संस्थान वर्ष 1974 में पुणे चला गया और मंत्रालय द्वारा इसे पूरी सहायता प्रदान की गई।

21वीं सदी का सिनेमा

- 21वीं सदी की शुरुआत में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें वर्ष 2001 में सिनेमा को एक उद्योग के रूप में घोषित करना और मनोरंजन और मीडिया उद्योग का क्रमिक निगमीकरण शामिल था। महानगरों और बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में मल्टीप्लेक्स और डिजिटल सिनेमा थिएटरों के तेजी से प्रसार ने इस परिवर्तन को गति दी।

ओवर-द-टॉप (OTT)

ओटीटी या ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म ऐसी सेवाएं हैं, जो दर्शकों को केबल या सैटेलाइट सिस्टम के बिना सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों, टीवी शो और अन्य मीडिया तक पहुंच प्रदान करती हैं। ओटीटी स्ट्रीमिंग दो प्रकार की होती है- पे-टू-एक्सेस और फ्री-टू-एक्सेस। उदाहरण: नेटफ्लिक्स, ज़ी टीवी, एमएक्स-प्लेयर, हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम।

क्षेत्रीय सिनेमा

भारत में कुछ लोकप्रिय क्षेत्रीय फिल्म उद्योग बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी हैं।

- बंगाली सिनेमा ने हमेशा सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक् घटक और आधुनिक समय के निर्देशक रितुपर्णो घोष और अपर्णा सेन जैसी प्रतिभाओं द्वारा कुछ महान कृतियाँ प्रस्तुत की हैं।
- भोजपुरी फिल्मों का बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में काफी बड़ा दर्शक वर्ग है। लोकप्रिय फिल्मों निम्न हैं -
- गंगा मईया तोहे पियरी चढ़इबो, बिदेसिया, सैया हमार, पंडितजी बताई ना बियाह कब होई और ससुरा बड़ा पैसा वाला।
- गुजराती सिनेमा भारतीय फिल्म उद्योग में बहुत लोकप्रिय रहा है। फिल्में पौराणिक कथाओं, इतिहास, समाज और राजनीति पर आधारित रही हैं। इस इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को आशा पारेख, अरुणा ईरानी, असरानी, संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार और बिंदू जैसे कलाकार दिए हैं।
- कन्नड़ फिल्म उद्योग बेंगलुरु में स्थित है। राजकुमार, अंबरीश, गिरीश कर्नाड, शकर नाग, प्रकाश राज और रविचंद्रन जैसे अभिनेताओं के साथ यह उद्योग फला-फूला है। कुछ लोकप्रिय कन्नड़ फिल्मों निम्न हैं - संस्कार, एक्सीडेंट, मानसा सरोवर, तबराना कथे, भरत स्टोर्स, थायी साहेबा, विमुक्ति और भूतय्याना मागा अय्यू।
- मराठी सिनेमा ने बॉलीवुड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कुछ लोकप्रिय मराठी अभिनेता जैसे डॉ. श्रीराम लागू, रीमा लागू, दुर्गा खोटे, तनुजा, नूतन, स्मिता पाटिल, माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर, सोनाली बेंद्रे, ललिता पवार, पद्मिनी कोल्हापुरे और सदाशिव अमरापुरकर भी बॉलीवुड में लोकप्रिय चेहरे हैं।
- तमिल फिल्मों को मुख्य रूप से कॉलीवुड फिल्मों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि अधिकांश फिल्में चेन्नई के पास कोडंबक्कम पर केंद्रित होती हैं।
- तेलुगु सिनेमा को भारत में फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है। रामोजी फिल्म सिटी विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण केंद्र होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम पहले ही दर्ज करा चुकी है।

भारतीय सिनेमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म गुरुदत्त की 'कागज का फूल' (1959) है।
- भारत की पहली 70 mm फिल्म 1967 में आई राज कपूर की 'अराउंड द वर्ल्ड' (हिंदी) है।
- स्वर्ण कमल (गोल्डन कमल) भारत सरकार द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिये जाने वाले पुरस्कार का नाम है।
- जी.वी.अय्यर द्वारा निर्देशित 'आदि शंकर' भारत की पहली संस्कृत फिल्म है।
- शिवाजी गणेशन फ्रांसीसी सरकार द्वारा स्थापित शेवेलियर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे।
- भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952 में आयोजित किया गया था।
- पहली भारतीय 3-डी पिक्चर मलयालम सिनेमा 'माई डियर कुट्टीचथन' है।
- ऑस्कर जीतने वाले भारतीय- भानु अथैया, सत्यजीत रे, रेसुल पुकुट्टी, ए.आर. रहमान और गुलज़ार।

आगे की राह

- भारतीय सिनेमा का भविष्य नवीनता और विकास का संकेत देता है। ओटीटी प्लेटफार्मों का उदय, क्षेत्रीय सिनेमा की विविधता और उभरती प्रतिभाएं इसके मार्ग को आकार देंगी। बढ़ता डिजिटलीकरण, दर्शकों का विस्तार और वैश्विक पहचान एक गतिशील सिनेमाई परिदृश्य की ओर संकेत करते हैं। जैसे-जैसे उद्योग विकसित हो रहा है, प्रौद्योगिकी, मूल कहानी कहने और सांस्कृतिक विविधता को अपनाना इसकी समृद्ध विरासत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

खेल

1. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023

वर्तमान संदर्भ

3 से 12 अगस्त तक चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सातवें सत्र का आयोजन किया गया। भारत ने फाइनल में मलेशिया को हराकर रिकॉर्ड चौथा खिताब जीता।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023

प्रारूप

- एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, 2023 हॉकी टूर्नामेंट को 3 अगस्त से 12 अगस्त तक तमिलनाडु के चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित किया गया।
- एशिया की शीर्ष रैंकिंग वाली छह हॉकी टीमों- भारत, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और चीन ने वर्ष 2023 की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भाग लिया।
- यह टूर्नामेंट पॉलीग्रास पेरिस जीटी जीरो हॉकी टर्फ, कार्बन-मुक्त हॉकी टर्फ पर आयोजित किया गया था, जो अगले साल पेरिस ओलंपिक में भी इस्तेमाल किया जाएगा।
- एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, 2023 दो चरणों में आयोजित की गई थी, जिसके ग्रुप चरण में सभी छह टीमों ने सिंगल-लेग राउंड-रॉबिन प्रारूप में एक-दूसरे के साथ खेला, जिसके बाद नॉकआउट/वर्गीकरण चरण हुआ।
- इसमें ग्रुप चरण के बाद, शीर्ष चार टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि नीचे की दो टीमों पाँचवें स्थान के लिए क्वालिफिकेशन मैच खेलीं। इस बीच, सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ी तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में एक-दूसरे से खेले।
- ✓ जटिल रूप से डिजाइन किया गया हॉकी जीरो टर्फ का 80 प्रतिशत गन्ने से बनने के साथ-साथ हरित ऊर्जा से निर्मित है। इस टर्फ (मैदान) को कम पानी की आवश्यकता होती है।
- भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मलेशिया को 3-4 से हराकर सबसे अधिक यानी रिकार्ड चौथा खिताब जीता। भारत सबसे सफल टीम है, जिसने पाकिस्तान के तीन खिताबों को पीछे

रैंकिंग

छोड़ते हुए टूर्नामेंट के इतिहास में 2016, 2011, 2023 और 2018 में चार खिताब (2018 में पाकिस्तान के साथ ट्रॉफी साझा की) अपने नाम किए।

- जापान ने कोरिया को 3-5 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि पाकिस्तान ने चीन को 1-6 से हराकर पाँचवाँ स्थान हासिल किया।

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी

- एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी एशिया में आयोजित होने वाली एक प्रतिष्ठित फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जो शीर्ष एशियाई हॉकी देशों की प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करता है।
- पहली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी वर्ष 2011 में चीन के ऑर्डोस (Ordos) में आयोजित हुई थी। इसमें भारत पाकिस्तान को हराकर उद्घाटन संस्करण के चैंपियन के रूप में उभरा।
- इसका दूसरा सत्र वर्ष 2012 में कतर के दोहा में आयोजित किया

गया था। इसमें पाकिस्तान अपने कट्टर प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ करीबी मुकाबले में फाइनल में विजयी हुआ।

- इस टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण की मेजबानी वर्ष 2013 में काकामिगाहारा (Kakamigahara) में जापान द्वारा की गई थी। इसमें पाकिस्तान ने जापान को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता।
- तीन साल के अंतराल के बाद इस टूर्नामेंट का चौथा सत्र वर्ष 2016 में मलेशिया के कुआंटन (Kuantan) में हुआ। इसमें भारत पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार चैंपियन बना।
- वर्ष 2018 में ओमान ने मस्कट में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के पाँचवें सत्र की मेजबानी की। भारत और पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट का संयुक्त विजेता घोषित किया गया।
- इसका छठा सत्र तीन साल के अंतराल के बाद वर्ष 2021 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था। इसमें दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार चैंपियन का खिताब जीता।

स्व कार्य हेतु

KGS IAS



फैक्ट प्वाइंट

संसद ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

- सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद इसे 31 जुलाई को संसद द्वारा पारित कर दिया गया।
- इस विधेयक को 20 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था और चर्चा के बाद 27 जुलाई, 2023 को इसे पारित कर दिया गया था।
- 40 वर्षों के बाद सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करने वाला यह ऐतिहासिक विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में अंतिम महत्वपूर्ण संशोधन वर्ष 1984 में किया गया था।

- इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य 'पायरेसी' की समस्या पर व्यापक रूप से अंकुश लगाना है, जिससे कुछ अनुमानों के अनुसार फिल्म उद्योग को 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
- इस विधेयक के प्रावधानों में न्यूनतम 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपये के जुर्माने की सख्त सजा शामिल है, जिसे बढ़ाकर 3 साल तक की कैद और ऑडिट की गई कुल लागत का 5 प्रतिशत तक जुर्माना किया जा सकता है।

पीएम ने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त, 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए वर्ष 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था।
- यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है और जिनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण के रूप में देखा जा सकता है।
- इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष 1 अगस्त (लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि) को प्रदान किया जाता है।

- प्रधानमंत्री इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता हैं।
- इसे पहले डॉ. शंकर दयाल शर्मा, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह, श्री एन. आर. नारायण मूर्ति, डॉ. ई. श्रीधरन जैसे दिग्गजों को प्रदान किया जा चुका है।

सरकार ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से इलाज चाहने वाले विदेशी नागरिकों हेतु आयुष वीजा की एक नई श्रेणी शुरू की

- भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आयुष प्रणालियों/भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों हेतु आयुष वीजा की एक नई श्रेणी के गठन को अधिसूचित किया है।
- आयुष वीजा की शुरूआत आयुष प्रणालियों/चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग जैसी चिकित्सा की भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से इलाज हेतु भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक विशेष वीजा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को पूरा करती है।
- आयुष वीजा श्रेणी की शुरूआत सरकार की भारत में इलाज (Heal in India) पहल के लिए भारत रूपरेखा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को एक चिकित्सा आदर्श यात्रा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है।
- आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत को दुनिया के चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप हील इन इंडिया पोर्टल विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

'पुस्तकालय महोत्सव 2023'

- संस्कृति मंत्रालय 5-6 अगस्त 2023 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक अद्वितीय 'पुस्तकालय महोत्सव 2023' का आयोजन किया।
- भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस दो दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया।
- यह महोत्सव भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर संवाद शुरू करने के लिए दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों को चिह्नित किया।

- यह महोत्सव 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के दूसरे चरण का एक हिस्सा था और यह पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और भारत में पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप था।
- इसका उद्देश्य भारत में गांव और समुदाय स्तर तक मॉडल पुस्तकालयों के विकास के लिए कार्य-उन्मुख नीतियों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना था।
- यह महोत्सव पूरे भारत में पुस्तकालयों के लिए एक विशेष रैंकिंग प्रणाली के शुभारंभ का भी प्रतीक था, जो पुस्तकालय क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देगा।

भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु 35 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

- भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय (भारतीय मानक ब्यूरो) ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- इन संस्थानों में देश भर के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख एनआईटी, सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल थे।
- यह समझौता ज्ञापन साझेदार संस्थानों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरो की तकनीकी समितियों के साथ जुड़कर, प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन प्राप्त करने, मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन पर संयुक्त रूप से कार्यक्रमों का आयोजन करने, प्रकाशनों का आदान-प्रदान करने, शिक्षाविदों में मानकीकरण पाठ्यक्रम की शुरुआत करने, मानकीकरण, परीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की खोज करने, प्रयोगशाला सुविधाओं को साझा करने के साथ मानकीकरण गतिविधियों में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- भारतीय मानक ब्यूरो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है।
- यह उद्योग के लाभ के लिए और बदले में उपभोक्ता संरक्षण के

उद्देश्य से उत्पाद प्रमाणन (ISI mark), प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, सोने और चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों और प्रयोगशाला सेवाओं की हॉल मार्किंग जैसी विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है।

तमिलनाडु के आदिचनल्लुर पुरातात्विक स्थल पर 'प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय' की आधारशिला रखी गयी

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने 5 अगस्त, 2023 को तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक लौह युगीन कब्रिस्तान स्थल आदिचनल्लुर का दौरा किया।
- यहां 467 ईसा पूर्व की विभिन्न वस्तुओं और 665 ईसा पूर्व के मोटे अनाजों तथा धान जैसे खाद्यान्नों का पता लगाया गया है।
- बननेवाले इस एएसआई संग्रहालय में सभी कलाकृतियों को 'यथास्थान' प्रदर्शित किया जाएगा जो आगंतुकों और शोधकर्ताओं को समान रूप से विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा।

संसद ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 पारित किया

- नर्सिंग शिक्षा और प्रैक्टिस के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम के तहत संसद ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (National Nursing and Midwifery Commission-NNMC) विधेयक, 2023 पारित कर दिया है।
- यह अधिनियम मौजूदा भारतीय नर्सिंग परिषद को एक आधुनिक नियामक संरचना के साथ बदल देगा, जो क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधायी सुधार को चिन्हित करेगा।
- एनएनएमसी अधिनियम, 2023, नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं के मानकों को ऊंचा उठाने, पेशेवर आचरण को बढ़ाने और अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान पेश करेगा।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, भारतीय संसद के दोनों सदनों से पारित

- तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, भारतीय संसद के दोनों सदनों से आज पारित हो गया है।

- भारत सरकार इस बात पर बल देना चाहती है कि तटीय जलकृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ सीआरजेड अधिसूचनाओं के तहत सीआरजेड के अन्तर्गत अनुमत गतिविधियाँ हैं।
- संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम के तहत दिया गया पंजीकरण मान्य होगा और इसे सीआरजेड अधिसूचना के तहत वैध अनुमति के रूप में माना जाएगा, जिससे लाखों छोटे सीमांत जलकृषि किसानों को कई एजेंसियों से सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस संशोधन के माध्यम से सीएए अधिनियम के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) [एचटीएल से 200 मीटर] के भीतर हैचरी, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर (BMC) और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (NBC) जैसी जलकृषि इकाइयों की स्थापना के लिए विशिष्ट छूट दी गई है।
- मूल अधिनियम में पंजीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने पर 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है।
- यह पूरी तरह से सिविल प्रकृति के अपराध के लिए बहुत कठोर सजा प्रतीत होती है और इसलिए संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सिविल अपराधों के गैर-अपराधीकरण करने के सिद्धांत के अनुसार इस अपराध के लिए जुर्माने जैसी उपयुक्त नागरिक अनुकूल प्रणाली अपनाई जाएगी।
- संशोधन विधेयक इस अधिनियम के दायरे में तटीय जलकृषि की सभी गतिविधियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए व्यापक आधार वाली 'तटीय जलकृषि' का प्रावधान करता है और फॉर्म और तटीय जलकृषि के अन्य कार्यक्षेत्रों के बीच मूल अधिनियम में मौजूद अस्पष्टता को दूर करता है।
- ये दिशा-निर्देश 9 जून, 2022 को जारी भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन हेतु दिशानिर्देश, 2022 का एक महत्वपूर्ण विस्तार हैं और 20 जनवरी, 2023 को जारी की गई 'अनुमोदन जानकारी!' मार्गदर्शक पुस्तिका के स्थान पर हैं।
- अतिरिक्त दिशानिर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, निराधार दावों से निपटना और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के समर्थन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- दिशानिर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय, उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते समय यह बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य/फिटनेस विशेषज्ञ और चिकित्सा पेशेवर हैं।
- डीओसीए सक्रिय रूप से इन दिशानिर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन करेगा।
- उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

6 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की जाएगी

- अगस्त 2023 में 6 और हवाई अड्डों मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में डिजी यात्रा सुविधा शुरू।
- इन हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन और स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
- 1 दिसंबर, 2022 को नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा तीन हवाई अड्डों, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में इसकी शुरुआत के बाद से, डिजी यात्रा को चार और हवाई अड्डों, विजयवाड़ा, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता में शुरू किया गया है।
- उपरोक्त छह हवाई अड्डों के जुड़ने से, डिजी यात्रा-सक्षम हवाई अड्डों की कुल संख्या तेरह हो जाएगी।
- 10 अगस्त, 2023 तक 34,60,454 यात्रियों द्वारा डिजी यात्रा का उपयोग किया गया।

केंद्र ने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़े सेलिब्रिटिज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए

- उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग ने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती क्षेत्र से जुड़े सेलिब्रिटिज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

- 10 अगस्त, 2023 तक डिजी यात्रा मोबाइल एप्लिकेशन उपयोगकर्ता आधार 1.29 मिलियन था।
- डिजी यात्रा एक मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित सुविधा है जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (एफआरटी) के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध आवाजाही के लिए बनाई गई है।
- यह यात्रियों को अपनी पहचान प्रमाणित करने और यात्रा विवरण को मान्य करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित और संपर्क रहित आवाजाही के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न जांच चौकियों से गुजरने में मदद करता है।

रेल मंत्रालय कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र स्थापित करेगा

- रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की भलाई और कल्याण को बढ़ाने के प्रयास में भारतीय रेलवे ने स्टेशनों के सर्कुलेटिंग क्षेत्रों और कॉन्कोर्स में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras-PMBJKs) स्थापित करने के लिए एक नीति ढांचे की संकल्पना की है, जो लाइसेंसधारकों द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इस योजना के तहत पीएमबीजेके को 'वांछनीय यात्री सुविधा' माना जाएगा और तदनुसार, रेलवे वाणिज्यिक लाइनों पर लाइसेंसधारियों द्वारा संचालन के लिए स्टेशनों के परिसंचरण क्षेत्रों और उपनगरों में निर्मित आउटलेट प्रदान करेगा।
- आउटलेट सुविधाजनक स्थानों पर सर्कुलेटिंग एरिया/कॉन्कोर्स में स्थित होंगे ताकि आने वाले और बाहर जाने वाले दोनों यात्रियों को लाभ हो।
- रेलवे मंडलों द्वारा चिन्हित स्थानों पर लाइसेंसधारियों द्वारा पीएमबीजेके की स्थापना और संचालन किया जाएगा।
- आईआरईपीएस के माध्यम से संबंधित रेलवे डिवीजनों के साथ ई-नीलामी द्वारा स्टाल प्रदान किए जाएंगे।
- इन स्टालों को एनआईडी अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 लोक सभा में प्रस्तुत

- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 11 अगस्त, 2023 को भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 लोक सभा में चर्चा के लिए रखे।
- इन तीनों विधेयकों में अपराधी न्याय प्रणाली के लिए मूलभूत कानून हैं।
- इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा।

11 राज्यों के 49 जिलों में मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया

- खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन-ऑयल पाम के अंतर्गत, राज्य सरकारों ने ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ मिलकर 'मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान' का शुभारंभ किया। 25 जुलाई 2023 को शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य ऑयल पाम की खेती को और बढ़ावा देना, खाद्य तेलों के उत्पादन में देश और किसानों को 'आत्मनिर्भर' बनाना शामिल है।
- इस अभियान के माध्यम से 2025-26 तक ऑयल पाम उत्पादन के तहत पाम ऑयल की खेती में 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा इसके प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं।
- मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का समापन 12 अगस्त 2023 को हुआ। इस अभियान के माध्यम से, राज्य और कंपनियों 11 राज्यों के 49 जिलों के 77 गांवों में 7000 से अधिक किसानों तक पहुंचने में सक्षम रही और इस दौरान लगभग 3500 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 5 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 'ओडीओपी वॉल' का शुभारंभ

- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (One District One Product) और दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने साथ मिलकर 11 अगस्त, 2011 को यहां 'ओडीओपी वॉल' की शुरुआत की।
- इस तरह का समन्वय दुनिया के सामने भारतीय शिल्प के अनोखेपन को प्रदर्शित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक और कदम है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय उत्पाद का चयन कर उसे ब्रांड बनाकर प्रचार करना है, इस तरह देश भर में उत्पादों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाएगा।
- इस सहयोग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विक्रय स्थलों की ओर आकर्षित करना, बिक्री को बढ़ावा देना और ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्वदेशी शिल्प और कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए 'सरस' उत्पादों की मौजूदगी को बढ़ाना है।

'ग्राफीन-ऑरोरा कार्यक्रम' का शुभारंभ

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 14 अगस्त को केरल के कोच्चि स्थित माकेर विलेज में आयोजित एक समारोह में 'ग्राफीन-ऑरोरा कार्यक्रम' का शुभारंभ किया।
- यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार एवं केरल सरकार तथा उद्योग साझेदारों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।
- इसमें कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड मुख्य उद्योग साझेदारों में से एक के रूप में सम्मिलित हुआ।

- विकसित स्टार्टअप उत्पादों के साथ-साथ, कोच्चि के मेकर विलेज में स्थापित इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन जैसे अनुसंधान और विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर भी व्यावसायीकरण की दृष्टि से विचार किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना 'पीएम विश्वकर्मा' को मंजूरी

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 16 अगस्त को पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना 'पीएम विश्वकर्मा' को मंजूरी दी।
- इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों व शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है।
- इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों व सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ सकें।
- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचानपत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

स्वच्छ और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा हेतु दो सुधार पेश

- सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए डिजिटल रूप से समावेशी समाज को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए, संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 अगस्त, 2023 को डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक बढ़ाने की दिशा में दो

सुधार (सुरक्षा- केवाईसी सुधार और प्वाइंट ऑफ सेल पंजीकरण सुधार) शुरू किए।

- ये दो सुधार नागरिक-केंद्रित पोर्टल संचार साथी के शुरू होने के साथ शुरू किए गए पहले के सुधारों की दिशा में हैं, जिसने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के खतरे के खिलाफ भारत की लड़ाई को सशक्त बनाया है।

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पंजीकरण सुधार

- यह सुधार लाइसेंसधारियों द्वारा फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों (पीओएस) के अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करता है।
- इससे उन दुष्ट पीओएस को खत्म करने में मदद मिलेगी जो धोखाधड़ी करके असामाजिक/राष्ट्र-विरोधी तत्वों को सिम जारी करते हैं।

केवाईसी सुधार

- मौजूदा केवाईसी प्रक्रिया को मजबूत करना दूरसंचार सेवाओं के ग्राहकों को किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचाने और इस तरह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में आम जनता के विश्वास को बढ़ाने के उपकरणों में से एक है।
- मुद्रित आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए मुद्रित आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके जनसांख्यिकीय विवरण अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।

भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषणा की

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है।
- भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा जारी मानक में उन उत्सर्जन सीमाओं के बारे में बताया गया है जिनका पालन नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को 'हरित' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाना चाहिए।
- परिभाषा के दायरे में इलेक्ट्रोलिसिस-आधारित और बायोमास-आधारित हाइड्रोजन उत्पादन विधियां शामिल हैं।

- कई हितधारकों के साथ चर्चा के बाद, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन को 2 किलोग्राम CO₂ समकक्ष/किग्रा एच₂ से अधिक वेल-टू-गेट उत्सर्जन (यानी, जल उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस शोधन, सुखाने और हाइड्रोजन के संपीड़न शामिल) नहीं होने के रूप में परिभाषित करने का निर्णय लिया है।
- अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन एवं इसके व्युत्पादित की माप, जानकारी, निगरानी, स्थल सत्यापन और प्रमाणन हेतु एक विस्तृत पद्धति निर्दिष्ट की जाएगी।
- इस अधिसूचना के साथ भारत ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषणा करने वाले दुनिया के कुछ शुरुआती देशों में से एक बन गया है।

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी) की शुरुआत

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 22 अगस्त, 2023 को बहुप्रतीक्षित भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी) को शुरू किया।
- यह कार्यक्रम भारत में मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार में उपलब्ध मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने हेतु कार ग्राहकों को एक उपकरण प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत कार निर्माता स्वेच्छा से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (ASI) 197 के अनुसार परीक्षण की गई अपनी कारों की पेशकश कर सकते हैं।
- परीक्षणों में कार के प्रदर्शन के आधार पर कार को वयस्क अधिभोगियों (AOP) और बाल अधिभोगियों (COP) के लिए स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी।

सचिन तेंदुलकर बने चुनाव आयोग के 'राष्ट्रीय वोटर जागरूकता' अम्बेस्डर

- क्रिकेट महानायक और भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर ने 23 अगस्त, 2023 को भारत निर्वाचन आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा हेतु 'राष्ट्रीय आइकन' के रूप में एक नई पारी शुरू की।
- तीन साल की अवधि के लिए इस महान खिलाड़ी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- इस समन्वय में कई गतिविधियां शामिल होंगी, जिनमें सचिन तेंदुलकर द्वारा विभिन्न टीवी टॉक शो/कार्यक्रमों और डिजिटल अभियानों आदि में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है, जिसका उद्देश्य मतदान के महत्व और राष्ट्र की नियति को आकार देने में मतदान की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- भारत निर्वाचन आयोग विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध भारतीयों के साथ स्वयं को जोड़ता है और लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में नामित करता है।
- आयोग ने पिछले वर्ष प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी थी। इससे पहले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान एमएस धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन थे।

इंडिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड्स कॉन्टेस्ट (ISAC) 2022 के विजेताओं की घोषणा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहले एबीडीएम माइक्रोसाइट की आइजोल (मिजोरम) में शुरूआत

- मिजोरम की राजधानी आइजोल एबीडीएम माइक्रोसाइट की शुरूआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- इसके तहत, क्षेत्र में निजी क्लीनिकों, छोटे अस्पतालों और प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एबीडीएम-सक्षम बनाया जाएगा और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- इन माइक्रोसाइट्स को मुख्य रूप से एबीडीएम के राज्य मिशन निदेशकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जबकि वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन एनएचए द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- एनएचए ने पहले मुंबई, अहमदाबाद और सूरत में माइक्रोसाइट्स प्रायोगिक योजनाओं की देखरेख की थी।
- इन योजनाओं से मिली सीख और अनुभवों को एबीडीएम के तहत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की समग्र संरचना में शामिल किया गया है।
- मिजोरम के अलावा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों ने भी एबीडीएम माइक्रोसाइट्स के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- 25 जून, 2015 को शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य 'स्मार्ट सॉल्यूशन्स' के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और सम्मानित जीवन की गुणवत्ता प्रदान करना है।
- यह एक परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य देश में शहरी विकास की प्रथा में आदर्श बदलाव लाना है।
- एससीएम के तहत कुल प्रस्तावित परियोजनाओं में से ₹1,10,635 करोड़ की 6,041 (76 प्रतिशत) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और ₹60,095 करोड़ की शेष 1,894 परियोजनाएं 30 जून, 2024 तक पूरी हो जाएंगी।
- 100 स्मार्ट शहरों ने गतिशीलता, ऊर्जा, जल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आकर्षक सार्वजनिक स्थान, सामाजिक बुनियादी ढांचे और स्मार्ट प्रशासन, आदि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की हैं।
- इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता (ISAC) का आयोजन भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किया जाता है।
- भारत की माननीय राष्ट्रपति 27 सितंबर, 2023 को इंदौर (मध्य प्रदेश) में आईएमएसी 2022 पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करेंगी।



KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



Download the Khan Global Studies
(Official) App



KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

Karol Bagh Office

57/14, Near Grover Mithaiwala, Old Rajendra Nagar,
New Delhi - 110060

Phone No.: +91 1149 052 928, +91 9205 777 818

Mukherjee Nagar Office

704, Ground Floor, Main Road Front of Batra Cinema
Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Phone No.: +91 1143 017 512, +91 9205 777 817

Connect With Us

